राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4) सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 21 वां दिवस (संख्या 14

शुक्रवार
दिनांक 12 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन ।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री अमराराम चौधरी ।

जिला उद्योग अधिकारी कार्यालय बालोतरा की स्थापना

347. **श्री अमराराम चौधरी**(पचपदरा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने बालोतरा में जिला उद्योग अधिकारी का कार्यालय खोलने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो जिला उद्योग अधिकारी ने अपना कार्यालय किस माह में खोला तथा अब वहां पर कौन जिला उद्योग अधिकारी पदस्थापित है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह): अध्यक्ष महोदय, 1977 में जिला उद्योग अधिकारी का कार्यालय बालोतरा स्थानान्तरित कर दिया गया था, जो 24.1.82 को जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना पर वापस बाड़मेर में पुनर्स्थापित किया गया । बालोतरा की इकाइयों को सुविधा देने के लिये जिला उद्योग अधिकारी का मुख्यालय बालोतरा रखने का निर्णय लिया गया है और वहां अधिकारी की शीघ्र नियुक्ति की जायेगी ।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या बालोतरा में श्री दवे को यह निर्णय लेने के बाद लगाया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, किस अधिकारी को लगाया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है । निर्णय ले लिया गया है, शीघ्र ही पोस्टिंग कर दी जायेगी ।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि बाड़मेर के डी.ए.ओ. का ट्रान्सफर किया गया और पृथ्वीसिंह को वहां लगाया गया, लेकिन उन्होंने वहां जोइन नहीं किया 6 महीने से यह जगह खाली पड़ी है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी ही, दस दिन में कार्यवाही करें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है । इस मामले को दिखवा दूंगा, जैसी भी

2

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

व्यवस्था होगी वह करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य।

पचायत समिति, सुल्तानपुर एवं सांगोद (कोटा) में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय

348. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले की पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं सांगोद में कितने आयुर्वेदिक औषधालय गत 2 वर्षों में खोले गये और कहां-कहां ? यदि नहीं खोले गये, तो क्यों ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री छोगालाल कंवरिया) : वर्ष 1979-80 में पंचायत समिति, सुल्तानपुर में दो आयुर्वेदिक औषधालय ग्राम रेल तथा कोटड़ा दीपसिंह में खोले गये हैं। वर्ष 1980-81 में इन पंचायत समितियों में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया है। वर्ष 1981-82 में अभी तक राज्य में नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं होने के कारण कोई औषधालय नहीं खोला गया है। सांगोद पंचायत समिति में पूर्व से ही 9 औषधालय संचालित हैं। अतः वर्ष 1980-81 में कोटा जिले की उन पंचायत समितियों में औषधालय खोले गये, जहां औषधालयों की संख्या प्रति पंचायत समिति दस से कम है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 1981-82 में सुल्तानपुर में औषधालय न खोलने का क्या कारण है ? क्या इसके लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया ? क्या उसमें सुल्तानपुर पंचायत समिति आती है ?

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि सुल्तानपुर में दो औषधालय खोलने का क्या औचित्य है, उस सम्बन्ध में निवेदन है कि छठी पंचवर्षीय योजना में मापदण्ड के अनुसार एक पंचायत समिति में दस औषधालय खोलने का है। पंचायत समिति, सुल्तानपुर में सात औषधालय थे, दो औषधालय 1978-79 में खोले गये थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि एक भी औषधालय क्यों नहीं खोला गया ? मेरा निवेदन करना है कि जितने भी औषधालय खोले गये, वह क्या निश्चित मापदण्ड के आधार पर खोले गये ? क्या यह सही है कि जयपुर पचायत समिति में 17 औषधालय खोले गये और तीन और इस वर्ष खोले गये हैं ?

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, छठी पंचवर्षीय योजना में यह मापदण्ड निर्धारित किया

(श्री छोगालाल कंवरिया)

गया है कि जहां की मांग है, वहां औषधालय का भवन उपलब्ध है और आठ किलो मीटर की परिधि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए औषधालय खोले जाते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मांग भी है, आठ किलोमीटर की परिधि में गांव भी आता है चौमा, जिसके लिए मैंने निवेदन भी किया, आपने स्वीकृति भी दे दी कि अगले साल जरूर खोल देंगे। फिर आपने क्यों नहीं खोला? क्या यह पक्षपात नहीं है?

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जो मापदण्ड पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के लिये पंचायत समितिवार तय किया जाता है, क्या आपने पश्चिमी राजस्थान में भी इस मापदण्ड से औषधालय खोले हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री छोगालाल कंवरिया : आवश्यकता और मांग के अनुसार, मांग ज्यादा भी हो सकती है, वित्तीय प्रावधान को भी देखना पड़ता है। मांग 200 की हो सकती है, मांग को देखें तो बहुत ज्यादा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं प्रश्न कि इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रसिंह।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में एक नागला ग्राम है जो गंगानगर जिले का सबसे बड़ा गांव है उसके लिए मन्त्री महोदय से मैंने 50 दफा निवेदन किया, लिखकर भी दिया। वहां पर औषधालय की बिल्डिंग है, डॉक्टर के रहने के लिये मकान भी है, कर्मचारियों के लिए मकान है; लेकिन आज तक वहां डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई। जहां मकान नहीं है, डाक्टर के रहने के लिए मकान नहीं है वहां डिस्पेन्सरी खोली जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या वित्तीय प्रावधान और मांग को देखते हुए

Page No 4

(५)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निवाई में औषधालय खोलने का प्रावधान है ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पक्षपात हो रहा है, कोटा बून्दी और झालावाड़ के साथ अन्याय हो रहा है और भाई-भतीजों को बांट रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को ताड़ना दें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

अगला प्रश्न। 349।

कोलायत व बीकानेर तहसीलों के उपनिवेशन क्षेत्र

349. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जबसे बीकानेर जिले की तहसील कोलायत नं० 1 से 4 उपनिवेशन विभाग ने अपने क्षेत्र में ली है तब से आज तक सैकड़ों गांवों में किसी भी गांव का आबादी क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) कोलायत व बीकानेर की उपनिवेशन तहसीलों के उपनिवेशन क्षेत्र में कुल कितने गांव हैं व कितने गांवों की आबादी भूमि बढ़ाई गई है ? कितने व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड आवंटित किये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नई आबादी भूमि कब तक बढ़ाई जावेगी ? जब तक नया आबादी भूमि क्षेत्र न बढ़ाया जावे, क्या सरकार ऐसे ग्रामीणों को, जो कि वर्षों से अपने मकान व बाड़े आबादी भूमि से बाहर बनाये बैठे है उन्हें बेदखल किये जाने से रोकने का विचार रखती है ? कृपया इस संबंध में विभाग की नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री. उपनिवेशन (**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी**) : (1) जी हां, पुरानी आबादियों के क्षेत्र में वृद्धि के प्रस्ताव सबन्धित पंचायतों से प्राप्त नहीं होने से आबादी क्षेत्र नहीं बढ़ाया जा सका। इस क्षेत्र के हाल ही में चक प्लान प्राप्त हुए हैं। आबादी क्षेत्र वृद्धि हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव नगर नियोजक विभाग को शीघ्र भिजवा दिए जायेंगे।

(2) कोलायत व बीकानेर की उपनिवेशन तहसीलों के कुल 106 ग्राम है। बीकानेर उपनिवेशन तहसील में 10 गांवों की पुरानी आबादी भूमि में वृद्धि की गई है। 173 व्यक्तियों को आवसीय भू-खण्ड आवटित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चक प्लान प्राप्त क्षेत्र, उपनिवेशन तहसील कोलायत नं० 1 में 17 नई आबादियां और कोलायत नं० 2 में 2 नई आबादियां, मुख्यत: भारत पाक विस्थापितों के लिये कायम की गई हैं। इन पुराने आबाद गांवों के चक प्लान की प्राप्ति की दशा में पंचायतों द्वारा प्रस्तावित करने पर

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

नगर नियोजन विभाग के साथ सर्वेक्षण कर आवश्यकतानुसार आबादी भूमि की वृद्धि यथाशीघ्र की जावेगी। विभाग द्वारा पुरानी आबादियों के बाहर राजकीय कृषि भूमि में बनाये गए मकान व बाड़ों की बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार ही की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (1) का उत्तर दिया गया है कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त न होने से आबादी-क्षेत्र को नहीं बढ़ाया जा सका। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, ग्राम पंचायत, कोलायत में जो भूमि दी है, क्या इसी प्रकार अन्य ग्राम पंचायत को भूमि दी गई है ? इसका उत्तर दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसे हमने वहां जमीन एक्वायर की थी वैसे के वैसे भीखमपुर में एक्सपेंशन के लिये हमारे पास कोई प्रस्ताव आज की तारीख तक पंचायत का नहीं आया। कई सालों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, विधायक महोदय को यह पता होगा। अगर यह प्रस्ताव आप भिजवा दो तो हम भूमि देने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने फर्माया है कि कोलायत क्षेत्र में किसी भी उपनिवेशन क्षेत्र की पंचायत से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है, अगर यह सत्य है तो क्या मन्त्री महोदय इस बात पर रिजाइन करने के लिये तैयार हैं ? नहीं तो मैं करने को तैयार हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको ग्राम पंचायत सरपंच के पत्र की कापी दे सकता हूं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, बातें न करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि किसी भी पंचायत से प्रस्ताव नहीं आये हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने फर्माया प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में कि 173 व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड आवन्टित किये हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रगति प्रतिवेदन 81-82 के अन्दर है, 312 पुरानी में से 271 नई आबादियां स्वीकृत की गई हैं। इन आबादियों में दिसम्बर, 80 तक के पंचायत भू-खण्ड आवन्टित किये हैं। यह प्रगति प्रतिवेदन सही है या मन्त्री महोदय का जवाब सही है ?

Page No 6

श्री अध्यक्ष : यह कोई विवरण कोलायत तहसील का नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उपनिवेशन क्षेत्र में किसी भी ग्राम पंचायत के अन्दर एक भी नई आबादी भूमि की मंजूरी दी है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि एक तरफ तो टाउन प्लान ने इजाजत दी है और एक तरफ 74–75 में उपनिवेशन क्षेत्र लागू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र से किसी लालच से कोई प्रस्ताव आ रहे है, उसका........

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, इसका उत्तर दे दिया।

(व्यवधान)

शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : जैसा कि उपनिवेशन क्षेत्र में नियम हैं, पट्टा देते हैं जमीन का, जो जमीन दी जाती है, उसके कारण पंचायत समिति परेशान हो रही है। लोग बार-बार चक्कर काट रहे हैं जयपुर के। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको भूमि नहीं मिलती।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह कोलोनाइजेशन रूल जो राजस्थान सरकार ने बनाये थे इसके पीछे उद्देश्य यही था कि बड़े ऐरिया में कॉलोनीज को डवलप किया जाय। अगर कुछ पंचायत क्षेत्र उसमें आ गये हों तो प्रस्ताव है कि उनके आने पर We are bound कि हम उसको ले लें। थोड़ी कार्यवाही करनी है, वह तो करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन दे रहा हूं कि आप लायें, हम उसको करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : एक दफा मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं कि प्रस्ताव आ जायें। माननीय सदस्य ने कहा है, उनसे

(श्री देवीसिंह भाटी)

पूछ लीजिये। क्या वहां कोई पंचायत का प्रस्ताव नहीं आया? मन्त्री महोदय, उत्तर दें। फिर मैं खुलासा करूंगा कि कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गये हैं.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंतिम पूरक प्रश्न।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : यह जो पट्टे देने का काम है, पंचायतों को काम सौंपेगा कोलोनाइजेशन विभाग? कोलोनाइजेशन विभाग यह काम करने में असमर्थ है। यह मेरी दरख्वास्त है कि इसे पंचायतों को सौंपा जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान नहर सम्बन्धी किसी भी प्रश्न का आज तक उत्तर नहीं आया, यह पहली बार आया है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री महावीर प्रसाद।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया, मेरा स्पष्ट प्रश्न था। यह काम पंचायतों को सौंपा जायेगा? उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : मेरी दरख्वास्त है, पंचायतों को सौंपा जाय। कोलोनाइजेशन विभाग यह काम नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री देवीसिंह भाटी : कम से कम 13 विधायकों से सम्बन्धित प्रश्न है और एक प्रश्न का भी स्पेसीफिक उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपने जो पूरक प्रश्न पूछे उनका उत्तर मन्त्री जी ने दे दिया, उसके बाद भी यदि आपको कोई शिकायत है तो इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता है। शासन की ओर से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह बीकानेर जिले के बारे में प्रश्न है।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : समस्या एक ही है चाहे बीकानेर हो, चाहे गंगानगर हो।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री महावीर प्रसाद।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० उदयपुर

350. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लि०, उदयपुर के लिये प्रति माह कितना ओर एवं ओवर बर्डन का खनन करना निर्धारित किया हुआ है ?

(2) वर्तमान योजना के अनुसार मैसर्स ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज द्वारा प्रति माह कितना वेस्ट रॉक/ओवर बर्डन का हटाना निर्धारित किया हुआ है ?

(3) भाग 1 व 2 में उल्लिखित कार्यों हेतु कुल कितना एक्सप्लोजिव प्रतिमाह काम में आने का अनुमान है ?

(4) क्या इस एक्सप्लोजिव को स्टोर करने हेतु पर्याप्त क्षमता वाले एक्सप्लोजिव मैगजीन हैं ? यदि हां, तो कितने, कितनी-कितनी क्षमता वाले, कहां कहां स्थित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री खनिज (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) खनन उद्योग में लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। इसी आधार पर राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० के लिए वित्तीय वर्ष 1981-82 का रॉक हैंडलिंग लक्ष्य 25 लाख मैं० टन रखा गया है। विवरण इस प्रकार है :—

रॉक फासफेट	3 लाख मैं० टन
ओवर बर्डन	22 लाख मैं० टन
	25 लाख मैं० टन

(2) वर्तमान योजना में मैं० ईस्टर्न इन्जीनियरिंग एन्टरप्राइजेज को वर्ष 81-82 में आठ लाख मै. टन कुल मलवा हटाना है व सन 1982-83 में करीब 18 लाख मै. टन मलवा हटाने का लक्ष्य दिया हुआ है। कुल मलवा करीब 54 लाख टन का है, उन्हें 12 जून, 1984 तक हटाना है।

(3) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार करीब 80 टन एक्सप्लोजिव प्रतिमाह की दर से खर्च होने का अनुमान है।

(4) जी हां, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो 25 टन और 100 टन का मैगजीन बताया गया एक्सप्लोजिव रखने

Page No 9

(9)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के लिये, उसमें जो 25 टन का मैगजीन है उसको जगत एन्टरप्राइजेज को किराये पर दिया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जगत एन्टरप्राइजेज को किराये पर नहीं दिया गया है। इंडियन एक्सप्लोजिव लि. को जरूर किराये पर दिया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसा मन्त्री महोदय ने बताया करीब 80 टन एक्सप्लोजिव की प्रति माह आवश्यकता होती है, तकनीकी विशेषज्ञों की राय है कि एक माह में 160 टन एक्सप्लोजिव रखने के लिये आवश्यक है, तो 100 टन और 25 टन का जब मैगजीन बताया गया है, उसके बाद 25 टन के मैगजीन को किराये पर देने की क्या आवश्यकता थी ?

दूसरे, 25 टन का जो मैगजीन है, उसको किस किराये पर और किस समय से दिया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने प्रश्न के उत्तर में साफ कहा है कि दो मैगजीन हैं वहां पर। प्रारम्भ में 25 टन की कैपेसिटी का मैगजीन बनाया गया था उसके पश्चात् 100 टन कैपेसिटी का मैगजीन बनाया गया था, टोटल रिक्वायरमेंट एक्सप्लोजिव की प्रति माह 80 टन है करीब। हमारे पास जो मैगजीन है, क्योंकि 100 टन का मैगजीन बाद में बनाया, वहां इस्तेमाल हो रहा था। 25 टन का मैगजीन 4 वर्षों से खाली पड़ा हुआ था। जो फर्म हमको सप्लाई करती है, इंडियन एक्सप्लोजिव्ज लि. दो फर्म्स हैं तीसरी फर्म एक और है पब्लिक सैक्टर में। तीन फर्म्स से एक्सप्लोजिवज लिये जाते हैं और चूंकि 4 वर्षों से 25 टन वाला मैगजीन खाली पड़ा हुआ था और आई. ई. एल. हमारे सप्लायर्स हैं उन्होंने इस बात के लिये कहा कि इमर्जेंसी में इस्तेमाल के लिये किराये पर दिया जाय तो, किराया म्यूचुअल नेगोसिएशन्स से तय होगा वह दे देंगे। इमर्जेंसी में जरूरत पड़ी तो अपने स्टोर्स से माल सप्लाई करने की स्थिति में हम रहेंगे लेकिन मैंने निवेदन किया कि 25 टन वाला मैगजीन पिछले 4 साल से बराबर खाली पड़ा हुआ था इसलिये जब लीस आउट करने का प्रस्ताव आया तो स्वीकार कर लिया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने पूछा कि किस किराये पर दिया गया उसका उत्तर नहीं आया। दूसरे, तकनीकी विशेषज्ञों की राय के अनुसार और जिस प्रकार रिक्वायरमेंट की शर्त है, उसके अनुसार दो महीने का एक्सप्लोजिव रखने के लिये आपको 160 टन मैगजीन की आवश्यकता है जबकि आपने कहा, केवल 125 टन मैगजीन मौजूद है। जब आवश्यकता है 160 टन की लेकिन आपने 25 टन का किराये पर दिया तो जो ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज है, उन्होंने किराये पर नहीं लिया ? आज

Page No 10

(10)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

क्या यह सही है कि ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज द्वारा किराये पर लेकर उसका उपयोग नहीं हो रहा है? जिसको आपने किराये पर दिया उसके उपयोग में आ रहा है? मेरा मानना है कि जो किराये पर दिया गया और ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज को किराये पर दिया गया उनमें आपस में मिलीभगत के कारण उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है उसके लिये आपके पास क्या जवाब है?

श्री अध्यक्ष : इसमें पूरक प्रश्नों की कोई गुंजाइश नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : बहुत बड़ा प्रश्न है, 14 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैगजीन के किराये का हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ओवर बर्डन के बारे में पूछा है वह सवाल पढ़िये उसमें पूछा है, ओवर बर्डन को हटाने का।

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्नकर्ता को इजाजत दे दी। अब अगला प्रश्न। केवल एक पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : जब तक मैं सवाल नहीं करूंगा स्थिति साफ नहीं होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारा 14 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मन्त्री महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दें कि राज्य सरकार ने जब यह काम इन फर्म्स को सौंपा था उस समय समझौता हुआ था कि एक टन माल निकालेंगे तो 4 टन ओवर बर्डन हटाना पड़ेगा और आर. एस. एम. एम. को पैसा दिया जायेगा। इस समझौते का पालन न करके वर्षों से ओवर-बर्डन बढ़ गया। आपके पास सारे साधन हैं, 15 करोड़ की मशीनरी वहां पर है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट कम्पनी को बुलाकर राजस्थान का 14 करोड़ का वेस्टेज हो रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो प्रश्न पूछा है ओवर बर्डन रिमूवल के बारे में, कि वार्षिक टार्गेट्स आपने क्या फिक्स किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो अगली टर्न आ रही है उस समय विस्तृत उत्तर दूंगा और 16 तारीख को खनिज की मांग है उस समय इसको यदि रेज करेंगे तो मैं पूरा जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें 14 करोड़ का गबन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मैंने पूरक प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं आया है। इसमें इण्डियन एक्सप्लोजिव को रखने के लिये जो मापदण्ड है और जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसके अनुसार वहां पर कूड़ा एक महीने तक पड़ा रहता है और परम्परा के अनुसार यह है। इसमें 25 टन का मैगजीन किराये पर स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन ने एग्रीमेन्ट किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इन्डियन एक्सप्लोजिव को, ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज को किराये पर दिया गया है। यह ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज एजेन्सी जो है वह इण्डिया की बहुत बड़ी कम्पनी है। माननीय सदस्य ने यह पूछा कि वह इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे यह पता है कि यह किराये पर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने सीधा सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। मेरा निवेदन यह है कि आर. एस. एम. एम. ने जो ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज को यह किराये पर दिया है उसने उसको नियमों के अनुसार नहीं दिया इससे उसमें 14 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। नैक्स्ट। अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

विभिन्न स्रोतों से राजस्थान नहर को प्राप्त जल

351. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

X X X माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) राजस्थान नहर में कहां-कहां से कितना-कितना पानी राजस्थान को मिलता है ? क्या वर्ष 1981–82 में राजस्थान नहर को, जिन जिन स्थानों से पानी मिलता था, वह पूर्ण मिला है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये ?

(2) क्या वर्ष 1981–82 में राजस्थान नहर को पूरा पानी नहीं मिलने के कारण किसानों को हुई क्षति का मुआवजा सरकार देने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर (**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी**) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न श्रीमती कमला, कृषि मन्त्री के विभाग से सम्बन्धित है और वह आज किसी कारणवश नहीं आई हैं इसके लिये मैंने आपको सूचना दी थी कि यह उनसे सम्बन्धित है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमेशा से ही होता आया है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्थान कैनाल एरिया डवलपमेन्ट के विषय का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । यह प्रश्न स्थगित किया गया है । आर्डर, आर्डर । कृपया स्थान ग्रहण करें । भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को पढ़ें तो सही ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर । मैंने पढ़ा है । इस प्रश्न के बारे में राज्य सरकार से यह सूचना आई है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध अन्य मन्त्रालय से है इसलिये इसको, जिस मन्त्रालय से सम्बन्धित था उसको स्थानान्तरित कर दिया गया । कृषि मन्त्री इसका अगली टर्न पर जब उनका टर्न होगा तो उत्तर देंगी । प्रश्न स्थगित किया गया ।

(व्यवधान)

इस पर विवाद नहीं होगा, माननीय सदस्य । कृपया समय का ध्यान रखें । अगले टर्न पर इसका उत्तर आयेगा ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कृषि मन्त्रीजी से

(श्री राजबहादुर)

सम्बन्धित है या राजस्थान कैनाल से सम्बन्धित है ? राजस्थान नहर का इन्चार्ज मन्त्री कौन है ? कमला जी हैं या नरेन्द्रसिंह जी भाटी हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो डर लगता है कि कहीं कृषि मन्त्रीजी इसको वापस नहीं लौटा दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ऐसा बिलकुल नहीं होगा। वह नहीं लौटायेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के दो डिवीजन हैं। इसमें फर्स्ट है, कैनाल एरिया डवलपमेन्ट का यह प्रश्न उससे सम्बन्धित था। इसके लिये मैंने उस प्रश्न को वहां रिडाइरेक्ट कर दिया। आपको इसके लिये मैंने इन्फार्म कर दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पानी मिलने का सवाल कहां सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। बेकार समय ले रहे हैं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को देख लें। इसमें लिखा है कि राजस्थान नहर में कहां-कहां से कितना-कितना पानी राजस्थान को मिलता है। यह तो प्रश्न राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री से ही सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह शासन के सोचने की बात है कि कौनसे विभाग से सम्बन्धित है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं इस पर विचार करूंगा। प्रश्न स्थगित किया गया। अगला प्रश्न।

आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री कैलाश मेघवाल। माननीय सदस्य, मैंने प्रश्न को स्थगित कर दिया। सरकार की तरफ से यह उत्तर प्राप्त हुआ था कि इसका सम्बन्ध उनके विभाग से नहीं है इसलिये उसको स्थगित कर दिया और अगले टर्न पर मन्त्री महोदया उत्तर देंगी।

श्री राजबहादुर : आपने चाहे स्थगित कर दिया पर अगले टर्न पर उत्तर तो इनको ही देना पड़ेगा क्योंकि यह इन्हीं से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इसको स्थगित कर दिया गया। इनको देना होगा तो यह दे देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान कैनाल से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : यह तो असन की व्यवस्था है। मन्त्री महोदय को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर गलती से दूसरे मन्त्री महो- के पास भेज दिया गया है तो इस पर मैं पुनः विचार कर लूंगा। अब आज इसको स्थगित कर दिया गया है। कृपया समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य, मैंने अर्ज कर दिया ना कि इसको स्थगित कर दिया है।

अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया, माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

अजमेर नगर परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

352. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर परिषद के अन्तर्गत किस-किस विभाग में कितने-कितने स्थाई, अस्थाई व अन्य वर्कचार्ज के स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त हैं?

(2) इन स्वीकृत स्थाई व अस्थाई अथवा अन्य रिक्त पदों पर कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से एडहॉक कार्यरत हैं? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन स्वीकृत स्थाई व अस्थाई पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(4) क्या सरकार नगर परिषद्, अजमेर में 240 दिन की सेवाएं पूरी करने वाले विभिन्न विभाग के सभी कर्मचारियों की सेवायें स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1 व 2) अजमेर नगर परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न अनुभागों में स्थाई रिक्त पद एवं इन पर कौन-कौन व्यक्ति कब से एडहॉक कार्यरत हैं, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त शेष अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने के बाद नियमानुसार इनको भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) रोशनी शाखा में कार्य करने वाले 34 एवं निर्माण शाखा में काम करने वाले वाले 16 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों को नियमित वेतन शृंखला में ही

(श्री चेतराम मीणा)

गई है। इन 34 व 16 व्यक्तियों को नियमित वेतन श्रृंखला देने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची जो दी गई है इसमें एक से अधिक पदों पर ऐसे लोग हैं जो कि 240 दिन अपनी सेवा के वहां पर पूरे कर चुके हैं लेकिन उनको वहां पर स्थाई नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने बताया है ना कि 34 व 16 बचे हैं जिनके लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया ना कि वह लोग ऐसे हैं जिन्होंने 240 दिन अपने सेवा काल के पूरे कर लिये हैं और उनमें से बहुत से लोगों को स्थाई कर दिया गया पर अब जो यह बाकी बचे हैं उनको स्थाई करने के लिए कोई दबाव आयेगा या सिफारिश आयेगी तब स्थाई किया जावेगा। वैसे नियमों में प्रावधान है कि 240 दिन पूरे करने के बाद स्थाई कर दिया जाये। जैसाकि दूसरे विभाग में स्थाई किया जाता है। मेरा यह पूछना है, उसी तरह यह भी करेंगे क्या?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो नगरपालिकाओं की सेवा हेतु सेवा नियम बने हुए हैं, इनमें राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक) सेवा नियम, राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचार सेवा नियम हैं और इनके अनुसार ही चयन की कार्यवाही की जाती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 240 दिन पूरे करने के बाद सेवा में स्थाई करने का निर्णय लेने का प्रावधान है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री चेतराम मीणा इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 240 दिन पूरे होने के बाद ही स्थाई हो जावे ऐसा नियमों में प्रावधान नहीं है, परन्तु अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों ने नगरपालिका के कर्मचारियों को श्रमिक के रूप में माना है तथा श्रमिक कानून के अन्तर्गत सहूलियत प्राप्त करने का अधिकार समझा गया है। 240 दिन के बाद उसको रेगूलर सर्विस में माना जा सकता है। उसको हटाया नहीं जा

(श्री चेतराम मीणा)

सकता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके लिये मेरा यही कहना है कि प्रक्रिया नियमों की जो होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उसको हटने नहीं दिया जायेगा और उसको उसी वेतन श्रृंखला में कार्य करते रहने दिया जायेगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि 5·4·81 को राज्य सरकार ने एक निर्देश दिया था उसके तहत यह आदेश था कि जिन व्यक्तियों ने 240 दिनों की सेवा पूरी कर ली है और 10 दिन से अधिक का ब्रेक उनकी सेवा में नहीं है और यदि स्थान रिक्त हैं तो उनको नियमित वेतन श्रृंखला दे दी जाय। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह पद हैं उनके लिये पोस्ट उस समय अवेलेबल नहीं थी और बजट में भी प्रोविजन नहीं था और उसके साथ ही सरकार ने पाबन्दी लगाई हुई थी। अब हमने सरकार को लिखा है। जैसे ही पोस्टों की सेंक्शन आयेगी, बजट में प्राविजन होगा, वह नियमियत कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न—श्रीमती विद्या पाठक.

राजस्थान नहर निर्माण में उपयोग में आई टाइल्स

353. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या राजस्थान नहर में घटिया स्तर की टाइल्स की खरीद व काम में लेने की कोई शिकायत वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

(2) यदि हां, तो वह शिकायत क्या व किसके विरुद्ध थी ?

(3) राज्य सरकार ने उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ? राज्य मंत्री राजस्थान नहर (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि भीमराज आर्य के कुछ टाइल्स के भट्टे हैं और उन भट्टों में से राजस्थान नहर में कुछ ईटें दी गई हैं जिन्हें अधिशासी अभियन्ता ने रिफ्यूज किया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैडम माननीय सदस्या ने पूछा है कि क्या राजस्थान नहर में घटिया स्तर की टाइल्स की खरीद व काम में लेने की कोई शिकायत वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो ईंटें काम में वहां आने वाली हैं उनकी कोई शिकायत की गई थी और क्या कोई उसकी इन्क्वायरी की गयी थी? उसकी क्या रिपोर्ट आई?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अब वापस वही प्रश्न उठ रहा है। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा और जो कम्पलेन्ट, शायद आप जिसका जिक्र कर रही हैं वह फर्स्ट स्टेज के जो वाटर कोर्सेस बन रहे हैं, जो भी कैनाल एरिया डवलपमेंट में आ रहा है। मैंने सोचा कि इसका उत्तर थोड़ा दे दूं क्योंकि हमारे पास तो आज तारीख तक राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में सैकेण्ड स्टेज की कोई एक भी शिकायत नहीं आई।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, I object

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कैनाल का प्रश्न है। फर्स्ट स्टेज या सैकेण्ड स्टेज का प्रश्न नहीं है। कोई शिकायत आपके पास आई है क्या?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल का आप फर्मा रहे हैं। राजस्थान केनाल में जो टाइल्स यूज हो रही हैं उनमें एक भी टाइल की शिकायत नहीं आई है कि यह गलत टाइल है या खराब टाइल राजस्थान कैनाल में काम में लाई गई है। हमारे रिजेक्सन के जो रूल्स हैं, अध्यक्ष महोदय, उस हिसाब से जो रिजेक्ट हो जाती हैं उनके चट्टे को अलग कर दिया जाता है। अगर अचानक, क्योंकि ऐसे का ऐसा प्रश्न पहले पूछा गया था, अध्यक्ष महोदय, आपको शायद ध्यान होगा कि दूसरे डिपार्टमेन्ट ने वह टाइल्स खरीदी या नहीं, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं थी और उसके उत्तर में मैंने कहा था कि हमको बता दिया जाय, हम डिपार्टमेंट को कह देंगे कि जो रिजेक्ट हो जाय। लेकिन उनका भी मापदण्ड होता है। जो टाइल्स राजस्थान कैनाल में काम में नहीं आ सकती हैं वह कैनाल के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर कवरिंग के मापदण्ड में आ सकती हैं। तो अलग-अलग स्टेन्डर्ड्स होते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती विद्या पाठक : आप तो प्रश्न का जवाब दीजिए कि श्री भीमराज आर्य की टाइल्स राजस्थान कैनाल में अधिशासी अभियन्ता द्वारा रिजेक्ट की गई थीं क्या?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी शायद इन्फार्मेशन नहीं है। लेकिन मैं मानने को तैयार हूं कि भीमराज ने ऐसी टाइल्स दी होंगी और वह रिजेक्ट भी हुई होंगी। लेकिन वह क्या खरीदी गई है या नहीं राजस्थान कैनाल में इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन खराब टाइल्स काम में नहीं लाई गई हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने यह कहां पूछा है कि खरीदी हैं या नहीं? मैंने तो यह पूछा है कि वह टाइल्स अप्रूव हुई थीं या नहीं, बाद में अधिशासी अभियन्ता के कहने से रिजेक्ट हुईं या नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अब आप प्रश्न देखिये। सन् 1981-82 में कोई शिकायत प्राप्त हुई या नहीं हुई, यह है।

श्रीमती विद्या पाठक : जांच चल रही है। क्यों रिजेक्ट हुई। और उसकी जाच अभी क्यों चल रही है? कारण तो कुछ होगा? वह बताइये।

श्री अध्यक्ष : 1981-82 में कोई शिकायत हुई या नहीं---प्रश्न यह है।

श्रीमती विद्या पाठक : अभी जांच चल रही है, अध्यक्ष महोदय, वह क्यों नहीं बताते ?

श्री देवीसिंह भाटी : क्या यह सही है कि लूणकरणसर क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायक ने इस बारे में बराबर शिकायत की थी कि लूणकरणसर लिफ्ट क्षेत्र में जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी के अन्दर 3 जे. एम. डी. ए. के अन्दर गलत टाइल्स का प्रयोग हुआ है? अध्यक्ष महोदय, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वह माननीय सदस्य यहां बिराजते हैं तो वह हवाला देंगे। और जिलाधीश को ले गए, अध्यक्ष महोदय, जहां कोई भी टूटी हुई टाइल्स नहीं लगा सकते। यह मेरे पास फोटो है। मैं उस क्षेत्र में जाकर आया हूं वहां पर टूटी हुई टाइल्स हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं, अगर आज तक उस खाले में पानी छोड़ा गया हो। मेरे पास फोटो हैं, अध्यक्ष महोदय, यह देखिये।

श्री अध्यक्ष: श्री सुनील कुमार।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे पूरक प्रश्न पूछें जिनका संबंध इस प्रश्न से हो। इस प्रश्न के दायरे में जो प्रश्न हैं, वही प्रश्न पूछें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय

(श्री देवीसिंह भाटी)

क्या माननीय मंत्रीजी 1981 में वज्जू में नहीं पधारे थे ? क्या उनको इस बारे में क्षेत्रीय विधायक ने शिकायत नहीं की थी कि गलत टाइल्स का प्रयोग हो रहा हैं ? यह मेरा सवाल है और यह मेरे पास फोटो हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जहां तक टाइल्स का सवाल है, इस बारे में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। इसमें हजारों शिकायतें हैं। जितने खाले हैं उनमें टाइल्स सब-स्टेण्डर्ड की काम में लायी गई हैं। उनकी सब की शिकायत है। यह मैंने खुद जानकारी एस. ई. और एक्स. ई. एन. को दी है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय से कि जो टाइल्स काम में आती हैं उनकी साईज क्या है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील जी को भी पता है कि जब राव वीरेन्द्र सिंह जी सुरतगढ़ पधारे थे तो उस समय भी यही टाइल्स और सवालों का प्रश्न था और उस समय भी कम्पलेन्ट मुख्य मन्त्री को वहां पेश की की गयी थी और बाद में विधायकों की मीटिंग भी हुई थी उस समय कमला जी के सामने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। मैं एस्केप नहीं करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय लेकिन आपने पूछा कि टाइल्स की थिकनेस क्या है। तो 5 सेन्टीमीटर थिकनेस है जो कनाल बैंक के काम में लाई जाती है

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह कैसा उत्तर दिया?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया है कि कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल में....

(व्यवधान)

इसको कमाई का धन्धा है बना रखा है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने जो पूरक प्रश्न पूछे

Page No 20

(श्री अध्यक्ष)

हैं, उनका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया।

श्रीमती विद्या पाठक : उत्तर अपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय, किसका उत्तर दे रहे हैं ? मेरा यह प्रारम्भिक प्रश्न है....।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

अब प्रश्नों की इजाजत नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह फर्मा दें कि इस पूरी कैनाल पर ही डेजर्ट फिरा दें तो अच्छा रहेगा....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय जा रहा है, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

विराज जाइये, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर।

श्री **उम्मेदसिंह**।

कृषि को लघु उद्योग के रूप में घोषणा

354. श्री **उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार कृषि को लघु उद्योग घोषित करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो क्या अन्य उद्योगों की भांति कृषकों की आवश्यकता का अध्ययन व उसकी पूर्ति करने के लिये सरकार उद्योग विभाग में एक अलग सैल कायम करेगी ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) जी नहीं। ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(3) क्योंकि कृषि उद्योग की परिभाषा में नहीं आती है।

श्री उम्मेदसिंह : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। लम्बा चौड़ा प्रश्न है, इसका यहां कोई निर्णय नहीं हो सकता है।

प्रश्न संख्या 355

श्री मालूराम लेघा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 356

श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : एक सप्लीमेन्ट्री करना चाहता हूं—ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारे भारत वर्ष के अन्दर किसी भी प्रान्त में सरकार ने उद्योगों की जो परिभाषा दी है उसमें कहीं भी कृषि को उद्योग के रूप में परिभाषित नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्राचीन, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं अभिलेखों का संरक्षण।

357. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या कला संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान के तत्कालीन देशी रजवाड़ों के महलों, पुस्तकालयों तथा अन्य अनेक प्राचीन स्थानों में अमूल्य ऐतिहासिक, प्राचीन ग्रन्थ (हस्तलिपियां अथवा मुद्रित) कीमती ऐतिहासिक दस्तावेज और अन्य अभिलेख उपलब्ध थे ?

(2) क्या इन ग्रन्थों, दस्तावेज और अभिलेखों को एकत्रित और सुरक्षित करने के लिये कोई सुनियोजित कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

(3) उक्त ग्रन्थों, दस्तावेजों और अभिलेखों के आवश्यक और उचित रख रखाव (संधारण) के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

(श्री राज बहादुर)

(4) क्या सरकार द्वारा ऐतिहासिक महत्व के ऐसे समस्त उपलब्ध ग्रन्थों और दस्तावेजों को सुरक्षित कर लिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त ग्रन्थों में से बहुत से ग्रन्थ अथवा दस्तावेज बहुत ही क्षत—विक्षत अवस्था में हैं और जिन निजी व्यक्तियों के पास ऐसे ग्रन्थ अथवा दस्तावेज हैं, वे उन्हें सरकार को देने में संकोच करते हैं ? यदि हां, तो सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या क्या कदम उठाने जा रही है ?

राज्य मन्त्री, कला संस्कृति एवं पुरातत्व (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी हां।

(2) राजस्थान की सभी भूतपूर्व रियासतों में उनके अपने अभिलेख कक्ष थे जो राजस्थान बनने पर यूनिट रिकार्ड के नाम से सम्बन्धित जिलाधीशों के अधीनस्थ कर दिये गये। इसके बाद सन् 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई और उसके पश्चात् सब यूनिट रिकार्ड विभाग को हस्तान्तरित हो गये। हस्तलिखित ग्रन्थ 1950 में राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीयूट की स्थापना होने पर एकत्रित कर लिए गये और अरबी, फारसी शोध संस्थान की स्थापना पर इन भाषाओं के ग्रन्थ उनको हस्तान्तरित कर दिये गये। कुछ हस्तलिखित एवं चित्रित ग्रन्थ भूतपूर्व राज्यों के म्यूजियम में सुरक्षित थे जो अब वहां से राजकीय संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इनमें इन ग्रन्थों, दस्तावेजों और अभिलेखों को सुनियोजित ढंग से सुरक्षित रखा जाता है।

(3) अभिलेखों के जीर्ण शीर्ण कागजों को फ्यूमिगेट किया जाता है। इसके पश्चात् कागजों की स्थिति को देखते हुए केमिकलाइज किया जाता है और इसके बाद वैज्ञानिक ढग से उपयुक्त मरम्मत की जाती है। हस्तलिखित ग्रन्थों को लोहे की आलमारियों में रासायनिक प्रयोगों द्वारा संरक्षित किया जाता है और उपलब्धतानुसार एयर-कन्डीशन्ड बेसमेंटों में रखा जाता है।

(4) राज्य सरकार को प्राप्त ग्रन्थों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया है।

(5) जीर्ण शीर्ण ग्रन्थों के बारे में कार्यवाही प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में दर्शाये अनुसार की जाती है। जिन व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण निजी अभिलेख हस्तलिखित ग्रन्थ हैं उनका पता लगा कर, उनसे सम्पर्क कर उनको प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते हैं। परन्तु कई व्यक्ति उनको देखने देने के लिए तैयार नहीं होते।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन सप्लीमेंट्री करूंगा। एक तो यह है कि ऐसे अमूल्य ग्रंथ और दस्तावेजात तथा ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको माइक्रोफिल्मिंग करने की कोई व्यवस्था है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दो साल से इस हेतु हमारा

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

प्रयास चल रहा है। कुछ मशीनें तो खरीद ली हैं। माइक्रोफिल्मिंग मशीन राजस्थान आर्कीव्ज विभाग, बीकानेर के पास है। कुछ प्राइवेट इण्डिविजुअल के मार्फत भी माइक्रोफिल्मिंग हुई है।

श्री राज बहादुर : क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि जो ऐसे ग्रन्थ, दस्तावेज और जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, उनका समय पर माइक्रोफिल्मिंग हो जायेगा ? विशेषतया वे ग्रन्थ जो भूतपूर्व महाराजाओं और जागीरदारों के अधिकार में हैं उनको किसी भी तरह लेने की सरकार की चेष्टा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है, जो हाथ लग जायेंगे उनका तो शायद हम माइक्रोफिल्मिंग पूरा कर पायेंगे। कब तक कर पायेंगे, यह मैं सदन के सामने कमिट नहीं करना चाहता हूं। माननीय सदस्य को यह अवश्य बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व महाराजाओं, ठाकुरों के पास जो रिकार्ड है, जैसे जोधपुर में है, तो उनके पुस्तक प्रकाशन वालों से भी पूछा था किन्तु कुछ वहां से अनविलिंगनेस भी आई है। उसके आगे भी कार्यवाही कर रहे हैं। उनसे कहा है कि आपके जितने रिकाड्स पैलेसेज और किले में हैं, वहां हम हमारे खर्चे से रख रखाव करेंगे। जहां तक आपके ध्यान में हो, We will definitely take it up.

श्री राज बहादुर : मैं इतना ही ध्यान में लाना चाहता हूं कि कभी भरतपुर में भी आपने कोई प्रयास किया है ? वहां जो ग्रन्थ हैं और भूतपूर्व महाराजाओं के कब्जे में हैं, उनकी कभी कोई कीमत लगाई है, कोई देखभाल की है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए पहले।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर महाराजा के पास अगर कोई ..

श्री राज बहादुर : उनके पास ही नहीं बल्कि उनके महलों में उनकी कोठी में....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुझे इसका जवाब दे देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की पूरी इन्टेंशन है कि अमूल्य रिकार्ड्स को मेंटन किया जाय। अगर माननीय सदस्य महाराजा साहब से परमिशन दिलवा दें तो हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : इनकी तो पटती नहीं है।

स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

सदन के समक्ष जितने विषय आते हैं, सभी महत्वपूर्ण होते हैं और समय के अन्दर ही उनको समाप्त करना होता है।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय....

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आप स्थगित कर दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इतने माननीय सदस्यों को इजाजत नहीं दे सकता।

स्थगित प्रश्न।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न पूछने की इजाजत दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान नहर से सम्बन्धित प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न उठा लिए गये साधारणतया, उनको स्थगित करने की अनुमति नहीं होती।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, 351 भी इसी के साथ जुड़ा है।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन करोड़–जनता के टैक्स का पैसा, राजस्थान कैनाल में लगा रहे हैं, उस पर अनियमितता हो रही है, उसके बारे में ये प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न लेने दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तक जितने राजस्थान नहर से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये हैं, उनका सारों का जवाब इसी में आ जायेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। आर्डर प्लीज। इस सम्बन्ध में आप मुझसे चेम्बर में मिल लीजिए, मैं देख लूंगा। आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी। बातें नहीं करें, माननीय सदस्य, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। ये बात करने का...

(व्यवधान)

आप सम्मानित सदस्य हैं, सभा की कार्यवाही चल रही है, आप आपस में बातें कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन करोड़–जनता का टैक्स का पैसा, राजस्थान कैनाल पर लगा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्थान की जनता का करोड़ों रुपये का खर्चा कर रहे हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 फरवरी, 1982)

जिला झुंझुनू से विभिन्न माध्यमों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ दी गई धनराशि

38. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माननीय मुख्य मन्त्रीजी को पंचायत राज मन्त्रीजी, श्री शीशराम ओला द्वारा झुंझुनू जिले में बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कितनी धनराशि दी गई ?

(3) भिन्न–भिन्न पंचायत समितियों में माननीय मुख्य मन्त्रीजी के झुंझुनू जिले के प्रवास के समय कितनी-कितनी धनराशि कहां-कहां से भेंट की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा भी बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में दान दिया गया ? यदि हां, तो किस किस पंचायत ने तथा किस-किस पचायत समिति ने कितना कितना दान दिया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) माननीय मुख्य मन्त्री को पंचायत राज मन्त्री, श्री शीशराम ओला द्वारा झुंझुनू जिले में एकत्रित राशि में से दिनांक 31-7-81 को रुपये 6,25,000 एवं 14-10-81 को रुपये 6,75,962·65 जिलाधीश, झुंझुनू की उपस्थिति में मुख्य मन्त्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में दिये गये थे।

(2) माननीय मुख्यमन्त्रीजी को झुंझुनू जिले के प्रवास के समय संलग्न सूची के अनुसार धनराशि रुपये 1,37,54 भेंट की गयी थी। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। जिन पंचायत एवं पंचायत समितियों द्वारा मुख्य मन्त्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में राशि भेंट की गयी, उनकी सूची क्रमशः 'ब' एवं 'स' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या पचायत के अन्तर्गत पंचायत समितियों को बिना सरपंचों की और बिना पंचायतों की अनुमति के सारा का सारा अनुदान का पैसा मुख्य मन्त्री सहायता कोष में देने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिये थे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। आप प्रश्न दो को देखें, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भिन्न–भिन्न पंचायत समितियों में माननीय मुख्य मन्त्रीजी के झुंझुनू जिले में प्रवास के समय कितनी धनराशि कहां-कहां से भेंट की, उसकी सूची मैंने सदन की मेज रख दी है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर अलग प्रश्न ही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने जो प्रश्न—

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न की परिधि में जो पूरक प्रश्न आता हो, वही पूछिये।

श्री प्रद्युम्न : सिंह प्रश्न में उत्तर की जो परिधि है कि कितनी धनराशि कहां से प्राप्त हुई, मैं उसका उत्तर देने के लिए यहां पर तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय अब पंचायत नियमों के तहत अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो यह प्रश्न तो माननीय पंचायत मन्त्री से पूछना चाहिए। यह मेरी जानकारी में तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग प्रश्न है। प्रश्नकर्ता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी, पंचायत समिति में सारी की सारी अनुदान की राशि इस साल की हर पंचायत के हिसाब से, 37 पंचायत हैं, 37 की सैंतीसों की सारी की सारी राशि बी. डी. ओ. ने रुपये 65,100 ड्राफ्ट के द्वारा बिना किसी से पूछे शीशरामजी के दबाव में आकर मुख्य मन्त्रीजी को वहीं भेंट कर दी। सारी की सारी अनुदान की राशि। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। भाषण नहीं होगा। तथ्य सामने लाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 8 पंचायत समिति झुंझुनू जिले की हैं। राज्य मन्त्री ने जिलाधीश से आदेश निकलवाकर, यह लिखा हुआ है कि राज्य मन्त्री के आदेश से सारी अनुदान की राशि आप बाढ़ सहायता कोष में जमा करा सकते हैं। पंचायत की राशि 6 लाख की [illegible] की सारी उसमें जमा करा दें, दूसरे लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया, उसमें से एक पैसा नहीं कराया। उनका कोई हिसाब नहीं है और पंचायतों का सारा का सारा अनुदान का पैसा जमा करा दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रश्न है कि बाढ़ सहायता एवं अकाल सहायता मुख्य मन्त्री कार्यालय में भेजी गयी, मेरे पास। अब कह रहे हैं कि सारे जिले की पंचायतों के कुल अनुदान का पैसा मुख्य मन्त्री बाढ़ एवं अकाल सहायता कोष में जमा करा दिया गया। जो मेरे पास सूचना है, श्रीमान्, उसके मुताबिक माननीय सदस्य का आरोप गलत प्रतीत होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल सही है, पंचायत समितियों का सारा का सारा, आपने लिखा हुआ है, यह बी. डी. ओ. का लिखा हुआ खेतड़ी का....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो बड़ा अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अनुचित है। माननीय सदस्य, जब प्रश्न

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करते हैं, मैं उसको धैर्यपूर्वक सुनता हूं, उनको उत्तर भी सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। अब यह बीच में उठ कर बोलने लग गये यह बड़ी अनुचित बात हो गयी, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ सहायता कोष में पंचायतों द्वारा दिये गये दान की सूची। कुल 72 पंचायतों द्वारा दान दिया गया, उसकी सूची मैंने सदन के पटल पर रख दी है। मेरा ऐसा निश्चित मानना है, अध्यक्ष महोदय, कि इस जिले के अन्दर 73 ग्राम पंचायतों से अधिक पंचायतें होंगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न जो कहा कि पंचायत समितियों के माध्यम से 5 लाख 9 हजार की राशि आयी। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर राशि केवल ग्राम पंचायतों द्वारा दी गयी है, यह भी गलत है। आप अगर आंकड़े पढ़ें, झुंझुनू जिले से आये एक लाख एक हजार 101 रुपये, अलसीसर से आये 46,650 रुपये, चिड़ावा से 10,151 रुपये, सूरजगढ़ 415 रुपये और, अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आये 1,40,870 रुपये, उदयपुर वाटी से आये 10,572 रुपये, लोहाना से 1,11,536 रुपये, नवलगढ़ से 85,570 रुपये ? अध्यक्ष महोदय, जहां 51,610 रुपये आये हैं तो केवल पंचायतों की इतनी राशि थी। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मैंने प्राप्त की थी, उसके अनुसार पंचायत समितियों ने अन्य स्रोतों से जो सेवार्थ संस्थायें हैं, उनके क्षेत्र के अन्दर धनी मानी व्यक्ति जो बाहर प्रवास करते हैं उनके माध्यम से भी यह राशि उन्होंने दान स्वरूप प्राप्त की थी। तो यह आरोप लगाना कि उन्होंने कुल रुपये ग्राम पंचायतों को दे दिये, सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जान बूझकर यह निकाला गया है, पैसा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भंवर सिंह शेखावत (नवलगढ़) : नवलगढ़ पंचायत समिति का कह सकता हूं 32 पचायतें हैं, उनमें से इस तरह से एक भी पंचायत की अनुदान राशि नहीं दी गई है, यह बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दी गयी है, मेरा आरोप है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : XXX

श्री सुनील कुमार विश्नोई : XXX

श्री भंवर सिंह शेखावत - XXX

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : + + + शब्द को कार्यवाही से निकालिए। अंकित न हो। अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाडी : XXX

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : XXX

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ. माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी इस डिस आर्डर में किसी प्रकार का कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आयेगा। पहले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें उसके बाद पाइन्ट आफ आर्डर का समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले पाइन्ट आफ आर्डर आने दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है....

श्री घनश्याम तिवाडी : प्रश्नकाल में पाइन्ट आफ आर्डर कहां से आ गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री घनश्याम तिवाडी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में ..

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाडी : XXX

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य........माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। अव्यवस्था न फैलावें, माननीय सदस्य....। अंकित नहीं हो रहा है। आज कार्य सूची बहुत लम्बी है, व्यर्थ में समय जा रहा है....मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सदन में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।....माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा स्कैण्डल है। यह बहुत बड़ा घोटाला है।....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।....आसन पैरों पर है....नियमों का ध्यान रखिए, माननीय सदस्य।....कृपया स्थान ग्रहण कीजिए.... आर्डर प्लीज....आर्डर आर्डर....कृपया बैठ जावें।....अंकित नहीं होगा।....माननीय सदस्य, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.... कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। जब तक सदन में व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, मैं किसी चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आप कार्यवाही थोप रहे हैं, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

अंकित नहीं होगा।.... यदि माननीय सदस्य को संतोष नहीं है तो इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अन्य कौनसा तरीका है?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: XXX

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में मैं किसी आधे घण्टे की चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आधे घण्टे से अधिक समय तो आपने ले लिया है। क्या तथ्य हैं, माननीय सदस्य मुझे समझाने की कोशिश करें कि क्या तथ्य हैं, क्या बात हुई है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आप आधे घण्टे की चर्चा की इजाजत दे दें।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं कोई इजाजत नहीं दूंगा, किसी चर्चा की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य, मुझे नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नाम से सम्बोधित करूंगा.... आसन पैरों पर है। कृपया नियमों का ध्यान रखिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर की आपने इजाजत दी थी।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खेतड़ी के बारे में स्थगित सवाल पूछा है....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजात नहीं दे रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदय ने जिस प्रकार की जानकारी दी है....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय उपनेता कुछ निवेदन करना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।.... आर्डर प्लीज.... आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आप आधे घण्टे की चर्चा की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं आधे घण्टे की चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। अगर आधा घण्टे की चर्चा चाहते है तो जरा कष्ट कीजिए। आप चेम्बर में पधारें, मुझे पत्रावलियां बतावें, तो मैं इजाजत दे सकता हूं। वर्तमान में मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं।

XXXमाननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक सवाल किया खेतड़ी के बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने एक एक पंचायतों के जो आंकड़े दिये हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने गलती बयानी की है....

श्री अध्यक्ष : यदि उन्होंने गलत बयानी की है तो मेरे ध्यान में लाइये....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वही तो ला रहे हैं। यह महत्वपूर्ण घोटाला है....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय सदस्यों पर तो शासन के द्वारा पाबन्दी लगाई जा रही है....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर केवल तीन लाइनें पढ़ लें। मैं इनको पढ़कर बतला रहा हूं कि यह जो पंचायत समिति खेतड़ी है, उसके बी.डी. ओ. साहब का यह पत्र है। उन्होंने यह सारा जोड़ लगाने के पश्चात्, अन्त में नोट लिखा है कि उपरोक्त राशि के अलावा व्यक्तिगत तौर पर सरपंचों और पंचायत समिति के कर्मचारियों की ओर से दी गई राशि इतनी है और, श्रीमान् जिलाधीश महोदय के पास अलग से जमा करा दी गई है। यह नोट है इसमें। बाकी हर पंचायत के अनुदान की राशि का एक एक पैसा लगातार सीधे सीधे मन्त्री महोदय ने मुख्य मन्त्री कोष में जमा करा दिया....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है.... मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा

XXX माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अंकित नहीं किया गया

श्री देवीसिंह भाटी : XXXघनश्यामजी, मैं पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर के द्वारा उठा रहा हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन। इसके ग्रन्दर पृष्ठ संख्या 48 है, ग्रध्यक्ष महोदय। इसके ग्रन्दर 24-10-1956 को व्यवस्था दी गई है ग्रध्यक्ष महोदय द्वारा। इसमें है कि प्रश्नों के उत्तर पर सदस्यों द्वारा प्रकट किए गए विरोध पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसकी लाइन नम्बर 5 पर है :

'In democracy it is desirable that the Treasury Benche should pay attention to the protest of the members and review the enquiry that is made."

ग्रध्यक्ष महोदय, इसमें साफ है। ग्रब जितना विरोध यहां पर प्रकट किया जा रहा है, ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है····

श्री ग्रध्यक्ष : इसमें ग्रागे क्या किया जावे, यह बताइये ग्राप ?

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय····

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न उठाये जावें तो उनके सम्बन्ध में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखती है सरकार।

श्री देवीसिंह भाटी : यह ग्रासन के द्वारा दी गई व्यवस्था है, ग्रध्यक्ष महोदय।····

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप समय ले रहे हैं, मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रासन के द्वारा व्यवस्था दी गई है। या तो ग्राप इस व्यवस्था को खतम कर दीजिए, ग्रध्यक्ष महोदय ···

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : जब ग्रापके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं····

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर निरस्त किया गया।··· ग्रार्डर प्लीज····

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी इजाजत से निवेदन करना चाहूंगा ···

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप बाधा डाल रहे हैं। ग्रब ग्राप विराज जावें।

श्री नाथूसिंह : मैं इस सम्बन्ध में नहीं बोल रहा हूं।

XXX शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोकित किया गया।

XXX माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : किसी भी सम्बन्ध में नहीं।... आर्डर, आर्डर... बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मैं इस सम्बन्ध में नहीं चल रहा हूं।

(व्यवधान)

आपसे हम संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठ जावें... आसन पैरों पर है... पहले बैठ जावें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जावें

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। कम से कम सरकार रिपोर्ट में हेराफेरी न करे....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी राय अभी नहीं मानी जायेगी। आसन पैरों पर है। मुझे खुद को चिन्ता है पहले हाउस को एडजस्ट करने की। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया सहयोग दें।

श्री देवीसिंह भाटी : पंचायत मन्त्रीजी कहां गायब हो गये?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम लाखोर बड़ी (बीकानेर) को उपनिवेशन क्षेत्र से निकालना

355. **श्री मालूराम लेघा** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गांव लाखोर बड़ी, राजस्व तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर को उपनिवेशन क्षेत्र से निकालने हेतु आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर ने अपने पत्र संख्या 2082 दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 द्वारा सिफारिश की है? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

उत्तर

जी हाँ। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

नवीन औषधालय व डिस्पेन्सरीज

356. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जनवरी, 1981 से जनवरी, 1982 के मध्य राज्य में कहां-कहां नवीन डिस्पेन्सरीज व आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें

उत्तर

जनवरी, 81 से जनवरी, 82 के मध्य खोली गई ऐलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक नवीन डिस्पेन्सरियों व औषधालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य आयोजना मण्डल

275. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य के आयोजना मण्डल के गठन में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या? आयोजना मण्डल के सदस्यों को सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1978 में आयोजना मण्डल के पुनर्गठन के आदेश जारी किये गये थे। पुनर्गठित मण्डल के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और पुनः पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला जयपुर में हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन

276. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार ने जयपुर जिले की किन-किन हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिये क्या क्या सुविधा दे रखी है और कहां कहां?

(2) क्या गोटे व बन्धेज का काम व नगीनों की कटाई करने वाली महिलाओं को भी राज्य सरकार कुछ सहायता देती है? यदि नहीं, तो इन उद्योगों के महत्व को देखते हुए सरकार इन्हें कुछ राहत प्रदान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की विभिन्न हस्तकलाओं यथा कपड़े पर छपाई व बंधेज, ब्ल्यू आर्ट पोटरी, पीतल का कलात्मक सामान, हाथी दाँत का सामान, चन्दन की लकड़ी का सामान, लकड़ी पर तारकसी का काम, ऊनी गलीचे, पेंटिंग्स, गुड़िया, जरी के खिलौने, मूल्यवान नगीने, चांदी का कलात्मक सामान आदि हस्तकलाओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है।

निगम द्वारा अपने जयपुर, माउण्ट आबू, उदयपुर, नई दिल्ली, आगरा, बम्बई, कलकत्ता व श्रीनगर में स्थित हस्तशिल्प विक्रय केन्द्रों में विपणन की सुविधा दी जाती है।

निगम की देखरेख में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने व विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है, जिनमें प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षणार्थी को निर्वाह भत्ता व प्रशिक्षण हेतु आवश्यक साज सामान उपकरण आदि की व्यवस्था है। जयपुर जिले में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र निम्न स्थानों पर व निम्न हस्तकलाओं के हेतु खोले गये हैं :—

1. कपड़े पर छपाई के ब्लाक्स बनाने हेतु-ऐसा केन्द्र बगरू में खोला हुआ है।

2. कपड़े पर छपाई हेतु ऐसे केन्द्र कालाडेरा व बस्सी में खोले हुए हैं।

3. धातु कला हेतु इससे सम्बन्धित चार प्रशिक्षण केन्द्र डिजाइन विकास व शोध केन्द्र, जयपुर चल रहे हैं।

4. लकड़ी पर तारकसी हेतु ऐसा एक प्रशिक्षण केन्द्र डिजाइन विकास व शोध केन्द्र, जयपुर में चल रहा है

निगम द्वारा महत्वपूर्ण मेलों व प्रदर्शनियों में भी भाग लिया जाता है इससे हस्तशिल्प को प्रचार प्रसार का लाभ प्राप्त होता है।

निगम द्वारा प्रदर्शनियों व बिक्री केन्द्रों पर विभिन्न हस्तशिल्पियों को उनके शिल्प के बनाते हुए दर्शाये जाने की भी व्यवस्था समय समय पर की जाती है। इससे हस्तशिल्पियों के मनोबल में वृद्धि होती है। साथ ही देखने वालों की भी शिल्प की बारीकियों तथा दूसरी विशिष्टताओं को स्वयं देख कर इसमें अभिरुचि बढ़ती है, जो कि शिल्प व शिल्पियों की लोकप्रियता तथा बिक्री को बढ़ावा देती है।

(2) राज्य सरकार लोक शिक्षण संस्थान, जयपुर के माध्यम से गोटा एंव आरी तारी का एक प्रशिक्षण केन्द्र महिलाओं के लिए वर्ष 1975-76 से चलाया जा रहा है। इस संस्थान को विभाग द्वारा शत प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह की होती है और एक बैच में 30 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। दिसम्बर, 81 तक 595 महिलाओं को गोटा एंव आरी तारी का प्रशिक्षण दिया चुका है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्रशिक्षण केन्द्र

277. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम के कहां कहां पर कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? इन्हें कब कब खोला गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(1) राज्य में कितने गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? इनसे अब तक कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) प्रशिक्षणार्थियों को क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. के द्वारा वर्तमान में चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची मय उनके आरम्भ करने के वर्ष के अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

(2) निगम द्वारा राज्य में वर्तमान में 35 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर अब तक 3850 प्रशिक्षित व्यक्तियों में से लगभग 1950 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

(3) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में केवल निर्वाह भत्ता दिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्र

278. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिलान्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया हैं ? उनके विकास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या सरकार ने सन् 1978 में जिला स्तरीय औद्योगिक समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो बीकानेर जिले में समिति ने किस-किस तारीख को बैठक की है ?

(3) समिति ने अपनी बैठकों में किन किन बिन्दुओं पर कितने मामलों का निपटारा किया ? कृपया समस्त बैठकों की कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र लूणकरणसर औद्योगिक क्षेत्र नापासर, औद्योगिक क्षेत्र बेरियावाली, औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल तथा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर घोषित किये गये हैं। इन

(उद्योग मंत्री)

औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हेतु की गई की गई कार्यवाही के विवरण की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, समिति ने बीकानेर जिले में निम्नांकित दिनांकों को बैठक सम्पन्न की हैं :—

(1) 1-10-1978

(2) 20-11-1978

(3) 26-3-1979

(4) 1-6-1979

(5) 11-7-1979

(6) 10-8-1979

(7) 9-7-1980

(8) 13-11-1980

(9) 23-12-1980

(10) 16-3-1981

(11) 22-7-1981

(12) 12-10-1981

(13) 18-12-1981

(3) बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

(कार्यवाही की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

न्यूक्लीयस संयंत्र एवं उसके सहायक उद्योगों की स्थापना हेतु टास्क फोर्स

279. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने राज्य में न्यूक्लीयस संयंत्र एवं उनके सह उद्योग लगाने के लिये टास्क फोर्स का गठन किया है। यदि हां, तो इस फोर्स के कौन कौन सदस्य हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार ने इस प्रकार के न्यूक्लीयस प्लान्ट्स के लिये कुछ स्थानों का चयन किया है ? चयनित स्थानों के नाम, कितने उद्योग लगाये जायेंगे तथा कुल कितना विनियोजन होगा तथा इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

(3) राज्य सरकार किन किन स्थानों पर न्यूक्लीयस प्लान्ट लगाना चाहती है ? क्या इस समिति ने कोई रिपोर्ट भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय को पेश की ? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, भारत सरकार द्वारा

(उद्योग मंत्री)

राजस्थान में न्यूक्लीयस संयंत्र एवं उसके सह उद्योग लगाने के लिये गठित टास्क फोर्स के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

2 व 3 भारत सरकार ने न्यूक्लीयस प्लान्ट व लगाने हेतु राजस्थान के चार जिलों जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर एवं चूरू का चयन किया है। भारत सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ने जोधपुर में न्यूक्लीयस प्लान्ट लगाने से सम्बन्धित अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। किन्तु राज्य सरकार को इस प्रतिवेदन की औपचारिक स्वीकृति अभी भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये कुल कितने उद्योग लगाये जायेंगे तथा कुल कितना विनियोजन होगा, के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है। इसी कारण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भी सदन के पटल पर रखने में असमर्थता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जैसलमेर नगर सौन्दर्यकरण अभियान

280. ी चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर सौन्दर्यकरण अभियान के अन्तर्गत मकान संख्या 3120, मोहल्ला पटवो की हवेली के पास, को मकान मालिक की गैर मौजूदगी में उसे बिना सूचित किये व मकान का ताला तोड़कर मकान गिरा दिया गया? क्या उसका कोई पंचनामा बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मकान में रखे सामान का कोई अता पता नहीं है? यदि हां, तो क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। मकान न० 31 0 मोहल्ला वर्धमान पाडा में है जो श्री बृजबल्लभ पुत्र श्री हिम्मतराम मालपानी का है। इसे नहीं गिराया गया है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

ग्राम गांवड़ी (सिकराय) के मीण्ड़ भौरया की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री

281. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गांवड़ी, तहसील सिकराय के मीण्डू भौरया की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई थी। यदि हां, तो कब और उसके कौन कौन गवाह थे।

(2) क्या यह भी सही है कि इस फर्जी

(श्री रामकिशोर मीणा)

रजिस्ट्री बावत केस थाना भानपुर में रजिस्टंर हुआ था। यदि हां, तो किस तारीख को तथा तहसीलदार द्वारा कार्यवाही हेतु किस तारीख को लिखा गया?

(3) पुलिस ने अभी तक अपराधियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया?

(4) क्या मीण्डू भौरया ने जिला प्रशासन से 107/116 की कार्यवाही हेतु इजाजत चाही है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जी हां, फर्जी रजिस्ट्री दिनांक 12-8-81 को हुई थी। जिसके गवाह श्री छीतरमल गूजर और श्री टोडर गूजर थे।

(2) जी हां, थाना भानपुर, जिला जयपुर में मुकदमा नं० 91/81 धारा 467, 468, 471, 420 ता० हि० में दिनांक 19-8-81 को रजिस्टर हुआ था। यह मुकदमा श्री मीण्डू पुत्र गौरीलाल द्वारा दर्ज करवाया गया था। तहसीलदार ने पुलिस को इस बारे में नहीं लिखा था।

(3) दिनांक 17-9-81 को थाना भानपुर द्वारा अपराधी गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

(4) जी नहीं।

सैकन्ड बटालियन (आर.ए सी) के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ

282. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय बटालियन आर.ए.सी. के कई कर्मचारियों को सेवा काल पूरा होने के बाद लम्बे समय से पेन्शन एवं सेवा निवृत्ति का लाभ उनका सर्विस रिकार्ड पूरा नहीं होने के कारण प्राप्त नहीं हो सका।

(2) वर्ष 1980-81 में कितने व्यक्ति सेवा निवृत्त हुए और उनमें से कितनों को सेवा निवृत्त का सम्पूर्ण लाभ मिल चुका है। कृपया मय पद, नाम सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दूसरी बटालियन आर.ए.सी. के किसी भी कर्मचारी का पेन्शन एवं सेवा निवृत्ति के लाभ का मामला सर्विस रिकार्ड पूरा न होने के कारण पेंण्डिग नहीं है। केवल वर्ष 1981 के 3 कर्मचारियों के पेन्शन केस चीफ पेन्शन आफिसर से आदेश नहीं होने के कारण पेंण्डिग हैं।

(2) वर्ष 1980 में 18 व वर्ष 1981 में 25 व्यक्ति सेवा निवृत्त हुए। वर्ष 1980 में सेवा निवृत्त सभी कर्मचारियों को और वर्ष 1981 में 3 को छोड़ कर 22 व्यक्तियों को सेवा निवृत्ति का पूर्ण लाभ मिल चुका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कर्मचारियों की पदोन्नति का आधार

283. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिए वित्तीय वर्ष को ही वार्षिक वर्ष मानने का निर्णय लिया है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। कलेण्डर वर्ष को वार्षिक वर्ष मानने से क्या परेशानियां हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति के लिए राज्य सरकार वरीयता एवं योग्यता के सिद्धान्त को छोड़कर अब सिर्फ योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति देने का विचार कर रही है।

(3) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष को विभिन्न सेवा नियमों में "वर्ष" मानने का निर्णय इस आधार पर लिया कि विभिन्न सेवा नियमों में "वर्ष" को परिभाषित नहीं किया गया था जिसके अभाव में राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, 1955 में परिभाषित "वर्ष" की परिभाषा विचारणीय हो जाती थी। उक्त अधिनियम में "वर्ष" की परिभाषा को "कलेण्डर ईयर" परिभाषित किया गया है। चुकि पदोन्नति की प्रक्रिया से संबंधित नियम में पात्र व्यक्तियों की पात्रता हेतु अनुभव की गणना जिस वर्ष में पदोन्नति की जानी है; के अप्रेल माह के प्रथम दिन को [illegible] है तथा अधिकारियों एव कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों हेतु निर्धारित समय की गणना वर्ष के अप्रेल माह के प्रथम दिन से ही की जाती है इसलिये यह उचित समझा गया कि सभी सेवा नियमों में "वर्ष" की परिभाषा को वित्तीय वर्ष, जो वर्ष अप्रेल माह के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होता है, परिभाषा होता है, परिभाषित कर दिया जावे।

कलेण्डर वर्ष को 'वर्ष" की परिभाषा में सम्मिलित करने से प्रशासनिक एवं वैधिक (legal) कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती थी। क्योंकि पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों के अनुभव की गणना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों हेतु निर्धारित समय की गणना तथा नये पदों का सृजन प्रत्येक वर्ष के अप्रेल माह से प्रारम्भ होता है। इसी आधार पर सेवा नियमों में "वर्ष" की परिभाषा में कलेण्डर वर्ष को सम्मिलित किया जाना उचित नहीं समझा गया।

(2) जी नहीं। यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 41

व्याख्याताओं के चयन में अनुसूचित जाति/जन-जाति के अभ्यर्थियों को स्क्रिनिंग टेस्ट की सुविधा

284. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने व्याख्याताओं के चयन में समस्त अनुसूचित जाति व जन जाति के अभ्यर्थियों को स्क्रिनिंग टेस्ट की सुविधा प्रदान कर दी है ?

(2) यदि हां, तो इससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के पदों हेतु ली गई स्क्रिनिंग टेस्ट (संवीक्षा परीक्षा) में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र अभ्यर्थियों को बैठने से मुक्ति दी गई थी तथा सीधा साक्षात्कार में आमन्त्रित किया गया था।

(2) इस संवीक्षा परीक्षा की छूट की सुविधा से अनुसूचित जाति के 132 तथा अनुसूचित जनजाति के 71 (कुल 203) अभ्यर्थियों को वर्ष 1981-82 में लाभ मिला।

डाकू उन्मूलन विशेष कानून

285. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राज्य में डाकू उन्मूलन विशेष कानून लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बारां नगरपालिका को आवंटित धनराशि

287. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लघु व मध्यम कस्बों की एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बारां नगरपालिका को कितना धन आवंटित किया गया ? नगरपालिका ने कितने धन का अभी तक उपयोग किया है ?

(2) क्या इस कार्यक्रम के लिये किसी जन प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस संस्थान के एवं कितनी भूमि के ?

उत्तर

(1) लघु व मध्यम कस्बों की योजना के अन्तर्गत बारां नगर पालिका को 8 लाख रुपया आवन्टित किया गया। नगर पालिका बारां ने इस धन का भी उपयोग नहीं किया है।

(2) बारां नगर में इस कार्यक्रम हेतु

(नगर आयोजन मन्त्री)

किसी जन प्रतिनिधि को फिलहाल सदस्य नहीं बनाया गया है।

घोलाभाटा विस्तार योजना अजमेर

288. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर सुधार न्यास, अजमेर ने घोलाभाटा विस्तार योजना बनाई थी और इस हेतु भूमि की अवाप्ति सन् 1979 में कर लेने के बावजूद डेढ़ साल तक लेवलिंग कर सड़क नहीं बनायी जिससे न्यास को सन् 1980-81 के बजट के अनुसार भू-खण्डों की बिक्री से 5 लाख रुपये की आय से वंचित रहना पड़ा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जमीन पर अतिक्रमण हटा कर लेवलिंग के लिये एग्रो इन्डस्ट्रीज अजमेर से बुलडोजर किराये पर लिया गया लेकिन उसको लेवलिंग के कार्य पर नहीं लगा कर दूसरी जगह भेज दिया गया ?

(3) अवाप्ति की तारीख से भू-खण्ड बिक्री की तारीख तक इस जमीन पर क्या-क्या फसलें पैदा हुईं और उसकी आमद को किसने प्राप्त किया ?

उत्तर

(1) घोलाभाटा विस्तार योजना 1979 में बनाई गई थी। इस योजना के विकास हेतु सड़कें आदि बनाने हेतु टेण्डर आदि आमन्त्रित किये गये व एस्टीमेट स्वीकृत कराये गये। परन्तु न्यायालय में विवाद चलने के कारण सड़क बनाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। न्यायालय का निर्णय 2.3.81 को हुआ और इसके पश्चात् योजना [illegible] भाग में सड़कें बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और कुछ नीलामी का कार्य भी पूरा हो चुका है। न्यायालय में विवाद होने के कारण एवं कुछ खातेदारों ने भूमि का कब्जा नहीं दिया था इस कारण भूखण्डों की नीलामी नहीं की जा सकी। अभी भी कुछ क्षेत्र के लिए न्यायालय से निषेध आज्ञा है।

(2) जी हां, एग्रो इन्डस्ट्रीज अजमेर से बुलडोजर किराये पर लिये गये थे परन्तु खेतों की भूमि समतल ही पाई गई अत: बुलडोजर का उपयोग नहीं किया गया तथा वापस भेज दिया गया।

(3) न्यायालय से निषेध आज्ञा होने के कारण नगर विकास न्यास हस्तक्षेप करने में असमर्थ था अत: फसल की जानकारी नहीं है।

भीलवाड़ा में टाउन हॉल का निर्माण

289. श्री **बन्सीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् के टाउन हॉल की नींव कब लगी ? इस पर अब तक किन-किन वर्षों में किन कार्यों पर कितना-कितना खर्च किया गया ?

(श्री बन्सीलाल पटवा)

(2) क्या इस टाउन हॉल का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा होने की आशा है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् के टाउन हॉल की नींव दिनांक 23-1-57 को लगी। इस पर वर्षवार कार्यों पर किये व्यय का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी नहीं।

निम्न कार्यों के अलावा टाउन हॉल निर्माण सम्बन्धी शेष कार्य पूर्ण हो चुका है :—

1. एकास्टिकल साउण्ड प्रूफिंग
2. बिजली का कार्य
3. ओडियो साउण्ड सिस्टम
4. फर्नीचर
5. बालकोनी व छत कवरिंग
6. एडीशन आल्टरेशन का कार्य बिल्डिंग में।

उक्त सभी कार्यों को पूर्ण होने में अनुमानतः दो वर्ष का समय लगेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

मांगरोल (कोटा) नगरपालिका के विभिन्न मोहल्लों में बिजली व पानी की व्यवस्था

290. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल नगरपालिका के मोहल्ले भगवानपुरा, भैरूंपुरा, छतरियां, अमरपुरा, टोडी, सहराना व हरिजन बस्ती में अभी भी बिजली व नल उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त मोहल्लों में बिजली व पानी पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) भगवानपुरा, भैरूंपुरा, छतरिया, अमरपुरा टोडी में अभी बिजली व नल उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु सहराना व हरिजन बस्ती में उक्त दोनों सुविधायें उपलब्ध हैं।

(2) नगरपालिका द्वारा रोड लाइट के लिए इन मोहल्लों में विद्युत विभाग को तथा नल के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लिखा गया है। उक्त विभागों द्वारा तकमीना बनाये जा रहे हैं। तकमीना के बाद योजनानुसार एवं वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए कार्य पूरा कराया जा सकेगा।

जयपुर की ऑटो-मोबाइल नगर योजना

291. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर नगर में ऑटो-मोबाइल नगर योजना विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो ये नगर किस स्थान पर बसाया जायेगा ? इसमें किन-किन लोगों को भू-खण्ड दिए जायेंगे तथा कितने भू-खण्ड आवंटित होंगे ? भू-खण्ड देने का क्या मापदण्ड होगा ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) यह नगर दिल्ली नेशनल हाईवे बाई पास जयपुर पर बनाया जायेगा । इस योजना में भू-खण्ड दिये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । योजना में मोटर मरम्मत का कार्य करने वाले तथा आटोमोबाइल पार्ट्स डीलर को भू-खण्ड व्यवसाय हेतु दिए जाने का प्रस्ताव है । कितने-कितने भू-खण्ड दिए जावेंगे एवं उनका क्या मापदण्ड होगा, यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अजमेर की सफाई व्यवस्था में सुधार

292. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर की सीमाओं में सर्वत्र गन्दगी है और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने में वहां के प्रभारी अधिकारी असफल रहे हैं ?

(2) नगर परिषद, अजमेर के वर्तमान स्वास्थ्य अधिक[illegible]ब से तैनात हैं, और अब तक [illegible] से उनके स्थानान्तरण आदेश कब-कब दिये गये और इन स्थानान्तरण आदेशों का क्या कारण था ?

(3) ये स्थानान्तरण आदेश किस-किस तारीख को निरस्त किये गये और निरस्त करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सफाई व्यवस्था में लगातार सुधार हेतु प्रभारी अधिकारी प्रयत्नशील है ।

(2 व 3) स्वास्थ्य अधिकारी दिनांक 9-9-77 से कार्यरत है । इनका स्थानान्तरण एवं निरस्तीकरण प्रशासनिक कारणों से किया गया था । स्थानान्तरण एवं निरस्तीकरण की तिथि निम्नानुसार है :—

स्थानान्तरण आदेश एवं तिथि	निरस्तीकरण आदेश एवं तिथि
1. आदेश सं. 2181-929 दि. 1-9-79	आदेश सं. 1772 दि. 25-7-80 द्वारा
2. आदेश सं. 982 दि. 18-4-81	2 व 3 में वर्णित स्थानान्तरण आदेश सं. 1064 दिनांक 5-5-81 द्वारा

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

3. आदेश सं. 1016
 दि. 22-4-81
4. आदेश सं. 3509-31
 दि. 9-11-8

केशव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर

293. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केशव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति अजमेर ने नगर सुधार न्यास, अजमेर के सामने अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों की आवास समस्या हल करने हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है ?

(2) यदि हां, तो वह योजना क्या है ? कृपया योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। न्यास की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केशव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति अजमेर के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को आसान किश्तों पर आवासीय एक कमरे वाले भवन बनाकर देने की योजना नगर विकास न्यास अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग में विभिन्न पदों का सृजन

294. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खान एवं भू-विज्ञान विभाग में पिछले 5 वर्षों में कितने व किन पदों का सृजन किया गया ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त विभाग में सृजित अधिकारियों के पदों की तुलना में कर्मचारियों के पदों में वृद्धि का अनुपात क्या रहा तथा कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किये गये हैं या नहीं ? यदि हां, तो कितनी तादाद में ? अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति का अनुपात कितना रहा ?

(3) क्या विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदोन्नति के अवसरों का कोई अनुपात निर्धारित है या राज्य सरकार ने कोई क्रम बना रखा है ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) खान एवं भू-विज्ञान विभाग में वर्ष 1977 से 1981 तक विभिन्न संवर्गों में राजपत्रित अधिकारियों के 51 एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के 293 पद सृजित हुए। पदवार सूची संलग्न है।

(2) पिछले पांच वर्षों में अधिकारियों के पदों एवं कर्मचारियों के पदों की वृद्धि

Page No 46

(खनिज मन्त्री)

का कुल पदों की तुलना में अनुपात क्रमशः लगभग 1:2.5 तथा 1:5.2 का रहा। कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर नियमानुसार प्रदान किये गये हैं। कुल मिलाकर 192 कर्मचारियों की पदोन्नति इस अवधि में हुई। अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति का कुल पदों की तुलना में अनुपात क्रमशः लगभग 1:4 व 1:8 का रहा।

(3) विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों का अनुपात विविध सेवा नियमों में अंकित है, जिनमें मुख्यतः राजस्थान माइन्स एण्ड जियोलोजिकल सर्विस रूल, 1960, राजस्थान माइन्स एण्ड जियोलोजिकल सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1960 एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मन्त्रालयिक सेवा नियम, 1958 हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

तहसील शिव (बाड़मेर) में खनिज पदार्थ 'सिलीका' के भण्डार

295. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की सीमावर्ती शिव तहसील में खनिज पदार्थ "सिलीका" के पर्याप्त भण्डार मिले हैं ?

(2) यदि हाँ, तो यह भण्डार कितने क्षेत्र में हैं तथा किस-किस स्थान पर पाये गये हैं तथा इनका क्या उपयोग है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति सिलीका का अवैध खनन कार्य कर रहे हैं ?

(4) सरकार इसके खनन की क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) प्रश्न में "सिलीका" शब्द का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। अतः सिलीशियस अर्थ व सिलिकासैण्ड दोनों का विवरण प्रस्तुत है।

बाड़मेर जिले की सीमावर्ती शिव तहसील में सिलिशियस अर्थ के भण्डार मण्डई, भोरासर, बरियाव इत्यादि ग्रामों के पास उपलब्ध हैं। कोटड़ा से रावत का गांव तक की सैण्डस्टोन की पहाडियों में कहीं-कहीं सिलिकासैण्ड भी पाया जाता है।

(2) सिलिशियस अर्थ के भण्डार तहसील-शिव के मण्डई, फालेरी की नाडी, सिन्धियों की ढाणी, भोरासर, जाटों की ढाणी, बरियाड़ा, माती का गोल, बीसुकलां व पुसाद ग्रामों के निकट लगभग 40 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में जगह-जगह पाये गये हैं। यह खनिज पानी छानने के उपकरण बनाने के काम में आ सकता है। इसके सिवाय इसका उपयोग फिलर के रूप में भी किया जा सकता है।

(खनिज मन्त्री)

सिलीकासैण्ड कोटड़ा से रावत का गांव तक लगभग 6 कि० मी० लम्बाई के सीमित क्षेत्र में सैण्डस्टोन में कहीं-कहीं मिलता है जो कि सिलिकेट [illegible] काम में आ सकता है।

(3) जी, नहीं।

(4) वर्तमान में सिलिशियस अर्थ व सिलिका सैण्ड के दो-दो पट्टे इस क्षेत्र में स्वीकृत हैं। हाल ही में 3 आवेदन-पत्र सिलीकासैण्ड हेतु प्राप्त हुए हैं, जिन पर नियमानुसार की कार्यवाही जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान खनिज विकास निगम को भी सीमावर्ती साजित (जैसलमेर) गांव के पास 107·05 हैक्टेयर सिलिशियस अर्थ के लिए खनन पट्टे पर दिया हुआ है और खनिज के उपयोग हेतु परीक्षण कार्यों के लिए 200 टन खनिज के नमूने विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजे गये हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में दो खनन पट्टे भी शिव तहसील (बाड़मेर) में दिए हुए हैं।

अजमेर में खनिज पट्टे एवं परमिटों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

296. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज अभियन्ता, अजमेर के क्षेत्राधिकार में दिनांक 15 फरवरी, 1982 के दिन प्रधान एवं अप्रधान खनिज के पट्टे अथवा परमिट प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र कितने-कितने क्षेत्रफल के लिए कब-कबसे विचाराधीन थे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 15 फरवरी, 1982 तक पट्टे अथवा परमिट प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र किस-किसके कब-कब किस-किस कारण से खारिज किये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(2) दिनांक 15-2-82 को खनि अभियन्ता, अजमेर के अधिकार क्षेत्र के प्रधान खनिज के कुल 56 आवेदन-पत्र विचाराधीन थे, जिसका क्षेत्रफल एवं आवेदन-पत्र की तिथि संलग्न सूची के अनुसार है (परिशिष्ट-1)। अप्रधान खनिज के कुल 52 आवेदन-पत्र विचाराधीन थे, जिसका क्षेत्रफल एवं आवेदन-पत्र की तिथि संलग्न सूची के अनुसार है (परिशिष्ट-2)। खनि अभियन्ता कार्यालय क्षेत्र में दिनांक 15-2-82 की संलग्न सूची (परिशिष्ट-3) के अनुसार कुल 8 परमिट विचाराधीन थे।

(2) वित्तीय वर्ष 1980-81 व चालू वर्ष से दिनांक 15-2-82 तक प्राप्त होने वाले प्रधान खनिज के कुल 9 (नौ) आवेदन-पत्र खारिज किये गये हैं जिसके कारण

(खनिज मन्त्री)

संलग्न (परिशिष्ट सं. 4) में दर्शाये गये हैं, एवं अप्रधान खनिज के कुल 77 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं जिसके कारण संलग्न (परिशिष्ट सं. 5) (अ) व (ब) दर्शाये गये हैं।

इसी प्रकार कार्यालय में प्राप्त परमिट के कोई भी आवेदन-पत्र खारिज नहीं किये गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

खनिज अभियन्ता, अजमेर के क्षेत्राधिकार में अवैध खनन कार्य

297. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, अजमेर के क्षेत्राधिकार में प्रधान अथवा अप्रधान खनिज का पट्टा अथवा परमिट प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही स्वीकृति से पूर्व प्रार्थीगण उन क्षेत्रों में खनन का कार्य प्रारम्भ कर देते हैं और विभाग को इसकी जानकारी होने पर भी इसकी रोकथाम की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ?

(2) क्या पिछले 10 साल में खनिज अभियन्ता कार्यालय, अजमेर द्वारा अवैध खनन के कोई मामले पकड़े गये ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस के एवं उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) [redacted] द्वारा प्रधान अथवा अप्रधान खनन पट्टा अथवा परमिट प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करने के साथ ही खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना नियम विरुद्ध है। कार्यालय अधिकार क्षेत्र में जब-जब भी ऐसे मामले कार्यालय की जानकारी में आते हैं, विभाग द्वारा उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) कार्यालय रिकार्ड के अनुसार इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में सन् 1972 से अवैध खनन के 31 मामले पकड़े गये जिसमें या तो खनिज की दस गुना रायल्टी वसूल की गई अन्यथा केस न्यायालय में दाखिल किये गये।

डूंगरपुर जिले का रमणीक स्थल बेणेश्वर

298. नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में साबला ग्राम के समीप प्राचीन बेणेश्वर का स्थान है ? इस प्राचीन एवं रमणीय स्थान तक पहुंचने के लिये पक्की सड़क बनवा कर पर्यटक स्थल बनाने का क्या विभाग विचार रखता है ? यदि हां, तो इस

(श्री नन्दलाल मीणा)

और अब तक सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जी हां। फिलहा[illegible]व के कारण सड़क मार्ग को निकट भविष्य में पक्का बनाये जाने की सम्भावना नहीं है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटित भूमि

299. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर की सिंचित भूमि में से कितनी भूमि का स्थायी एवं अस्थायी आवंटन किन-किन वर्गों के लोगों को किया गया है ?

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कुल कितनी भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकी है ? कृपया वितरिकावार क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवंटन के अभाव में गत वर्षों में सिंचित भूमि पर खेती नहीं हो पाई है जिसमें पानी का पूरा उपयोग नहीं हो सका है ?

(4) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में रवी और खरीफ की फसल में राजस्थान नहर क्षेत्र की कितनी सिंचित एकड़ भूमि में काश्त की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में 8.15 लाख एकड़ सिंचित आवंटन योग्य भूमि में से 7.35 लाख एकड़ सिंचित भूमि का स्थाई आवंटन किया गया है। जिसका वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1. शौर्य पदक पुरुष्कार प्राप्त	682	एकड़
2. सैनिक	8294	,,
3. भूतपूर्व जागीरदार	24100	,,
4. अनुसूचित जाति/जनजाति	211892	,,
5. अन्य	490610	,,
	735578	,,

(2) राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में सिंचित भूमि का आवंटन स्थाई रूप से किया जाता है।

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल 13,11,553 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकी है। वितरिकावार

(उपनिवेशन मन्त्री)

क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) खरीफ वर्ष 1980-81 में 3,58,578 एकड़ व रबी वर्ष 1980-81 4,54,549 एकड़ एवं खरीफ 1981-82 में 3,91,598 एकड़ भूमि में काश्त की गई है। रबी 1981-82 की अभी गिरदावरी चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राजस्थान नहर की आर० डी० 750 से 1060 पर पेड़ियों व खेलियों का निर्माण

300. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी 750 से 1060 व बरसलपुर ब्रांच, चारणवाला ब्रांच पर पानी भरने व पीने हेतु पेड़ियां तथा पशुओं के पीने हेतु खेलियां बनाना कहां-कहां प्रस्तावित है ? अब तक कहां-कहां पेड़ियां व खेलियां बनाई जा चुकी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री जीतूराम पुत्र श्री सोहनराम विश्नोई निवासी मानकासर उम्र 35 वर्ष दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को मानकासर वितरिका आर डी. 55 पर पानी भरने गया व पेड़ियों के अभाव में नहर में फिसल कर डूब गया ?

(3) क्या [illegible] है कि एक वर्ष पूर्व ग्राम-[illegible] की दो महिलाएं गंगली-पुत्री [illegible]राम व भूरकी पुत्री गंगाविशन विश्नोई की मानकासर वितरिका की आर. डी. 23 व इसके आस-पास पेड़ियों के अभाव में पानी भरते वक्त डूब कर मृत्यु हो गई ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त मानवीय दुर्घटनाओं की दृष्टि में व भारी संख्या में पशुओं के पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पेड़ियां व खेलियां शीघ्र निर्माण करायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान मुख्य नहर पर पानी भरने व पीने हेतु पेड़ियां प्रायः प्रत्येक एक मील पर बनानी प्रस्तावित है तथा जहां-जहां पक्के पुल व रेगूलेटर बनाने प्रस्तावित हैं उनके पास भी पेड़ियां बनानी प्रस्तावित हैं। शाखाओं वितरिकाओं पर पानी भरने व पीने हेतु पेड़ियां पुल व रेगूलेटर के पास बनानी प्रस्तावित हैं। पशुओं के पीने हेतु खेलियां हर पुल के पास बनानी प्रस्तावित हैं। राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 750 से 950 तक का कार्य पूर्ण हो चुका है और इस पर जहां-जहां पेड़ियां व खाले बनाये गये हैं, उसकी सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(राजस्थान नहर मन्त्री)

950 से 1060 राजस्थान मुख्य नहर कार्य प्रगति पर है और इसमें उपर्युक्त अनुसार ही पेड़ियां व खेलियां बनानी प्रस्तावित हैं। शा[illegible]वितरिकाओं पर जहां-जहां पेड़ियां [illegible]यां बनाई जा चुकी हैं, उसकी सूची [illegible]

(2) यह सही है कि दिनांक 29-9-81 को एक युवक की मानकासर वितरिका आर. डी. 155 के नीचे जहां फाल बना हुआ है, गिर कर मृत्यु हो गयी। यह जानकारी नहीं है कि मृतक व्यक्ति नहर में कैसे गिरा और फाल के पास पानी भरने क्यों गया जबकि वहां पेड़ियां बनी हुई नहीं थीं।

(3) यह सही है कि मानकासर वितरिका आर. डी. 23 पर लगभग एक वर्ष पूर्व दो औरतों की मृत्यु नहर में डूब कर हो गई थी, पर यह सही नहीं है कि यह सब पेड़ियों के अभाव में हुआ। आर. डी. 23 पर पेड़ियों बनी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ असावधानी के कारण स्त्रियां नहर में गिर पड़ीं।

(4) जी हां। कई खेलियां व पेड़ियां बनायी जा चुकी हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर में विधि सहायक का पद

301. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के कार्यालय में विधि सहायक का एक नया पद योजना मद में सृजित हुआ है?

(2) यह पद कब किस सेवा वर्ग के अन्तर्गत सृजित हुआ तथा कब भरा गया? इस हेतु न्यूनत्तम योग्यताएं क्या रखी गई थीं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह पद जुलाई, 1981 से वेतन श्रृंखला 470–830 में सृजित हुआ था किन्तु इस पद की वेतन श्रृंखला राज्य सरकार द्वारा 500–890 निर्धारित है। अतः वेतन श्रृंखला की इस असंगति को दूर होने पर ही सेवा वर्ग का निर्धारण हो सकेगा। अभी तक यह पद भरा नहीं गया है। इस पद हेतु "राजस्थान विधि सेवा नियम 1981" में निम्न योग्यता है :

"विधि द्वारा सस्थापित विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या समकक्ष मय 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवसायिक डिग्री।"

अम्बामाता (प्रतापगढ़) डिस्पेंसरी के भवन निर्माण का कार्य

302. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अम्बामाता तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की डिस्पेन्सरी के भवन निर्माण का कार्य वर्ष 1979–80 से चल रहा है जो अभी तक भी पूर्ण नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब तक उक्त भवन के लिए कितनी राशि अस्वीकृत की गयी एवं कितनी व्यय हुई ?

(2) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ इस निर्माण कार्य को तेजी से पूरा नहीं करवा रहा है अथवा विभाग द्वारा निर्माण विभाग को अनुमानित लागत की राशि आवंटित नहीं करने से अधूरा कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

मुख्य भवन एवं डाक्टर आवास हेतु 1·55 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। जनवरी, 1982 तक 66546 रुपये की राशि व्यय हुई।

(2) निविदाकार की प्रगति शिथिल होने से कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है जिसके लिए एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत मुआवजा निविदाकार पर आरोपित कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ इस कार्य को पूरा करने में प्रयत्नशील है व जून, 1982 तक कार्य पूर्ण करवा दिये जाने की सम्भावना है।

राजकीय अस्पताल, बीकानेर की ए[redacted]यों

303. [redacted]ह भाटी (कोलायत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर नगर में सरकारी अस्पताल में कितनी एम्बूलेन्स गाड़ियां मरीजों के लिए उपलब्ध हैं ? कृपया चालू एम्बूलेन्स व नाकारा एम्बूलेन्स की गाड़ियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नाकारा एम्बूलेन्स गाड़ियां कितने समय से खड़ी हैं ? इनको ठीक न करवाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन गाड़ियों को ठीक करवाये जाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग बीकानेर में तीन एम्बूलेन्स चालू हालत में और दो नाकारा हालत हैं।

(2) दो एम्बूलेन्स गाड़ियां सन् 1976 से खराब पड़ी हैं। ये गाड़ियां मरम्मत के काबिल नहीं हैं तथा अनुपयोगी घोषित की जा चुकी हैं। इन गाड़ियों की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चयनित जिले

304. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह [redacted] कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्[redacted] कार्य के अन्तर्गत राज्य के जिलों का चयन किया गया है ?

(2) यदि हां, तो यह जिले कौन-कौन से हैं तथा किस प्रकार की सहायता एवं कार्यक्रम चल रहे है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर 5 हजार की जनसख्या पर एक उप केन्द्र स्थापित किया जायेगा। 25 प्रतिशत प्रा० स्वा० केन्द्रों को उच्चीकृत किया जायेगा जहां दो कनिष्ठ विशेषज्ञों को एवं एक शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अन्य आवश्यक स्टाफ लगाये जायेंगे। जिला स्तर पर एक एक चल इकाई स्थापित की जायेगी जो ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज गांवों में भी सेवायें उपलब्ध करवा सकेगी ? प्रत्येक ग्राम अथवा एक हजार जनसंख्या पर एक ग्राम दाई को प्रशिक्षण देकर दाई किट दिया जायेगा और एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड प्रशिक्षित किया जायेगा। 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पुराने वाहनों की जगह नये वाहन उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। रोग प्रतिरक्षण टीकों की सेवाओं के विस्तार के लिए भी इस परियोजना के अन्तर्गत शनै:शनै:कोल्ड चेन हेतु रेफिजेरेटर, वैक्सीन केरियर भी उपलब्ध कराये जायेंगे। जनता में जन जागरण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा हेतु मास मीडीया सर्विसेज का विस्तार एवं जन नेता प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना पर बल दिया जावेगा। उप केन्द्रों, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के भवन एवं आवास गृहों के निर्माण का भी कार्य चल रहा है।

अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हेतु कार्यकारी दल का गठन

305. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में अस्पतालों की खस्ता हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कार्यकारी दल (टास्क फोर्स) का गठन किया है ?

(2) यदि हां, तो कार्यकारी दल क्या काम करेगा तथा इनमें कौन-कौन सम्मिलित होंगे ?

(3) क्या राज्य में एक ही दल होगा या अस्पतालों के लिए अलग अलग दल बनाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कार्यकारी दल का कार्य एक मास्टर प्लान बनाने का है जिसके अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा के सुधार के लिये अतिरिक्त जगह, नये चिकित्सालय बनवाने हेतु उत्तम मशीनरी इक्विपमेन्ट आदि की व्यवस्था के बारे में सुझाव देना, आयोजना मद में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त धनराशि एकत्रित कर कोष कायम किया जाना। इस कार्यकारी दल में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

1– सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग।

2– निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा० सेवाएं।

3– मुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि० (बी० एण्ड० आर०)

4– मुख्य अभियन्ता, राज० रा० वि० म०

5– मुख्य अभियन्ता, पी०एच०ई०डी०

6– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों को भी अलग अलग बैठकों में सम्मिलित किये जायेंगे।

(3) दल एक ही होगा।

सआदत अस्पताल, टोंक के ऑपरेशन थियेटर्स

306. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे [illegible]

(1) [illegible] अस्पताल, टोंक में कुल कितने ऑपरेशन थियेटर्स हैं तथा उसमें किस-किस रोग से सम्बन्धित ऑपरेशन्स होते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार विभिन्न रोगों के ऑपरेशन केसेज अधिक होने से कुछ और ऑपरेशन थियेटर्स स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एक ऑपरेशन थियेटर्स है, जिसमें जनरल सर्जरी से सबंधित ऑपरेशन किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान के अभाव में।

जनाना अस्पताल, टोंक के लेबर रूम्स

307. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल, टोंक में लेबर रूम्स पेशेन्ट्स वाड्स से बिलकुल सटे हुए है?

(2) क्या यह [illegible] कि जनाना अस्पताल, टोंक के [illegible] में इस व्यवस्था का अभाव है कि लेबर रूम्स की आवाज बाहर न जा पाए?

(3) क्या यह सही है कि अस्पताल में पेशेन्ट्स से मिलने के समय जब पुरुष आदि वहां मौजूद होते हैं इन पेशेन्ट्स वाड्स से ही सटे हुए लेबर रूम्स में महिलाओं की डिलिवरी कराई जाती है?

(4) क्या राज्य सरकार इन डिलिवरी रूम्स को थोड़ा दूर हटाने का अथवा इन्हें साउण्ड प्रूफ करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही नहीं है कि इस अस्पताल में पेशेन्ट्स वार्ड में कुत्ते खुले रूप में घूमते रहते हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, कुछ आवाज बाहर जाना स्वाभाविक है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

आयुर्वेदिक औषधालय, ग्राम चौहटन में कम्पाउन्डर के रिक्त पद की पूर्ति

308. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चौहटन में आयुर्वेदिक औषधालय में कम्पाउण्डर का एक पद स्वीकृत है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद गत 6 वर्षों से रिक्त है?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त पद को भरने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्तमान में यह पद दिनांक 26.8.80 से रिक्त है।

(3) जी हां। शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर का मेडिसन बैंक

309. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में स्थानीय

Page No 56

56

(श्री कैलाश मेघवाल)

लॉयन्स क्लब के सहयोग से एक मेडिसिन्स बैंक शुरू किया गया है ?

(2) यदि हां, तो यह कब शुरू किया गया और इसके शुरू होने से अब तक कितनी-कितनी दवायें किस-किस माध्यम से कब-कब प्राप्त हुई ?

(3) इस बैंक में एकत्रित मेडिसिन्स के उपयोग एवं वितरण की क्या व्यवस्था है ?

(4) क्या यह भी सही है कि डॉक्टर्स को सेम्पल के रूप में मिलने वाली दवाइयों को इस बैंक में जमा कराने की अपेक्षा पूरी नहीं हुई और उनका प्रतिशत नगण्य रहा है ?

उत्तर

(1) लॉयन्स क्लब द्वारा एक मेडिसिन बैंक शुरू किया गया है।

(2) दिनांक 2.10.81 में लॉयन्स क्लब द्वारा खोला गया है और इनका रिकार्ड लॉयन्स क्लब द्वारा ही रखा जाता है।

(3) मेडिसिन का वितरण लॉयन्स क्लब के संचालकों द्वारा ही किया जाता है।

(4) लॉयन्स क्लब से सम्बन्धित है।

जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में चिकित्सा व्यवस्था

310. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की [redacted] :—

(1) [redacted] लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में चिकित्सा हेतु विभिन्न वार्डों में भर्ती कितने मरीज दिनांक 1 जनवरी, 1981 से दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक बिना चिकित्सकों के छुट्टी दिये भाग गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अस्पताल के कु-प्रबन्ध, अव्यवस्था एवं उनके इलाज पर ठीक ध्यान नहीं देने से ये मरीज भाग गये ? यदि नहीं, तो इनके भागने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.81 से 31 जनवरी, 1982 तक लगभग 33,900 रोगी विभिन्न वार्डों में भर्ती हुए थे। बिना चिकित्सकों के छुट्टी दिये भाग गये रोगियों की सूची रिकार्ड रूम से एकत्रित कर पृथक से यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जावेगी।

(2) मरीजों के भागने का कारण बेड हैड टिकट पर नहीं लिखा जाता क्योंकि रोगी चिकित्सकों के बिना पूछे एवं बताये चले जाते हैं।

बीकानेर जिले की खादी संस्थायें एवं समितियां

311. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोलायत [redacted] वर्ष 1980-81 व 1981-82 में [redacted] कितनों एवं बुनकरों को रोजगार दिया गया तथा कितनी राशि चुकाई गई ?

(2) बीकानेर जिले में कार्य कर रही खादी संस्थाओं/समितियों को खादी बोर्ड व खादी कमीशन द्वारा वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई ? कृपया संस्था व समिति की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दी गई राशि में से कितनी खादी उत्पादन में लगी व कितनी अन्य मदों में ? कृपया संस्था व समिति की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोलायत तहसील में वर्ष 80-81 व 81-82 में निम्नानुसार बुनकरों को रोजगार तथा पारिश्रमक उपलब्ध कराया गया है :

	बुनकर संख्या	पारिश्रमिक
80-81	120	1-74 लाख रु.
81-82	121	1-65 लाख रु.

(दिसम्बर, 81 तक)

(2) बीकानेर जिले में खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में खादी बोर्ड व खादी कमीशन द्वारा 82-05 लाख व वर्ष 1981-82 में 61-51 लाख रु. का ऋण स्वीकृत किया गया है तथा ग्रामोंद्योग के अन्तर्गत वर्ष 80-81 में 4-54 लाख व 81-82 में 2-99 लाख रु. का ऋण स्वीकृत किया गया है सूची संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार खादी कार्यक्रम में 143-56 लाख एवं ग्रामोद्योगों में 7-53 लाख रु. लगा हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री कनकराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचौर तहसील में पिछले दो वर्षों से अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाये गये मिट्टी के बांध के अधूरे होने के विषय में,

(2) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर रोड़वेज की बसों में भारी अव्यवस्था के बारे में,

(श्री अध्यक्ष)

(3) **सर्वश्री मेघराज तावड़, यदुनाथ सिंह, त्रिलोकसिंह, व वीरेन्द्रप्रतापसिंह,** सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की गत हड़ताल के कारण बड़े पैमाने पर उन्हें विक्टिमाइज करने के विषय में,

(4) **श्री मोहनलाल मोदी,** सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम राजपुरा, पंचायत समिति नीमकाथाना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के साथ गत होली के दिन मारपीट की घटना के सम्बन्ध में,

(5) **श्री गुलाबचन्द कटारिया,** सदस्य, विधान सभा की ओर से पोकरण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को सप्ताह में केवल 3 दिन भोजन मिलने के विषय में,

(6) **श्री देवीसिंह भाटी,** सदस्य, विधान सभा की ओर पश्चिमी राजस्थान में हरी खेजड़ी की कटाई के विषय में,

(7) **श्रीमती विद्या पाठक,** सदस्य, विधान सभा की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय मानसिक पीड़ित महिला गृह की आवासनियों को पिछले एक हफ्ते से सरकार की ओर से भोजन की कोई व्यवस्था न होने के विषय में,

(8) **श्री कैलाश मेघवाल,** सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री पिछले 3 माह से वितरित न करने पर वहां के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा भूख हड़ताल करने के विषय में,

(9) **श्री भंवरलाल शर्मा व सुश्री पुष्पा जैन,** सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 मार्च को हवा सड़क, जयपुर पर 25 वर्षीय बाबू[redacted] की हत्या के सम्बन्ध में[redacted]

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी ली जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है :—

(1) **श्री मोहनलाल मोदी** : पंचायत समिति श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत मूण्डरू के नव-निर्वाचित सरपंच को गत 26 जनवरी को मीटिंग न करने देने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि सम्बन्धित सरपंच द्वारा एक एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई थी और उसके विरुद्ध भी एक एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है तथा दोनों के मुकदमे दर्ज करके उनकी जांच की जा रही है।

(2) **श्री कैलाश मेघवाल** : ग्राम सुखपुरा तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ में डालू भील की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले में मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री मेघराज तावड़ व श्री बहादुरसिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की तथा श्री गोपाल पचेरवाल ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना ग्रामीण गरीब जनता द्वारा ले जाने [illegible]ऊ लकड़ी की रायल्टी की दरें बढ़ाने [illegible]दी गई थी। इस बाबत राज्य सरकार [illegible]र से दिनांक 16 मार्च, 1982 को सदन में एक वक्तव्य होगा।

(4) श्री भैरोंसिंह शेखावत, डा. उजला अरोड़ा, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री नाथूसिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की तथा सर्वश्री भैरूसिंह गुर्जर, यदुनाथसिंह, जगनसिंह, गोकुलचन्द शर्मा व दीपेन्द्रसिंह शेखावत ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति के सम्बन्ध में दी थी, जिसमें कृषि भूमि के रूपान्तरण के विषय में आवेदन पत्र मांगे गये थे तथा राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित नियम कठोर व अव्यावहारिक होने की बात कही गई थी। इस प्रश्न पर भी राज्य सरकार की ओर से दिनांक 16 मार्च, 1982 को सदन में एक वक्तव्य होगा।

अतः मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों आदि को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इन स्थगन प्रस्तावों के अलावा निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव जो आज प्राप्त हुए थे तथा ये स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के विषय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किये गये हैं :—

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, डा० उजला अरोड़ा, श्री छीतरलाल आर्य : जयपुर शहर में चाकू मारकर हत्या।

(2) श्री हरीश शर्मा : रामगंज मण्डी तथा सांगोद तहसील के परगना अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन में अनियमितताएं।

(3) श्री रामकंवार बैरवा : फागी तहसील के कुछ गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था न होने के विषय में।

(4) श्री समर्थलाल : राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल की इमारत जीर्ण-शीर्ण हालत में होने के विषय में।

(5) श्री दाऊदयाल जोशी : कनवास ग्राम में गत 25 फरवरी को एक 50 वर्षीय महिला की हत्या।

(6) श्री नन्दलाल मीणा व श्री बंशी लाल पटवा : भीलवाड़ा जिले व नगर में सुखाड़िया स्मृति के नाम से जबरन चन्दा वसूल करने के विषय में।

(7) श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के छुट्टी पर जाने से किसानों को परेशानी।

(8) श्री हंसराज शर्मा : सवाईमाधोपुर टाइगर प्रोजेक्ट के कारण जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान।

(9) श्री नाथूसिंह : ग्राम बस्सी, जिला जयपुर के भूतपूर्व सरपंच द्वारा एक व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी जमीन को अन्य व्यक्ति के नाम बदल देने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने राज्य सरकार से सूचना मगांकर उसके पश्चात् अस्वीकार कर दिया है तथा वे जो आज ही प्राप्त हुए हैं, उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है, वे माननीय सदस्य दो दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपने कब, कौनसा स्थगग प्रस्ताव दिया, इसके सम्बन्ध में वर्तमान में मैं कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। कृपया इसके बारे में अलग से मुझसे सम्पर्क करें ताकि मैं आपको स्थिति से अवगत करा सकूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हरी खेजड़ी काटने के बारे में......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैंने सरकार से जानकारी चाही है। इस पर चर्चा नहीं होगी। आर्डर, आर्डर। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से जानकारी मंगायी है।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था मैंने दे दी। कृपया इंतजार कीजिये। राज्य सरकार से उसका उत्तर आयेगा उसके पश्चात् मैं उस पर अपना नि[illegible]

[illegible]वधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं किसी भी माननीय सदस्य को। मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं वे माननीय सदस्य दो दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पांच तारीख को 159 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में नोटिस दिया था। बीकानेर में 30-31 तारीख को हुए पंचायत राज सम्मेलन पर डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसकी जानकारी के लिये अलग से मिलें। वर्तमान में इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस बात को 7-8 दिन व्यतीत हो गये। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है.......

श्री अध्यक्ष : इंतजार कीजिये। मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। आप पधार जायें, जब मैं चैम्बर में जाऊं। उस

XXX माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

वक्त अपन बात कर लेंगे। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दाऊद[redacted] (दीगोद) : सम्माननीय अध्यक्ष [redacted]ने........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, मैंने मोहन मोदी का नाम पुकारा है। श्री मोहन मोदी। आर्डर, कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज। आर्डर, माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें। मैं इजाजत नहीं दूंगा इस तरह किसी को।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। श्री मोहन मोदी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। जिन औरतों को ..

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। निरस्त किया गया। अंकित न हो।

श्रीमती विद्या पाठक :XXX

श्री अध्यक्ष : मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। राज्य सरकार से सूचना मांगी है।

श्रीमती विद्या पाठक : उनका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : सब ठीक होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : आप महिलाओं के लिये संवेदना रखें....।

श्री अध्यक्ष : महिलाओं के लिये यह तो कर रहा हूं कि सरकार मुझे सूचना दे। आपके बोलने से उनका कोई उद्धार हो जायेगा, ऐसी बात नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है—ग्राम पंचायत मूण्डरू के नव निर्वाचित सरपंच को भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत भवन में पंचायत की मीटिंग न करने देने के संबंध में। अध्यक्ष महोदय, जो नव निर्वाचित सरपंच मूण्डरू ग्राम का है वह 26-1-82 को पंचायत की मीटिंग करने के लिये पंचों सहित वहां पर गया। उसके साथ भूतपूर्व सरपंच ने कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर वहां मार-पिटाई की और वहां घुसने नहीं दिया और ऐसी वारदात की जो प्रजातंत्र में शर्मनाक बात है। सरपंच ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिये थी, लेकिन वहां के विधायक महोदय ने भूतपूर्व सरपंच को राजनैतिक संरक्षण देकर उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करने दी और उसके बजाय उस सरपंच के खिलाफ दूसरे दिन दो और आदमियों को शामिल

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

(श्री मोहनलाल मोदी)

करते हुए, उसे दूसरी जगह का बता कर उसके खिलाफ और रिपोर्ट कर दी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार प्रजातंत्र में चुनाव हों, चुनाव की प्रणाली है, चुनाव में दूसरा सरपंच जीत जाय और भूतपूर्व सर-पंच....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री मोहनलाल मोदी : बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। ऐसा मसला है कि उस सरपंच को धमकी दी जा रही है, उसकी जान का खतरा पैदा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में चुनाव की प्रणाली डाल रखी है, चुनाव में कोई आदमी जीत जाय और अगर वहां के विधायक महोदय का आदमी नहीं जीत पाया, उसमें जनता का तो दोष नहीं है। उनके अन्दर कमजोरी है कि वे वहां इतने ज्यादा वोट नही ले सके। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से उस सरपंच के खिलाफ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, झूंठा मुकदमा बनाया जा रहा है और उसको राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि उस सर-पंच को संरक्षण दे और उसकी व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको केवल बधाई देना चाहता हूं कि आपने उस रोज अपनी व्यवस्था का पुनर्निर्णय करके उसको जांच के लिये भेजा और उसके बाद में केस रजिस्टर हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं....

श्री अध्[illegible]पन एक दूसरे को बधाई दे र[illegible]

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो केवल आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके भेजने के बाद केस रजिस्टर हुआ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो मैं कहता हूं, माननीय सदस्य, कि कई उपयोगी मामले मेरी दृष्टि में होते हैं, उनको मैं सरकार को....

श्री कैलाश मेघवाल : इसीलिये तो मैं बधाई दे रहा हूं कि आपने अपना निर्णय बदला और जांच के लिये, जो पहले रिजेक्ट किया गया था, भेजा, उसके बाद अपराध रजिस्टर हुआ है और कार्यवाही चालू हुई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, 24 फरवरी को केस की रिपोर्ट हुई और 24 फरवरी को रजिस्टर कर लिया गया। आपको जो सूचना मिली है वह सत्य नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, 8 वर्षीय आदिवासी बालिका के साथ जो हुआ, अभी तक हो फिर रहे थे, आज भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपकी सरकार का जो जवाब आया वह यह है, माननीय मंत्री जी, कि अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। 24 फरवरी [redacted] केस रजिस्टर किया। 24 फरवरी के बाद [redacted] करते रहे? 8 वर्षीय आदिवासी [redacted] के साथ बलात्कार हुआ और अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह अध्यक्ष महोदय, इस तरह XXX यहां पर····

(व्यवधान)

XXX

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द एक्स-पंज किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने सारे फैक्ट्स पढ़ कर सुना दूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपके सामने कहा। आपको बधाई दी तो आसन को बधाई दी। मुझे कोई अन्तर नहीं है, लेकिन आरोप लगाना इस किस्म का कि केस रजिस्टर नहीं हुआ....

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : इसका मतलब एफ. आई. आर. 15-15 दिन बाद होती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त कीजिये, मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : बहुत गुस्सा हो रहे हैं मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आये थे उन स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है। कल मैंने अलग-अलग दलों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई थी उसमें निर्णय यह लिया गया था कि 8 से 10 स्थगन प्रस्ताव प्रतिदिन लिये जायं और 8 से 10 माननीय सदस्यों को अवसर दिया जावे जो प्रस्ताव अस्वीकार किये जाते हैं उन पर अन्यथा बहुत लंबी सूची बन जाती है। माननीय सदस्यों ने और दल के नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया कि 8 से 10 माननीय सदस्य को कुल मिला कर अवसर दिया जाना चाहिये। तो आज 9 स्थगन प्रस्ताव हैं लेकिन उनमें एक-एक स्थगन प्रस्ताव में एक से अधिक माननीय सदस्यों के नाम हैं इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक-एक माननीय सदस्य उस विषय के बारे में अपनी बात कह दे। अगर चार माननीय सदस्यों ने दस्तखत किये हैं तो कोई आवश्यकता नहीं कि चारों ही उसमें

XXX अभिव्यक्ति शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

हिस्सा लें।

अब, जयपुर शहर में चाकू मार कर हत्या। सर्वश्री बालचन्द्र आर्य, डा. उजला अरोड़ा, छीतरलाल आर्य। इनमें से से एक माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जयपुर शहर में दिन प्रति दिन चाकू मार कर हत्या करने की घटनाएं घटती जा रही है। 22 गोदाम पर होली के दिन 25 वर्षीय बाबूलाल की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। लाल कोठी इलाके में आपस में झगड़ा हुआ और वहां पर भी विजय शर्मा को चाकू मार दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 4 मार्च को रात को बनीपार्क क्षेत्र में एक विजय शर्मा की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पुलिस बिलकुल निष्क्रिय है और जो आपस में झगड़ा हुआ चाकू मार कर विजय शर्मा की हत्या कर दी गई उसमें अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि नामजद रिपोर्ट लिखाई गई। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का, गृह राज्य मंत्री जी विराज रहे हैं, ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनको शर्म आनी चाहिये, यह जो घटनाएं जयपुर में और राज्य में घटती जा रही हैं और कानून और व्यवस्था बिगड़ रही है। इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दी है। श्री हरीश शर्मा। मैंने व्यवस्था दे दी [illegible] मामले में एक ही सदस्य बो[illegible]

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर का मामला था....

श्री अध्यक्ष : वह ठीक है, माननीय सदस्या, कल अलग-अलग दलों की मीटिंग करके हमने तय किया था कि कम से कम स्थगन प्रस्ताव आवें और उसमें भी, माननीय सदस्य, एक दिन कानून बनावें और दूसरे दिन तोड़ें, मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री हरीश शर्मा। सदन माननीय सदस्यों के सहयोग से ही चल सकता है।....

माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। सदन की कार्यवाही माननीय सदस्यों के सहयोग से ही चल सकती है। कृपया बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा।

रामगंज मण्डी तथा सांगोद तहसील

(श्री अध्यक्ष)

के परगना अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन में अनियमितता।

श्री हरीश श[redacted]ंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोद[redacted] मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन के सामने एक ऐसा मामला प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें एक अधिकारी अपने कानूनी अधिकारों के द्वारा खुले आम लोगों को लूटता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं। दुख इस बात का है और चक्कर यह है कि वह माथुर है–कृष्ण मोहन माथुर। आज के शासन का माथुरीकरण किया जा रहा है। न्याय नहीं किया जा रहा है। जब वहां पर राजस्व अभियान चलाया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह कितना दिल का क्रूर व्यक्ति निकाला है कृष्ण मोहन माथुर, कि उसने सैंकड़ों अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों की जमीनों को पैसे वालों से पैसे लेकर उनको दे दी। जिन पर बीस बीस साल से लोग खेती करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण दे सकता हूं नाम दे सकता हूं उन लोगों के। चरागाह की भूमि, जो सरकारी जमीन थी, करीब 40 गांव के जानवर चरते थे और, अध्यक्ष महोदय, अकाल के अन्दर न तो घास है, उस चरागाह की जमीन को रामचन्द्र नाम के सरपच को अलॉट कर दी। अध्यक्ष महोदय, राजस्व नियमों के अन्तर्गत चरागाह भूमि को कलक्टर भी खातेदारी के लिये अलॉट नहीं कर सकता है। ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य ...

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल संक्षेप में बता रहा हूं। ....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय दिया है उसमें आप अपनी बात बता दीजिये।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐसा मामला लेकर आया हूं ...

श्री अध्यक्ष : कृपया अन्य किसी तरीके से उठावें। ...

श्री हरीश शर्मा : और कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक तो मथुरा-दास....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि यहां अपमानजनक, आरोपित करने वाले इस तरह के मामले सदन में उठाये जाते हैं तो पूर्व सूचना सदन को, अध्यक्ष को, सम्बन्धित मंत्री को देनी होती है। इन नियमों की अवहेलना हो रही है। कृपया आप अपनी बात कहें। अनियमितताओं के बारे में कोई बात हो तो कहें ....

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक प्रश्न

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पूछा है । इस प्रश्न के संदर्भ में यह मामला एन्टी करप्शन को सौंप दिया गया है, जांच के लिये । यह मैं आपको सूचित करना चाहता हूं ।....

श्री हरीश शर्मा : आपको पता है, गये सदन में दिनांक 25·9·81 को एक पत्र दिया था लिखित में । मेरे एरिया में रिश्वतखोरी नहीं चल सकती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है । मेरे एरिया में रिश्वतखोर नहीं रह सकता है । मैं यह नहीं सह सकता हूं । सत्य बात है । लेकिन यह माथुरवाद चल रहा है । इनके कलेक्टर कोटा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं ।

समाप्त कीजिये । स्थान ग्रहण कीजिये ।....

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : दो लाइन में बता देता हूं ।....

श्री हरीश शर्मा : एक बात कहता हूं । श्री कृष्ण मोहन माथुर ने 1·6·1981 तक रामगंज मण्डी में उसके पुत्रों के नाम, 12 हजार, 15 हजार रुपया जमा कराया है, अध्यक्ष महोदय, रिश्वत लेकर यह सही बात है । और जुलाई महीने में बुक नम्बर 24332, रसीद नम्बर ए-215151 से 215159 तक 25 हजार रुपये जमा कराये हैं एक महीने में । कहां से लाया यह रुपया ?

(व्यवधान)

अगर कार्य[redacted] हुई तो उसको मारूंगा । स[redacted]। बड़ी मुश्किल से बचा हूं । [redacted] प्रमाण है । आपको मैंने लिखित में दिया है । आपको पत्र दिया था लिखित में ।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये. माननीय सदस्य ।

श्री हरीश शर्मा : 25·9·81 को पत्र दिया था....

(व्यवधान)

जाऊंगा तो पूरी शक्ति के साथ जाऊंगा । मैं कोटा के लड़कों के साथ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य । श्री रामकंवार बैरवा ।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में रिश्वतखोरी होने दूं ? मेरी मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया है । अध्यक्ष महोदय, वह बराबर मेरे को चुनौती देता है । मैंने पहले भी कहा है, बच गया है । मेरे यहां पर रिश्वतखोर नहीं रह सकता है ।

प्रद्युम्नसिंह जी, आप मुझे जानते हैं । मेरा कैसा व्यवहार था । मैंने रिश्वतखोर को नहीं बख्शा है । यह तो परमात्मा ने मुझे ऐसा कर दिया । यह माथुरवाद चल रहा है । यह सत्य बात है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री राम कंवार वैरवा, संक्षेप में।

श्री रामकवा[illegible]**वा** (फागी) अध्यक्ष महोदय, ज्यादा सम[illegible]ंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आप हर बात में बाधा न डालें। कृपया, विनम्र निवेदन है। कोई बात हो, मन चाहे तब ही उठ कर बोल जायं, अपना भाषण दे दिया, यह क्या बात है। .. आर्डर।

श्री रामकुंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी है, फागी तहसील के 7-8 गांव ऐसे हैं जिनमें करीबन 5 किलोमीटर का एरिया है, काफी गहरे कुएं हैं और उनमें खारा पानी है। गांव वाले काफी खर्चा कर चुके हैं। इसलिये मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह फागी तहसील के 5-6 गांव जो दूदू तहसील और सांगानेर तहसील की बार्डर पर है, नजदीक हैं, एक किनारे पर लगे हुए हैं, उन गांव वालों, नागरिकों की ओर प्रशासन—तहसील हैड क्वार्टर का कोई ध्यान नहीं है। बड़े अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। मैं जब से निर्वाचित हुआ हूं मैंने इसके लिए भरसक प्रयत्न किया है। जिला परिषद में भी इस प्रश्न को उठाया है। कलेक्टर साहब को लैटर लिखे हैं, जलदाय विभाग को लैटर लिखे हैं। लेकिन आज तक इन गांवों में जाकर के, यहां से करीबन 20-25 किलोमीटर दूरी पर है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। पीने के पानी के अभाव में वहां के लोग खारा पानी पी रहे हैं। 3-4 किलोमीटर से पानी लाकर पीते हैं। यह जिला जयपुर में ही है। मैं आपके माध्यम से जलदाय विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन गांवों का सर्वे करवाकर और इन गांवों के सरपंच जो भी एक ऐसे गांव का रहने वाला है, से सलाह मशविरा करके, इन लोगों को कहां से पानी उपलब्ध हो सकता है, वह सर्वे करके, पानी की टंकी बनावें या ऐसी कोई व्यवस्था करवाई जाय। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल।

इस विषय पर पूर्व में सदन में चर्चा हो चुकी है। इसलिये संक्षेप में।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने फर्माया, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और चर्चा होके उपरांत भी राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल की बिल्डिंग जिसमें कि 1500 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, वह पिछले दो साल से इमारत को काम में नहीं ले रहे हैं। इधर-उधर कहीं बैठते हैं। इस पूरे सत्र के अन्दर केवल 100 दिन स्कूल चला है और शेष दिन छात्रों को छुट्टियां रही हैं। ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान मैंने 1980-81 में आकर्षित किया था, 1981-82 में आकर्षित किया था। यह कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। इस

(श्री समर्थलाल)

इमारत का ग्रगला हिस्सा है, उस ग्रगले हिस्से के नीचे वाला हिस्सा देवस्थान विभाग का हिस्सा है । देवस्थान विभाग उसको संभालता नहीं है ग्रौर ऊपर का जो हिस्सा है वह पी. डब्ल्यू. डी. शिक्षा विभाग द्वारा सम्भालता है । ऊपर वाले हिस्से की तो मरम्मत हो जाती है पर नीचे वाले की नहीं होती है । नीचे वाले की मरम्मत नहीं होने के कारण से वह हिस्सा ज्यादा जीर्ण शीर्ण ग्रवस्था में है। ग्रध्यक्ष महोदय, यह ज्यादा लम्बा चौड़ा मामला नहीं है । देवस्थान विभाग से शिक्षा विभाग को इसको ले लेना चाहिए ग्रौर लेने के बाद में इसकी मरम्मत कर देनी चाहिए जिससे कि जो 1500 छात्र छात्राएं हैं वे परेशान न हों उनकी पढ़ाई लिखाई पिछले दो वर्षों से नहीं हो रही है । पिछले वर्ष राजगढ़ हायर सैकण्डरी का रिजल्ट केवल 39 प्रतिशत रहा है ग्रौर वहां राजगढ़ में रिजल्ट के 39 प्रतिशत रहने का यही एक मात्र कारण है, ग्रध्यक्ष महोदय, कि सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है । तो मेरा निवेदन यह है कि एक छोटी सी बात को लेकर पूरे राजगढ़ के लोग परेशान हैं, वहां के 1500 छात्र छात्राएं परेशान हैं । यह कोई काफी बड़ी बात नहीं है। देवस्थान विभाग का जो हिस्सा है वह शिक्षा विभाग को दे दिया जाय ताकि शिक्षा विभाग पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत उसकी मरम्मत करवा सके ग्रौर सचमुच रूप से स्कूल चल सके । यही मेरा निवेदन है ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी। कनवास ग्राम में गत 25 फरवरी को एक महिला की हत्या ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, 31/1/81 के बाद यानी ठीक [redacted] बाद वहां पर एक दूसरी हत्या [redacted] गांव में दिन के करीब डे[redacted] में काम करती हुई महिला की हुई । वह महिला पचास वर्ष की थी, खेत में काम कर रही थी, उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई इससे कनवास में उत्तेजनात्मक वातावरण बना हुग्रा है। ऐसी परिस्थित में जबकि वहां पर ग्रार. ए. सी. की फोर्स पड़ी हुई है, पूरा गांव ग्रार. ए. सी. से घिरा हुग्रा है, ग्रास-पास ग्रार. ए. सी. पड़ी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी दिन दहाड़े डेढ़ बजे हत्या हुई । हत्या हो जाने के बाद उसके जेवरात लूटकर ले जाना ग्रपने ग्रापमें एक दूसरी बात है । ग्रध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में सबसे ज्यादा ग्रगर हत्या लूट, चोरी डकेती के मामले हैं तो वे मेरे वहां पर हैं । माह नवम्बर में एक हत्या हुई ग्रर्जुनपुरा में, एक महाजन की ग्रौर उसके हत्यारों का पता नहीं लगा पुलिस ने केस ग्राउट नहीं किया, न कोई ग्रपराधी पकड़ा गया कि किस ग्रादमी ने वह हत्या की । माह दिसम्बर में एक माली की हत्या हुई उसका भी पता नहीं लगा कि किसने वह हत्या की, क्यों की, किस तरह की गयी ग्रौर माह जनवरी में कनवास में सत्यनारायण तेली की हत्या हुई । केवल एक

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अपराधी पकड़ा गया बाकी अपराधी सरे आम घूम रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। जबकि पुलिस के व्यक्तियों ने भी केस रजिस्टर कि[redacted] है लेकिन पुलिस वाले पुलिस वालों [redacted] भी अपराधी को पकड़ना नहीं चाहते [redacted] ह महिला की हत्या हुई। इस प्रकार 15-20 दिन मे सांगोद पंचायत समिति में हत्या पर हत्या हो रही है। प्रशासन निष्क्रय है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल सिद्ध हुई है। पुलिस केस आउट नहीं करती। पुलिस अपराधी को समर्थन देने वाले को पकड़ता है तो वे पुलिस के सरक्षण के बावजूद भाग जाते हैं। पुलिस वाले टुकर टुकर ताकते रहते हैं। आखिर यह चिन्ताजनक स्थिति है। इस प्रकार हत्या हुई है, तीन डाके पड़ चुके है, पांच हत्याएं हो चुकी हैं, चार महीने में। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम तो रात दिन एक करते हैं। लेकिन यह कैसे रात दिन एक करते हैं, हर माह में एक हत्या हो रही है? आज 10-12 तारीख हो चुकी है, आज तक तो कोई खबर नहीं आयी है। भगवान करे, मार्च में कोई हत्या नहीं हो। पर यह कितनी लज्जाजनक बात है कि दीगोद पंचायत समिति में हर महीने एक हत्या हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप माननीय गृह मन्त्री जी को प्रताड़ना दें। कानून और व्यवस्था की स्थिति कोटा जिले भर में खराब है, दीगोद पंचायत-समिति में तो यह पराकाष्ठा पर है। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बन्शीलाल पटवा। भीलवाड़ा में जबरन चन्दा वसूली।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव था, सुखाड़िया जी की स्मृति को लेकर दो दो रुपये के टिकट बेचे जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के टिकट छापे हैं। जहां तक सुखाड़िया जी की महानता का सवाल है हम उनका आदर करते हैं और करना भी चाहिए लेकिन सुखाड़िया जी की स्मृति में एक कमेटी का फार्मेशन किया गया है जो कि यादगार के रूप में कुछ न कुछ काम करेगी। इस दृष्टि से दो दो रुपये के टिकट लाखों की तादाद में छपाये हैं और इन टिकटों पर कोई दस्तखत नहीं हैं। मैं वे टिकट लाया हूं। इसके अलावा ये टिकट, अस्पताल में जायं तो मरीजों को जबर्दस्ती दिये जाते हैं, चुंगी कटाने जायें तो वहां पर जबर्दस्ती दिये जाते है, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने जायं तो जबर्दस्ती दिये जाते हैं, इस तरह से अदालत में जावें तो वहां पर भी जबर्दस्ती दिये जाते हैं। और इसी प्रकार से तहसील में जावें, तो वहां पर भी जबर्दस्ती दिये जाते है। इसके साथ में, आज भीलवाड़ा जिले में जो 65 हजार लेबर बैठी हुई है, फेमिन के तहत काम कर रही है, प्रत्येक फेमिन के मजदूर को चार रुपये के दो-दो रुपये के दो-दो टिकट दिये जा रहे हैं और इन टिकटों पर किसी के दस्तखत नहीं हैं। इसी प्रकार

(श्री बन्शीलाल पटवा)

कई प्रकार के समाचार आये हैं, सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर बाजार में जाते हैं और उसके द्वारा टिकट दिये जाते हैं। तो इस तरह की वसूली की जा रही है। सुखाड़िया जी की यादगार के रूप में कोई न कोई काम किया जाय इससे हम सहमत हैं, हम सब मिलकर काम करें। लेकिन सुखाड़िया जी जोर जबर्दस्ती के विरुद्ध थे, शोषण के विरुद्ध थे। सुखाड़िया जी की स्मृति में इस तरह से कुछ लोग बैठकर, शोषण प्रवृत्ति के कुछ लोग जिसके कि वे खिलाफ शोषण कर रहे हैं, जबर्दस्ती चीटिंग कर रहे हैं। यह जो कमेटी का फार्मेशन हुआ है, उसके चेयरमैन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं। चीफ मिनिस्टर का मैं आदर करता हूं वे हमारे मुख्य मन्त्रीजी हैं। लेकिन यह उनका जिला है, हम चाहते हैं कि सुखाड़ियाजी की स्मृति में कुछ न कुछ काम किया जाय। लेकिन सुखाड़ियाजी के नाम का पैसा लेकर धन्ना सेठों के नाम से कोई काम हो, यह गलत है। मजदूरों और औरतों को चार चार रुपये के टिकट दिये गये हैं। पैसा लेने वाले ले लेते हैं और इनको री-सैल किया जाता है। इस तरह से चीटिंग को बहुत बड़ी गुंजाइश है। मेरा निवेदन है कि सुखाड़िया जी की स्मृति में कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम यह करें कि जो उन्होंने राजस्थान का निर्माण किया है उनके नाम की प्रदर्शनी लगायें और इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाय। मैं चाहता हूं कि उनकी महानता का पूरा प्रचार करिये और लोगों में उनकी स्मृति पैदा करिये। इस तरह से टिकट नहीं बेचें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : एक मिनट में, अध्यक्ष महोदय, वहां पर टिकटों की आय से एक मेला [illegible] जायेगा और उसमें अफसरों की [illegible] वहीं वहीं समोसे बना-बेचेंगी। जिनको घर में समोसे बनाना नहीं आता है वे इस तरह । कार्य करेंगी। मेरा निवेदन है कि अगर सुखाड़िया जी की स्मृति में काम करना चाहते हैं तो इस तरह की चीटिंग या धन्धा बन्द हो। यह ठीक नहीं है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक जानता हूं, मैं समझता हूं कि गरीब लोग सुखाड़िया जी पर मरते हैं उन्होंने पैसे खुशी से दिये होंगे। बड़े लोग तो स्वार्थ के लिये ही थैलियां भेंट करते हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : ये भी उसमें उपस्थित थे, ये उसके मेम्बर हैं।

श्री बन्शीलाल पटवा : मैं नहीं था, असत्य बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जाइये। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर बैठ

(श्री अध्यक्ष)

जाइये। श्री रघुवीरसिंह कौशल। राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के छुट्टी पर जाने से किसानों को परेशानी।

श्री रघुवीर [redacted] (बारां): अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू [redacted] कोटा एक अपीलेट कोर्ट है किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज पांच महीने से यहां स्थान रिक्त है। कोटा बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, क्षेत्र इसके अन्तर्गत आते हैं, पर आज मगनराज तलवार नामक जिस महानुभाव को वहां पर लगाया गया है वह पांच महीने से छुट्टी पर है। रेवेन्यू सैक्रेटरी ने ये छुट्टियां दी हैं पर रेवेन्यू अपीलेट कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड के अन्तर्गत आती है, रेवेन्यू बोर्ड ने सरकार ने छुट्टियां दी है इसके विरुद्ध डिप्टी सैक्रेटरी के विरुद्ध कन्डेम आफ कोर्ट लगाकर कर नोटिस सर्व करवाया है। डिप्टी सैक्रेटरी उस दिन ड्यूटी पर थे जिस दिन कोर्ट का चपरासी नोटिस को लेकर गया था पर उनको देखकर वे वहां से भाग गये और जयपुर आ गये। रेवेन्यू बोर्ड तक ने इस मामले को इतना गम्भीर लिया है। सरकार पांच महीने से उसकी छुट्टियां मंजूर कर रही है और वह जगह खाली है। और जरूरी इसलिए हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत धारा 91 का जो अधिकार तहसीलदार को दिया गया है वह उसका दुरुपयोग कर रहा है और किसानों को सजा दे रहा है। पटवारी रिपोर्ट करता है, बिना गवाह के वह शिकायत करता है और वो ही सजा देने वाले।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: तो इस प्रकार की सजा किसानों को दी जा रही है। आज स्टे के लिए उनको अजमेर जाना पड़ रहा है और स्थिति यहां तक आ गई कि एक चन्द्रा सुधार एरिया के अन्तर्गत सुन्दरलाल नाम के व्यक्ति को मिट्टी खोदने का ठेका दिया समतल करने के लिये, तहसीलदार ने धारा 91 के अन्तर्गत उसको सजा दी। आज एक अपील के लिए कौन व्यक्ति कहां जायेगा? जिस अधिकार के लिए रेवेन्यू बोर्ड ने तहसीलदार के लिए कहा है, कमेन्टस दिए हैं कि

Loaded gun has been given to a delinquent boy.

एक बन्दर के हाथ में तलवार दे दी है। आज वहां राजस्व अधिकारी नहीं है। तहसीलदार उसका खुला दुरुपयोग कर रहा है, डरा और धमका रहा है, पैसा खा रहा है, और जो पैसा नहीं दे, उसको सजा दे रहा दे रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है. सरकार ध्यान दे। रेवेन्यू बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में होने के बावजूद डिप्टी सैक्रेटरी, रेवेन्यू ने उनको कैसे छुट्टी दे दी? पांच महीने से वह जगह खाली पड़ी है, उनके लिए किसी व्यक्ति को तुरन्त वहां भेजा जाय, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत खण्डार

(श्री हंसराज शर्मा)

और सवाई माधोपुर कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर वन विभाग का एक टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है उसकी सीमा करीबन 122-123 किलोमीटर के एरिया में है और उसके चारों ओर विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी है जिससे उसके अन्दर जो फालतू जानवर हैं वह बाहर न निकल जायें। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहूंगा, उसके अन्दर जो पशु हैं जो लोगों के द्वारा पाले हुए हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जाय। इस प्रकार की सीमाओं पर या तो दीवार डाली जाय या तारबन्दी की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जानवर बाहर निकलते हैं उनकी सीमा से तीन तीन किलोमीटर तक, काश्तकारों की फसलों को नष्ट कर देते हैं। हजारों की तादाद में चारों ओर जंगली पशु हैं उस सीमा के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : तीन-तीन किलोमीटर में सारी फसल को तहस नहस कर देते हैं। वहां के काश्तकारों को जानवरों को न पटाखे चलाकर डराने का अधिकार है, न गोली चलाने का अधिकार है और न उनको किसी प्रकार धमकाने का अधिकार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे जानवर जंगलात में चले जाते हैं, उनसे आप जुर्माना लेते हैं बन्द कर देते हैं। लेकिन आपके जो जानवर हमारी फसल को खा जाते हैं उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। [redacted] आपके माध्यम से निवेदन [redacted] हूंगा कि जो जानवर काश्तकार की फसल को नष्ट करते हैं, राज्य सरकार द्वारा उनको मुआवजा दिलाया जाय। राज्य सरकार यदि मुआवजा नहीं देना चाहती है, तो मैं गवर्नमेन्ट से निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार को इस प्रकार का अधिकार दिया जाय कि फसलों में जो जंगली पशु नुकसान करते हैं उनको रोकने के लिए या तो पटाखे चलाने का अधिकार दिया जाय या गोली चलाने का अधिकार दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, आर्डर। आर्डर, आसन पैरों पर है। कृपया।

(व्यवधान)

बैठ जायें। कृपया। श्री नाथूसिंह, मृत घोषित करने के विषय में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मामला इस तरह का है, अध्यक्ष महोदय, यह घटना ग्राम पंचायत भटेसरी तहसील बस्सी जिला जयपुर की है। यहां मंगला नाम का मीणा जाति का एक व्यक्ति रहता है जिसकी जमीन काश्त की, करीब [illegible]0 बीघा है और दो कोठी हैं। इसका खसरा नम्बर 22, 32 और 29 है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मंगला मीणा परिवार में अकेला व्यक्ति है। सन् 1967 में काश्त नहीं कर सकने के कारण वह ग्राम [redacted] मजदूरी करने के लिये बाहर चला [redacted] और अपने रिश्ते में गंगाराम नाम [redacted] को जो उसी गांव का रहने वाला था, उसको काश्त संभलाकर चला गया। इस गांव के सरपंच हैं, भगवान सहाय मीणा वे इस बार चुनाव में परास्त हो गये लेकिन उस समय में सरपंच थे। उन्होंने यह देखा कि मंगला का पता नहीं लग रहा है वह गांव छोड़कर चला गया। उनके साथ एक श्री मांगीलाल थे, उनके पुत्र ने जिसका नाम नानगराम है, उनके साथ कान्सपिरेसी करके उससे एक दरख्वास्त दिलवादी कि मंगला मीणा का देहान्त हो चुका है, जिन्दा नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : मंगला मीणा को श्री तो कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र दिया कि मंगला की मृत्यु हो चुकी है, मैं उसका वारिस हूं। मेरे नाम जमीन का नामान्तरकरण कर दिया जाय और परिणाम यह निकला कि सरपंच साहब ने उस आदमी के नाम नामान्तरकरण कर दिया। जबकि गंगाराम ने कहा कि मंगला मरा नहीं है और उसकी बहन श्रीमती धापू ने भी कहा कि मेरे भाई के मरने का कोई समाचार नहीं है और यदि उसको मरा मान भी लिया जाय तो मैं उसकी वारिस हूं, यह मेरे नाम नामान्तरकरन किया जाना चाहिये। गंगाराम ने कहा कि मैं जमीन का वारिस हूं, मैं काश्त करता हूं, मेरे नाम जमीन की जाय तो एक शर्त रख दी कि तुम मंगला को नुक्ता करने के लिये तैयार हो, उसमें खर्चा करने के लिये तैयार हो, तो तुम्हारे नाम नामान्तरकरण किया जा सकता है। इसके लिये उसको आर्थिक दिक्कत थी। गंगाराम के पूर्वजों का जिनका देहावलान हो गया था, उनका नुक्ता उसे करना बाकी था इसलिए वह अगर यह और नुक्ता करता तो, उसको तीन नुक्ता और करने पड़ते। वह करने की स्थिति में वह नहीं था इसलिए उसने मना कर दिया परिणाम यह हुआ कि नानगराम के नाम नामान्तरकरण कर दिया गया और नामान्तरकरणको तस्दीक करा लिया। तस्दीक कराने के बाद सरपंच साहब ने अपने प्रभाव से, क्योंकि नानगराम से इनका परिचय था, थोड़े ही दिन बाद उसकी जमीन जो 40 बीघा है, में से 28 बीघा जमीन जिसमें कोठी दो कुएं, काश्त के काबिल अच्छी जमीन थी अपनी पत्नी के नाम उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया वह भी कुल तीन हजार रुपये कीमत देकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जबकि उस जगह तीन हजार रुपया प्रति बीघा जमीन की कीमत है। इन्होंने 28 बीघा जमीन और 2 कोठी केवल तीन हजार में पत्नी के नाम रजिस्ट्रेशन कराकर हड़प ली।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका नामान्तरकरण अपनी पत्नी के नाम खोल दिया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

थोड़े ही दिन बाद वह व्यक्ति मंगला आ गया। समस्या, प्राब्लम गम्भीर है कि जिस व्यक्ति मंगला के बारे में कहा जाता है कि मर गया वह व्यक्ति आ गया।

श्री अध्यक्ष : मामले को अदालत में ले जाया जाय, यहां तो फैसला नहीं ....

श्री भंवरलाल शर्मा : जो बात कहना चाहता हूं वह यह कहना चाहता हूं कि अदालत में तो निपटारा होगा लेकिन वह व्यक्ति, जो जिन्दा है मौजूद है, उसको बेदखल कर दिया, उसको कब्जा दिलवाया जाय कम से कम। वह व्यक्ति जिन्दा है। सरपंच ने कहा, यह व्यक्ति मंगला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैंने निवेदन किया, अदालत फैसला कर सकती है। यहां नहीं....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह गिरफ्तार हुआ। क्योंकि प्रभावशाली है और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करके उस व्यक्ति को बचाया जा रहा है। मेरा निवेदन सरकार से है, अदालत तो फैसला करेगी, कि वह व्यक्ति जिन्दा है, तहसीलदार ने प्रमाणित कर दिया, वह व्यक्ति वही है, तो जमीन का कब्जा उस व्यक्ति को क्यों नहीं दिलवाया जाय। गरीब आदमी है, कमजोर है, उसको जमीन से बेदखल कर दिया, वह आदमी कैसे गुजारा करेगा ? इस व्यक्ति को कब्जा दिलवाया जावे, जिससे वह गुजारा कर सके, यह सरकार से निवेदन है। मामला राजनैतिक प्रभाव से दबाया न जावे।

(व्यवधान)

श्री [redacted] : अध्यक्ष महोदय, मैंने हरी [redacted] काटने के विषय में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : कल बात करना, मैं इजाजत दे दूंगा आज नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आज तो कार्यसूची लम्बी है, मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने ...

श्री अध्यक्ष : कल मैं अवसर दे दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : मुझे भाषण का शौक नहीं है। यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने निवेदन कर दिया, अब इस पर पुनर्विचार नहीं....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

आर्डर, माननीय सदस्या कृपया स्थान ग्रहण करें [redacted] की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा 3 के अन्तर्गत गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ। (47) एच0/7/78, दिनांक 18 नवम्बर, 1981 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

जनलेखा समिति प्राक्कलन समिति 'क' प्राक्कलनसमिति 'ख' एवं राजकीय उपक्रम समिति 1982-83

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव। मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,

(1) मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के सदस्यों के द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1982-83 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(2) इस सदन के सदस्यों के द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन, समिति "क", 1982-83 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "ख", 1982-83 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 ख (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1982-83 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

ध्यानकर्षण प्रस्ताव

गांधी सागर बांध के जल भराव क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कटौती की जाने की घोषणा

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री राजबहादुर ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मान्यवर, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं । कृपया अनुमति प्रदान करें ।

गांधी सागर बांध के जल भराव क्षेत्र में मध्य प्रदेश की ओर से जो कटौती अनुचित रूप से की जा रही है, उसके संबंध में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकारों के बीच न तो अभी तक कोई समझौता हो पाया है, न मध्य प्रदेश सरकार अपने जल भराव क्षेत्र में वृद्धि करने से रुक रही है । राजस्थान के विशेषज्ञों का एक दल दो बार उक्त जल भराव क्षेत्र का अध्ययन एवं निपटारा करने के लिये मध्य प्रदेश भी गया, परन्तु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गयी । मुख्य मंत्री कृपया स्पष्ट करें कि गांधी सागर बांध के जल भराव क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो अनुचित कटौती की जा रही है उसको रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है व कब तक तक इसका निपटारा हो जायेगा ।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : चम्बल घाटी परि[illegible] के अन्तर्गत गांधी सागर, रा[illegible] सागर, जवाहर सागर तथा को[illegible] और उनसे निकाली हुई राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में नहर प्रणाली सम्मिलित है । गांधी सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर पर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर में संचित जल से राजस्थान व मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है ।

1977 में राजस्थान को यह ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश गांधी सागर के जल ग्राह्य क्षेत्र में कुछ सिंचाई योजनायें व बांध बना रहा है और कुछ अन्य परियोजनाएं बनाने का प्रस्ताव है जिसकी वजह से गांधी सागर बांध में जल की आवक कम हो जायेगी और इससे राजस्थान में बिजली एवं सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । सिंचाई विभाग ने अप्रेल, 1977 में सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश से गांधी सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित बांधों के बारे में जानकारी चाही परन्तु पत्राचार से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी । अतएव यह मामला मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियन्त्रण मण्डल में दिनांक 28·8·77 को उठाया गया । उस बोर्ड में यह निर्णय लिया गया कि कथित योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी मुख्य अभियन्ता, मध्य प्रदेश

(श्री परसराम मदेरणा)

द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान को उपलब्ध करा दी जाये परन्तु वांछित सूचना [redacted] नहीं हो सकी। इस मुद्दे को तथा[redacted]त्रण बोर्ड की स्थाई समिति संख्या[redacted]भी भिन्न-भिन्न समय पर उठाया गया परन्तु कोई सफलता नहीं मिल पाई। अतएव इस मामले को 13 मई, 1979 को मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यिय नियंत्रण मण्डल में पुनः उठाया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्री मिलकर इस विवाद को सुलझा लें परन्तु इस प्रकार का मीटिंग नहीं हो सकी। अन्ततोगत्वा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की वार्ता 18 अगस्त, 1981 को भोपाल में हुई जिसमें यह तय किया गया कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की एक संयुक्त टीम गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र का दोरा करे व जल ग्रहण क्षेत्र में हुए इन्टरसेक्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों को प्रस्तुत करे।

राजस्थान की एक टीम ने 23 से 26 सितम्बर, 1981 तक मध्य प्रदेश के देवास व उज्जैन क्षेत्रों का दौरा किया परन्तु मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने इस टीम के सदस्यों को सूचित किया कि वे कोई भी रिकार्ड उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। इसके पश्चात् राजस्थान टीम ने 20 से 23 अक्टूबर, 1981 तक दौरा किया लेकिन वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात् राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह मामला 30 अक्टूबर को राजस्थान मध्य-प्रदेश अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उठाया। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया कि आवश्यक निर्देश दिये गये हैं, फिर भी यदि गलत फहमी से नीचे तक आदेश न पहुंचे हो, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में पुनः आवश्यक निर्देश देंगे।

उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में राजस्थान के अधिकारियों की दो टोलियां मनोनीत की गई। मध्यप्रदेश ने भी इस कार्य के लिये अपने अधिकारियों को मनोनीत किया। राजस्थान की टीम ने मध्य प्रदेश का दौरा 2 फरवरी से 6 फरवरी, 1982 के बीच उज्जैन, रतलाम व मन्दसौर जिले का किया है। उपरोक्त तीनों जिलों में सिंचाई के लिये निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों के बारे में वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। राजस्थान की टोलियों ने अपने प्रवास में उप मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री मध्य प्रदेश से भी भेंट की। उप मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश ने भी राजस्थान की टीम के साथ पूर्ण सहयोग करने हेतु अपने अधिकारियों को निर्देश दिये तथा एकत्रित सूचना के अनुसार सिंचाई कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(श्री परसराम मदेरणा)

	पानी का उपयोग (मिलियन एकड़ फीट)
1. पूर्ण हो गई परियोजनायें (91)	0,0875
2. निर्माणाधीन योजनायें (34)	0,1830
3. परियोजनायें जिनका कि सर्वे कार्य हो रहा है और जो प्रस्तावित हैं (59 जमा 124) =183	0,3450
	0,6155

इसके पश्चात् राजस्थान की टीम ने इन्दौर एवं देवास जिलों के बारे में भी पूरी जानकारी एकत्रित कर ली है। इसके आंकड़े संकलित किये जा रहे है। धार एवं शाहजहांपुर जिलों के बारे में अभी सिंचाई के कार्यों की जानकारी बाकी है। जिसे भी शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा। एकत्रित आंकड़ों से प्रतीत होता है कि गांधी सागर जल-ग्रहण क्षेत्र में बनाये गये तथा प्रस्तावित बांधों से गांधीसागर में जल की आवक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अत: राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन किया है कि वे नई योजनाओं के सर्वे का कार्य बन्द कर दें। बाकी दो जिलों के बारे में जानकारी प्राप्त के पश्चात् ही पूर्ण स्थिति सामने आयेगी तब समुचित एवं उपयुक्त अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कदम उठाये जायेंगे। उपरोक्त तथ्यों से विदित होगा कि राज्य सरकार इस दिशा में पूर्ण [illegible] सतर्क एवं प्रयत्नशील है।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट है कि जो भी कार्यवाही मध्य प्रदेश ने जल भराव क्षेत्र में की, किसी प्रकार की सूचना, किसी प्रकार की अनुमति तो दूर रही, सूचना भी हमको नहीं मिली। हमारे यहां से सतर्कता कितनी बरती गई, यह इससे जाहिर है कि कम से कम दो बांध बन चुके हैं और बाकी दो बनने की प्रक्रिया में हैं। और यह भी बात निश्चित है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बना लिया किसी राज्य ने, उससे वंचित करना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं चम्बल का एक बहुत बड़ा भाग बहुत पहले ले गये; हमारे यहां भी बहता है कोटा के नीचे, क्या किसी प्रकार जल सिंचित करना, जल संचय करने की कोई कार्यवाही की गई है ?

दूसरी ओर गांधी सागर में जो आपने कहा-आपत्तिजनक और प्रतिकूल प्रभाव, आपने प्रतिकूल शब्द कहा लेकिन जो प्रतिकूल है वह आपत्तिजनक भी है ? तो कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? कितना एम. एफ. आना था कितना कट जायगा और उसको

(श्री राजबहादुर)

पूरा करने का कोई विकल्प, योजना या सुझाव है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो सूचना मैंने भरतपूर से [illegible] माननीय सदस्य को अभी दी है उस [illegible] आधार पर जो अभी तक सूचना आई है 5 जिलों की, उस संबंध में जो स्कीम मध्य प्रदेश ने गांधी सागर कैचमेंट एरिया में पूर्ण कर ली है वह सिंचित एरिया करीब 21650 हेक्टेयर्स लगता है। और जो स्कीम अन्डर कन्स्ट्रक्शन है, वह क्षेत्र 28849 हैक्टेयर्स बनता है। इसलिये काफी बड़े क्षेत्र में उन्होंने 50 हजार हैक्टेयर्स को सिंचित करने के क्षेत्र में इन योजनाओं को निर्मित किया है, या निर्माणाधीन हैं। कुछ योजनाओं का सर्वे हो रहा है। इस संबंध में हमने उनसे लिखा है कि यह सर्वे बंद कर दिया जाय, कुछ योजनायें, उनके नक्शों पर पिन पांइटेड हैं जिन पर अभी तक सर्वे का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है लेकिन उनका इरादा दिखता है, उन योजनाओं को भी वे उपयुक्त समय पर हाथ में लें।

जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं प्रथम बार राजस्थान को 1977 में इस बात की जानकारी मिली और उसी समय हमें प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद इस मुद्दे की स्टेन्डिंग कमेटी नं 1 में समय समय पर उठाया गया और 1977 में तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के इन्टरस्टेट कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया लेकिन उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं की।

उसके बाद में फिर दुबारा मई, 1979 में, जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इन्टर-स्टेट कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में दुबारा उठाया गया। उसमें निर्णय लिया गया कि दोनों मुख्य मन्त्री इस समस्या का समाधान करें और मिल कर निर्णय लें, बोर्ड से अलग, लेकिन यह मीटिंग नहीं हो सकी। यह मीटिंग अगस्त, 1981 तक नहीं हो सकी। वर्तमान मुख्य मन्त्री ने, जिनके साथ मैं भी भोपाल गया था, 18 अगस्त को, वहां पर उनसे बात-चीत की और बात-चीत करने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हमारे इंजीनियर्स को इस बात के आदेश देंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की टीमें जाकर संयुक्त रूप से इसका इन्सपेक्शन कर लें। लेकिन वे आदेश नीचे के स्तर तक प्रसारित नहीं हुए। और जब मध्य प्रदेश और राजस्थान की इन्टरस्टेट कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग जयपुर में 23 सितम्बर, 1981 को हुई तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह मामला उठाया कि 18 अगस्त को भोपाल में आपने जो आश्वासन दिया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारी टीमें वहां जाकर आई हैं और उसके बाद में उनको किसी प्रकार का सहयोग वहां आपकी सरकार से नहीं मिला है। उन्होंने इस पर दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया मीटिंग में। उसके बाद में वे टीमें हमारी गयीं और उनको सूचना उपलब्ध करायी हैं।

तो यह बात सही है कि मध्य प्रदेश पिछले तीन साल से लगातार सूचना नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

देने की टालमटोल कर रहा था। अब मध्य प्रदेश ने सूचना दी है और राजस्थान के पास 5 जिलों की सूचना आई है, दो जिलों की सूचना लेना अभी बाकी है, जैसा मैंने निवेदन किया, सर्वे के सम्बन्ध में, जो हमने पत्र लिखा है, लेकिन किस स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिये और कौन सी कार्यवाही कारगर साबित होगी, इस सम्बन्ध में दो जिलों से सूचना आने के बाद में इस पूरी स्थिति पर समुचित तौर से विचार किया जायगा। मैं सदन को अभी इतना ही आश्वास्त कर सकता हूं कि जो भी कदम उठाये जायेंगे, वे राजस्थान के हित में होंगे लेकिन पब्लिक इन्ट्रेस्ट में, मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चम्बल के पानी के उपयोग के सम्बन्ध में एक बात कही। यह बात सही कि चम्बल के पानी का उपयोग-गांधी सागर के भराव के बाद में जो चम्बल में पानी होता है वह उसकी सहायक नदियों का पानी है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाय, लिफ्ट इरिगेशन योजना है या अन्य प्रकार की योजनाओं से, इस सम्बन्ध में सर्वे हुआ है और इस सम्बन्ध में भी अर्थ की उपलब्धि के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। मैं यहां इतना ही निवेदन करूंगा कि वर्तमान सरकार ने, जो सूचनायें पिछले तीन साल से वे नहीं दे रहे थे....

श्री अध्यक्ष : 5-6 साल से।

श्री परसराम मदेरणा : 5 साल से नहीं दे रहे थे, उन सूचनाओं को प्राप्त ही नहीं किया है लेकिन अब यह पूरी जानकारी हो गई है क्योंकि [illegible]टिंग में, चाहे स्टेंडिंग कमेटी [illegible]ाहे जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड मध्य प्रदेश-राजस्थान की इन्टरस्टेट मीटिंग हो, उसमें बराबर वह टालमटोल करते रहते थे और हमने उसको इन्टरप्रेट किया है। कभी कह रहे थे बहुत छोटे-मोटे इरिगेशन से बन्धे बन रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं, कितने हैं या नहीं हैं, वह कोई डफिनेट तौर पर नहीं देते थे। अब राज्य सरकार को 5 जिलों के बारे में, जो हमारी और उनकी टीमें जाकर आई हैं, वे जो सूचना लाये हैं, जो आंकड़े उन्होंने लिए हैं, उसमें उनके इरिगेशन के सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर के सिग्नेचर्स अंकित किये हैं, उसके बाद यह सूचना मिली है।

अब आगे दो जिलों की सूचना अभी तक हमारे पास आई नहीं है। वह जब आ जायेगी तभी कुछ कहा जा सकता है। कन्ट्रोल बोर्ड के स्तर पर या भारत सरकार के स्तर पर राज्य सरकार को क्या कार्यवाही करनी है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निर्णय लेकर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आर्डर आर्डर।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इजाजत दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : [redacted] ऑर्डर। एक-एक प्रश्न, माननीय सदस्य, पूछ लीजिए। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। ऐसा नहीं हो कि भाषण ही शुरू हो जाय। अब आप एक-एक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछूंगा। मेरा भाषण करने का कोई विचार नहीं है।

आपने इन्टर-स्टेट स्तर पर बोर्ड के समक्ष प्रोटेस्ट किया उसके लिए मुबारक आपने अगस्त, सन् 1981 में और अक्टूबर, सन् 81 में दुख प्रस्तकर लिया, उसके लिए भी मुबारक।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : बिलकुल संक्षेप में।

अध्यक्ष महोदय, एक-एक दुख जो उन्होंने प्रकट किया उसके लिए कह रहा हूं। मेरा कहना है कि दुख प्राप्त कर लेना End in itself है या it means an end है। दुख जो इन्होंने प्रकट किया, वह तो सिर्फ इस बात के लिए कि इन्होंने सूचना नहीं दी। इन्होंने इस बात का दुख प्रकट किया, जैसा आपके बयान से जाहिर होता है, उन्होंने बन्ध बना लिए, या और बन्ध बनाने जा रहे हैं। अभी आप यह कहते हैं कि हम क्या स्टेप लेंगे वह हम पब्लिक के हित में नहीं बताना चाहते हैं। यह न बतायें, मैं आपको बाध्य नहीं करना चाहता हूं और बाध्य करना मुनासिब नहीं है लेकिन यह बात निश्चित है, हमारा यह अनुभव है कि दूसरे लोग हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते जा रहे हैं और हम खामोश हैं। पता नहीं इसकी क्या वजह है। हमारी खामोशी हमारे अधिकारों के साथ ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं आपसे विनती करूंगा कि अनुभव ने हमें यह सिखा दिया है कि जो पहल करता है वही आगे जाता है। Offence is the best defence.

बृज भाषा में यह कहावत है, मुझे माफ करें, सोवते का पड्डा और जागते की पडिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां भी ऐसा ही कुछ है, सिर्फ बोली का फर्क है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सूवते का पाडा और....

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, गांधी सागर कैचमेंट एरिया में जो बांध बने हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, गान्धी सागर कैचमेंट एरिया में जो बांध बनाये गये हैं, उनसे गान्धी सागर के पानी में कमी आई और उसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ा है जो कोटा क्षेत्र में चम्बल की नहरों में पानी का उपयोग करते हैं।

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश को बराबर पानी दिया जा रहा है जिससे सागर में पानी कम हो गया है। उसके पूर्व भी हमारे यहां नहरों में पानी आना बन्द हो चुका है। यदि उन्होंने वहां पानी जरूरत से ज्यादा काम में ले लिया है और अनाधिकृत रूप से बान्ध बना लिये हैं, हमारे यहां से जो पानी जाता है मध्य प्रदेश को, तो क्या राजस्थान सरकार कुछ अधिक पानी लेकर उन किसानों की पूर्ति कर देगी। ऐसी कोई योजना आपके विचाराधीन है क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोटा क्षेत्र के लिए चम्बल बैराज से ही सिंचाई होती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा के किसानों को पहले जो पानी मिलता था वह अब बन्द कर दिया गया है जबकि शिड्यूल प्रोग्राम के अनुसार 16 तारीख को यह पानी बन्द कर दिया जाना चाहिए था। यहां पर बूंदी से आने वाले मन्त्रीजी बैठे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि बून्दी और कोटा दोनों क्षेत्रों में नहरों में पानी बन्द कर दिया गया है। अब जबकि ज्वार क्षेत्र में निपटान हुआ है, लोगों ने अपनी फसलें बोई हैं, अभी उनको पानी की और जरूरत है, [illegible] नहीं मिला है। मध्य प्रदेश स[illegible]ह पानी ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग समस्या प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, वहां पानी आने का प्रतिबन्ध लगा दिया है। राजस्थान के हिस्से का पानी वहां नहीं मिल रहा है। वह उन किसानों को दिलाया जाय वरना हम मर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो विषयान्तर हो रहे हैं। समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करना चाहूंगा, वहां क्षेत्र के लोगों को पानी दिलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने अपने विवरण में बताया कि सर्वे एण्ड इनवेस्टिगेशन का काम चल रहा है उनका पिन पोइन्टिंग और नये सिरे से

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी

निर्माण कार्य उन्होंने कर रखा है। आपने अपने विवरण में यह भी बताया है कि लगातार वे टालमटोल कर रहे हैं। तो क्या राज्य सरकार, अ[illegible]भाव नहीं पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट मे[illegible], इन्टरसैप्शन जिस प्रकार से हो रहा है या आगे जो निर्माण कार्य होने जा रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए कोई व्यवस्था करेगी? सवाल नम्बर एक। एक सवाल और मैं करना चाहता हूं कि मूल योजना बनी थी उस मूल योजना में पूरा पानी आता है, उसमें हमारे यहां पर कई लिफ्ट योजनायें थीं, जिन लिफ्ट योजनाओं का कार्य दो साल से प्रारम्भ हुआ है। क्या मन्त्रीजी यह चाहेंगे कि जितनी भी लिफ्ट योजनायें थीं, जिनकी प्राइमरी योजनायें बनी थीं उनको तुरन्त शुरू करा दें ताकि कमिटेड लाइबिलिटी उस पानी का उपयोग करने की हो जायेगी, ताकि मध्य प्रदेश सरकार जो इन्टरसैप्शन कर रही है वह नहीं कर पाये। यह दो प्रश्न हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो सूचना मध्य प्रदेश ने हमें नहीं दी उस सम्बन्ध में तो उन्होंने दुख प्रकट किया था, लेकिन उन्होंने इन्टरसैप्शन किया उसके लिए कोई दुख प्रकट नहीं किया। वे दुख क्यों प्रकट करते? क्योंकि उन्होंने जान-बूझकर अन्तर्राज्यीय समझौते का उल्लंघन किया है। यह बात भी सही है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसमे जो सम्मिलत प्रोजेक्ट हैं उसमें सिंचाई और बिजली दोनों ही मामलों में हमारे हितों पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। यूनिलेटरल एक्शन, जो उन्होंने किया है, इस सम्बन्ध में मैंने कहा कि समुचित सूचना आने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी। बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पानी की कमी के कारण कोटा में सिंचित एरिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो, अध्यक्ष महोदय, चाहे कोटा का क्षेत्र हो, चाहे बून्दी का क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश का मेन नहर का क्षेत्र हो, सभी पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। कितना पानी लिया, किस प्रकार लिया, इस सम्बन्ध में, मैं अभी कुछ कहना उचित नहीं समझता हूं। यह सभी बिन्दु और मुद्दे राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने, शिड्यूल्ड प्रोग्राम के अनुसार पानी देना चाहिए तथा कौन सी तारीख से बन्द करना चाहिए था और कौनसी तारीख को बन्द किया, यह बात कही, बून्दी से आने वाले मन्त्रीजी से कही। तो क्या बून्दी से आने वाले मन्त्रीजी इस बारे में कोई कॉन्स्टीट्यूशन की किताब देखेंगे। आपने उनसे पूछ लिया और आपने मुझसे भी पूछ लिया। लेकिन चूंकि अभी मेरे पास पूरी सूचना नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी ने किस प्रकार से शिड्यूल बनाये थीं और शिड्यूल के अनुसार कौन सी तारीख तक कितने हजार क्यूसेक्स पानी प्राप्त हुआ या नहीं, इसलिये जानकारी प्राप्त करने के बाद दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रभाव की बात कही कि अगर हमारा प्रभाव

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं चले तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि 30 महीने और कुछ दिन तक आपकी सरकार रही आप कितने प्रभावशाली रहे वह सदन के सामने है, और हम या हमारी सरकार कितनी प्रभावशाली रही, वह सभी सूचनायें सदन के सामने हैं। मूल योजना और लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : वह तो मुख्य मन्त्रीजी कितने प्रभावशाली रहे हैं, उसकी बात है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी और हम अलग नहीं हैं। सरकार में सम्मिलित तौर पर, जोइन्टली और सवेली काम करते हैं। मूल योजना के सम्बन्ध में लिफ्ट योजना के बारे में बात कही। लिफ्ट योजना का मामला कन्ट्रोल बोर्ड के सामने विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। जिन योजनाओं को हम हाथ में ले सकते हैं उनके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार विस्तृत तौर से अपने इन्जीनियर्स को वहां पर भेज कर उसकी टैक्निकल रिपोर्ट तैयार करना चाहती थी इसलिये बोर्ड की अगली बैठक में यह मामला आयेगा उसमें जो कुछ भी निर्णय होगा, इसको कोटा से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने प्रभाव के बारे में यह बात कही थी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री राजब[illegible] : कितने पानी की कमी हुई, उसके बारे में नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीमकोर्ट में जाने का जो कहा, उसमें क्या लीगल पोजीशन बनती है उसके बाद पता लगेगा। मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहने में सक्षम नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। मैं अगला विषय ले रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मन्त्री शिवचरणजी पी० यू० सी० के चेयरमैन थे तब गान्धीसागर डैम पर जाते हुये उन्होंने चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के बारे में कहा था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जब वह पी० यू० सी० के चेयरमैन थे, तब उन्होंने कहा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

था, दाऊदयालजी, यह गान्धी सागर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से ही सुलझेगा। अब क्या है [illegible] स बात को ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। आप स्थान ग्रहण करें। आप सदन पर चर्चा थोप रहे हैं। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बजट पर सामान्य वाद-विवाद। एक घण्टे के लिये सामान्य वाद-विवाद का समय बढ़ाया जाता है। सरकार की ओर से उत्तर लगभग पौने तीन बजे प्रारम्भ होगा। 3 माननीय सदस्यों को मैं बोलने की इजाजत दूंगा—माननीय श्री राजबहादुर, श्री मेघराज सावड़ और श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह। कृपया समय का ध्यान रखें। लगभग पौने तीन बजे मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को उत्तर देने के लिये पुकारूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आयेगा। आर्डर प्लीज, मैं खड़ा हूं।

श्री नाथूसिंह : आप बैठ जाइये....

श्री अध्यक्ष : यह तो मेरे ऊपर है। आर्डर प्लीज। श्री राजबहादुर।

श्री नाथूसिंह : अब तो कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : हां, अब कर सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : एक ही बात हुई।

श्री अध्यक्ष : नियमों का पालन करना चाहिये। आर्डर प्लीज, पाइन्ट आफ आर्डर क्या है, माननीय सदस्य ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : समय, नष्ट करना....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप भी यही कर रहे हैं। श्री राजबहादुर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य-सूची दी है हमें, इसके अनुसार आज ही बजट पर चर्चा होगी। इसके पश्चात् सरकार की तरफ से जवाब आयेगा। अगर आप देखें तो उसके बाद ही दो मांगें ली हैं—वन और पर्यटन। उस पर भी आज ही चर्चा होगी और उनके ऊपर मतदान भी आज ही होगा। वह भी आज ही पारित होनी हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जितना बजट है, यह बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं सुबह 11 बजे से ही बराबर यह कोशिश कर रहा था कि माननीय सदस्य आसन से सहयोग करें और मैं जब इजाजत दूं उसी वक्त में सदन कोई बात कहें या वाद विवाद रखें। अब

(श्री अध्यक्ष)

आप आखिर में 3 घण्टे बाद कानून बता रहे है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर चर्चा समाप्त हो और जो महत्वपूर्ण विषय इस सदन के समक्ष हैं उन पर पूरी चर्चा हो सके। इसलिये, समय नहीं लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। मैं निरस्त करता हूं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं, आपने पूरा सुना नहीं, निरस्त क्या किया? आपने तो यही सुना कि बजट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ सुना नहीं....

श्री अध्यक्ष : कह दीजिये आप।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बजट पर आज सरकार का उत्तर आयेगा। उसके पश्चात् आपने दो मांगें और ली हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि इस बजट के उत्तर के पश्चात् एक दिन में दो मांगों पर विचार कर उन्हें पास करके क्या हम इन मांगों के प्रति न्याय कर पायेंगे?

श्री अध्यक्ष : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है और उसके ऊपर सदन ने सहमति व्यक्त की है, इसलिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह : सदन इस पर दुबारा भी विचार कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज. ऐसा नहीं होता कभी। बुलेटिन में भी तो जाती है बहुत सी मांगे।....ऑर्डर, ऑर्डर, समय नहीं लें। इसलिए मैं बारबार माननीय सदस्यों से निवेदन करता चाहता हूं कि समय की बचत करें। ऑर्डर, ऑर्डर। पाइन्ट आफ आ[illegible] है। निरस्त किया जाता है। माननीय श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस सुप्रीम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं। मांगों को पास कराना है तो वैसे ही पास करा लीजिए। चर्चा करने की क्या आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष : हाउस का बहुमत साथ होगा तभी मांगे पारित हो सकेंगी अन्यथा पारित नहीं हो सकेंगी।....ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य। समय नहीं लें। ऑर्डर आर्डर। फिर समय ले रहे हैं। ऑर्डर प्लीज आर्डर आर्डर, आर्डर। आप बाधा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : बहुमत तो इनके साथ है। हाउस में लाने की क्या आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। बैठ जायें।

श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, कल जब मैंने बोलना शुरू किया था बजट

(श्री राजबहादुर)

डिसक्शन में, तो मैं यह कह रहा था कि वित्त मन्त्रीजी की कुछ भी भावना हो, उन्होंने अपनी भावना कुछ और ही बताई किन्तु जन साधार[illegible] बजट से निराश एवं हताश होने की भावना, एक लाचारी की भावना सर्वविदित है। इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है, इस बजट की रचना और गठन देखकर, कि स्वयं वित्त मन्त्रीजी किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं कि क्या करें या क्या न करें। सबसे पहली बात यह सामने आती है कि 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है और ओवर ड्राफ्ट एक पब्लिक देनदारी है, पब्लिक डेट है। यह जो उन्होंने फाइनेन्शियल स्टेटमेंट किया है कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल्स 202 के अन्तर्गत, उसमें अस्पष्ट रूप से यह विदित है, यह उद्धृत है और अनिवार्य है। "शैल" का प्रोविजन है कि "The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State, a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this part referred to as the 'annual financial statement'.

आप कृपया देख लें इसको, इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल के क्लॉज 3 के (सी) में है, "The following expenditure shall be expenditure charged on the consolidated fund of each state—

जिसके ऊपर वोट करना है :

bebt charges for which the State is liable including interest, sinking fund charges and redemition charges and other expenditure relating to the raising of loans and the service......"

340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट, जो कि देनदारी है, डेट है, इसके लिए इन्होंने यह सोच लिया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट राइट आफ कर देगी। राइट आफ करना तो इम्पॉसीबल है क्योंकि बहुत सी स्टेट्स पर ओवर ड्राफ्ट है। सबको भरना पड़ेगा। अगर इसे लोन में कन्वर्ट करें तो भी लोन की इन्स्टालमेंट आपको देनी होगी और उसका ब्याज देना होगा। जब लोन और ब्याज देना होगा, तो आप बता दीजिए, क्योंकि बजट के प्रारम्भिक सैन्टेन्स में आपने 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट बताया है और कहीं संकेत नहीं तो किस प्रकार से आप....

(1.46 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

इन्ट्रेस्ट देंगे, कितना इन्ट्रेस्ट देंगे और कितनी आप इन्स्टालमेन्ट देंगे ? अगर आपने राइट ऑफ करवा लिया होता तो

(श्री राजबहादुर)

बात दूसरी थी, अन्यथा मैं कहूंगा कि आपका सैंक्शन्ड स्टेटमेन्ट ऑफ बजट जो है, यह कम्पलीटली अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, Againstthe provision of the Constitution. है। यहां की जनता है, यहां का सदन है इससे छिपाकर ही ओवर ड्राफ्ट राइट ऑफ करने की कोई बात हो रही होगी, उसके पीठ पीछे कोई बात हो रही होगी अगर बात हो रही है, तो कोई सफलता नजर नहीं आती है। और 340 करोड़ है ओवर ड्राफ्ट। हमें देना है। इसका प्रभाव कारी डिमाण्डस पर पड़ता है। सारे अनुदानों पर पड़ता है और सारी आवश्यकताओं पर पड़ता है। तो, पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि इस पर स्पष्टीकरण करें। मैं इसको पाइन्ट आफ आर्डर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे स्टेटमेन्ट को जिसके डैट चार्जेज नहीं खोले गये हैं, जिसमें यह नहीं बताया है कि इन्ट्रेस्ट कितना होगा और इन्सटालमेन्ट कितनी होगी, क्या फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट माना जा सकता है? हरगिज नहीं माना जा सकता।

कॉन्स्टीट्यूशन के छोटे मोटे लॉयर की हैसियत से मैं बता सकता हूं कि इसमें अनिवार्य था फाइनेन्स मिनिस्टर के लिए यह बताना और इसीलिए मैं कहता हूं कि वह कि कर्तव्य विमूढ़ है। उन्हें पता नहीं है कि कहां जाना है, कैसे जाना है और किधर क्या करना है। लेकिन यह निश्चित बात है कि इस बजट का स्टेटमेन्ट इनकम्पलीट है और अनकॉन्स्टीट्यूशनल है उसको तब तक पास करना वैधानिकता नहीं होगी, जब तक वह दुबारा कान्स्टीट्यूशन में लाकर यह संकेत ना करें। चाहे एक रुपया ही रख दें कि हम इस ओवर ड्राफ्ट को चुकाने के लिये एक रुपया रखते हैं। एक के तो पचास हो जायेंगे। कोई सिम्बोलिक डिमाण्ड ऐसी होनी चाहिए थी कि ओवर ड्राफ्ट ठीक करने के लिए यह करेंगे. लेकिन वह भी नहीं है। 340 करोड़ कैसे हुआ, कैसे नहीं [illegible] के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। आप[illegible]कहा कि 1981–82 का 155 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है, 42 करोड़ के घाटे से शुरू हुआ था, और 184 और बढ़ गया, कुल मिलाकर 340 करोड़ हो। गया यह मैं अपनी याददाश्त से कह रहा हूँ, शायद आंकड़े ठीक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 155 करोड़ से जो शुरू किया था उसमें से आपने किस-किस मद पर कितना खर्च किया था? वह जायज खर्च था या नहीं? 184 करोड़ रुपये के खर्च का आपने थोड़ा बहुत इसमें हवाला दिया है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं है। मेरी मांग है कि हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेने के लिए, और प्रदेश की जनता को बताने के लिए जो वित्तीय स्थिति है, जिसके कारण से परिणाम यह हुआ है कि 340 करोड़ का घाटा हो गया, हाउस को बताई जाय। अगर हमारी आबादी 3।। करोड़ है तो हर एक के ऊपर एक रुपये का वजन है। चन्दा कर लो शायद काम चल जाये। लेकिन मैं यह कहूंगा कि 340 करोड़ का जो ओवर ड्राफ्ट है, 3।। करोड़ ही हैं हम तो उस हिसाब से तो गलत हो गया। 340 करोड़ है और हमारी आबादी 341 लाख ही है। तो मैं यह यह कहूंगा कि बहुत बढ़ गया वह तो। एक आदमी के ऊपर कितना होता है यह लगा लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अब आपने चन्दा करने का विचार छोड़ दिया होगा।

श्री राजबहादुर : विचार तो नहीं छोड़ा मैंने लेकि[illegible] यह नहीं है। be fair, be in[illegible]ually honest. इन्टलेक्चुली आनेस्ट का तकाजा यह है कि आप हाउस को कान्फीडेन्स में लेते आखिर इस समय हम तबाही में हैं। आपने कहा तो है, बड़े निराशा भरे शब्द है, कोई संकेत नहीं छोड़ा, कोई शब्द नहीं छोड़ा। आप बोलते हैं, गम्भीर वित्तीय स्थिति-ओवरड्राफ्ट की यह राशि न केवल राजस्थान प्रदेशके लिए बल्कि देश के सारे प्रदेशों के लिए उच्चतम राशि है। उच्चतम से क्या मतलब है ? अधिकतम कहते। उच्चतम का तो दूसरा ही सेन्स होता है। मैं समझा नहीं कि उच्चतम का शब्द क्यों इस्तेमाल किया है ? अधिकतम होता। फिर आपने कहा है, भारत सरकार को भी चिंता है और बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। फिर आपने सात कारण दिये है, उसके। मैंने व्हाइट पेपर की जो मांग की है, उसे खाली थोथी मांग समझकर अनदेखी न कर दें। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक इस हाउस को पूरा ज्ञान भी नहीं होगा कि किन-किन चीजों पर खर्च होता है, क्या होता है ? उसकी ऐनेलेसिस करिये कि क्यों ऐसा होता है।

श्री चन्दनमल बैद : लिखा हुआ है सब कुछ।

श्री राजबहादुर : जी नहीं, वह बहुत थोड़ा है और वह नाकाफी है। वह, जब आपने शुरू किया था 42 करोड़ का था, 184 करोड़ और हुआ है। मैं केवल 155 का सोचना हूं ? जो 154 करोड़ से आरम्भ किया था 1981-82 में 155 करोड़ से आरम्भ किया ओवरड्राफ्ट, 184 आपने ऐड किया। क्लियर बात है, इसमें शक क्या है ? आपने कहा 155 करोड़ और 1841 करोड़ फिर कारण क्या है ? Why can yon not cut your oɔat according to cloth.

असली बात तो यह है कि फाइनेन्स मिनिस्टर का पहला काम है जितना वस्त्र है उतना काटें। आप काटते अधिक हैं और बोते कम हैं। आप उसे काटते अधिक हैं जो है नहीं आपके पास। इसका मतलब है, बेनक्रेपसी होगी और बेनकूपसी है। बेनक्रेपसी वहीं है, जहां आदमी देनदारी को भूल जाय। उसको बेनक्रेपसी के अलावा कुछ नहीं कहते, तो आपने एक बेनकूपसी बजट पेश किया है। How will the year end nobody can say. किसी को पता ही नही क्या होगा।

श्री चन्दनमल बैद : I will end with 340 crores.

श्री राजबहादुर : एक बात मैं कहता हूं। देखिये आपके पास एक ही पहलू था। जो आप पापूलेरिटी की तरफ नहीं देखते

(९०)

(श्री राज बहादुर)

तो जितने सोशियल ऑब्लिगेशन आपने दिये हैं, इसमें पैराग्राफ 20 से 30 तक आप देख लें-पैराग्राफ 30 में आते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को Mercilesly cut down, self militating.

कट डाउन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आइडियल बनें, तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है दूसरा आपके पास। आप कहते हैं सैल्फ कन्ट्राडिक्टरी और सैल्फ मिलिटेन्ट्ली ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें आप चाहते कुछ है और होता कुछ है। मैं कहना चाहता हूं जो सात दिशाएं बताई गई हैं आपके द्वारा कि इस प्रकार ओवरड्राफ्ट आप कम करेंगे, पहले पेज पर दूसरे पैराग्राफ में, इसको क्रियान्वित करने के लिये क्या किया है आपने ? क्या इसको आप सोल्व कर सकेंगे ? किस प्रकार कन्ट्रोल करेंगे। दूसरा है, भयंकर बाढ़। शायद इस पर आप कुछ कर सकें, लेकिन वह भी नहीं कर सकेंगे। महंगाई भत्ते का कारण आपने एक जगह दिया है, और बड़ी चतुराई के साथ दिया है.......

श्री चन्दनमल बैद : चतुराई के तो कायल हो गये।

श्री राजबहादुर : चतुराई का इतना ही कायल हूं कि वह दिखावटी चतुराई है। थोक मूल्य सूचकांक–यह पैराग्राफ of है, आपका। आपने कहा है, वर्ष 1979 की तुलना वर्ष 1980 के औसत थोक मूल्य सूचकांक में 16.37 प्रतिशत की वृद्धि रही है और आपके राज में, शायद आपका ही राज था वर्ष 80–81 में, वह शुद्ध हो गया 15.16 – अब आपने इस बात को बिलकुल गुम कर दिया कि 1979–80 के बीच 16.37 हुई थी और उसके आगे हो गया 116.37, 116.37 इसका 15 6 होता है और वह जाकर बैठता है 17.64 और टू बी एडज[illegible].386 तो असली जो सूचकांक बढ़ा थोक का वह तो छोड़ दीजिये। 62–63 देख लीजिये –62–63 में तो कन्जूमर प्राइस इंडेक्स है दिसम्बर, 81 तक का 64–65 में शायद है थोक है या उल्टा कर दिया। हां, 62–63 में होलसेल है। आप इन्डस्ट्रियल रॉ मैटीरियल देख लीजिये, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप देख लीजिये। जहां 1979 में, क्योंकि आप इसे ही फाइनेन्सियल ईयर मानते हैं 33.5 वह 547.4 हो गया 81 के ऐन्ड में। इसी प्रकार इन्डस्ट्रियल रॉ मैटीरियल में आप देख लीजिये 421 से 567। इसी प्रकार पावर है मैन्यूफैक्चरिंग गुड्स है, किसी में अनुपात नहीं है। जहां तक कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स है, वह इसी को रिफलेक्ट करता है इसलिये मैं कहूंगा इस तरह से कोई लाभ होने वाला नहीं है और इससे जो रीयल इकानामिक ग्रोथ है या इकानामिक डवलपमेंट है या इकानामिक स्टेबलिटि है, वह आने वाली नहीं है।

हमें देखना यह है कि एक के बाद एक बात करूंगा-एक अनोखी बात तो है ही। रेवेन्यू हमेशा सीड सप्लाई करता है, बीज देता है ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : बातें नहीं करें।

श्री राजबहादुर : कैपीटल इन्वेस्टमेंट के लिये - रेवेन्यू बीज देता है कैपीटल इन्वेस्टमेंट के लिये और आपका रेवेन्यू डेफिसियट है। आप रेवेन्यू डेफिसियट को मीट करेंगे केपिटल इन्वेस्टमेंट से। जो कैपीटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यही वजट के दिवालि[illegible]ी दूसरी निशानी है। इस पर अभिमान कैसे कर सकता है राजस्थान का कोई नागरिक, राजस्थान का विधायक जहां पर कि आप रेवेन्यू से कुछ निकाले उल्टा यह हो रहा है No such money for capital.

इसके अतिरिक्त मैं थोड़ी सी बात आपको कहना चाहता हूं, आपके भाषण के सम्बन्ध में। जहां तक पैराग्राफ 528 है— आपकी मुख्य उपलब्धियां हैं, उसमें मुख्य उपलब्धियां हिस्टीरियो टाइप है जो गर्वनर भाषण में है और जो वाद-विवाद के उत्तर में मुख्य मन्त्री जी ने कही, वही आपने कही हैं। उसमें एक चीज की तरफ़ संकेत करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, जवाब दे दीजिये। आपने कहा है कि 83342 भू-खण्डों के पट्टे दिये गये हैं देहाती इलाकों में। मैं जानना चाहता हूं आर. सी. पी. एरिया जो है आपका राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का, उसमें मुरब्बे दिये जा रहे हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को या भूमिहीन किसानों को। मुरब्बे किसको बेचे जा रहे हैं ? मेरी सूचना यह है कि एक मुरब्बे की कीमत 1.35 लाख है। एक मुरब्बे में 25 बीघा होते हैं और एक बीघा में 3025 यार्ड होते हैं, तो एक मुरब्बे की कीमत अगर आर. सी. पी. में है और है भी आपके घोषित प्रोग्राम की—वहां पर कुछ जमीनें बेचेंगे और कुछ साधन जुटायेंगे लेकिन कहीं उसका कोइ हवाला इसमें नहीं है। मुझे बता दीजिये आर. सी. पी. की क्या हालत है आर. सी. पी. में कैसे मुरब्बे बेचे जा रहे हैं। इसके बाद उदाहरण के रूप मे मैंने कहा है टीका टिप्पणी में तो नहीं जाना चाहता हूं, बहुत समय लग जायगा। हां, लेकिन पैराग्राफ 8 देखिये जहां पर आपने पावर जनरेशन के फिगर्स दिये हैं। पैराग्राफ 8 मुझे पता नहीं है राजस्थान में सचमुच इतनी बिजली पैदा होती है क्योंकि आपने इसमें लिखा है, मुझे तो केन्द्र के फिगर्स मालूम हैं। केन्द्र में 50 में 2500 मेगावाट थी और अब है 31 हजार मेगावाट।

श्री चन्दनमल बैद : एम. यू. है— मिलियन यूनिट।

श्री राजबहादुर : देखिये आपने मेगावाट लिखा है। आप भाषण देख लीजिये न ? आपके भाषण पर ही तो जाऊंगा। आपने लिखा है 4417 मेगावाट 1981........

(व्यवधान)

खैर, आपने करैक्ट कर लिया है। एम. यू. है तो ठीक है। एम. यू. की बात हो गई लेकिन फिर आप एम. डब्ल्यू. नहीं लिखते You should stand corrected and apologise to the House.

(श्री राजबहादुर)

मुझे ताज्जुब हुआ कि हमारी आबादी जो है वह हिन्दुस्तान की आबादी का बीसवां हिस्सा है। 31 हजार में से बीसवां हिस्सा लें, तो डेढ़ हजार मेघावाट हमारे हिस्से में आयेगी लेकिन आपने तो लिख दिया 5106 मेघावाट

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मिलियन किलोवाट........

श्री राजबहादुर : ठीक है, वह आपने कर दिया।

श्री चन्दनमल बैद : आपके इंजीनियरिंग वर्ड में एम. के. एच. डब्ल्यू. है।

श्री राजबहादुर : वह तो हवर हुआ और इसमें मेगावाट लिखा है। अपोलाइज करना चाहिये हाउस से।

मैं तो हैरत में रह गया कि अपने यहां 5106 मेगावाट बिजली मौजूद है, फिर हमारे किसान भाई, हमारी इन्डस्ट्रीज रो क्यों रहे हैं। बेचारों को मिलती क्यों नहीं हैं ?

छठी पंचवर्षीय योजना में, इसमें आपने कहा है पैराग्राफ सेकेन्ड है 1980-81 में योजना व्यय 333.10 करोड़ था और 1980-81 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 459.78 करोड़ है। यह तो आपने यहां लिखा है। मैंने एक सवाल किया था और उसका जवाब भी मेरे पास आ गया। मैंने पूछा था कि 80-81 में योजना राशि में से दिसम्बर, 81 के अन्त तक कुल राशि का कितना भाग उपयोग में आया है और कितनी राशि अब तक इस वर्ष के अन्त तक आ जायेगी। जवाब में आया वर्ष 1981-82 की योजना में दिसम्बर के अन्त तक 201 करोड़ रुपया या उसमें वगैरह वगैरह आयेंगे और 305 के करीब और खर्चा हो जायगा। यह 204 करोड़ हो जायगा लेकिन मैंने 81-82 के संशोधित अनुमान दिसम्बर तक के पूछे थे। 359 करोड़, 459 करोड़ था ही नहीं अगर यहां पर 459 था भी, तो उसमें से आपने 201 करोड़ खर्च किया है। ये कैसे कह दिया कि 459.78 करोड़ रुपये, ये आपका ही सवाल है और इसका नम्बर और बता दूं ताकि आपको कोई कटिनाइ न हो। ये शायद दिनांक 5 को पूछा गया और पांच मार्च को प्रश्न संख्या 145 है, इसको देख लीजिए। आपका ही डिपार्टमेन्ट है, दोनों ये आंकड़े है, दोनों में से कौन सा आप पसन्द करते हैं, ये पसन्द करके आप बता दीजिए। एक आपने अतिरिक्त संसाधन की बात कही कि अतिरिक्त संसाधन हैं, मैं कहूंगा कि किसी भी पैराग्राफ में मुझे प्रोविजन नहीं मिलामैं उसको........ What should I say ?

इसमें आपने लिखा है कि आपको कहा गया था 750.7 करोड़, ये मैंने एक सदन में प्रतिवेदन में निवेदन किया था कि सिक्स्थ प्लान में आपको इतना रुपया ये इकट्ठा करना है। आपने कहा 477.47 करोड़ का

(श्री राजबहादुर)

सो हमने कर लिया और हमें करना बाकी कितना है-277.23 करोड़ और 2 सालों में कितना हुआ है ? आपने खुद ही कहा है कि 80-81 [illegible]69, 81-82 में 55.69, आपका कुल होता है 72.85 और इसको 277 में से घटा दें, तो इसका आप बता देंगे। कुल आपको 670 करोड़ के ऊपर और इकट्ठा करना है, कम से कम 670-680 करोड़। आप चाहें तो आंकड़े दे सकता हूं लेकिन केलकुलेशन से कोई फायदा नहीं समझता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जहां ये चीजें हैं, ये तब है जब आपने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया, यात्री किराया बढ़ा दिया, मद्य निषेध कर दिया, यात्री कर बढ़ा दिया है। यात्री कर के बारे में एक और कह दूं, आपने अपने भाषण के अन्त में एक विचित्र बात कही है कि आप यात्री कर को और गुड्स एण्ड पैसेन्जर टैक्स को मिलाने की बात कही हैं, इसको व्हीकल्स टैक्स के साथ कम्बाइन्ड करने से 4 करोड़ रुपये उसमें मुनाफे का होगा। अगर आप पैसेन्जर टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, गुड्स टैक्स बढ़ा नहीं रहे है, मोटर व्हीकल टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं तो 4 करोड़ एक्स्ट्रा कैसे हो जायेगा। How will it happen ?

ये कैसे क्या, पता नहीं जादू की लकड़ी है।

श्री चन्दनमल बैद : हां है।

श्री राजबहादुर : जादू की लकड़ी है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : ओवर ड्राफ्ट उसी से जायगा, उसी जादू की लकड़ी से।

श्री राजबहादुर : खैर, मगर क्लियर बात ये है, अगर जादू की लकड़ी है, तो खुदा के वास्ते हमको भी बता दें कि जादू की लकड़ी क्या है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : है यहीं वह इन्दिरा गांधी के पास है, इनको कह रखा है।

श्री राजबहादुर : इन्दिरा जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, थोड़ा सा कहूंगा,

(2.03 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बड़े अदब के साथ। आपने देखिये, आई. एम. एफ. का दबाव होगा, चाहे कहीं का हो, आपने प्रधान मन्त्री की बात कही तो मुझे 2-3 बातें उस सन्दर्भ में याद आ गयीं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये कहना चाहूंगा कि जब से ये प्रधान मन्त्रीजी और नयी सरकार आयी है, नया शासक दल आया है, सन् 80 से, एक विचित्र घटना हुई है, जो हमारी मानी हुई, जानी हुई नीतियां थीं, हम कमिटेड थे We were committed to socialism. जिसमें वे फेमस वर्डस।

(श्री राजबहादुर)

The Public Sector shall keep the commanding heights.

ये सब हैं उनके.........

श्री यदुनाथ सिंह : They have forgotten that.

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : The Public Sector has totally failed.

श्री राजबहादुर : Because the workers have been ignored. They can work. I have got that much faith. But if the bureaucrates cannot do that, then it should be entrusted to the workers.

खैर। ये कहना है कि हम उसका सारा मुनाफा ले लें। आपकी ही बात कह चुका हूं कि इसका मतलब ये है कि आपने डेलीब्रेटली अपनी पॉलिसी रिवर्स करने का तय कर लिया। आपने जुलाई, 1980 में एक इण्डस्ट्रियल पॉलिसी कायम की।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आपने ध्यान नहीं दिया उस वक्त में।

श्री राजबहादुर : मेरे दोषों का भी आपको ध्यान आ रहा है, मेरे दोषों के लिए आप मेरा इम्पीचमेंट करा दीजिए। मैं तैयार हूं, फेस करने को। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, राजबहादुर ने गलती की या चन्दनमलजी ने गलती की या चतुर्वेदीजी ने की या शोभारामजी ने की, ये इर्रेलेवेन्ट बात है, रेलेवेन्ट बात ये है कि क्या नीति हमने अपनायी ? नीति अपनायी थी कि हमारा पब्लिक सेक्टर हाइट पर रहेगा, कमान्डिंग हाइट पर रहेगा और वह कमान्डिंग हाइट खत्म हो गयी। सन् 80-81 में खत्म हुई, उन्होंने इण्डस्ट्रियल पॉलिसी रिजोलूशन, जो जुलाई, 1980 में आप[illegible] द्वारा पब्लिक सेक्टर को एम. आर. टी. पी. खत्म हो गया, जो रेस्ट्रेकटिव मॉनोपोली एण्ड रेस्ट्रेकटिव कन्स्ट्रक्शन एक्ट था, कानून था, वह चला गया। एक ये था कि कोई भी प्राइवेट सैक्टर जो कर्जा लेते हैं, वह 40 पर्सेन्ट से ज्यादा इक्विटी शेयर नहीं रख सकता, वह भी चला गया। अब इन्दिराजी का स्वयं का लोकसभा में भाषण हुआ है, प्रधान मन्त्री की हैसियत से कि इण्डस्ट्रियल पॉलिसी चेंज तो हमारी जरूरी हुई है और अब जो को-सैक्टर है, को-सैक्टर में से डिफरेन्ट इण्डस्ट्रिज आती हैं, स्टील आता है, कोल आता है, पैट्रोलियम आता है, इस को-सैक्टर में भी अब प्राइवेट सैक्टर जा सकता है और प्राइवेट सैक्टर ही नहीं फारेन नेशनल भी जा सकता है, फारेन कैपीटल भी आ सकता है। अब ये फारेन कैपीटल अगर को-सैक्टर में आता है तो हमारे बेचारे मुख्य मन्त्री बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, शिवचरणजी, उनकी अगर कान्सेस हिल गयी होगी, अब क्या होगा। लेकिन क्लियर बात ये है कि जितनी पॉलिसी आपकी थीं आपने कम्पलीट रिवर्सन किया है और मैं कहता हूं, ये देश के साथ और देश की गरीब जनता के साथ गद्दारी है, इससे कम कुछ नहीं हैं। कम से कम आप अपना

(श्री राजबहादुर)

मुंह तो बचाकर रखते कि इस काम को करना था तो करते। अच्छा एक फिर किस पर रिलायन्स है, [redacted]स ये है कि हमें वे दे देंगे, क्या दिया उन्होंने ? आपने डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में छोड़ा हुआ है, मैं बार बार कह चुका हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने इस भाषण में कुछ नहीं किया। आपने एक संकेत नहीं दिया है कि जो सबसे बड़ी जलती हुई समस्या है, बेरोजगारी की और जलती हुई समस्या है, राइस आफ प्राइसेस, इन्फ्लेशन की, एक एक स्टैप बता दीजिए जिसमें ये इन्फ्लेशन पर इस बजट के जरिये प्राइसेस पर कन्ट्रोल करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सारी जनता को बड़ी निराशा होगी, जनता हताश होगी, लाचार होगी। आप कहते है, आपने कहा आप खुश हैं कैसे खुश हों, न किसान खुश है आपसे, न उद्योगपति खुश है, न कर्मचारी खुश है, न मास्टर खुश है। किसको फायदा पहुंचा है ? आपकी इससे स्ट्रेटेजी क्या है ?

(व्यवधान)

विधायकों के बारे में नहीं कहूंगा वे सम्मान के योग्य हैं, वे जो कुछ कहें, वह थोड़ा है। इसलिए उनके बारे में कुछ कहना तो बर्र के छत्ते में हाथ डालना है इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जो पुरानी नीति रीति हमारी थी, हमारी आपकी दोनों की मिली जुली, उसको तो मत भूलिये। आज आपने को-सेक्टर कर दिया इसमें। फिर एक और नयी प्रथा चली है, आपने चलायी है। यहां आपने ही चलायी, अगर आपने नहीं चलायी होती तो जिक्र नहीं करता। बजट पीछे आता है, बजट के पहले टैक्स आता हैं, कहीं पिछले साल की बात है फर्टिलाइजर के भाव बढ़ गये, बढ़े कि नहीं बढ़े ? पैट्रोलियम के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, फिर कोल के भाव बढ़े, स्टील के भाव बढ़े, सीमेन्ट और रेल के भाव बढ़े। सब चीजें बढ़ गयीं तब बजट आया। अब की बार भी लगभग वही हुआ। और तो और खाने के तेल को भी नहीं बख्शा। 192 रुपये का 16.5 किलोग्राम का टीन आता था, उसकी कीमत 217 हो गयी, कन्ट्रोल है 217 और फिर क्या किया आपने सीमेण्ट भी डुअल कन्ट्रोल में है और शुगर भी डुअल कन्ट्रोल में है, राजस्थान के लोगों को महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीमेण्ट तो एक तरह से गायब हो गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार की भी डुअल पर्सनेलिटी है।

श्री राजबहादुर : सरकार की डुअल पर्सनेलिटी नहीं, डुअल प्रोफेशन्स हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते हैं कि सोशिलिस्ट प्रोग्राम को हमने छोड़ा नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी कान्सेस गवाही नहीं दे रही है, कहते हुए लेकिन है निश्चित बात। इसके बिना मैं नहीं कहता लेकिन बिना सोशलिज्म के आइडिये के और बिना कम्पलीट चेंज

(श्री राजबहादुर)

आफ सोसाइटी के हमारा और देश का उद्धार नहीं है, अगर देश का आप उद्धार चाहते हैं। आपने टैक्स लगाये हैं, बिजली के, मैं थोड़ा-सा उसका भी सुना दूंगा, बिजली पर टैक्स लगाये हैं—बिजली पर टैक्स लगाया, सेल्स टैक्स कहीं पर विदड्रा कर लिया। नए उद्योगों पर कहीं कुछ किया हैं। एक बात मेरी सुन लें, आपका जो विदड्रावल आफ सेल्स टैक्स है, नए उद्योग जो बाहर से रा-टेमैटीरियल लाते हैं कहीं से।

does it effect Shri Ram Mills? Are they effected by Purchase Tax? Are they affected by Sales Tax?

जहां तक मुझे मालूम हुआ है श्रीराम फर्टिलाइजर, जे.के. रेयन्स, हिन्दुस्तान कॉपर यह पब्लिक सैक्टर की हैं, हिन्दुस्तान जिंक कह सकते हैं, सीमेन्ट फैक्ट्रीज, टैक्सटाइल मिल्स, इन सब के सब पर परचेज टैक्स लगाता है। टैक्सटाइल मिल की तो कहता नहीं हूं लेकिन इन सब पर परचेज टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है, वह यहां पर नहीं बल्कि डिपो का डिपो ट्रांसफर हो जाता है। बनता यहां है और ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ? आप बड़े पूंजीपतियों से कतई कुछ कहना नहीं चाहते। उन पर लगाते उनको कहते कि अगर यहां से ट्रांसफर करोगे, तो जो माल बनाया जायगा उस पर इतना टैक्स लेंगे। आज हो क्या रहा है? नतीजा उसका यह हो रहा है कि छोटों पर उसका भार बढ़ रहा है।

जोधपुर में आपने पिछले लग भग चार वर्षों में मुझे सूचना मिली है, लगभग 600 कारखानों के लिए ऋण दिया। छः सौ क[redacted]में से आज चार सौ कारखाने लगभग ठप्प हैं। चार सौ में एक सौ आदमी मुलाजमत करें, तो चालीस हजार आदमियों की नौकरियां गईं। 25 टैक्सटाइल मिल ठप्प हैं। उनको चेताने के लिए क्या कर रहे हैं? इस तरफ तो अलवर में जाकर, शायद शोभारामजी गवाही देंगे या जयकिशनजी दे दें या घासीरामजी दे दें, यह घोषणा होती है कि हम इन्डस्ट्रीज चाहते हैं, आयें। अब इन्डस्ट्रीज के लिए मैटीरियल पर पांच साल की छूट थी वह खत्म कर दी। अब नई इन्डस्ट्रीज को भी रा-मैटीरियल के लिए टैक्स देना पड़ेगा। बिजली के भाव बढ़ा दिए। कैसे आवेंगे? क्या इंसेंटिव है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और तो और कर्मचारियों की कुछ मांगें थीं। कर्मचारियों को कह दिया कि भाई आप कर्त्तव्य का वहन करें।

I wish you had not gone into that. That homily did not go home with those people. That homily went 'phut' if I may say so.

क्योंकि इन बेचारों की तबाही है। इस बढ़ती हुई महगाई को रोक नहीं सकते। कुछ राहत मिली होती तो हम जानते। यह

(श्री राजबहादुर)

कैसी दोस्ती है यह कैसी दोस्ती है, बना हूँ दोस्त नासेह- यह गालिब का है,

"यह कैसी दोस[redacted]ना है दोस्त नासेह,
कोई चारा-साज होता, कोई गम गुसार होता,
कोई हमारे दुख में शरीक होता।"

(व्यवधान)

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : हम तो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं।

श्री राजबहादुर जी ?

श्री यदुनाथ सिंह : उनका नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : इनको अधिकार नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी का नाम लेने का। बेचारों की तो हत्या कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : वाहरे चरणसिंहजी !

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हम नाम नहीं पुकारते इस तरह से।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.... आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : मैं कह रहा था कि बिग बिजनेसमैन को कन्सेशन देने से क्या मतलब है ? अगर देना था तो छोटे आदमियों को देते। आपने सिंचाई के ऊपर पच्चीस पर्सेन्ट बढ़ा दिया। बहुत अच्छा होता पहले आप बताते कि भाखड़ा के अन्तर्गत जो किसान आते हैं, जिनको सिंचाई मिलती है, उनका प्रति एकड़ इतना खर्च होता है। राजस्थान एरिया में इतना खर्चा होता है, भरतपुर एरिया में इतना होता है और किसी एरिया में इतना नहीं होता है, माही एरिया में इतना खर्चा होता है। इतने खर्चे में रेट हमारी यह है और उनको इतनी छूट देते हैं। उनको छूट दे दो। एक बात और कहते, तुम्हें बिजली मिलती है। बिजली के लिए हम कम से कम एश्योरेंस देते हैं कि एट्टी पर्सेंट तो मिल ही जायगी। ये दो तीन बातें करते। आपको बिजली की कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जहां तक सिंचाई की दर की बात है उसमें घोटाले के अलावा कुछ नहीं है।

एक दो बातें और कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं और ज्यादा चढ़ाना नहीं चाहता। आपने कहा है, पावर के बारे में दो तीन बातें आपको कह दूं। पावर के बारे में जो भी आपने कहा है,

(श्री राजबहादुर)

सतपुड़ा के बारे में, वह जब पावर पर बहस होगी उस दिन कहूंगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। आपके पास पावर जनरेशन के स्रोत नहीं है लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, स्रोत नहीं हैं, तो उसका इलाज भी करना चाहते हैं या नहीं? एटॉमिक पावर स्टेशन जो आपका है, आर.ए.पी.पी. उसकी पहली यूनिट ही चल रही है, वह भी सिक है। ये दोनों ही सिक हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : पहला तो बन्द हो गया।

श्री राजबहादुर : सेठना साहब आ रहे थे इसलिए बन्द हो गया। सेठना साहब आ गए, चले गए आकर। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि जो कैनेडियन रिएक्टर वहां पर है, वह कम्पलीट फेल्योर हमारे यहां पर ही नहीं बल्कि आल ओवर दी वर्ल्ड है। कैनेडियन रिएक्टर वहां पर लगा है, उसकी कीमत शायद चालीस करोड़ होगी, अब शायद सौ करोड़ हो लेकिन वह काम नहीं दे रहा है। एक बात सोच लिजीए कि उसको जब सारी दुनियां ने रिजेक्ट किया है तो आप किस उम्मीद पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हैवी वाटर का सम्बन्ध है, हैवी वाटर मिलता नहीं है। एक यूनिट को 230 टन चाहिए और सारे देश भर में सिर्फ नांगल में पैदा हो रहा है, जहां साल में 14 टन पैदा होता है। बाहर से आयेगा, तो उस पर सिक्योरिटी कास्ट लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगेगी। एक किलो का 1400 रुपया कीमत है हैवी वाटर की। इस डी. टी. ओ. का, इस डिटोरियम ऑक्साइड का....

श्री यदुनाथसिंह : अब तो 3200 हो गया है।

श्री राजबहादुर : नहीं बत्तीस सौ नहीं है। दुबारा कास्ट लगाया है। दो हजार किलो का होगा तो एक टन कितने का होगा और 230 टन कितने का होगा।

श्री चन्दनमल बैद : हजार से गुना कर लीजिए।

श्री राजबहादुर : मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि इसके अलावा बड़ौदा में, टूटीकोरियन में और सब जगह फेल्योर हुआ है और जरूरत इस बात की है कि और कोई सोर्स हों, आल्टरनेटिव सोर्सेज हों। आपकी हिम्मत है प्रोटेस्ट करने की। आप प्रोटेस्ट कीजिए। जो वहां पर मैनेजर हैं, जब से शायद बना है तब से ही मौजूद है। उसमें। जो लेबर यूनियन्स हैं उनके लीडर हैं वह कभी चल भी जाता है तो, माफ कीजिए, वे चलने नहीं देते। कुछ न कुछ गडबड पैदा हो जाती है। हैवी वाटर के लीकेज होते हैं। इन सब बातों को देखते हुए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इतनी मांग कर लीजिए कि फ्रेश मैनेजर गुड कम। इनके अन्दर भाई भतीजावाद फैलाया हुआ है। मैं छोटी बातों में जाता नहीं हूं लेकिन जो शिकायतें वहां पर लोगों को मिली है, भाई भतीजावाद इतना है कि पूछिये मत।

(श्री राजबहादुर)

कोई हैं मिस्टर, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है लेकिन हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या क्या हैं लेकिन [redacted]र्वो वे ही हैं। उनको शायद बरसों हो गए हैं। आप गवर्नमेंट आफ इण्डिया से यही मांग कर लीजिए कि आप राजस्थान के खातिर, पावर के खातिर इनको बदलें। स्टाफ यूनियन को बदलें। स्टाफ यूनियन के जो कर्त्ताधर्ता हैं उनको हटायें। आपके इण्टक के ही हैं, दूसरे सीटू के हैं। जो भी हों इसमें कोई नहीं होना चाहिए। मैं पावर के बारे में कहूं कि एक बार सी. एम. साहब ने कहा कि गैप है, कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट में और सन् 81-82 में 138 मेघावट होगी और 8-- -- में बढ़ कर 421 मेघावाट हो जायेगी। And by the year 2000, it will be 2000 meg awatt.

ये उनके खुद के वर्ड हैं। मुझको पता नहीं है क्या योजनायें आप सोच रहे हैं जिनके जरिये से इसको आप मीट करेंगे। क्या कोई संकेत है आपके बजट में, आपके भाषण में ? आपने कहा कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे लेकिन जो गैप आपके सामने है उसके लिए प्रोग्राम क्या है ?....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : न्यूक्लियर प्लाण्ट है।

श्री राजबहादुर : अब मैं इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता। सिक्स्थ प्लान, जैसा कि आपको मालुम है, कल भी कहा है— because of constraints, it has already been cut down, slashed down, from 35,000 megawatt to 17,500...

वह तो पहले हो चुका है। दो साल निकले हैं, उसमें चालीस पर्सेंट पहले ही डिडक्शन है। ऐसी हालत में आगे क्या हो जायगा। इंसटाल्ड कैपेसिटी में, बता चुका सारे देश की बहुत तरक्की हुई है इसमें कोई शक नहीं, तेईस सौ मेगावाट से 31 हजार मेगावाट। आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 17 हजार भी आगे बढ़ी हैं, जैसा उनका दावा है, तो बहुत कुछ राहत मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपको आर. ए. पी. पी. के बारे में और कहना चाहता हूं। एक फिजूल का सा खर्चा और बढ़ा लिया है आर. ए. पी. पी. पर। वह यह है कि चाहे मजदूर काम करें या न करें ओवर टाइम सुन लीजिए, साहब, कोटा से आते हैं वे खास तौर से, मजदूर काम करें, चाहे न करें, उनको चार घण्टे का ओवर टाईम मिलता है। इनका खर्चा प्रतिमास दो लाख रुपया है। दो लाख प्रति वर्ष है यह प्रति माह है लेकिन दो लाख रुपया है। मजदूरों के खिलाफ कुछ कहना यह आजकल ऐसा लगता है कि जैसा बड़ा भारी गुनाह कर रहे हैं। मैं मजदूरों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं लेकिन आप देश भक्ति की अपील कर्मचारियों से करते हैं, तो आप इन लोगों से भी करिये। एक बात

(श्री राजबहादुर)

जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी दरों के ऊपर जब बहस हुई भैरोंसिंहजी बोले तो श्री चन्दनमलजी बड़े मुस्करा कर बोले कि यह XXX है। मुख्यमंत्री कहने लगे XXX है। XXX तो हैं आपका कुनबा भी नहीं है। पता नहीं आपके आन्तरिक कितने झगड़े है।

श्री चन्दनमल बैद : हम तो एक शरीर हैं सब, एक शरीर।

श्री यदुनाथ सिंह : महत्वहीन हैं सब।

श्री राजबहादुर : चाहे उड़ीसा हो, चाहे केरल हो ? चाहे वह महाराष्ट्र हो, एक जगह बता दीजिये जहां आपके झगड़े नहीं हों।

श्री चन्दनमल बैद : आप भी एक जगह बता दीजिये, जहां आपके झगड़े नहीं हों।

श्री राजबहादुर : देखिये, हमारे झगड़े नहीं होते तो वहां बैठते ना। आपके झगड़े हैं, इसलिये आप झगड़ों को संभालें।

There is time for you to patch up.

श्री चन्दनमल बैद : आपको खुश होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ना, खुश नहीं होंगे।

श्री राजबहादुर : मैं खुश नहीं होऊंगा। पुराना आदमी हूं खुश कैसे हो सकता हूं। आप जानते हैं इस बात को। एक बात और आपने [redacted]राव वालों पर रियायत। अब तक आवशन होता था, आवशन बनाने वाले यही चन्दनमल जो थे, हमारे वित्त मंत्री। अब यह चाहते हैं, एक्सक्लूजिव प्रिविलेज। यही शब्द है ना ? एक्सक्लूजिव प्रिविलेज, ठेकेदार। मतलब क्या है ? कुछ नीयत में फर्क आया है क्या, भाई ?

श्री चन्दनमल बैद : आपकी सोहबत का असर हुआ है।

श्री राजबहादुर : मेरी सोहबत का असर होता तो यह होता ही नहीं। मेरी सोहबत में बात कुछ और होती। यह बात तो आती ही नहीं। यह मैं दावे के साथ कहता हूं आप दिल पर हाथ रखकर सोच लें, आती कि नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : बरसों आपके साथ बैठा हूं।

श्री राजबहादुर : तब तो असर नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है ठेकेदारों के चक्कर में आ गये। लेकिन वही है, घुण तो और कहीं लग गया, आप कैपीटलिस्ट इकानामी में विश्वास करने लग गये। आप कैपीटलिस्ट इकानामी की तरफ जा रहे

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजबहादुर)

हैं। आपने सोशलिज्म का साथ छोड़ दिया है। गरीबों का नारा, माइनोरिटी का नारा आपके लिये नारा मात्र है।

प्रोडक्टीविटी ईयर एक नया नारा है। 20 सूत्र. 20 संकल्प का नारा सफल हो जाय तो बड़ी खुशकिस्मती है। इस देश की खुशकिस्मती है, अगर 20 सूत्र सफल हो जाय।

श्री चन्दनमल बैद : सहयोग कीजिये आप।

श्री राजबहादुर : लेकिन प्रोडक्टीविटी के लिये क्या किया है? आपका बजट प्रोडक्टीविटी ओरियेन्टेड है क्या? आपका बजट प्रोडिक्टीविटी ओरियेन्टेड नहीं है। यह सब तो निरोध लेते हैं फेमिली प्लानिंग में, यह सब प्रोडिक्टीविटी निरोधक बजट है। यह तो प्रोडिक्टीविटी के ऊपर निरोध का काम करेगा। इसलिये निरोधक कहिये चाहे निरोध कहिये।

(व्यवधान)

मैं तो कह रहा हूं, यह सब बात। उनकी ऐज हो गयी, निरोध की क्या आवश्यकता है।

खैर, मैं ज्यादा न कहकर इतना कहूंगा, आपने 5 हजार मिलियन का आई. एम. एफ. का लोन लिया है, आपके बजट पर भी उसका असर पड़ेगा। प्रि-बजट में जो चीजे हैं वह मैंने आपको बता दीं। मैं इन शब्दों के साथ आपसे विनति करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इस पर फिर से सोचें और इसकी गलती स्वीकार करें।

एक बात और है, मैं इसको इनकोंसिस्टेन्सल बजट कहूं, क्योंकि 340 करोड़ का सवाल तो आपने कहीं रखा ही नहीं। 340 करोड़ का जो ओवर ड्राफ्ट है, उसका कोई हवाला है इसमें?

Is your financial statement is a complete statement? Have you not defied and villated the provisions of Article 202 deliberately?

इसलिये इस हालत में यह बजट पास होने लायक नहीं है। कांस्टीटयूशनली लायक नहीं है। आप लॉयर हैं, मैं आपको दुबारा पढ़कर सुनाऊं उस प्रोविजन को? पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्लियर यह है जो डेट है, डेट चार्जेज हैं, उनको स्पेशियली मेन्शन किया जायगा। "shall be mentined...

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब जुबानी याद है, इनको, पूरा कांस्टीट्यूशन।

श्री उपाध्यक्ष : आपको वकालत की जरूरत नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : हम जानते हैं खुद।

श्री राजबहादुर : पब्लिक अण्डरटेकिंग के बारे में एक शब्द कह दूं। सचमुच उनको लाभ देना चाहिये जो उन्होंने हील

(श्री राजबहादुर)

किया है । आपने कल कहा, समझ में नहीं आया । आपने कहां 10 करोड़ के करीब उसमें लागत है । फिर कहां 107 लाख....

श्री यदुनाथ सिंह : एक हजार 37 करोड़ ।

श्री राजबहादुर : एक हजार 37 लाख, बताये थे । उसका मतलब 10 करोड़ 37 लाख हुआ । 107 लाख मुनाफा बताया वह हो गया 10 पर्सेंट एक करोड़ का । आपने कहा, मुनाफा हुआ है 2 करोड़ । मैं डिसक्रिपेन्सी नहीं निकाल रहा हूं । इसको साफ कर दीजिये, इसका मतलब क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : समझ में फर्क है ।

श्री राजबहादुर : समझ में फर्क नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : वह नियोजन का था, उसमें पूछा था 81-82 तक के दिसम्बर तक का नियोजन पूछा था । आपने जो मुनाफा पूछा था वह आज तक नियोजन का था ।

श्री राजबहादुर : अच्छा यह बात है । आरम्भ से आज तक, आपने बड़ी चतुराई की ।

श्री चन्दनमल बैद : चतुराई नहीं की । आपने पूछा रिटर्न क्या आ रहा है । रिटर्न सारे नियोजन का दिखाऊंगा और उन्होंने यह पूछा था, यदुनाथ सिंह जी ने, आपके इस साल के दिसम्बर तक का नियोजन क्या है, उनको दिसम्बर तक का नियोजन बताया ।

श्री राजबहादुर : अच्छा एक बात और बता दीजिये । आपने फारेन लिकर और लिकर पर क्यों उदारता की ? क्यों बख्शा ?

श्री चन्दनमल : दूंगा जवाब मैं आपको ।

श्री राजबहादुर : दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, एक कार्टून निकला था अखबार में, उसमें यह निकला था XXX

Will you give the explanation of the cartoon. I only want to put that question.

आपने शायद देखा होगा ।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे तो इस बात का सम्मान प्राप्त है कि आपकाXXX

श्री राजबहादुर : लेकिन मैंने आपसे कुछ खाया नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : जब मैं किसीXXXकी बात करता हूं, वही आप मेरे साथ करते थे ।

XXX अभिव्यक्ति । शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Let us be Serious.

एक माननीय सदस्य : यह तो कल्चर की बात है, साहब।

श्री राजबहादुर : I am sereious. I ask what was the compelling reason to exclude XXX I have not been able to find that out. Why did he eave them, excepting that he drew his inspiration from ...

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट पर नहीं है। He is wasting time of the House.

श्री यदुनाथ सिंह : बजट में ही लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है माननीय सदस्य, आपका टाइम बहुत पहले खतम हो गया, लेकिन बुजुर्गो का खयाल है।

श्री राजबहादुर : मैं आपका अदब करता हूं, फौरन खतम करता हूं। लेकिन मैंने खाली पूछा था, वाकई इसको क्या वजह थी, XXX को आपने लिखा मुस्तना

(व्यवधान)

(व्यवधान)

खैर, मैं आशा करूंगा, आप इस बजट को वैधानिक बनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने राजस्थान का जो बजट पेश किया है, घिस मेरे चन्दन फिर पानी, घिस मेरे चन्दन फिर पानी। इन्होंने जो बजट पेश किया है वह बजट ही नहीं है। यह केवल पूंजीपतियों की तारीफ, पूंजीपतियों के पक्ष में उसको बचाने का XXX माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसमें कहा है कि बजट का 340 करोड़ रुपयों का ओवर ड्राफ्ट और इतना ही घाटा है और उसके रीजन बताये हैं, अकाल, बाढ़, राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्तों और अन्य भत्तों में बराबर वृद्धि। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ और अकाल कोई एक दिन या अनायास कोई घटना हो यह बात नहीं है। यह कांग्रेस सरकार आज 35 साल से राज में है, बीच में जनता पार्टी दो ढाई साल में आपस में, XXX की बात करते हैं, कुनबा सफल नहीं हुआ। वह सड़क पर आ गये, फिर मध्यावधि चुनाव करने पड़े। उनका भी बजट इस तरह का था। चाहे वह इधर बैठने वाली सरकार हो, चाहे यह वापस इधर आ गये, वह सरकार हो लेकिन, उपा-

---

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)

ध्यक्ष महोदय, किसी ने भी घाटे का स्थायी हल नहीं निकाला। मैं ज्यादा इनको दोष नहीं दे सकता क्योंकि इनको समय कम मिला। लेकिन 35 साल से कांग्रेस सरकार सत्ता में है और बजट बनाती आ रही है। राजस्थान नहर जिसको इन्होंने हाथ में ली, 75 में, 77 में, 78 में पूरी हो जानी चाहिए, वह आज तक पूरी नहीं हुई है। एक चरण भी पूरी तरह से कम्पलीट नहीं है। थोडा बहुत कम्पलीट है। उसके पीछे रख रखाव का उतना ही ज्यादा खर्चा होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुःख है इस बात का, सरकार वास्तव में किसानों को कुछ देना नहीं चाहती, यह राजस्थान की नहर को पूरा करना नहीं चाहती, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के इशारों पर यह सरकार राजस्थान की नहर को पूरा करना चाहती है। मैं कहना चाहूंगा कि इनकी मायूस छाया इस पर पड़ी हुई है। राजस्थान के वित्त मन्त्री जी पर असर पड़ा है, जो कहते हैं बजट पेश किया है। जिस तरह का बजट है, इस तरह का बजट राजस्थान के वित्त मन्त्री जी ने पेश किया तो मैं कहूंगा उनकी मायूस छाया बजट के ऊपर पड़ी हुई है। अकाल पड़ता है, जिसका हल इस सरकार सरकार के पास नहीं, न कोई योजना है। अकाल का स्थाई हल निकालने के लिए कोई योजना नहीं। जहां बाढ़ आती है, उसको रोकने के लिए कोई स्थाई योजना नहीं है। दूसरा, जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों के ऊपर, है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों के पास, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान या देश का कौन सा तबका है जो इनसे खुश है। राज्य कर्मचारी खुश नहीं, पुलिस के अधिकारी खुश नहीं, यहां तक कि इनके अन्दर बैठे हुए पार्टी के लोग भी खुश नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो खुश हैं ?

श्री मेघराज तावड़ : मैं कैसे खुश हो सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। तो, जो बजट पेश किया सारे राजस्थान की जनता के ऊपर मायूसी डाली है और सारे राजस्थान की जनता, खास तौर से गरीब जनता का दम घोटने वाला बजट पेश किया है। केवल पैसे वाले लोगों को खुश करने के लिए, उनके पक्ष का बजट बनाया है, चाहे बजट में देख लीजिये। फिर माननीय पहले मुख्यमन्त्री, वे ही वित्त मन्त्री थे माननीय पहाड़ियाजी, उन्होंने बिन्दी के ऊपर से टैक्स हटाया और चन्दनमल जी थोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने चूड़ियों पर से टैक्स हटाया और चूनरी पर से हटाया लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, गांव का गरीब आदमी चूनरी और चूड़ियां नहीं पहनता। गांव की औरतें लाख की चूड़ियां पहनती हैं। किस को खुश करने के लिए चूड़ियों पर से टैक्स हटाया ? माननीय चन्दनमलजी के घर में से भी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गांव की औरतें प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती हैं हाथी-दांत को समझ करके।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन उनका इतना असर नहीं पड़ा, दूसरे आम लोगों पर असर पड़ा है और बजट का जिस तरह से सराउंडिंग में, लमसम में गरीब जनता पर असर पड़ता [redacted] वैसा कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो केवल XXX खुश करने के लिए XXX कि चूनरी और चूड़ियें पर टैक्स माफ करते हैं या नहीं या केवल घर पर ही कहते हैं और यह इसकी क्रियान्विति करते हैं या नहीं। करते हैं इसलिये इन्होंने चूड़ियें और चूनरी पर टैक्स माफ किया और कहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : That is a concession to the fair sex.

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि माननीय चन्दनमल जी ने इसमें राज्य कर्मचारियों की कटौती और छटनी की बात कही जिससे कि उनका घाटा पूरा होगा। मैं उनको कह देना चाहता हूं, यह आपकी मंशा पूरी नहीं हो सकती। राजस्थान के लाखों कर्मचारी आपसे लड़ने के लिये बाहर आये हुए हैं, 15 तारीख को शिक्षक भी बाहर आयेंगे घरना देने के लिये और उनकों दे क्या रहे हो? आज हम उनको यह कहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहे राज्य कर्मचारियों की कटौती कर लीजिये, बेरी आयोग को लागू मत कीजिये लेकिन आपका महंगाई का सूचकांक सन् 67 से आज तक कितना बढ़ा है, अगर आप महंगाई को रोकने में कामयाब होते हैं तो मत दीजिये, हम नहीं कहते कि महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये। हम नहीं कहते कि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना आप देते हो, आप 10 देते हैं, महंगाई 50 बढ़ती है, आप 50 देते हैं, महंगाई 100 रुपये बढ़ जाती है। क्या करेंगे? मेरी और कर्मचारियों की बात नहीं, यह तो आप बाजार में नहीं जाते होंगे सामान लाने के लिये लेकिन आपके घर में बच्चे जाते होंगे, बाजार जाते होंगे तो उसकी मार सीधी आपके ऊपर भी है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने तो मान लिया कि मैं बाजार खरीदने नहीं जाता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : इसीलिये मैंने उनके लिये कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कि नौकर या और कोई जाते होंगे लेकिन सामान तो आता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कटौती करने की बात की है यह सरासर कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार और उनका गला घोटने की बात है। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी से कि इस तरह से जो बजट में कटौती की है उसे वापस लें। एक बात और है, कटौती करने की, अगर हिम्मत करते हैं आप, मैं ही नहीं कह रहा हूं आपकी ट्रेजरी बैंच के लोगों ने कहा कि जो बड़े-बड़े हाथी हैं, क्या आपमें हिम्मत है, उनकी फिजूलखर्ची बन्द करेंगे, उन पर कठोरतापूर्वक कार्यवाही करेंगे? आज एक अधिकारी जिसको कार की आव-

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)

श्यकता नहीं वह कार लेकर बैठा है। मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है, वह आदिवासी ट्राइबल सब-प्लान बनाता है पहाड़ों में रहने वाले लोग किस तरह से जिंदगी यापन करते हैं, कैसे उनका प्लान बनाया जाता है उनकी स्टडी करनी चाहिये वह नहीं करते उनकी कार या मिनी बस है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनका जाकर फर्नीचर देखा जाय, तो मैं दंग रह गया फर्नीचर देख कर, लाखों रुपया ऐश और आराम के लिये, लगा रखा है। मैं चाहूंगा चन्दनमल जी से कि ऐसे जहां आफिस हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के हों, ऐसे डिपार्टमेंट्स में लक्जोरियस चीजें खरीद करके करोड़ों रुपये का घाटा आपके अधिकारी दे जाते हैं। आज चाहे नमक, मिर्ची या दही लाना हो, चाहे बीवी को घुमाना हो, सरकारी कार जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम है कि पैट्रोल की सीमा बन्धी हुई है उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो जेब से पैसा देना पड़ता है।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें तो टूर बता दिया जाता है और कोई काम, मीटिंग बता दिये जाते हैं और डायरी भर दी जाती है। इसलिये ऐसी चोरियों को पकड़ने की कार्यवाही करें। उपाध्यक्ष महोदय, अब उत्पादन नहीं हो रहा है, आज बिजली की जिस तरह से कमी है, कितने छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग बन्द पड़े हैं। आज ब्यावर में जितनी छोटी-छोटी हाथ-कर्घा फैक्ट्री थी वह बन्द पड़ी हैं, लोग पलायन कर रहे हैं और आप कहते हैं उन पर टैक्स लगा दें। उनके ऊपर बिजली की दर क्या 4 प्र०श०-6 प्र०श० यह यूनिट बनाये गये हैं? मैं चाहूंगा छोटे कुटीर उद्योगों पर एक प्रतिशत बिजली की यूनिट नहीं ली जाय। बड़े-बड़े हाथी हैं—टाटा-बिड़ला उनके कारखानों पर लगाइये। आप घोड़े और गधे को बराबर रखना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आप उपलब्धियों की बात करते हैं। बहुत बड़ी बात की उपलब्धियों की। उपलब्धि क्या हुई वह आपके सामने है। उपलब्धि हुई है 56 प्र०श० जनता गरीबी की रेखा से नीचे है और आपकी योजना उसके बारे में कुछ नहीं। आप कहते हैं, 20 सूत्री संकल्प और पिछड़े को पहले 5-5, 6-6 परिवार एक-एक गांव से एक-एक पंचायत से लेकर, उधर मुड़ें, उधर 10 साल में गरीबी पूरी करने की बात कही गई है और वह ढाई साल में चले गये और आप 5-5, 6-6 परिवार एक एक पंचायत में चयन करेंगे, इतनी कुर्सी लम्बी रहने वाली नहीं है। आप सोच रहे हैं 6-6 परिवार लेकर कितने साल की योजना गरीबों की है, पूरी कर लेंगे ? कोई समाजवादी बजट बनाइये। समाजवादी रास्ता अपनाइये जैसा मैं कह रहा हूं, आपके साथी कह रहे हैं, आपके ट्रेजरी बैंच के लोगों की आवाज निकल निकल रही है समाजवादी रास्ते की, लेकिन आप समाजवादी बात भूल गये। अभी तो इधर बैठने वाले कहते हैं. वे गांधीवादी समाजवादी है और ये गांधीजी का नाम लेना भूल गये। उपाध्यक्ष महोदय, यह है क्या ?X

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई

(श्री मेघराज तावड़)

इ का बज० कभी राहत देने वाला हो ही न ीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : क्या करें आपकी पार्टी में आप एक ही बैठे हैं, वरना कुछ सोचते।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बताऊंगा अगले साल। हमारे जो सिंचाई मन्त्री हैं, वे भी और वित्त मंत्री हैं, वे भी किसान के बेटे हैं। हमने तो यह सोचा था कि किसान के बेटे किसान के लिये सोचेंगे लेकिन कौनसे बेटे ने बजट बनाया, उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब जानते हैं, इसलिये मैं कहना नहीं चाहता लेकिन किसान का सब जगह गला घोटा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे जो सिंचाई मन्त्री हैं, राजस्व मन्त्री भी हैं किसान के बेटे जो सामन्तों से लड़ने वाले हैं लेकिन आज सामन्तों की बगल में हैं, उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है इसलिये कुछ कर नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की दर जिस तरह से बढ़ाई है, किसानों पर 25 पर्सेन्ट। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी सिंचाई की दर और बिजली की दर जो बढ़ाई गई है, वह वापस लें। फ्लेट रेट को डबल किया गया है वह वापस लें। मैं चाहूंगा, वित्त मन्त्री जी इस बारे में सोचें। कौनसे किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। सिंचाई, बिजली की दर एक गंगानगर में रहने वाले हैं, बॉर्डर पर रहने वाला है और एक पहाड़ी इलाके में रहने वाला है अगर उसके पास दस बीघा जमीन है, तो वह बड़ा जागीरदार की तरह होगा। एक आदमी के पास आधा बीघा जमीन है, औसतन आधा बीघा तो उसके ऊपर भी वही दर होगी, वही बिजली की दर होगी, वही सिंचाई की दर वसूल की जायेगी।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह कैटेगराइज करें, बड़े किसान और छोटे किसान को। बड़े किसानों को केटेगराइज कर इसको वसूल करें और तो हो ही क्या सकता है। व्यवस्था बढ़िया है बिजली रात को दी जाती है, किसानों को। बिजली बोर्ड का जो चेयरमैन बिठा रखा है, साफ तौर से अखबारों में निकला है कि XXX राजगोपाल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नाम उनका राजगोपालन है।

श्री मेघराज तावड़ : राजगोपालन हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय। ऐसा व्यक्ति जो किसानों के साथ अत्याचार करता है, किसानों की समस्याओं को नहीं समझता है, ऐसे अधिकारी को हटाया जाना चाहिये। क्या कारण है कि लम्बे टाइम से यह बैठा है। यह अखबार में छपा है ऐसे लोग जो X X X ....

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 108

(108)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे आफिसर के खिलाफ जिसको यहां मौका नहीं मिल सकता है जवाब देने का, आपको उस पर चार्जेज लगाना उचित नहीं है।

श्री मेघराज तावड : यह अखबारों में आया है। राजस्थान सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है ? क्या वह किसानों की समस्या को समझते हैं ? और जो किसानों की समस्या को नहीं समझता है, वह किसानों के साथ हमेशा अन्याय करेगा, उनको समय पर बिजली नहीं देगा। उपाध्यक्ष महोदय, 25 प्रतिशत बिजली रेट बढ़ा कर क्या उसकी कीमत कोई किसान चुकाने की स्थिति में नहीं रहता है। इसलिये उपाध्यक्ष, महोदय, ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिये। कितनी बढ़िया बात है, बिजली की दर बढ़ा कर गरीबों को सताया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पलाना के ताप बिजली घर के बारे में जी. डी. आर. से बात चल रही है। मेरे ख्याल से उसका सर्वे भी हुआ है लेकिन आज तक पड़ी हुई है। कहां बिजली की कमी हो सकती है और कहां कमी नहीं हो सकती है, योजना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि....समय कम मिल रहा है मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा........

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मेघराज तावड : उपाध्यक्ष महोदय, चन्दनमल जी ने सिले सिलाये कपड़े पर, जो दस रुपये से कम हैं, उस पर भी टैक्स लगाया है। क्या उनको यह भी सहन नहीं हुआ ? छोटा आदमी, गरीब आदमी वही कपड़ा पहिनेगा, खरीदेगा, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि चन्दनमल जी इस टैक्स पर फिर से विचार करें।

सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण, कभी आपने समाज कल्याण के छात्रावास देखे हैं ? इसमें चन्दनमल जी ने यह बात कही कि नीड कम मेरिट के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई है। यह केवल ट्राइब्स के छात्रों के लिये है—यह मैं नहीं समझ सका हूं। आप अपने उत्तर में समझाइये। मुझे खेद है कि नीड कम मेरिट के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है लेकिन ट्राइब्स के छात्रों की छात्रवृत्ति भी बढ़े। या नीड कम मेरिट इसके लिये ही बढ़ी है ? एस. सी; एस. टी. के लिये छात्रवृत्ति बढ़ी है, 25 प्रतिशत बढ़ाई है। लेकिन 25 प्रतिशत जो छात्रवृत्ति बढ़ाई है वह काफी नहीं है। वह छात्रवृत्ति 1977 से अब तक है। महंगाई कितनी बढ़ी है, 100 रुपया बढ़ाया है वह काफी नहीं है।........

उपाध्यक्ष महोदय,........

(व्यवधान)

........आप सुनिये। एक बात के लिये चन्दनमल जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने

(श्री मेघराज तावड़)

मजदूरों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो न्यूनतम वेतन आपने बढ़ाया है ... ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : ....यह न्यूनतम वेतन आप कब से लागू करेंगे ? दूसरा, डाक्टर ओमप्रकाश कमेटी की रिपोर्ट है, उस सिद्धान्त के आधार पर, इसको महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने की नीति रखें, तो ज्यादा बढ़िया होगा, तब उनको फायदा हो सकेगा। महंगाई बढ़ती जायगी। इसलिये मंहगाई भत्ते के साथ न्यूनतम वेतन को जोड़ा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति के बारे में शुरू में दो शब्द कह गया लेकिन उनका आर्थिक आधार क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, जन जाति कल्याण के मन्त्री यहां पर बैठे हैं जनजाति के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है परन्तु उनका आर्थिक आधार बनाने के लिये पैसा खर्च नहीं हो रहा है और करोड़ों रुपया बेकार चला जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनका आर्थिक आधार बनाया जाय। उनके इलाकों में छोटे-छोटे एनीकट के लिये कमेटी बनी है। उसके लिये तो मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा। कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जो सही मायने में अपनी राय दे सकें, सुझाव दे सकें और उनके लिये आगे कुछ काम किया जा सके।

मैं बेरी आयोग की रिपोर्ट के बारे में कह देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी बेरी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करे और बेरी आयोग को लागू करे। राज्य कर्मचारी को यह मौका नहीं दें कि वह आन्दोलन और हड़ताल पर उतरे।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों के पास बंगले नहीं हैं उनको सरकार की तरफ से बंगला दिया जाये, एलाट किया जाये, लेकिन जिन अधिकारियों ने खुद ने बंगला बना रखा है और लोगों को हाई रेट पर किराये पर दे रखे हैं, ऐसे अधिकारियों की जांच करें। बड़े-बड़े अधिकारी, मन्त्री और विधायक बनते हैं, तब उनकी क्या इनकम थी, क्या प्रापर्टी थी और विधायक मन्त्री बनने के बाद उनकी क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या इनकम हुई है, इतना पैसा कहां से आया, यह भी जांच होनी चाहिये। इस पर आयोग बिठाना चाहिये। इस पर रोक लगनी चाहिये। एक नियम बनना चाहिये। उनकी क्या पूंजी थी, एम. एल. ए. मन्त्री बनने के पहले और मन्त्री बनने के बाद इस तरह से पूंजी कहां से आई। इस तरह से बड़े-बड़े अधिकारी हैं। आज इन्जीनियर बन गया और कल-कारखाने लग गये। कार आ गई। जीप भी आ गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, चन्दनमलजी शिक्षा मन्त्री हैं.......आप आपस में बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिये।........

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं। आप फिक्र न करें।

श्री मेघराज तावड़ : जवाब तो वे देंगे उपाध्यक्ष महोदय।

पढ़ाई में कितना भेदभाव है। सेन्ट पॉल में लड़के पढ़ते हैं और दूसरे, सरकारी स्कूलों में। कहने का मतलब यह है कि आज की शिक्षा नीति को बदलिये। बड़ी बड़ी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कीजिये। सब लोगों को एक तरह की सुविधा दीजिये। समाजवाद का रास्ता अपनाइये। यह मैं कहना चाहता हूं।

बड़ा बड़ा खर्चा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, पहले भी कहा था, सिंचाई योजना में सोम कामला की नहर अभी तक बन्द पड़ी है क्योंकि वहां पर पी. सी. जैन एडिशनल चीफ इन्जीनियर हैं। उनको कोई कार्य करना आता नहीं है, कार्य-क्षमता उनकी बिल्कुल नहीं है, इस तरह के अधिकार उन्होंने रख रखे हैं जिससे कि काम ज्यादा फैले। उन लोगों का ठेकेदारों के साथ जिस तरह का व्यवहार है, ठेकेदार सारा काम बन्द करके बैठे है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नहर है वह कम्पलीट नहीं हुई है, बंधा कम्पलीट हो गया है, नहर नहीं बनी है, बांध साल भर से बन्द पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात छोटी इन्डस्ट्रीज के बारे में कह देना चाहता हूं। जो छोटी इन्डस्ट्रीज हैं, इन इन्डस्ट्रीज को जो पावर मिलना चाहिए, वह तो नहीं मिला और आर. एफ. सी. जो है, बैंक जो हैं, वे इन छोटी इन्डस्ट्रीज के साथ, इन छोटे कर्मचारियों को जिस तरह से परेशान करते हैं, वह न तो उनको पूरा कच्चा माल मिलता है और न ही बिजली मिलती है, ऊपर से एक भी किश्त ड्यू हो जाती है तो उनका लाक अप कर दिया जाता है। इस तरह से छोटी इन्डस्ट्रीज वालों को परेशान किया जाता है। आर. एफ. सी. सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आर. एफ. सी. ने उदयपुर में.......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष की ओर से व्यवस्था दी गयी थी पौने तीन बजे के लिये।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं तो आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करता हूं लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है राजस्थान का, यह आम जनता के लिये नहीं है, पूंजीपतियों को खुश करने के लिये यह बजट बनाया गया है, यह पूंजीपतियों को खुश करने के लिये बनाया हुआ, X X X। और किसानों के ऊपर जिस तरह से टैक्स बढ़ाये हैं,

---

X X X अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मेघराज तावड़)

उसको वापस लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट को केवल पूंजीपतियों X X X का X X X मानता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि चन्दनमल जी इस पर पुनर्विचार करें और जो किसानों के ऊपर टैक्स लगाये हैं उनको वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।

● **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से समय के अभाव होने से अपने दो चार सुझाव ही रख रहा हूं ....,

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट का समय है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : इस बजट में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी जो इस माथुर सरकार के एक स्तम्भ बने हुए हैं........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्री जी को एड्रेस न करें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : एड्रेस तो, मैं आपको ही कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ही निवेदन कर रहा हूं और उनके नाम का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि वे सदन में बैठे हुए हैं। और उन्होंने यह जो दुस्साहसपूर्ण कदम उठाकर इस देश का मेरुदण्ड, जो किसान है और उसके द्वारा उत्पादन होता है, उसका मुख्य साधन है, विद्युत, उस पर फ्लैट रेट दुगुनी कर एक दुस्साहसपूर्ण कदम उठाया है। उसके लिये मैं उनकी तारीफ करूं या आलोचना करूं, यह उनको खुद सोचना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर उन्होंने सदन में इस बात का सबूत पेश करा होता कि अगले सत्र से किसानों को बिजली आठ घन्टे मुहय्या करा दी जायेगी तो मैं उन्हें पुरजोर शब्दों में धन्यवाद देता, उनका समर्थन करता, फिर फ्लैट रेट दुगुनी कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कितनी दयनीय हालत किसान की है, जो इस देश की जनता को रोटी देता है उसको सिर्फ तीन घन्टे बिजली दी जाय और फिर फ्लैट रेट को दुगुनी कर दी जाय। उनको खुद को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सदन में बैठे माननीय सदस्यों को अपनी अन्तरात्मा को टटोलना चाहिए कि उनका कदम गलत है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने विद्युत के लिये अपने बजट में 115 करोड़ का प्रावधान किया है, वह बिल्कुल कम है, उससे कुछ नहीं होगा। अब मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सदन में उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोटा थर्मल और अन्य विद्युत उत्पादन करने वाली योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करवाया जायेगा। वे सदन

X X X अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

को, बतायें कि आज तक कौन-कौन से नये विद्युत उत्पादन करने वाले कोटा थर्मल, आर. ए. पी. पी. की थर्ड यूनिट पर पलाना लिग्नाइट के बारे में उनके शासन काल में क्या प्रगति हुई है। उनके शासन काल में केवल एक प्रगति हुई है कि इस प्रदेश का माथुरीकरण कर दिया गया है। वह तो पता नहीं श्रीमती इन्दिरा गांधी को इसकी भनक पहुंच गयी और यहां पर आने वाले श्री भवानीमलजी को वापस भेज दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि, दूसरा, इस देश की आर्थिक इस प्रदेश की आर्थिक उन्नति का, जिस तरीके से खेती साधन है, उसी तरीके से लघु उद्योग है। परन्तु, वित्त मन्त्रीजी, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपने जो लघु उद्योगों के कच्चे माल पर एक पर्सेन्ट से बढ़ा कर दो पर्सेन्ट टैक्स किया है, इसका मतलब 100 पर्सेन्ट कर दिया है या 100 पर्सेन्ट बढ़ा दिया है। वह बिलकुल गलत है आपको उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में इन लघु उद्योगों को बहुत बड़ी सुविधा देकर प्रवासी भाइयों को जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों में उद्योग लगाये बैठे हैं, एक तरीके से प्रलोभन देकर आकर्षित किया जाता है। परन्तु आपने उनको प्रलोभन देना तो दूर रहा एक ऐसी भद्दी सूरत दिखा दी है कि जिसकी वजह से वे आकर्षित हुए हों तो वापस चले जायें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा आप यह चाहते है कि प्रदेश का विकास न हो? नहीं मैं जानता हूं कि आपकी अन्तरात्मा में ऐसी कोई बात नहीं है। इसे आप अपने हृदय को टटोलें और इस प्रदेश की प्रगति में बाधक नहीं बन कर एक भागीरथी प्रयास करके जो टैक्स बढ़ाया है उसको वापस लें, नहीं तो आगे जाकर इस प्रदेश की स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जायेगी, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति उपस्थित हो जायेगी। क्योंकि एक तरफ तो किसान परेशान हैं, और लघु उद्योग वालों को भी आपने परेशान कर दिया है। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप चाहते हैं, इस प्रदेश की मैन पावर जो कृषि और उद्योग में लगी हुई है, उसको क्या जीवन-यापन के साधन से भी महरूम रखना चाहते हैं? इसलिये आप इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने में योगदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि माननीय राजबहादुरजी ने फरमाया था विदेशी मुद्रा के बारे में। अभी यहां पर विदेशी मुद्रा के नोटिस जारी किये थे, और बड़े-बड़े अखबारों में एडवर्टाइजमेंट हुये थे कि उनकी नीलामी की जायेगी फिर क्या कारण है कि उनकी नीलामी आगे सरका दी गयी। माननीय वित्त मन्त्रीजी, आपको शायद याद होगा कि सन् 72 में जब भी आप वित्त मन्त्री थे, तब आपने, मैं तो उसको साहस का कदम कहना चाहूंगा क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि तो मुझे

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

मालूम नहीं है, आपने ठेकेदारों का मान मर्दन करके और एक तरीका चलाया था कि नये-नये लाइसेन्स देकर आपने रेवेन्यू बढ़ाया था, उसी तरीके से आपकी रेवेन्यू बढ़ाने के लिये सुझाव देना चाहता हूं कि आपने जो एकाधिकार की घोषणा की है उसको वापस लें और जो पुराने आपके लाइसेन्स होल्डर हैं, उन्हीं पर आप 10 पर्सेन्ट या जो भी आप निर्धारित करें बढ़ा कर उनको दें। जो नये लाइसेन्स लेना चाहते हैं उनको दें। मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपका उद्देश्य तो एक ही है ना कि आपके प्रदेश की रेवेन्यू बढ़े, अगर दूसरा उद्देश्य है तो निश्चित रूप से मेरा सुझाव नहीं मानेंगे और अगर आपका यह उद्देश्य है कि आपकी रेवेन्यू बढ़े तो आप इस पर विचार करें तो आपकी रेवेन्यू जरूर बढ़ेगी। आपको यह कोई नहीं कहेगा कि आपने कोई गलत कदम उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जो कृषि विभाग है यहां पर माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप विचार करें इस कृषि विभाग की हमारे यहां पर क्या भूमिका है? एक ही भूमिका है, इस कृषि विभाग का सबसे बड़ा बजट होता है उसकी उपलब्धि कुछ नहीं होती है। जैसा अभी जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य श्री शिवदानसिंह जी कह रहे थे, ये जो आई० ए० एस० हैं जोXXX यहां पर बैठे हुये हैं परन्तु ये जो कृषि विभाग वाले हैं, येXXX बैठे हुये हैं। यह जो कृषि विभाग है माननीय कमला जी इसका कन्ट्रोल करने में बिलकुल असफल सिद्ध हुयी हैं। जैसा उन्होंने सदन में स्वीकार किया है कि जो रोली लग गयी थी, इस विषय पर बहस हुयी थी तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में जो विभाग कार्यवाही करने में असफल रहा है उसको मैं स्वीकार करती हूं। मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी हैं इस विभाग के अन्तर्गत वे काम करते नहीं हैं, बिलकुल बेकार बैठे रहते हैं। उनका कार्य सिर्फ एक ही है, राजनीति में भाग लेना और इधर-उधर अफवाहें फैलाना और कोई काम नहीं करते हैं। इस विभाग का दूसरा तरीका निकाल कर या तो दूसरे विभाग में मिला कर या कोई दूसरा ढंग अपना कर काम लिया जाय। ये बिलकुल काम नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक और मेरा निवेदन है। इस प्रदेश में माननीय शिवचरणजी माथुर, जो खुद अपने को एक प्रगतिशील मुख्य मन्त्री सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु उनकी प्रगतिशीलता का सिर्फ एक सबूत है कि जिस तरीके से पहाड़ियाजी को ले जाने वाले तीन-चार मन्त्रीगणथे इसी तरह से इनको ले जाने वाले भी तीन-चार मन्त्रीगण हैं। मेरा निवेदन है कि उनसे आगाह रहिये। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि माथुर

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

साहब की यह भावना है कि प्रदेश इन्टर-स्टेट मामलों में और कई मामलों में आगे आये और इस प्रदेश का बहुमुखी विकास हो। इसमें कई मन्त्रीगण अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उनको दूर करिये क्योंकि प्रदेश की प्रगति का सवाल किसी एक का व्यक्तिगत सवाल न होकर पूरे सदन का सवाल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ ऐसे अहम् सवाल हैं, जिन पर सदन को, हम सबको विचार करना है और प्रदेश का बहुमुखी विकास हो, उसके लिए आगे आना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ा ही समय लिया है।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इन मन्त्रियों में सबसे ज्यादा जो तत्परताXXX दिखाते हैं परन्तु दुर्भाग्य से आज वह यहां उपस्थित नहीं हैं नहीं तो निवेदन करता कि उन्होंने क्या-क्या करा। उन्होंने जब से मन्त्री पद पर आसीन हुये हैं एक योजना चलाई....

श्री उपाध्यक्ष : आप बजट पर बोल रहे हैं या कि मन्त्रियों की बखान कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : इस बजट पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, XXX एक एक योजना चलाई कि इस प्रदेश के ओवर ड्राफ्ट को कम करने के लिये यहां पर जो कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके द्वारा एक अंध [illegible]र हो रहा था, क्योंकि वह खुद उपाध्यक्ष थे, इसलिए उसको रेगूलराइज करने के लिये एक ऐसा षड़यन्त्र रचा जिसके प्रलोभन में हमारे मुख्य मन्त्रीजी फंस गये और उसके माध्यम से उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपयों का घोटाला करा। क्योंकि उसमें हमारे मुख्य मन्त्रीजी के सामने कई समस्यायें थीं सबसे बड़ी समस्या थी, रैली में गई बसों का भुगतान करना। XXX मेरा निवेदन है कि अगर मुख्य मन्त्री की छवि को बचाना चाहते हैं और जैसा कि पहले यह कहा जाता था कि उन्होंने इस सदन में एक दफा इस्तीफा देकर यह सिद्ध कर दिया था कि वह एक ईमानदार आदमी हैं परन्तु ...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अगर अच्छा होता, श्री गोटेवालाजी यहां होते तो बोलते तो अच्छा होता।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं उनसे कह कर आऊंगा, हॉस्पिटल में जाकर कह आऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आपके माध्यम से मैं एक इस माथुर मन्त्रिमण्डल के दूसरे मन्त्री श्री शीशरामजी ओला की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

चाहूंगा। इन्होंने आज तक कभी भी यहां पर सैक्रेटेरिट में बैठ कर कोई भी फाइल निपटाई हो, कभी यह नहीं कहा कि 6-6 महीने पहले के कई अपाइन्टमेंट हो चुके हैं परन्तु आज तक सरकार के आदेश इसलिए जारी नहीं हुये क्योंकि मन्त्री महोदय सेक्रेटेरिट में नहीं बैठे। क्या आपकी जिम्मेवारी सिर्फ यह है कि दिल्ली में बैठ कर राजीव गांधी कीXXX करना है। इस प्रदेश के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस प्रदेश के माननीय मन्त्री महोदय हैं, इनका उत्तरदायित्व हैं प्रदेश का....

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य इधर-उधर की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया माननीय सदस्य से कि अच्छा होता आप उनकी मौजूदगी में यह बात कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरा एक सवाल है कि क्या प्रदेश के प्रति हम सबका उत्तरदायित्व नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, हम सबका उत्तरदायित्व है, वह उसका निर्वहन करने में असमर्थ हैं इसलिये आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करता हूं....

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द शर्मा : XXX शब्द को निकलवाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रमीण) : माननीय मन्त्री महोदय तो नहीं समझे कि मन्त्रीजी नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री द्वारकाप्रसाद।

X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के सामने आज अकाल की भीषण विभीषिका छाई हुई है जिसका निवारण करने के लिये उन्होने एक तर्क दिया कि हमारे पास साधन नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास साधन नहीं हैं तो आप किन्हीं एक दो, तीन, जिलों में किन साधनों के आधार पर कर सकते हैं और प्रदेश के बाकी 23 जिले आपकी तरफ देखते रहें, यह कोई सवाल का जवाब नहीं है। इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा।

एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उनको निश्चित रूप से कान खोलकर देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो गम्भीर ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन हो जायगी जिसका सामना करना उनके लिए सम्भव होगा। आज प्रदेश में वैसे ही बहुत ज्यादा लॉ-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से झुन्झुनू जिले के मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर पिछले 20 सालों में मुश्किल से साल में एक दो मर्डर केसेज होते थे परन्तु पिछले 6 महीनों में जहां आठ मर्डर केसेज हुए, एक भी ट्रेस आउट नहीं हुआ, कारण क्या है? क्या इस प्रदेश की पुलिस नाकारा हो गई है? नहीं, यह बात नहीं है परन्तु इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। मैं विनम्र शब्दों में मन्त्रिमण्डल से निवेदन करूंगा कि वह अपनी जिम्मेदारी समझे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, इस प्रदेश का विकास हो, इस प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन सही बनी रहे। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह इसका निर्वहन करें परन्तु यह उनकी जिम्मेदारी नहीं कि जगह जगह छोटे-छोटे मामलों में इन्टरफियरेन्स करें और कत्ल करने वाले मुजरिमों को बचावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है, सरकार को विचार करना चाहिये और जो मैंने सुझाव दिये हैं, आप उन पर विचार करेंगे और आशा करूंगा सरकार जवाब देगी।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री द्वारकाप्रसाद।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा (निवाई) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : यह इनकी मैडन स्पीच है, ध्यान से सुनिये।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा : जो माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने 3 मार्च को सदन के अन्दर बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : दिल से?

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा : दिल से ? आदरणीय उपाध्यक्षजी, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के अन्दर पिछले तीन वर्षों से लगातार अकाल है और जो अबकी बार भयंकर बाढ़ आई उससे जो है भारी धन-जन की हानि हुई है। हम सभी जानते हैं कि 340 करोड़ रुपये का घाटा राजस्थान सरकार का है और उतना है ओवरड्राफ्ट और उसका ब्याज है। यह भारी जो समस्या है जैसी हम लोगों के सामने है यह कोई बात छिपी हुई नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि इससे मूल्य नियन्त्रण पर आघात पहुंचता है, इससे मुद्रा स्फीति पर आघात पहुचता है। यह सारी बातें देखकर माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन यह उनसे निवेदन करता हू कि जो काश्तकार है, श्रीमती इन्दिरा गांधी की रीति-नीति में प्रबल विश्वास रखते हैं, उनके हितों को दृष्टिगत रखें। जैसा माननीय वित्त मन्त्री जी ने 25 प्रतिशत जो सिंचाई की, बिजली की दर वृद्धि की है, उसमें थोड़ा संशोधन करें, यह मेरा उनसे निवेदन है इसमें कोई क्राइटेरिया वह तय करें। चाहे वह हरिजन हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो एक व्यक्ति जिसके पास सौ-सौ बीघा जमीन है उस पर यानि वही क्राइटेरिया तय होता है, तो इसमें एक संशोधन करने की बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इसमें संशोधन करें।

अगली बात मनोरंजन कर के बारे में है, इसमें छूट नहीं दी जानी चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें संशोधन करें, क्योंकि सिनेमा तो वही देखेगा जिसके पास फालतू पैसा या समय होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिये। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का इस बात के लिये स्वागत करता हूं कि उन्होंने सिनेमाओं के निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि सिनेमाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगायें तो यह अच्छी बात होगी। एक गरीब व्यक्ति पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग का व्यक्ति तो सिनेमा बनायेगा नहीं अगर कोई बनायेगा तो पूंजीपति या बड़ा आदमीही बनायेगा। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगे, यह एक अच्छी बात होगी एक समाजवादी दिशा में कदम होगा। अगली बात, बिजली की वर्तमान दरों के बारे में है। वित्त मन्त्री जी ने फ्लेट रेट दुगुनी की है इसके अन्दर संशोधन करना अनिवार्य है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी भावनायें इस सदन के अन्दर व्यक्त की हैं।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हू कि आज 34 वर्ष की आजादी के बाद भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग दयनीय जीवन बिता रहे हैं। इस बजट के अन्दर माननीय वित्त मंत्री जी ने अंकित किया है कि नीड कम मेरिट में जो छात्र आते हैं उनकी छात्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे जिसको 50 रुपये

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

मिलते थे उसको 100 रुपये दिये गये और और जिसको 100 रुपये मिलते थे उसको 200 रुपये दिये गये। इस तरह से उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरा उनसे निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की छात्रवृत्तियों में वृद्धि की जानी चाहिये। वे लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस की रीति-नीति में विश्वास करते हैं। जो ऐसे लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं भूखे, प्यासे और नंगे घूम रहे हैं बड़ी दयनीय, आर्थिक स्थिति में हैं उसके बावजूद वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा रहे हैं। ऐसे लोगों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। यही हमारी पार्टी की रीति-नीति है। अगली बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं उनके लिए इस बजट के अन्दर पचास करोड़ उनहत्तर लाख रुपये का प्रावधान रखा है यह न्यायोचित है लेकिन जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनके आपने 36 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और 5 करोड़ 92 लाख रुपये की ऐड आफ सेण्ट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। इन दोनों को मिला कर कुल चालीस करोड़ के लगभग, मैं समझता हूं, प्रावधान रखा है। मेरा आपसे कहना है कि आप कम से कम उनकी बढ़ती हुई आबादी को देखें। यह शिड्यूल्ड कास्ट्स की या ट्राइब्स की बात है ऐसा मैं नहीं कहता और यह भी नहीं कहता कि आप शिड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं, न ही उसमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करना चाहता हूं। लेकिन जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिये अनिवार्य है कि आप बजट में उनके लिये ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रखें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 19 जुलाई, 1981 को 92 आदमी बह गये। प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे प्रिय नेता, श्री राजीव गांधी, माननीय मुख्य मंत्री जी और अनेकों मंत्रियों ने 28 अगस्त को वहां दौरा किया। यह सभी जानते हैं कि वहां के लोगों की दयनीय स्थिति है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उनकी हजारों बीघा जमीन बन्जर पड़ी है। उसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, न उनके लिये जीविकोपार्जन का साधन है। मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन पर, अनुरोध पर साढ़े चार करोड़ रुपये की सड़क का प्रावधान रखा और सड़क का निर्माण हो गया। आपने हाउसिंग सोसाइटी की स्कीम को प्राथमिकता दी है। आप लोन देकर हाउसिंग सोसाइटी के मकान भी देते हैं आपने सड़क के लिये साढ़े चार करोड़ रुपया भी सैंक्शन कर दिया, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो बह गये, करीब 92 आदमी, उनके परिवार बरबाद हो गये, उनका जो जीविकोपार्जन का साधन था वह भूमि बन्जर पड़ी है, उनका जीवन अंधकारमय है वह कब तक कितने दिन तक

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

सड़क पर काम करके अपना गुजारा करेंगे? उनके लिये कोई स्थाई व्यवस्था होनी चाहिये, मेरी आ[illegible] यही प्रार्थना है।

अगली बात यह है माननीय वित्त मंत्रीजी, रेस्टोरेशन ग्रफ फलट वर्क की व्यवस्था करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने अथक प्रयास से और हमारे बाढ़ और अकाल राहत मन्त्रीजी, जिनके पास पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन विभाग है, डेढ़ करोड़ रुपया स्वीकृत किया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर बहुत अधिक गरीब लोग हैं जिले में एकमात्र अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग है, की खुल्लम-खुल्ला उपेक्षा की है। मैंने जिलाधीश महोदय से बात की तो उन्होंने इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. के इंजीनियर्स पर बात टाल दी और कहा कि यह उन्होंने व्यवस्था की है। यह एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो पिछड़े हुए गरीब लोग हैं उनके लिये एक तरफ तो कार्यक्रम रखते हैं "पिछड़े को पहले"। एक तरफ तो हम समाजवादी दृष्टिकोण रखते हैं, दूसरी तरफ हम उनकी उपेक्षा करते हैं, यह गम्भीर मसला है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने साथी मंत्री, श्री परसराम जी मदेरणा से निवेदन करें कि इस तरह की उपेक्षा क्यों की जा रही है।

अगली बात यह है कि जिला टौंक के अन्दर खनन पट्टे दिये जाते हैं। आज 34 वर्ष की आजादी के बाद भी वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को न तो बजरी के पट्टे दिये गये हैं····

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा: न सोफस्टोन के पट्टे दिये गये हैं। यह सारी बातें देखने की हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वहां पर अधिकारियों की मिलीभगत है, वहां पर जो माइन्स के ठेकेदार हैं उनके ऊपर ओवर ड्यूज हैं, उनके ऊपर रायल्टी है, चोरी की रिसीट्स बुक पकड़ी गयीं लेकिन जब कभी रेड करने के लिए जाते हैं तो उनकी जेबें भर दी जाती हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार वहां पर होता है। जब हम वहां पर ऐसी शिकायतें करते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, तो चोर को कहते हैं कि आप चोरी करो और साहूकार को कहते हैं कि सावधान रहो, इस तरह की व्यवस्था होती है। इससे हमारा दिल खिन्न होता है, इससे गरीब लोगों के ऊपर कुठाराघात होता है। अगली बात यह है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं चाहे आई. ए. एस. हों; चाहे आई. पी. एस. हो, चाहे कोई उच्च अधिकारी हों, यह हिचकिचाने वाली बात नहीं है, ये अपने पद का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। यह मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जब पलड के अन्दर यह अधि-

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

कारी गये, आपको दावे से कह रहा हूं कि वहां इतना खर्चा नहीं हुआ जितना खर्चा पैट्रोल पर हुआ। यह जो अपव्यय होता है, एक अधिकारी को दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और उस पर पांच हजार रुपये का खर्चा कहां से आया? जिनके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट क्लास खाना खाते हैं और बड़े-बड़े खर्चे करते हैं उनकी कोई इन्क्वायरी करने वाला यहां नहीं है....

(व्यवधान)

अब तो हमारी सत्तारुढ़ पार्टी है, इन लोगों के ऊपर....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सबसे बड़े अफसर हैं, इन पर कौन इन्क्वायरी करे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप कृपया स्थान ग्रहण करें, जरा ध्यान से सुनें।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा: अधिकारियों की इन्क्वायरी करें, इनके रिश्तेदारों की सम्पत्ति की जांच करवाई जाये, इनकी सम्पत्ति अपाइन्टमेंट से पहले कितनी थी और रिटायरमेंट पर कितनी हुई और सर्विस के बीस साल के बाद कितनी थी इसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है....

(व्यवधान)

चाहे तहसील हो, चाहे कलेक्ट्री हो, चाहे पी डब्ल्यू. डी. हो चाहे इरिगेशन हो, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट हो और चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, जब तक भ्रष्टाचार की रोकथाम नहीं करेंगे ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा : हमें इस बात के लिए आगाह होना पड़ेगा, कोई निश्चित कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। यह भ्रष्टाचार की बात कहां-कहां हम लोग भी चले जायेंगे और जो हमने पहले थे वे भी चले गये, मेरा स्पष्ट निवेदन, अनुरोध है कि इस मामले में आप कोई कार्यवाही करें।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि 34 साल से हम लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए दुहाई देते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स के के अधिकारियों व कर्मचारियों का बैकलॉग पूरा हुआ हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिये, इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। जो रिजर्व्ड सीट्स होती हैं वह सवर्ण जाति के लोगों से भर दी जाती हैं और उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस मामले में जांच करने

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

के लिए कमीशन नियुक्त करें। जो दोषी अधिकारी हैं जिनके कारण सीटें नहीं भरी जाती हैं दोष प्रूव होने पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दें।

अन्त में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं या सुझाव दिये हैं, मुझे आशा है माननीय वित्त मन्त्री उनको प्राथमिकता देंगे। ज्यादा न बोलते हुए मैं, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा जो बजट रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मन्त्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 4 दिन से अनेक माननीय सदस्यों ने और आज करीब 36 माननीय सदस्यों ने, 3 तारीख को राज्य सरकार का 1982-83 का जो बजट इस सदन में पेश किया गया उसके बारे में अपने विचार प्रकट किये। मैंने इस बात की कोशिश ही नहीं की बल्कि जितने माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लिया उनके सारे भाषणों को ध्यान से सुना। जो भी उनमें महत्वपूर्ण पाइंट्स लगे उनको मैंने नोट भी किया। मैं यह देखना चाहता था कि जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं उनसे मैं कितना फायदा उठा सकता हूं और साथ ही साथ यह भी जान सकूं कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैंने उन सब सुझावों को नोट किया है। जब-जब भी मौका मिलेगा मैं उनको कार्य रूप में लाऊंगा। कई सुझाव जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से उनको मानना शायद सम्भव नहीं है जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि यह सुझाव आया था कि सरकारी कर्मचारियों को 45 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दो। मैं समझता हूं आज जब मांग इस बात की हो रही है कि हमारी उम्र 55 से 58 कर दो....

एक माननीय सदस्य : वह तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हां, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स की जब हम बात करते हैं तो मैं बहुत-सी बातों की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा और बताऊंगा कि क्या-क्या चीजें वेस्टेड इन्ट्रेस्ट में हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि व्यावहारिक रूप से शायद यह सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री के लिए बड़ा कठिन काम होता है उसको कुछ टैक्स लगाने पड़ते हैं। सबसे अच्छा वित्त मन्त्री तो वह है जो कोई टैक्स नहीं लगाये सस्ती वाहवाही लूट ले, तालियां बजवा दे और लोग भी खुश हो जायें, यदि दूर दृष्टि से देखा जाये तो केवल वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा। आखिर राज्य का वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रबन्ध करना है, विकास के काम भी करने हैं और दूसरे बहुत से खर्चों को भी पूरा करना है इसलिए उसका

(श्री चन्दनमल बैद)

कठिन कर्त्तव्य, ड्यूटी हो जाती है कि राज्य के बजट में जो घाटा होता है उसकी पूर्ति करने के सुझाव भी वह सदन के समक्ष रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी उद्देश्य को लेकर कुछ सुझाव रखे हैं। मैं चाहता तो जैसे पिछले साल 155 करोड़ का घाटा था और इस साल भी 185 करोड़ का घाटा, कुल मिलाकर तीन-चार साल का इकट्ठा होकर 340 करोड़ का घाटा हो गया, तो अगले साल में भी घाटा दिखाया जा सकता था। किन्तु उसका नतीजा क्या होता? उसका नतीजा यह होता कि जो विकास के काम, चाहे राजस्थान की भलाई के लिए हों, चाहे राजस्थान की गरीब गरीब जनता की भलाई के लिए हों, चाहे सिंचाई के हों चाहे बिजली के विस्तार के हों, चाहे सड़क के हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे औषधालय के हों, डिस्पेन्सरी के हों, सारे काम हमको ताक पर रखने पड़ते। इसलिये यह जानते हुये भी कि कुछ प्रस्ताव मैं रख रहा हू, यह मेरा पहला बजट तो है नहीं। मै जानता हूं चाहे कितना ही निर्दोष टैक्स लगा दें, जब टैक्स लगाने की बात कहें, तो सदन के किसी न किसी हिस्से से उसके विरोध में आवाज उठाई जायेगी। मैं जानता था कि जो इतना बड़ा, हैवी टैक्सेशन आज प्रदेश की वित्तीय हालत में करना पड़ रहा है उसका बहुत विरोध होगा लेकिन इस सब को जानते हुए भी मुझे शुगर कोटेड कुनैन की गोली खाना जरूरी था, किसी न किसी को खानी पड़ती। मुझसे पूर्व 5 वित्त मन्त्रियों ने नहीं खाई तो मुझे खानी पड़ी और मजबूर होकर मुझे आपके सामने यह चीज रखनी पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता कि पिछले 5 वर्षों में जो कुछ हम प्रॉमिस करके आये कि इतने संसाधन, इतने रिसोर्सेज हम मोबीलाइज करेंगे····

एक माननीय सदस्य : गाली तो हमको खानी पड़ी।

श्री चन्दनमल बैद : गोली और गाली दोनों ही खानी पडी।

1977–78 मे यह कहकर आये थे कि हम 13 करोड़ के रिसोर्सेज मोबीलाइज करेंगे उसके अगेंस्ट में हमने 11.56 करोड़ के किये। 1978-79 में हम प्रॉमिश करके आये थे कि 8·30 करोड़ के रिसोर्सेज मोबीलाइज करेंगे उसके अगेन्स्ट में हमने 7.57 करोड़ के किये। 1979-80 में हमने प्रॉमिस किया था 43·12 करोड़ का उसके अगेन्स्ट में हमने 26·36 करोड़ के किये। 1980-81 में हमने प्रामिस किया था 81·50 करोड़ का उसके अगेन्स्ट मे 17·69 करोड़ के मोबीलाइज किये। 1981-82 में 71·41 करोड़ का प्रामिस किया था उसके अगेन्स्ट में 55·16 के मोबीलाइज कर पाये। 5 साल में 217·33 करोड़ के प्रामिस के अगेन्स्ट में 118·44 करोड़ का हमने मोबीलाइजेशन किया है यानि करीब-करीब 100 करोड़ का घाटा तो इन 5 सालों में हमारा रिसोर्स

(श्री चन्दनमल बैद)

मोबीलाइजेशन से हो पूरा गया। इसके अलावा जब-जब भी हमारे पर प्रेशर आया, हमने प्लान को बढ़ा दिया, जब जब हम पर प्रेशर आया नान प्लान का खर्चा भी हमने बढ़ाया और जब-जब भी महंगाई बढ़ी हमने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी दिया। सातवें वित्त कमीशन की रिपोर्ट के बाद 11 महंगाई भत्ते हम दे चुके हैं और 4 महंगाई भत्ते ड्यू हो चुके हैं। सातवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के बाद 15 महंगाई भत्ते आज की तारीख तक करीब करीब ड्यू हो चुके हैं उनमें से 11 दे दिये गये और 4 अभी ड्यू हैं जिनके लिये बराबर सदन में कहा जाता है कि कर्मचारियों के विरोधी हो, यह सारी बातें होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि प्लान नहीं बढ़ाया जाये। मैं इस बात का भी विरोधी नहीं हूं कि अगर जरूरत हो और तो भी नान प्लान का खर्चा नहीं बढ़ाया जाये। मैं इस बात का भी विरोधी नहीं हूं कि महगाई भत्ता ड्यू हो तो न दिया जाये, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी हम खर्च करें उसके अगेन्स्ट में उतने ही रिसोर्सेज भी हमारे पास होने चाहिये। यह नहीं हो कि तनख्वाह तो हमारी 500 रु. है और 500 रु. के अनुसार हम खर्चा करना शुरू करते हैं तो तनख्वाह हमारी 300 रु. रह जाये और खर्चा 500 की जगह 700 रु. हो जाये दुनिया में ऐसा कोई आदमी, ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती जो अपनी आमदनी से आगे बढ़कर चल सकती हो। मैंने एक बार मजाक में कहा था पछतावे तीन जना, आमदनी थोड़ी और खर्च घणा।" हमारे लिये यही स्थिति आ गयी है। आज 340 करोड़ का हम पर ओवर ड्राफ्ट है जिसके बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज ही चर्चा की है। इस पर न मालूम कितने सवालों का जवाब मुझे देना पड़ा है, आपका भी सवाल था, उस समय भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य हाजिर नहीं थे। तो यह 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट कोई आज का ओवर ड्राफ्ट नहीं है, यह 5 साल में धीरे-धीरे सरकते 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट हुआ है। क्योंकि हमको जितने रिसोर्सेज क्रियेट करने चाहिये थे वह रिसोर्सेज हमने किये नहीं किये, जितना नान प्लान में खर्चा करना चाहिये थे उससे ज्यादा हमने खर्चा बढ़ा दिया और जबसे महंगाई भत्ता बढ़ा हमने बिना अपने संसाधन बढ़ाये हुए महंगाई भत्ता दे दिया। जब महंगाई भत्ता बढ़ाया तो सदस्यों ने यहां पर तालियां बजा दीं और जब टैक्स लगाया गया तो मुझे यहां पर गालियां मिलनी शुरू हो गई।

(3.30 म. प.)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, गालियां कोई पसन्द नहीं करता, तालियां सभी पसन्द करते हैं।

(श्री चन्दनमल बैद)

गालियां मेरे हिस्से में आई हैं और तालियां दूसरे ले गये, दूसरे ले जायेंगे यह तो अपनी-अपनी तकदीर की बात है, मैं क्या करूं ?

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात यह भी कही गई कि 30 जून तक तो कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं था सारा निल था तो फिर 30 जून के बाद ऐसा कौनसा काम आपने कर दिया कि आपके यहां ओवर ड्राफ्ट हो गया जो बढ़ते-बढ़ते इस साल के अन्त तक 340 करोड़ रुपये हो जायेगा ? इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, 30 जून को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को अपना खाता बराबर करना पड़ता है पहले 184 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था, हमने सेन्ट्रल टैक्सेज का शेयर व प्लान क पैसा एडवांस लेकर और 80 करोड़ रुपये वेज एण्ड मीन्स के लेकर हिसाब बराबर कर दिया। हमने सेण्ट्रल टैक्सेज का शेयर एडवांस में लिया था, प्लान का पैसा एडवांस में लिया था और जो वेज एण्ड मीन्स का पैसा लिया था उसको चुकाना पड़ा। इसके साथ ही ज्यों-ज्यों प्लान के काम करने पड़े त्यों-त्यों ओवर-ड्राफ्ट बढ़ता गया इस तरह धीरे-धीरे यह ओवरड्राफ्ट इस साल के अन्त तक 340·01 करोड़ रुपये का हो जायेगा। यह मानना गलत है कि ओवर ड्राफ्ट नहीं था, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि 185 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट उस दिन था जो कि 30 जून के दिन बराबर हो चुका था। हमने भारत सरकार और रिजर्व बैंक से लेकर चुकाया था। साथ ही वह पैसे पहले लिये थे इसलिए बात तो एक ही होगी। चाहे आप चार महीने पहले एडवान्स में तनख्वाह ले लें या बाद में चार महीने तक उधार लेकर खाते जायें बात तो एक ही थी। तो, अध्यक्ष महोदय, 185 करोड़ से शुरू हुआ था वह अब बाद में 340 करोड़ का हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, टैक्सेज के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पहले मैं कहना चाहूंगा ओवर ड्राफ्ट के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने कहा था वह यहां पर विराज रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने बजट में कहीं ओवर ड्राफ्ट का भुगतान नहीं दिखलाया। मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि जो मद 249 है उसमें ब्याज का देना दिखलाया गया है साथ ही मद 603 में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और भारत सरकार से जो रकम ली है वह दिखाई है। जो पैसा दिया गया है वह दिखलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैंने टैक्स कम क्यों किये हैं। इसके बारेमें सदन में काफी चर्चा हुई है और कहा गया है कि मैंने कोई विशेष मतव्य के कारण टैक्स कम कर दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मुझे क्षमा करें,

(श्री राजबहादुर)

यह 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट का व्याज दिखलाया गया है ....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और गवर्नमेंट आफ इण्डिया का पैसा लिया है वह दिखलाया गया है। इसमें ब्याज का भुगतान भी करते हैं वह भी दिखलाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे बजट भाषण के पहले सेन्टेन्स में 340.01 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट की बात कही गई है, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है और छिपाकर मुझे क्या करना है। सरकारी खर्च को आप छिपाकर अपनी जेब में तो रख नहीं सकते हैं।

श्री राजबहादुर : मुझे क्षमा करें।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें। आर्डर, आर्डर। आप बाद में चाहें तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला आरोप जो मुझ पर लगाया गया जिसके बारे में सदन में आलोचना की गयी है वह यह है कि मैंने स्टैनलेस स्टील की शीट पर टैक्स कम क्यों किया। अध्यक्ष महोदय, क्या पता मेरे कोई भाई-बन्द जोधपुर में रहते हों, पर स्टैनलेस स्टील की शीट की चीजें अमीर लोगों के काम काम आती हैं गरीब आदमी उसको यूज नहीं करते हैं, अमीर आदमी यूज करते हैं। मैंने, अध्यक्ष महोदय, उसी पैराग्राफ में बताया है कि इससे मुझे 25 लाख रुपये की आमदनी होगी। मैं कम नहीं करती तो मुझे 25 लाख रुपये की आमदनी नहीं होती। स्टैनलेस स्टील की शीट जोधपुर में बनती है और वहां से डिपो ट्रान्सफर हो जाती है। मेरी जानकारी के अनुसार 25 करोड़ रुपये का माल जोधपुर में बनता है। जोधपुर स्टैनलेस स्टील की शीट बनाने में सारे हिन्दुस्तान में तीसरे नम्बर पर है, वहां 25 करोड़ रुपये की स्टैनलेस स्टील की शीट बनती हैं। उस सारे के सारे माल का एक पैसा टैक्स नहीं देकर वे डिपो ट्रान्सफर कर देते हैं। एक पैसा भी मुझे टैक्स नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, डिपो ट्रांसफर पर टैक्स लगाने का अधिकार भारत सरकार का है। आज तक भारत सरकार ने कोई कानून इसके लिए नहीं बनाया है। सभी स्टेट्स ने बार-बार इस बारे में रिप्रजेंटेशन दिया है। जहां 25 करोड़ रुपये की चीज बनती है और वह ट्रान्सफर होती है तो मुझे एक भी पैसा टैक्स नहीं मिलता मैंने सोचा कि अगर चार प्रतिशत से एक प्रतिशत टैक्स कर दिया जाये तो ट्रान्सफर इकानामिक नहीं रहेगा और शायद यहां पर वह इसको बेचना दिखा देंगे तो मुझे 25 करोड़ रुपये पर 25 लाख रुपये का टैक्स मिल जायेगा। मैंने यह स्टेट के फायदे की बात की है। 25 करोड़ में जहां कुछ नहीं मिलता था वहां पर 25 लाख रुपया मिल जाये तो एक यह अच्छी बात है।

(श्री चन्दनमल बैद)

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्टील के बर्तन बनाने के कारखानों में 25 करोड़ की स्टेनलेस स्टील की शीट बनती है, वह सारी की सारी बाहर जा रही है। अगर जोधपुर मे स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना खुल जाये तो वहां के मजदूरों को मजदूरी मिलेगी साथ ही वहां पर उद्योग धन्धा बढ़ेगा। इसके अलावा राजस्थान के आस-पास के राज्यों का माल भी वहां पर बिकेगा। इससे जो अन्तर्राज्यीय कर लगता है उसका हमें पैसा मिलेगा, स्टेट को आमदनी होगी। हालांकि, इसका हिसाब मैंने नहीं लगाया है, मैं यह नहीं कह सकता हू कि कोई कारखाना बनेगा या नहीं बनेगा। हो सकता है दो साल में कारखाना लगे या तीन साल में लगे। यह भी हो सकता है कि एक साल में ही बन जाये। मैंने आमदनी का हिसाब अभी तक नहीं लगाया है। यह उद्योग राजस्थान में अभी तक कहीं भी नहीं लगा है अगर लग जाये तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।

तीसरी बात, मैं अर्ज करना चाहता हूं और रेशम की साड़ी, चूनड़ी और ओढ़नी के बारे में यहां पर बात कही गई। अध्यक्ष महोदय, रेशम की साड़ियों के बारे में यह कहा गया है कि यह तो बड़े लोग पहनते हैं गरीब लोग इसे नहीं पहनते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आपको भी पता होगा कि सूती कपड़े पर कोई टैक्स नहीं लग सकता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसी तरह से नॉयलोन और कीमती कपड़ों पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है सैल्स टैक्स नहीं लग सकता है। रेशम की साड़ी पर टैक्स नहीं लगता पर सुपर रेशम के बारे में हमारे यहां पर यह परम्परा रही है कि हिन्दुस्तान में आज भी कई पण्डित लोग खाना खाते हैं तब शुद्ध रेशम की धोती पहनकर खाते हैं।....

एक माननीय सदस्य : आप खाते हैं क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो नहीं खाता हूं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सन् 1977 के बजट को पढ़ा है आपने ? आप सन् 1977 के बजट भाषण को पढ़कर देखें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय मन्त्री महोदय, आप किसी प्रश्न का उत्तर मत दीजिये। आप आसन की तरफ मुंह करके बोलें।

श्री चन्दनमल बैद : जो हमारे यहां शुद्ध रेशम के बन्धेज का काम करते हैं उनको इससे रोजगार मिलेगा। आज स्थिति ऐसी है कि कर्नाटक और कश्मीर में शुद्ध रेशम पर टैक्स नही है वहां के कारीगर वहां पर काम करके यहां पर माल भेजते हैं और हमारे यहां कारीगर बेकार बैठे रहते हैं, चूंकि नॉयलोन और जारजेट पर

(श्री चन्दनमल वैद)

टैक्स नहीं है इसलिये मैंने उनके बराबर इसको लाना उचित समझा। इस प्रकार शुद्ध रेशम का काम करने वाले कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिये मैंने इस पर टैक्स कम कर दिया। हमारे कारीगरों का जो काम यहां पर ठप पड़ा हुआ है शायद वह चल पड़े जिससे कारीगरों को रोजगार मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं, कई बार यह भी कहा गया कि आपने चूड़ियों पर टैक्स कम कर दिया। मेरे एक जवान दोस्त ने मेरे ऊपर कुछ चार्जेज लगाये, अध्यक्ष महोदय, मुझे उस बात के लिए कोई मलाल नहीं है। मेरे जवान दोस्त ने जो चार्जेज मेरे ऊपर लगाये, कम से कम यह सदन तो जानता है कि वह चार्जेज मेरे ऊपर कितने ठहर सकते हैं और कितने नहीं ठहर सकते हैं क्योंकि मैं इस सदन के लिये उनकी तरह कोई नया नहीं हूं। लोग समझ जायेंगे कि वह चार्जेज सही हैं या नहीं। खैर मैं इस पर विचार नहीं करता। चूड़ियां, जो कि लाख की बनती हैं उन पर तो वैसे भी टैक्स नहीं है। लाख की चूड़ियां देहात में पहनी जाती हैं उन पर तो पहले से ही टैक्स माफ है। जो कांच की चूड़ियां हैं उन पर टैक्स कम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांच की चूड़ियों का कारखाना आजकल पाली में बहुत चल रहा है जो वास्तव में उसको बढ़ावा देने के लिए मैंने यह टैक्स कम किया है ताकि अधिक लोगों को काम मिल जायगा यह बहुत अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। लाख की चूड़ियों पर टैक्स माफ है प्लास्टिक की चूड़ियों पर भी टैक्स माफ है फिर कांच की चूड़ियों पर टैक्स ज्यादा क्यों रहे यह भी एक परेशानी की बात थी, इसलिये कांच की चूड़ियों पर भी आठ प्रतिशत के बजाय चार प्रतिशत का टैक्स कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, भूमि और भवन के बारे में भी आलोचना की गयी कि बिड़ला टाटा और न जाने किन-किन के मकान हैं इस वास्ते यह टैक्स माफ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 167 टाउन हैं जो एक लाख से नीचे की आबादी के हैं। भूमि और भवन कर से, 5 साल के मेरे पास आंकड़े भी हैं, औसतन 1 करोड़ वसूल होता है। उसमें से 167 टाउन से, साढ़े बीस पर्सेन्ट वसूल होता है और साढ़े उन्यासी पर्सेण्ट उन टाउन्स से वसूल होता है जो कि एक लाख से ऊपर की आबादी के हैं। 42 लाख रुपया खर्च होता है उसमें से 25 लाख के करीब खर्चा एक लाख से ऊंची आबादी वाले शहरों से टैक्स वसूल करने में होता है और करीब 16–17–18 लाख का खर्च 167 टाउन्स में होता है जहां से 20 लाख प्राप्त होता है। अब, 167 टाउन में सारी मशीनरी को फैलाकर के 20 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं और खर्चा 17–18 लाख करना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि यह गुनाह बेलज्जत है इसके लिए टैक्स को कायम रखना उचित बात नहीं है। इस वास्ते कुल 167 टाउन, जो कि एक लाख से नीचे की

(श्री चन्दनमल बैद)

आबादी के हैं, से यह भूमि एवं भवन कर हटाया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें सरदार शहर माफ हुआ या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : इसमें सरदारशहर और सीकर दोनों ही माफ हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बच गये या नही ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 2-3 लाख रुपये के लिए हम एक परेशानी मोल लें, इससे यह उचित समझा गया कि उस जगह से इस टैक्स को माफ कर दिया जाये। 1 लाख से ऊपर की आबादी के जो शहर हैं वहां से हमें करीब 80 पर्सेन्ट टैक्स मिलता है, उसको वसूल करने में खर्चा कम आता है, इस वास्ते उसको रखा जाये, यह हमने उचित समझ कर किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें मन्त्रिमण्डल की प्रापर्टी को बचाया है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको बता दूं टैक्स कितना वसूल हुआ है। आपके वक्त का भी इसमें आंकड़ा है। 1973-74 में टैक्स वसूल हुआ 20,58,000 रु०, 1974-75 में 35,55,000 रु०, 1975-76 में 60,62,000 रु०, 1976-77 में 95,74,000 रु० अब आपका समय आ रहा है 1977-78 में टैक्स वसूल हुआ 82,39,000 रु०, 1978-79 में 81,09,000 रु०, 1979-80 में 66,64,000 रु० और 1980-81 में 116,00,000 रु० टैक्स वसूल हुआ और इस साल का एस्टीमेटेड फिगर करीब एक करोड़ का है। 3 साल आपके भी हैं आप [illegible] नहीं कह सकते कि हम वसूली में कमजोरी कर रहे हैं, वसूली नहीं हो रही है, आप तो दयालु हो रहे हैं यह बात नहीं है। इसकी जो वसूली है उसको देखते हुए और जो इस पर वसूल करने का खर्चा है उसको देखते हुए यह उचित समझा गया कि इस टैक्स को छोटे शहरों, जो एक लाख से नीचे के शहर हैं, से हटा दिया जाये इस वास्ते यह हटाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब पर से हटाने में क्या तकलीफ है ?

श्री भवरलाल शर्मा : बात तो यह है कि जो आपके कुनबे के लोग हैं और कस्बों में जिनकी जायदाद है उनको बचाया है आपने।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर के बारे में भी कुछ बातें कही गयीं। माननीय सदस्य जो अभी लास्ट में बोल रहे थे, वह कह रहे थे कि सिनेमा पर से मनोरंजन कर क्यों हटाया आपने ? सिनेमा पर से कोई मनोरंजन कर नहीं हटाया है। केवल जिन जगहों पर अभी सिनेमा हाउस नहीं हैं चाहे छोटे शहर हैं

(श्री चन्दनमल बैद)

चाहे देहात हैं अगर वहां सिनेमा हाउस बनेगा तो अगले तीन साल के लिए उनको टैक्स में कुछ कन्सेशन दिया है। पहले साल फ्री है, दूसरे साल 50 पर्सेन्ट है, तीसरे साल 25 पर्सेन्ट है और चौथे साल टैक्स लगना शुरु हो जायेगा लेकिन जहां एक भी सिनेमा हाउस है वहां किसी भी सिनेमा में फीचर फिल्म को टैक्स से माफ नहीं किया गया है। मैं जब वित्त मंत्री बना उस समय तीन फीचर फिल्म ऐसी थीं जिनके ऊपर टैक्स माफ था। उसी समय सबसे पहले मैंने यह काम किया कि उन तीनों पर से टैक्स एग्जम्पशन को खत्म.. किया। बीच में वह हाई कोर्ट में गये, लेकिन हाई कोर्ट ने भी मेरी प्ली को कायम रखा आज कोई भी फीचर फिल्म टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं है। हां, कुछ ऐसी चीजें जैसे, खेलकूद हैं, नाटक हैं, कठपुतली है और मेलों में छोटे-छोटे जो खेलकूद होते हैं उसमें कुश्ती है, दंगल है उनको टैक्स से माफ किया है और, मैं समझता हूं, इसकी प्रशंसा हुई है इसकी कोई बुराई नहीं हुई। इसे लोगों ने अच्छा समझा है। कम से कम ऐसी चीजें कोई खेल हो रहा है बास्केट बाल का हो रहा है, क्रिकेट का हो रहा है, फुटबाल का हो रहा है वहां हमें एग्जम्पशन देना पड़ता था, इसके बजाय कि हम एग्जम्पशन दें हमने यह उचित समझा कि एक साथ ही एग्जम्पशन दे दें जिससे सैक्रेटेरियट का काम भी कम हो जाये और लोगों को भी मालूम पड़ जाये कि हमें एग्जम्पशन मिला हुआ है। इससे कल्चरल एक्टीविटीज राजस्थान में बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है।

अध्यक्ष महोदय, एक इस बात की शंका प्रकट की गयी है कि हमारा जो 2,025 करोड़ का प्लान है वह पूरा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं 1980–81 में हमने 339.10 करोड़ का प्लान पूरा किया। 1981–82 में हमने 459.78 करोड़ का प्लान पूरा किया। 1982–83 का प्लान जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, वह 359.22 करोड़ का है। उसके साथ में मैंने यह भी निवेदन किया है कि साढ़े 14 करोड़, यानि 14 करोड़ 49 लाख जो हमारी इस साल की बचत है वह योजनाओं के काम में खर्च की जायेगी यानि कम से कम 14 करोड़ 49 लाख का तो हमारा प्लान और बढ़ेगा ही, इससे ज्यादा के लिये हमारी कोशिश जारी मैं नहीं कह सकता कि किस हद तक उसमें हम सफल होंगे, नहीं होंगे, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। अभी होली की छुट्टियों में भी मुख्य मन्त्रीजी और मैं, दोनों गये हैं हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सारी स्टेट्स को एक स्टैप-अप मिला है 14 पर्सेन्ट का, एक एवरेज स्टैप-अप मिला है सारी स्टेट्स को कम से कम उतना स्टैप-अप हमको भी मिले जिससे हम थोड़ा उनके बराबर आ सकें। हम इसमें कितना सफल होंगे कितना सफल नहीं होंगे यह मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कितने रिसोर्सेज का मोबीलाइजेशन करते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपने वित्तीय प्रबन्धों में कितना संयम और अनुशासन बरतते हैं क्योंकि जब तक हम संयम और

(श्री चन्दनमल बैद)

अनुशासन नहीं बरतेंगे, 340 करोड़ का जो ओवर ड्राफ्ट इस साल के अंत में रहेगा जब तक इस बात का प्रबंध नहीं कर लेंगे यह 340 करोड़ से ऊपर का ओवर ड्राफ्ट हमारा नहीं जाये, मैं समझता हूं कि हमारे साथ में रियायत होने वाली नहीं है। एक रियायत हमारे साथ में हुई है। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी स्टेट्स पर ओवर ड्राफ्ट था, बंगाल ने तो खैर अपना प्लान बनवाया ही नहीं उन्होंने तो कह दिया कि हमको तो मेन्डेट ही नहीं है, हम अपना प्लान नहीं बनवाते। केरल और हमको छोड़कर सारी स्टेट्स का ओवर ड्राफ्ट 3 साल में काटा जायेगा, ऐसा निर्णय प्लानिंग कमीशन ने किया है उसके अनुसार हर स्टेट का ओवर ड्राफ्ट 1982–83 से कटना शुरु हो गया। किसी स्टेट का 60 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था तो 1982-83 में उनके प्लान से 20 करोड़ काट लिये 20 करोड़ अगले साल काट लिया जायेगा लेकिन हमारे साथ कम से कम यह रियायत की गयी है कि हम अपने ओवर ड्राफ्ट की 31 मार्च, 82 को जो फिगर आने वाली है अगर उस फिगर पर स्टिक करेंगे, हमारे बारे में निर्णय नहीं किया है, तो हमें भी कह दिया है कि इस फिगर को आप यहीं रखिये और आप अपना 340 करोड़ का प्लान ले जाइये और हमको इस बात का सबूत दीजिए कि कितना संयम और अनुशासन बरत सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जब मैं सारी बातें कहने लग ही गया तो एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा जो मेरे से खुद से संबंधित है। एक प्रश्न था यहां पर टी० ए०, डी० ए० का। मैं हाजिर नहीं था उस समय। माननीय राज्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया....

एक माननीय सदस्य : इसका बजट से संबंध नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : बजट से ही संबंधित है। मैं बता रहा हूं। मैं जब हाउस में आया तो लोगों ने कहा कि भत्ता मंत्री आ गया। मैं समझ नहीं पाया कि बात क्या है? बाद में पता लगा कि यह बात थी। लोगों ने कहा, और यह भाषण में भी कहा कि एक तरफ़ तो आप हमको उपदेश दे रहे हैं खर्चा कम कीजिए दूसरी तरफ सारे मिनिस्टरों से आपका भत्ता ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि मैं आज अगर कार से दिल्ली जाऊं

श्री अध्यक्ष : साधन जुटाने में भाग दौड़ ज्यादा ही करनी पड़ती है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं वही अर्ज करना चाहता हूं। मैं शायद ज्यादा नहीं बोलता लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे अध्यक्ष महोदय को भी इस बारे में थोड़ी सी शंका है, तो मैंने समझा कि इस बात को मैं कह ही दूं। अगर मैं आज कार से जाऊं और दो दिन गैर हाजिर रहूं तो मेरा टी० ए०, डी० ए० बनेगा 102 रुपया और अगर मैं हवाई जहाज से जाऊं तो मेरा टी. ए., डी. ए.

(श्री चन्दनमल बैद)

बनेगा 500 रुपया तो खर्चा किस पर ज्यादा हुआ ? कार से आने जाने में मेरा खर्चा होगा 800 रुपया, टी. ए., डी. ए. मिलेगा 100 रुपया और हवाई जहाज से जाऊंगा तो 400 रुपये मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आप ही से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे बताइये कि स्टेट के लिये मेरा कार से जाना ज्यादा अच्छा है या हवाई जहाज से जाना ज्यादा अच्छा है ?

श्री यदुनाथ सिंह : चारटंड प्लेन लेकर जाइये। खटारा बस में जाओ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : साइकिल पर जाना....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी, जो मिनिस्टर खर्चा कम करना चाहता है....

श्री अध्यक्ष : उसको हवाई जहाज से जाना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : जो स्टेट पर बोझा कम डालना चाहता है, जो खर्चा कम करना चाहता है उसका तो टी. ए., डी. ए. ज्यादा दिख गया और यह आरोप भी लग गया इस वास्ते मैंने उचित समझा कि माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों के मन में जो भ्रम है उस भ्रम का मैं निवारण कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं उन दो पाइन्ट्स की तरफ आना चाहता हूं जिनके बारे में बहुत चर्चा यहां हुई। अध्यक्ष महोदय, पहले शराब का जवाब दे दूं। देशी शराब की दुकानों की नीलामी होती है वह एक्सक्लूजिव प्रिविलेज के आधार पर होती है। शराब बन्दी से पहले 4-5 ठेकेदारों को शराब बेचने का अधिकार यहां दिया हुआ था। अभी कल ही एक प्रश्न विधान सभा में आया था उसमें चार महीने की इनकम पूछी गई थी, एक्सक्लूजिव प्रिविलेज के आधार पर ठेका दिया है और पहले जो दिया था उसमें कितनी आमदनी होती है ? मैंने बताया था एक करोड़ 49 लाख या एक करोड़ 50 लाख ऐसे कुछ आमदनी होती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि विदेशी शराब को भी एक्सक्लूजिव प्रिविलेज से दिया जायेगा तो आज जितनी आमदनी हो रही है उससे दुगुनी या ढाई गुनी हो जायेगी। स्टेट का इन्ट्रेस्ट देखकर यह सोचा है, और कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। यह स्टेट के इन्ट्रेस्ट में है। शराब खोल दी है तो उससे ज्यादा आमदनी करने में तराज एक्यों है ? ज्यादा आमदनी करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : रहमत खां....

श्री चन्दन मल बैद : रहमत खां हो या कोई हो जो ज्यादा पैसा देगा उसको देंगे। आप आ जाइये, आपको दे देंगे आपसे मेरी कोई दुशमनी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : नाजायज शराब बनाई, उसके लिये....

(व्यवधान)

लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति क्या है, यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की दरें बढ़ाने के सिलसिले में और बिजली की फ्लेट रेट दुगुनी करने के सिलसिले में काफी बातें यहां की गईं और काफी आलोचना भी की गई है। राजस्थान की जैसी आर्थिक स्थिति है और जैसी मैं समझता हूं वह मैं सदन के सामने, राजस्थान की जनता के सामने इसका खयाल किये बिना कि फैसला क्या होता है, रख देता हूं। इसके लिये कितनी बुरी बातें सुननी पड़ेंगी इसका ख्याल किये बगैर मेरा यह फर्ज है कि जो सही बात है, सही स्थिति है उसको आपके सम्मुख रखूं।

राजस्थान की आबादी 1981 की जन-गणना के अनुसार 3.41 करोड़ है उसमें से 80 प्रतिशत किसान हैं। किसानों की संख्या 2 करोड़ 72 लाख है। 2 करोड़ 72 लाख किसानों को मैं, अध्यक्ष महोदय, 5-6 श्रेणियों में बांट रहा हूं। वे किसान, जिनको नहरों और टैंकों से सिंचाई का पानी मिलता है, सारे राजस्थान में 20 लाख हैं। उसके बाद किसान हैं जो फ्लेट रेट के आधार पर बिजली लेकर के अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। ऐसे किसानों की संख्या करीब 2 लाख 60 हजार या 70 हजार है।

(व्यवधान)

जनसंख्या है, चौंकें नहीं, जो उन पर डिपेन्ड है।

उसके बाद ऐसे किसान जिनको मीटर रेन्ट से बिजली का कनेक्शन मिला हुआ

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल वैद)

है उनकी संख्या 10 लाख है। अब बाकी जो किसान हैं, कुल 8 लाख कुएं हैं राजस्थान में 7 लाख कुछ हजार, उन 8 लाख कुओं में से 31 मार्च, 1980 का फिगर बता रहा हूं, 1 लाख 61 हजार कुओं पर मीटर रेन्ट से कनेक्शन हैं। 44 हजार कुओं पर फ्लेट रेट से कनेक्शन हैं और 20 लाख किसान नहर और टैंकों से सिंचाई का काम करते हैं। एक लाख ऐसे कुएं हैं जिन पर किसान डीजल के इंजन लगाकर सिंचाई कर रहे है और बाकी जो बचते हैं 8 लाख में से वे बैलों से, ऊंटों से या दूसरे एनीमल्स की मार्फत पानी निकाल कर सिंचाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य तो नहीं होगा क्योंकि आप तो किसानों के मामले में बहुत माहिर हैं, 2 करोड़ और 4 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। उनको न नहरों से पानी मिलता है, न टैंकों से पानी मिलता है, न फ्लेट रेट से मिलता है, न मीटर रेन्ट के कनेक्शन हैं और न ही कुएं हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह किसकी बदौलत ?

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं 2 करोड़ 4 लाख किसानों पर कोई बोझ नहीं है, जो बैलों से सिंचाई करते हैं उन पर भी बोझ नहीं आया है। जो किसान डीजल से पानी निकालकर सिंचाई करते हैं उन पर बोझ नहीं आया है। बोझ आया है तो केवल उन किसानों पर जो मीटर रेंट देकर सिंचाई करते हैं। बोझ आया है उन ढाई लाख किसानों पर जो फ्लेट रेट में सिंचाई करते हैं और उन 20 लाख किसानों पर जो नहरों से सिंचाई करते हैं, जिनकी संख्या 32-33 लाख है। अध्यक्ष महोदय, 32-33 लाख किसान के ऊपर जो बोझ आया है उस बोझ के लिये मुझ से कहा जाता है। अकाल से पीड़ित किसान, यह गरीब किसान, यह तो तुमने किसानों को वर्बाद कर दिया, किसान विरोधी है। ठीक है, आप कह सकते हैं। इस विधान सभा में आपको कहने का अधिकार है, हक है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा तो यह होता कि शराब से खेतों की सिंचाई का काम करते....

(व्यवधान)

और किसान मर जाता....

श्री चन्दनमल बैद : 530 करोड़ की सिंचाई के लिये नियोजन हुआ। 530 करोड़ का नियोजन हुआ इससे 20 लाख किसानों को हमने साधन दिये हैं। हम उन किसानों से यह कहते हैं कि 530 करोड़ रुपये भरपाई कीजिये। न हम उन किसानों

(श्री चन्दनमल बैद)

से यह कहते हैं कि 530 करोड़ पर ब्याज दीजिये। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि 530 करोड़ रुपयों से जो साधन बनाये हैं उन साधनों के कारण आपकी जमीन की कीमत बढ़ी है, उत्पादन शक्ति बढ़ी है इसलिये उन साधनों के रख-रखाव का खर्चा तो दीजिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं आज तक किसान जिस पर 530 करोड़ में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है 530 करोड़ में से उसके लिये एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है उस किसान से हम यह कह रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 530 करोड़ रुपये कहां से आ गये बिना किसान के ?

श्री चन्दन मल बैद : भाई, हमने फलां जिलों में या फलां जगह में इन साधनों को बनाने में 530 करोड़ रुपया खर्च किया है, हमें दुःख है तुम्हारे पर खर्च नहीं किया है किन्तु इनके रख-रखाव के लिये तो खर्च दो।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं यह समाजवाद और न्याय है।

एक माननीय सदस्य : किसान की अधिकांश पूंजी किसने पैदा की

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी का उत्तर आने दीजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। कृपया मंत्री जी की बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री यदुनाथ सिंह : अगर डिक्टेटर होता तो सबसे पहले मैं XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे नियमों का आश्रय लेना पड़ेगा। माननीय

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

XXX माननीय अध्यक्ष के अभि व्यक्ति आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : यह 547 करोड़ रुपया कहां से आया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्यगण....

श्री यदुनाथ सिंह : पूंजी कौन पैदा कर रहा है, उसकी पूंजी लगा रहे हो....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । आर्डर प्लीज। शान्ति रखिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जाइये।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : वह किसान की जेब से आया....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। नियमों की अवहेलना न करें, माननीय सदस्य। बैठ जायें।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो। आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय सदस्यगण, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो पार्लियामेन्ट्री पद्धति है, वह अपनायी है उसमें कोई भी माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कितनी भी कटु बात कहे तो हमारे यहां नियम, हमारी परम्पराएं, हमारा विधान ऐसा है कि शान्ति से सुनना चाहिए और जब माननीय सदस्य को अवसर दिया जाये, उस वक्त वे अपनी तरफ से जो चाहें वह बात कह सकते हैं। यह कोई डिबेट का नियम नहीं है कि जब मन्त्री महोदय बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे थे उस वक्त कोई बाधा उपस्थित नहीं कर रहा था, यदि किसी ने उपस्थित की तो....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : कल्ला साहब कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री जी की बातों को वे शान्ति से सुनें।

श्री यदुनाथ सिंह : यह विधान किस काम का है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, कृपया....

श्री यदुनाथ सिंह : इस साल कैपेसिटी का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, 50 परसेन्ट से ज्यादा कर नहीं पायेंगे और अपनी गलती का दण्ड किसानों को देंगे।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथू सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, कृपया।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं, बिजली की बात तो मैंने की ही नहीं। सिंचाई की बात कर रहा हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : जिस रोटी को खाकर आप और हम जिन्दा हैं ...

श्री यदुनाथ सिंह : यह कौन सा तरीका है, यह कौन सी पद्धति है ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो किसान नहीं हैं, किसानों की बात आप करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से ...

(व्यवधान)

बैठ जाइये। कृपया शान्त रहें। अब जो माननीय सदस्य बिना इजाजत के उठेंगे अथवा बाधा डालेंगे, उनको मैं सदन से बाहर पधारने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को यह सुविधा नहीं मिली हुई है, उन लोगों को सुविधा देने के लिए जरूरी है कि जो साधन हमने बनाये हैं, उन साधनों से जो फायदा उठा रहे हैं, वे कम से कम हमारी जनरल रेवेन्यू पर, उसके मेन्टीनेन्स का बोझ नहीं डालें। जनरल रेवेन्यू से हम उन लोगों को सुविधायें प्राप्त करा सकें जिनको कि हम आज सुविधायें नहीं दे सके हैं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, 76-77 में राजस्थान के एग्रीकल्चर आंकड़ों की किताब निकली, उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कितने किसान ऐसे हैं जो कि लघु हैं, या सीमान्त कृषक हैं। अध्यक्ष महोदय, उन आंकड़ों को देखने से मालूम पड़ता है कि 0.5 हैक्टेअर से नीचे के, 0.5 से 2 हैक्टेअर तक के, तथा 2 हैक्टेअर से 4 हैक्टेअर तक के, ये तीन तरह के किसान है। इसमें एक

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

को मार्जिनल कहा, एक को स्माल कहा और एक को सेमी मीडियम कहा। इस तरह के किसान कुल 20 पर्सेन्ट हैं और 80 पर्सेन्ट मध्यम और लार्ज किसान हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मेघराज तावड़। क्या मैं आपसे निवेदन करूं माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह, श्री मेघराज तावड़, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह को मैं चेतावनी देता हूं कि जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, यदि अब आप बाधा डालेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि आप बाहर पधारने का....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उत्तर दिया हुआ मान लिया जाये, पढ़ा हुआ मान लिया जाये। किसान को मिलने वालों का

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं वे आंकड़े सुनाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं श्री....

(व्यवधान)

नाम से सम्बोधित करूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप नाम से निकाल दीजिए। यहां रहने का फायदा क्या है, किसानों के दुख दर्द के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन से....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य यह कोई तरीका नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : कुल 4·5 प्रतिशत हैं और मीडियम कृषक 14·5 प्रतिशत हैं, बाकी 69 प्रतिशत मध्यम तथा बड़े कृषक हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी निवेदन किया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बिजली बोर्ड इस साल करीब 16 करोड़ 90 लाख का घाटा दे रहा है। हमारा यह विचार है, हम सब इस बात को चाहते हैं कि बिजली बोर्ड अपना खर्चा अपने उपभोक्ताओं से वसूल करे, ऐसा न हो कि बिजली बोर्ड का....

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : यह तो बिजली बोर्ड की अव्यवस्था के कारण हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : उपभोक्ता XXX से

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

वसूल नहीं किया जाये, विलासिता वालों से क्यों नहीं करते हो....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं अगर भूलता नहीं हूं तो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य सिंचाई मन्त्री थे, उस समय जो बजट पेश हुआ था उसमें सिंचाई की दरें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वित्त मन्त्री महोदय, दरें हमने वापस ली थीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

सुश्री पुष्पा जैन : हम चूड़ियां पहनने को नहीं बैठे हैं, हमने विरोध किया था, वापस लिया था। आपने चूड़ियां पहनीं, चूड़ियां।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

श्री बलचन्द्र आर्यवीर । आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, वित्त मन्त्री जी अपना उत्तर दे रहे हैं, वे...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये बोल क्या रहे हैं, इनको खुद को पता नहीं है। इनके पास तथ्य नहीं हैं, इनकी बात नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये अपनी बात नहीं बोल रहे। ये पता नहीं किस दबाव में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। आप उनकी बात सुन लीजिए। माननीय सदस्या, कृपया बैठ जाइये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी का जिक्र किया है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह आप बता रहे थे, 50 पर्सेन्ट बढ़ी थीं दरें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, क्या फर्माया आपने ?

श्री अध्यक्ष : 50 पर्सेन्ट बिजली की दरें प्रस्तावित हुई थीं, सिंचाई की दरें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वापस ले लिया था।

श्री अध्यक्ष : माननी सदस्या।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

बिजली की कमी के बारे में बहुत

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

चिन्ता प्रकट की गयी। इसके बारे में मैं एक बात निवेदन चाहता हूं बिजली के जनरेशन को हम नहीं बढायेंगे, तो बिजली ज्यादा कहीं से आयेगी....

श्री यदुनाथ सिंह : जनरेशन नहीं बढ़ा है।

श्री चन्दनमल बैद : जनरेशन किसने नहीं बढ़ाया, यह भी मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। 77-78 में जनरेशन पर 26.4 पर्सेन्ट आपने खर्चा किया। 78-79 में जनरेशन पर आपने 23.8 पर्सेन्ट सारे बजट का खर्चा किया। 79-80, जो आधा आपका और आधा समय हमारा आ गया था, में 33.2, पर्सेन्ट और 80-81 में जनरेशन पर 43.3 खर्चा किया और 81-82 में....

श्री यदुनाथ सिंह : फिर भी जनरेशन नहीं बढ़ रहा है, पावर नहीं मिल रही है। पहले....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू कराने का अधिकार हमको था.....

श्री चन्दनमल बैद : मैं शुरू करा के गया था। मैं शुरू करके गया था, आपने क्या किया ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने शुरू किया था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जवें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने चालू किया था ? हमारे टाइम में चालू हुआ था वह तो।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 81-82 में 11 पर्सेन्ट बिजली पर खर्चा होगा और 76-77 तक इन श्रीमानों के आने के पहले तक 43.8 पर्सेन्ट खर्च होता था जनरेशन पर, जिसको इन्होंने 26 और 23 और 33 बना दिया।

(व्यवधान)

इसी का परिणाम है कि राजस्थान में जनरेशन कम हुआ, बिजली कम पैदा हुई और, अध्यक्ष महोदय, अब जो जनरेशन होगा....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह बिलकुल गलत फिगर हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : XXX

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, केवल हम खर्चों के आंकड़ों पर जाकर जनरेशन को देखें तो आपके ज्यादा खर्चा करने के बाद भी पावर नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप हमको कौन सी बात समझा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात को सुनिये, फिर अपना जवाब जब डिमाण्ड पर बहस होगी तब कह देना।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, बिजली की रेट के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल में दो बार बिजली की रेट बढ़ी है। एक बार इससे पहले और दूसरी बार अभी मैंने घोषणा की। दोनों बार ही किसान की जो 21 पैसे की रेट थी उसको हमने नहीं छेड़ा। किसान की 21 पैसे की 21 पैसे ही रखी है जब कि उद्योगों की 23 पैसे से साढ़े सैंतालीस पैसे की गई। किसान को केवल हमने यही कहा है कि 21 पैसे पर एक पैसा और इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप दीजिए जब कि इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी अगर मैं अपने घर पर बिजली जलाता हूं तो 6 पैसे प्रति यूनिट लगती है। चाहे कोई भी।

(व्यवधान)

बिजली जला रहा है तो उसको छः पैसे प्रति यूनिट इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी पड़ती है, किसान पर एक पैसा प्रति यूनिट लगाई है। जब कि रेट दो बार सब की बढ़ी है, किसान की हमने रेट नहीं बढ़ाई है। अभी जो बजट में घोषणा की है उस घोषणा से हाईटेंशन लाइन लेने वालों को 9 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगा। मीडियम हाई टेंशन और मीडियम इंडस्ट्रीज का छः पैसे से 12 पैसे बढ़ेगा। स्माल इंडस्ट्रीज की चार पैसे से 10 पैसे बढ़ेगी और जब कि....

श्री दाऊदयाल जोशी : ताले लग गये हैं उनके यहां पर तो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले पावर कट था, आज आपने रेट बढ़ा दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकारता हूं आपको।

(व्यवधान)

यह बनिये की दुकान है जो यहां तय करेंगे खींचातानी कर के...

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर...

श्री दाऊदयाल जोशी : इंडस्ट्रीज पर ताले लगा दो...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य....

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, अब एक बात जो....

श्री अनंगकुमार जैन (झालरा पाटन) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री अनंगकुमार जैन : आप पूरे सदन के अध्यक्ष हैं। आप उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं और हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोलते हैं वह आसन के माध्यम से बोलते हैं इसलिए बोलने वाले की सुविधा के लिए मैं उनकी तरफ मुंह कर लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि फ्लेट रेट के कुल उपभोक्ता 44 हजार कुछ हैं। ये 31 मार्च, 81 के फिगर मैं आपको दे रहा हूं। 44 उपभोक्ता एक तरफ और दूसरी तरफ 1 लाख और 62 हजार उपभोक्ता हैं। अध्यक्ष महोदय, दोनों के बिजली के कंजम्पशन का हिसाब मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पता लगाया है। हमको पता लगा कि 44 हजार फ्लेट रेट के उपभोक्ता हैं, वह राजस्थान की 16.90 पर्सेन्ट बिजली का उपभोग कर रहे हैं और जो 1 लाख 62 हजार उपभोक्ता हैं वह 17.41 पर्सेन्ट बिजली का उपभोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते यह बात समझ में आई कि फ्लेट रेट में कहीं न कहीं किसी रूप में लूप होल्स जरूर हैं। अब कहां है, किसकी है, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 1 लाख 62 हजार आदमी तो 17 पर्सेन्ट बिजली यूज करें और जो 44 हजार हैं, वह 16 पर्सेन्ट बिजली यूज कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आया। इसलिए हमने यह उचित समझा कि इस बिजली की रेट को दुगुनी करें। दुगुनी कर दी जाय लेकिन इसके साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी किसान ....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह यह गलत बात कह रहे हैं। यह तरफदारी कर रहे हैं....

(व्यवधान)

आपको जानकारी तो है नहीं। आप टैक्निकली जानते नहीं और सदन को गुमराह कर रहे हैं।....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : आपको कैसे पता चला कि 25 पर्सेन्ट का कंजम्पशन होता है।

(श्री यदुनाथसिंह)

जब मीटर नहीं हैं तो आपको कैसे पता चला ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : यह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बताया है।

श्री यदुनाथसिंह : ये गुमराह कर रहे हैं। जब मीटरिंग नहीं होता है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यदि मंत्रीजी ने आंकड़ों में गलत बात कही हो तो माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार होगा, अभी तो बजट कई दिनों तक चलेगा। आप तथ्यों के आधार पर दुबारा कह सकते हैं कि इन्होंने सदन में गलत बात कही है। इसमें नाराज होने की क्या बात है।....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अब हम बिजली पर कब बोलेंगे ? आज बिजली बोर्ड में जितना घपला है, भ्रष्टाचार है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस बात के साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बिजली के कंजम्पशन में भी सीमान्त, छोटे और सेमी-मीडियम कृषकों की जो संख्या रही है वह उसी अनुपात से रही है जिस तरह से सिंचाई में है। तो मैं इतनी ही बात अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : उद्योगपतियों की सीमा क्यों नहीं बांधते ? वे तो लगातार करोड़पति होते जावें। आपने किसानों पर बीस एकड़ की सीमा बांध दी, उस पर सीमा क्यों नहीं बांधते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि X X X

(व्यवधान)

X X X लेकिन वे सही बात कहने से मुझे रोक नहीं सकते। स्टेट के इंट्रेस्ट की बात है, जो सही है वह मैं कहूंगा, कह कर रहूंगा X X X

(व्यवधान)

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चन्दनमल बैद)

श्री देवी सिंह भाटी : स्टेट के इंट्रेस्ट की बात होती तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के भ्रष्टाचार को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

(व्यवधान)

मन्त्रीजी तथ्यों के आधार पर बात कह रहे हैं। आपको भी यह चाहिए था कि आप अपने भाषण के अन्दर, बहस के अन्दर आंकड़े रखते।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के वोट लेकर ही बैद जी हाउस के माननीय सदस्य हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को X X X लेकिन किसान पर गोली असल में आपने मारी है, टैक्स लगाकर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हमको पूरक प्रश्न की इजाजत दें।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, वैधानिक आपत्ति है। पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री राजबहादुर : पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है, अध्यक्ष महोदय, मांगे हमारे सामने पेश हुई हैं उन मांगों में 340 करोड़ का जो ओवर ड्राफ्ट है, उसके सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार की मांग नहीं है। कांस्टीट्यूशन में यह प्रावधान है कि जो डेब्ट देना है, जिसका भी है, उसके बारे में मांग होगी, उसके बारे में जिक्र होगा। कान्स्टीट्यूशन का आर्टिकल फाइनेंसियल स्टेटमेंट का है। इसका सैक्शन (3) है।

"The following expenditure shall be expenditure charged on the consolidated fund of each state..."

उसका आइटम (C) है—

"debt charges for which the State is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service & redemption of debt......"

ऐसी कोई मांग बता दें। इन्होंने जो हवाला दिया है वह दिया है नान प्लान

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 144

(144)

(श्री राजबहादुर)

एक्सपेंडीचर है पुराना, उसका । वह कोई मांग नहीं है । This has not been taken into account at all in the budget. क्योंकि एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेंट कम्पलीट नहीं है इसलिये यह बजट कम्पलीट नहीं है । It should be thrown out.

श्री चन्दन मल बैद : मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, पहले मन्त्री जी इसके सम्बन्ध में........

श्री चन्दन मल बैद : इसके सम्बन्ध में हरेक मद में दिखाया हुआ है, अध्यक्ष महोदय । मद 249 और दूसरी जगह सब में दिखाया हुआ है । जो रिजर्व बैंक का लेना देना है वह भी दिखाया हुआ है । जो ब्याज देना है वह भी दिखाया हुआ है । एप्रोप्रियेशन बिल....

श्री राजबहादुर : यह बता दीजिये, कहां दिखाया हुआ है, डिमान्ड कौनसी है आपकी ?

श्री अध्यक्ष : निरस्त किया गया । पाइन्ट आफ आर्डर निरस्त किया गया ।

श्री ललित चतुर्वेदी ।

श्री राजबहादुर : ऐसी जबर्दस्ती नहीं करें ।

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : यह मांग नहीं होती ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री जी के दिल में किसानों के प्रति बहुत दया है । मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप अर्बन सीलिंग लगायेंगे ? शहरों में जिनके पास हजारों, करोड़ों रुपयों की जमीन है प्रॉपर्टी है उन पर अर्बन सीलिंग लगायेंगे ?

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : 20 लाख, 50 लाख का बंगला है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अर्बन सीलिंग नहीं लगा रहे हैं । किसानों की तरफ सरकार का ध्यान बहुत जा रहा है, सरकार बड़ी हमदर्द है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मन्त्री जी ने किसानों की फ्लेट रेट के सम्बन्ध में बात कही । मैं पूछना चाहता हूं जब फ्लेट रेट लागू की उस समय किसानों को प्रतिदिन कितने घन्टे बिजली मिलती थी और आज फ्लेट रेट डबल करने जा रहे हैं उसके बाद कितने घन्टे की व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक साथ ही सब प्रश्न आ जायें, उसके बाद।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : विवेक काम नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपको एक दफा अनुमति दे दी, दुबारा नहीं।

श्री ललित चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने यद्यपि किसानों के बायफरकेशन कई कैटेगरीज में करने की कोशिश की है और कोशिश करते समय........

श्री अध्यक्ष : आप इनके आंकड़े गलत हों तो बताइये। भाषण से कोई लाभ नहीं होना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कहना चाहता हूं, जो सर्वमंगलकारी राज होता है उसका यह प्रयत्न रहता है कि जो बड़ी पापूलेशन है है उसको राहत देने की कोशिश की जाय। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं पिछले 34 वर्षों में एक प्रक्रिया जो शुरू हुई थी ....

श्री चन्दन मल बैद। भाषण दे रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस पर विवाद करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, जो आपने बायफरकेशन किया है। फ्लेट रेट देने की कोशिश इसलिये की थी कि धीरे धीरे जैसे जैसे किसानों के कुओं पर बिजली जाती चली जायगी, किसान पानी निकालता चला जायगा। इस फ्लेट रेट के सहारे 80 प्रतिशत किसानों को राहत मिल सकेगी, वह गरीब किसान अपने खेत की सिंचाई कर सकेगा........

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, कोई प्रश्न पूछें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो आंकड़े वित्त मन्त्री जी ने पेश किये हैं, किसानों की कमर तोड़ने वाले हैं। प्रक्रिया जो शुरू कर दी थी........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो स्थिति है, वह बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक तरफ नगरीय महलों में रहने वाले, बड़ी बड़ी अट्टालिका वाले, उनके........

(व्यवधान)

आंकड़ों का जाल बिछाकर, एक प्रक्रिया है, एक प्रयत्न है, एक कोशिश है जिस कोशिश के आधार पर गरीब किसानों को राहत नहीं मिलेगी....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वित्त मन्त्री महोदय, जो आपने भाषण दिया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसान विरोधी है। किसान विरोधी प्रवृत्ति को राजस्थान का एक भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। इस किसान विरोधी नीति के लिये आपकी भर्त्सना करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किसान विरोधी बजट लेकर आये हैं इसलिये मैं और मेरा दल वाक आउट करता है।

(बहिर्गमन)

श्री चन्दनमल बैद : यह किसानों के समर्थक हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कोई उत्तर देना चाहते हैं? नहीं तो चर्चा समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

मैं किसी माननीय सदस्य को इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : पूरक प्रश्न का उत्तर दिया जाये, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथसिंह : एक प्रश्न की इजाजत दीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। बैठ जायें।

(व्यवधान)

अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की घोषणा।

अनुदान की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद विवाद के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

व्यवस्था दे रहा हूं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

नियमों का ध्यान रखें। आपको बोलने की अनुमति आसन दे, आप नियमों का पालन करें तब ही यह हो सकता है। आसन पैरों पर है, व्यवस्था सुनें।

(व्यवधान)

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)

को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह राजस्थान के किसानों का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य श्री देवीसिंह, श्री यदुनाथसिंह, श्री महाराम, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री तावड़ को नाम से सम्बोधित करता हूं। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आर्डर। बैठ जाइये। सात दिन के निलम्बन का प्रस्ताव आ रहा है। सात दिन के लिये निलम्बन का प्रस्ताव........

श्री यदुनाथ सिंह : करिये, करिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री देवीसिंह, श्री मेघराज तावड़, श्री यदुनाथसिंह, श्री महाराम, श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, श्री पचेरवाल को सात रोज के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(व्यवधान)

मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्डर। बैठ जाइये। बैठ जाइये। बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्डर।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने कहा........

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था देना प्रारम्भ कर दिया, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आपने अनुमति दी थी। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं कहा था प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

उपस्थित कर रहे हैं। आर्डर, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर। बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर, यह डिबेट का तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे प्रत्यक्ष कर के विरोध में हम इस सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे बाध्य न करें। कृपया मुझे बाध्य न करें।

आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के खिलाफ मैं अपने दल बल सहित वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आज इस बजट के द्वारा हमारे हितों पर कुठाराघात हुआ है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिये मेरे दल बल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम को एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों पर कुठाराघात कर रही है। 34 साल से, अध्यक्ष महोदय—

श्री अध्यक्ष : कुठाराघात आप कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : गरीबों पर तलवार चलाई जा रही है ऐसा अन्याय न होने दें। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न की इजाजत दीजिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सिर्फ एक प्रश्न की इजाजत नहीं दे सकते, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि मैं 15 दिन के लिये प्रस्ताव लाऊं।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा के लिये निकाल दीजिये। इससे क्या हो जायेगा ? विधान सभा में आने का कोई अर्थ नहीं है। हम बाहर इसका विरोध करेंगे, अध्यक्ष महोदय। सदन में रहने या न

(श्री यदुनाथसिंह)

रहने का कोई अर्थ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न की इजाजत दें, मैं आपसे विनती करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसान विरोधी, पूंजीपतियों का पोषण करने वाली सरकार जो बजट लाई है वह किसानों को मारने वाला है, राज्य में उत्पादन को घटाने वाला है, दिशाहीन बजट है जिसका उत्तर माननीय वित्त मन्त्रीजी ने दिया, मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे और राजस्थान की जनता को असन्तोष है। मैं अपने दल के साथ सदन की कार्यवाही से बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

घोषणा

अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुये समझा जायेगा और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाय, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। जिस पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके, तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 2 घण्टे 25 मिनट, जिसमें मन्त्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा, अन्य दलों के लिये समय विभाजन निम्न प्रकार होगा—

1. भारतीय जनता पार्टी 45 मिनट
2. प्रगतिशील विधायक दल 20 ,,

आसन पैरों पर है। कृपया सदन में प्रवेश न करें।

3. जनता पार्टी (जेपी) 15 ,,
4. लोकदल 10 ,,
5. कांग्रेस (अर्स) 10 ,,

Page No 150

(150)

(श्री अध्यक्ष)

6.	सी. पी. आई.	10	मिनट
7.	सी. पी. एम.	10	,,
8.	निर्दलयी	5	,,

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 9–वन एवं

मांग संख्या 47–पर्यटन

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, वन मन्त्रीजी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, वन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,91,11,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री यदुनाथसिंह (नदवई) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हो रही है। उसके बाद में।

श्री यदुनाथसिंह : उसके बाद क्या होगा, अध्यक्ष महोदय, जब मांग प्रस्तुत हो जायेगी ? वार्षिक रिपोर्ट हमको रात को मिलती है या सुबह मिलती है जिसकी स्टडी ही नहीं कर पाते।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था देता हूं। अब दूसरी मांग प्रस्तुत की जा रही है। श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मन्त्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 66,12,000/– रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह जी, क्या कह रहे थे ?

मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. वनों को अवैज्ञानिक तरीके से कटाई करने व वृक्षारोपण में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2. सीकर विधान सभा क्षेत्र के श्यामगढ़, रांजपुरा, पलापरा, रुघनाथगढ़ आदि क्षेत्रों के पर्वतीय स्थानों पर

(श्री घनश्याम तिवाडी)

वृक्षारोपण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

3. प्रतापगढ तहसील के रेन्ज देवागढ एवं प्रतापगढ के किसानों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने और घरेलू जलाऊ लकडी के लिये प्रति बैलगाडी निर्धारित 30 रुपये से अधिक लिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

4. ग्राम चौतरिया, कमलाकुडी रेंज देवगढ की विवादास्पद वन भूमि पर वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु जिलाधीश चित्तौड़गढ द्वारा असत्य प्रतिवेदन दिये जाने पर चर्चा के लिये।

5. जन जाति उपयोजना क्षेत्र में वन भूमि के अतिक्रमण के मामलों पर सरकार की उदासीनता एवं आदेश की पालना नहीं होने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

6. पेड़ों की अन्धा-धुन्ध कटाई एवं नये वृक्षारोपण में असफलता तथा वन विभाग की चौकियों पर भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

7. टौंक जिले में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. निवाई के पहाड़ों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. निवाई पहाड़ के पीछे से बालू मिट्टी पर वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

10. दौसा को रेंजर द्वारा हरे पेडों की अन्धा-धुन्ध कटाई कराने पर चर्चा के लिए।

11. वन विभाग में प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No 152

(152)

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

12. भीलवाड़ा तहसील के करोई ग्राम के पास लगायें गये पेड़ों को पिछले दिनों हटाये जाने तथा भीलवाड़ा के हरमेंदे महादेव की पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

13. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वनों की नाजायज कटाई करवाने में सहयोग देने एवं बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी व गधों पर जलाऊ लकड़ी लाने पर निर्धारित दर से अधिक वसूल करने पर चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

14. वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से वनों के नष्ट होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15. वनों को लगातार कम होने से बचाने तथा चौमू निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सामोद-महार, हस्तेड़ा, मण्ढा भिण्ड़ा, बावड़ी गोपीनाथ नांगल-मरड़ा में वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

16. वन विभाग को प्रगतिशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

17. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के तीन सीसम के पेड़ों को कटवा कर दौसा रेन्जर द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग में लेने से विभाग को हुए नुकसान के बारे में चर्चा के लिए।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

18. वनों की अन्धा-धुन्ध कटाई को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

19. अलवर के ग्राम मूंगसका में वन विभाग की लापरवाही के कारण 13 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव)

20. बाड़मेर जिले की डिफेंस रोड-गढरारारोड-इरसानी हरसानी से सांखली फान्टा-गढरारोड से मुनाबा-बाड़मेर से पांपुरी तक सड़कों के दोनों तरफ विभाग द्वारा पौधे लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

Page No 153

153

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

21. उदपुर क्षेत्र में वन भूमि को वन विकास हेतु क्षेत्रीय लोगों को आवंटित करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

22. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

23. वन्य जीवों से किसानों की फसल को बचाने हेतु वन्य जीवों को जंगलों में ही रोकने एवं शिकार खुला कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाडा)

24. वन(जंगलात) की लकड़ियों को वन पालक व गार्डो द्वारा बेच जाने पर चर्चा के लिये।

25. वन विभाग द्वारा फलदार पौधे लगाने बाबत चर्चा के लिये।

26. समय पर जंगलों में चरने के लिये पशुओं को छोड़ने नहीं देने बाबत चर्चा के लिये।

27. जंगलों में वृक्षों की रक्षा कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

28. नैनवा तहसील के रामगढ़ गांव में जंगली पशु अभयारण्य स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा),

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

29. वनों की हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

30. वनों की अवैध कटाई एवं वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदवई)

32. राज्य सरकार राज्य में वन्य जीवों की रक्षा करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

33. राज्य सरकार राज्य इकोलोजीकल बैलेंस हेतु वनों की रक्षा एवं विस्तार करने में असक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

34. सोजत व बिलाड़ा के बीच में आये पहाड़ी क्षेत्र को वन विभाग

(श्री रामनारायण डूडी)

द्वारा अधिगृहीत कर वन लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

35. झालावाड़ में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ही वन सम्पदा को काटने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. वनों से गरीब लोगों द्वारा सूखी लकड़ी काट कर लाने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. झालावाड़ जिले में चरागाह भूमि पर वन विभाग द्वारा तारबन्दी कर कब्जा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. झालावाड़ा-चौमेला के वन अधिकारी द्वारा निजी कार्य हेतु पेड़ व घास कटवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

39. सरदारपुरा जोड़ तहसील सांचोर के वनों की गत वर्ष में हुई कटाई के संबंध में चर्चा के लिये।

40. तहसील सांचोर के सरदारपुरा (भवातड़ा) जोड़ में ईंधन के लिये वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

41. जिला सवाई माधोपुर के जंगलों में घरेलू पशुओं को चरने से रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग द्वारा काश्तकारों को कृषि के लिये काम में आने वाली लकड़ियों का परमिट न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

43. जिला सवाई माधोपुर की वन सीमा के पास स्थित ग्रामों के काश्तकारों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में से निकल कर बाहर आये जानवरों द्वारा काश्तकारों की फसलों को खा जाने व नष्ट करने से हुए नुकसान का वन विभाग द्वारा मुआवजा दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

45. सवाई माधोपुर के वनों की उपज का ठेका नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हंसराज शर्मा)

46. जिला सवाई माधोपुर के ग्राम शेरपुर, खिलच्चिपुर, उलियाना झोंपड़ी के पालतू जानवरों के लिये वन विभाग की सीमा के अन्दर उपलब्ध पीने का पानी प्रयोग में लाने की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

47. सवाई माधोपुर जिले के वन विभाग के कर्मचारियों की साजिश से जंगलों की हजारों मन लकड़ी कटवाकर हजारों वृक्षों को बरबाद किया जाने और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

48. वन विभाग द्वारा चालू किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

49. ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ उपलब्ध गोचर भूमि एवं सिवायचक भूमि में मिक्स प्लांटेशन विभाग द्वारा लगाये जाने की चर्चा के लिये।

50. वन विभाग द्वारा जयपुर जिले में बस्सी-तूंगारोड बांसखोह लवाण-लोड़, रोजवाड़ी से माधोगढ़ रोड, कानोता से सामरिया रोड पर सड़कों के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. वन विभाग द्वारा सिचाई बंध पृथ्वीपुरा (जयपुर) के पास उपलब्ध गोचर भूमि में तथा पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल बांसखोह-नईका महादेव मेला स्थल पर संजय वन लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

52. वन विभाग द्वारा गरीब लोगों को विना शुल्क जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

53. वृक्षों की नाजायज कटाई को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा)

54. झुंझुनू से उदयपुरवाटी सड़क के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के किसानों को फलदार वृक्ष उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

56. झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने और वहां पर हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

57. वन विभाग द्वारा उदयपुर नगर में कोयला एवं लकड़ी के वितरण में अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

58. वनों की रक्षा करने में वन विभाग के कर्मचारियों की असमर्थता इस पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

59. जिला बांसवाड़ा वन विभाग की ओर से चलाये जाने वाले कल्चर कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिए।

60. वन भूमि की काबिल-काश्त भूमि को राजस्व विभाग को नहीं दिये जाने से पुराने काबिल किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

61. प्रोजेक्ट एरिया सवाई माधोपुर के जंगली जानवरों द्वारा काश्तकारों की फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए।

काश्तकारों को शस्त्र (भारी आवाज हेतु) रखने की सुविधा वन विभाग द्वारा दिलाये जाने की चर्चा के लिए।

62. टाइगर प्रोजेक्ट ऐरिया सवाई माधोपुर में हर वर्ष कृषकों से वन विभाग द्वारा वसूली करने के उपरान्त भी पशुओं को चराने की सुविधा नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63. वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सवाई माधोपुर खण्डार क्षेत्र के वनों की अवैध रूप से कटाई करवाने पर चर्चा के लिए।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी),

श्री बालचन्द्र आर्य (डग)

64. जंगल की सूखी जलाऊ लकड़ी व घास गांवों के व्यक्तियों को उपलब्ध करवाये जाने हेतु चर्चा के लिए।

65. वन विभाग द्वारा ऊंट, गाय, बैल भैंस आदि जानवरों को वनों में चरने की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66. जंगलों की सीमाबन्दी हेतु की गई

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

तारबन्दी में रास्ता रखवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. जंगलों की समतल कृषि योग्य भूमि को राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

68. सिवाना रेन्ज में पेड़ों की कटाई को रोकने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

69. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराडा)

70. सराडा तहसील की वन भूमि के विवाद निपटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

71. वनों की अवैध कटाई रोकने एवं वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं जलाऊ लकड़ी व चारे की दरों में कमी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शोभराज मल (चित्तौड़ गढ़)

72. वनों की सुरक्षा कराने हेतु एवं अवैध कटाई को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगनसिंह (बयाना)

73. वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

74. वनों की अन्धाधुन्ध कटाई पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

75. पीपल्दा क्षेत्र में चल रहे भूमि कंदरा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत पुराने बने हुए क्षतिग्रस्त मिट्टी के चेक डेम्स की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

76. पीपल्दा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किसानों को उनकी वर्षों से काबिज भूमि को नियमित किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग),

श्री छीतरलाल आर्य (अटरु),

77. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को

(श्री हीरालाल आर्य)

समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिए।

78. जंगलों की अंधाधुन्ध व अवैध कटाई को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग),

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

79. वन विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के सेवा नियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (कठूमर)

80. सवाई माधोपुर जिले की वन सम्पदा को सुरक्षित रखने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

81. भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की चारदीवारी पूरी नहीं बनाये जाने से काश्तकारों की फसलों के बरबाद हो जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

82. भरतपुर जिले में कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की आवश्यकता होने पर भी इसकी उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

83. ग्रामीण वन लगाने के लिए ग्राम पंचायतों का सहयोग लेने हेतु चर्चा के लिए।

84. वनों के हरे वृक्षों की कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

85. जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग द्वारा घास का परमिट बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

86. काश्तकारों को कृषि योग्य कार्यों के लिए लकड़ी काटने के लिए वन विभाग से परमिट दिलायो जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

88. वनों के संरक्षण तथा नये वन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी)

89. जयपुर-आगरा मार्ग से लगी हुई ग्रामीण सड़कों को ग्रीन बेल्ट में लिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

90. कोटा जिले के फार्म फोरेस्ट्री के लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. किशनगंज शाहवाद (कोटा) के वनों की अनाधिकृत कटाई पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

92. वन सम्पदा के बेचान हेतु किये गये राजकीय व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

93. दरागेम्स सैंक्चुरी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किये गये खनन पट्टों को रद्द करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

94. कोटा के पास दरागेम्स सैन्चुरी में शेरों की सुरक्षा व्यवस्था ठीक न होने से उनकी नस्ल समाप्त हो जाने की आशंका पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)

95. कृषकों के लिए सूखी जलाऊ लकड़ी का महसूल कम किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

96. पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत चरागाहों में वन विभाग के माध्यम से पौधे लगाये जाने हेतु चर्चा के लिए।

97. ग्राम पंचायत बैरागढ़ प. स. बदानी के क्षेत्र को कृषि योग्य वन भूमि को भीम सागर बांध की डूब में आने वाले, कृषक विस्थापितों को दी जाने हेतु राजस्व विभाग में हस्तानान्तरित करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

98. जिला भीलवाड़ में वनों की अवैध रूप से हो रही कटाई को रोक थाम हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

99. विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से रामगंज मण्डी तहसील के प्लांटेशन उण्डवा को कुछ ग्रामीणों द्वारा पशुओं से उजाड़ देने पर चर्चा के लिये

100. रामगंज मण्डी तहसील में वन के किनारे बसे गांवों के लोगों को जलाऊ लकड़ी नहीं मिलना व पशु-

(श्री हरीश शर्मा)

श्रों को चराने की सुविधा नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्री रामघन चौधरी (लाडनूं)

101. राजस्थान में जंगलों की अवैध कटाई को रोकने व पौध संरक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड (जैतारण),

श्री गोकुल चंद शर्मा (सुमेरपुर),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

102. किसानों को अपनी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए वन विभाग द्वारा प्रोत्साहन देने के लिए पौध उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री भालू खां (चूरू)

103. चूरू जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कृषकों को परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (मांडल)

104. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

105. जिला नागौर में डीडवाना क्षेत्र के किसानों को फलदार वृक्ष उपलब्ध करवाने की आवश्यकता के विषय पर चर्चा के लिये।

106. नागौर तहसील डीडवाना में जंगलों के हरे पेड़ काटकर बेचने को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

107. घाना राष्ट्रीय उद्यान को विकसित करने में ढिलाई बरतने के क्रम में चर्चा के लिए।

108. वाइल्ड लाईफ के विकास की संभावनाओं को प्राथमिकता नहीं देने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

109. हरणी महादेव (भीलवाड़ा) में पहाड़ियों के पास पेड़ लगाने व मेडबन्दी कर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल जोशी (राजगढ़)

110, सिरसका टाइगर प्रोजेक्ट से चार पांच तहसीलों के किसान व पशुधन वाले लोगों को हो रही हानि के औचित्य पर चर्चा के लिए

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

111. कोटा जिल में तेजी से वनों की

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कटाई को रोकने में विभाग पूरी तरह असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112. कोटा जिले के शाहबाद क्षेत्र के वनों से उत्पादित आयुर्वेदिक औषधियों की सुव्यवस्थित रूप से विभाग द्वारा उनको बेचान की व्यवस्था कर राज्य कोष में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

113. बीकानेर डिवीजन में बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने हेतु वन विभाग द्वारा शुष्क जलवायु सहन करने वाले पौधे ज्यादा संख्या में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. राजस्थान मुख्य नहर की बरसलपुर व चारण वाला ब्रान्च के किनारे पर वन विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पेड़ लगाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

115. वर्ग 80-81 में वन विभाग द्वारा निर्धारित वृक्ष नहीं लगाने एवं लगाये गये वृक्षों की उचित देखभाल के अभाव पर चर्चा के लिये।

116. राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के समस्त भू-भाग का एक तिहाई वनों से आच्छादित करने में विभाग की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

117. छठी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप वनों में वृक्षारोपण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

118. वन्य जीवों को संरक्षण देने में विभाग की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. जलाऊ लकड़ी प्लान्टेशन की कमी से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

120. पौधशाला में अपेक्षित समय पर कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. फार्म फोरेस्ट्री द्वारा समय पर कृषकों को उचित मात्रा में निःशुल्क पौधे लक्ष्य के अनुसार वितरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. प्रदेश के वनों की घास एकत्रिकरण व सुरक्षित घास के सड़ जाने तथा समय पर वितरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. घना पक्षी अभ्यारण्य में नियम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के विपरीत चराई कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

124. घना पक्षी अभ्यारण्य से कदम्ब, देसी करील व विदेशी करील की अन्धाधुन्ध कटाई किये जाने से उत्पन्न समस्या चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

125. वर्ष 1970-81 तक अकाल राहत का करोड़ों रुपया वन रक्षा एवं वन उगाने पर व्यय किया लेकिन सफलता शून्य रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

126. उदयपुर नगर में वन विभाग के विक्रय डिपो में व्याप्त अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

127. वन विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदारों की मिली भगत से चित्तौड़ का जंगल साफ हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

128. वन विभाग द्वारा वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

129. वनों के चारों ओर टूटी बाउन्ड्री के निर्माण एवं तारों को बांधने में विभाग की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. वन लगाने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहन देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

131. वनों के हरे पेड़ों को काटने से न रोके जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

132. चित्तौड़ रेन्ज के पास रावत भाटा के पेड़े से जंगलात के करोड़ों रुपयों के जंगल के हरे वृक्षों को नष्ट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. जयपुर के जल महल का पर्यटकों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

को आकर्षित करने हेतु विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2. राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नये पर्यटन केन्द्र बनाने एवं पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं के विस्तार हेतु चर्चा के लिए।

3. सीकर जिले के सकराय (माताजी) के स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराने हेतु चर्चा के लिए।

4. राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कतिपय क्रिया-कलापों में आमूल-चूल परिवर्तन कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना),

5. बिलाड़ा में बाणगंगा के पास मिडवे स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना),

6. पर्यटन स्थलों के विकास में वांछित गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

7 भीलवाड़ा जिले के हरनी महादेव स्थान तथा मेनाल को पर्यटन क्षेत्र घोषित करा कर इन के विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

8. विश्व के पर्यटन मानचित्र में उदयपुर नगर के होते हुए भी सरकार द्वारा इसके विकास को ओर विशेष ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

9. सामोद ग्राम के ऐतिहासिक महत्व के महल के कारण इस पहाड़ी स्थान पर पर्यटन स्थल स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

10. पहियों पर राजमहल रेलगाड़ी को सप्ताह में 2 बार अजमेर तक लाने में पर्यटन विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

11 पर्यटकों की सुविधा के लिये चित्तौड़, दूदू पर मिडवे की सुविधा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

12. शाही रेलगाड़ी के बारे में रेल विभाग तथा पर्यटन विभाग के मध्य समझौते के स्पष्ट न होने के बारे में चर्चा के लिये ।

13. मेहन्दीपुर बालाजी को पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

14. रेल विभाग तथा पर्यटन विभाग, राजस्थान द्वारा शाही रेलगाड़ी चलाने के अविवेकपूर्ण निर्णय पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

15. पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु टोंक के राजमहल का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

16. पर्यटन के समग्र विकास की सम्भावनाओं और विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

17. पर्यटकों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए ।

18. आबू पर्वत पर पर्यटकों के लिए ठहरने का उचित प्रबन्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए ।

श्री सूर्यकुमार (नैन)

19. बूंदी जिले के ग्राम डुगारी, तलवास, बादोला को पर्यटन केन्द्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

20. जालोर जिले में पर्यटन विकास की ओर ध्यान न दिये जाने बाबत चर्चा के लिए ।

श्री अमराराम चौधरी (पंचपदरा)

21. बाड़मेर जिले के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित कराने बाबत चर्चा के लिए ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

22. राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुचित योजना के अभाव पर चर्चा के लिए ।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

23. राज्य सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिए ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

24. केशवरायपाटन को पर्यटन स्थल घोषित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मन्नाराम चौधरी (नागौर)

25. पर्यटन विभाग द्वारा मेले एवं समारोहों में किये जाने वाले अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

26. नीमकाथाना तहसील के बालेश्वर को पर्यटन स्थल घोषित कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा)

27. झुन्झुनु जिले के शाकम्बरी स्थान को पर्यटन स्थान के रूप में विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिह भाटी (कोलायत)

28. राजस्थान में जहां-जहां ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल हैं वहां पर पर्यटकों के लिए गैस्ट हाऊस बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

29. मेवाड़ को पर्यटन काम्पलेक्स बनाने हेतु किये गये सर्वे के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने में सरकार की उदासीनता एवं उदयपुर तथा आबू को पर्यटकों की सुविधानुसार विकसित कर पर्यटकों को सुविधाजनक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. चावण्ड, कुम्भलगढ़ दुर्ग, ऋषभदेव एवं जय समन्द को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. जयसमन्द झील में हाऊस बोट बनाकर विदेशी पर्यटकों के आकर्षण हेतु विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिह भाटी (कोलायत)

32. पर्यटन की दृष्टि से कोलायत व देशनोक में टूरिस्ट बंगला बनाने हेतु चर्चा के लिए।

33. बीकानेर जिला अन्तर्गत देशनोक, करणीमाता मन्दिर उम्मेदसर, गजनेर, देवीकुण्ड सागर व कोलायत जैसे ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों को खूबसूरत बनाने में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

34. सवाई माधोपुर को पर्यटन स्थल घोषित करने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

श्री बालचन्द्र आर्य (डग)

35. जयपुर के पर्यटन स्थलों को आकर्षक बनाये जाने के विषय में चर्चा के लिए।

36. टोडारायसिंह को पर्यटन केन्द्र घोषित कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

37. गोगुन्दा को पर्यटन स्थल घोषित करने बाबत चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराडा)

38. चावण्ड स्थित महाराणा प्रताप स्मारक को पर्यटन स्थल बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री जगनसिंह (बयाना)

39. भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में प्राचीन ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थल घोषित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगू)

40. बेगू तहसील के मेनाल नामक ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जेठमल बरब्ड़ (परबतसर)

41. मकराना में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट बंगला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

42. पीपल्दा क्षेत्र के कमलेश्वर, इन्द्रगढ माताजी, बालेश्वर महादेव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

43. नायब तहसील इन्द्रगढ में डोबरली गांव के पास मालादेवी गुफा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

44. टोंक में मिडवे बनाकर पर्यटन केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. निवाई शहर (कस्बे) को प्राकृतिक सौन्दर्य के आधार पर पर्यटन केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिन्डौन)

46. सवाई माधोपुर जिले में नेशनल पार्क होते हुए भी पर्यटन स्थान

(श्री भरोसी)

घोषित करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)
श्री कुन्जीलाल (वामनदास)

47. पर्यटन विभाग के निदेशक की पर्यटन सम्बन्धी दक्षता न होने के बारे में चर्चा के लिए।

48. पर्यटन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु विभाग की टूरिस्ट बस चालू कराने हैतु चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

49. पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से राज्य के ऐतिहानिक व पुरातत्व स्मारकों को पर्यटक स्थल घोषित कर विकसित कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

50. ग्राम बूढ़ादीत जिला कोटा को पर्यटन केन्द्र की सूची में सम्मिलित कराने बाबत चर्चा के लिए

51. जयपुर-कोटा के बीच में टोंक में बंधे के आसपास मिडवे बनाने बाबत चर्चा के लिए।

52. कोटा जिला स्थित गैपुरनाथजी एव चारचौमा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारन),

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

53. पाली जिले के ऐतिहासिक स्थानों पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न स्थलों पर मिडवे (Midway) बनाने बाबत चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

54. राज्य के बाहर के सरकारी पर्यटन कार्यालयों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

55. राज्य में पर्यटन नीति के अभाव से विभाग की दिशाहीनता के क्रम में चर्चा के लिए।

56. जयपुर में नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा हाथी चालकों से अनियमित राशि वसूल करने के क्रम चर्चा के लिए।

57. राज्य में पर्यटकों की अत्यावश्यक सुविधाओं के अभाव के क्रम में चर्चा के लिए।

58. जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी स्थल की पुरानी पर्यटन योजना को पूरा

(श्रीमती विद्या पाठक)

न करने के क्रम में चर्चा के लिए।

59. राज्य में दर्शनीय स्थलों की दुरावस्था के विषय में सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

60. शाही रेलगाड़ी की योजना को कारगर ढंग से लागू करने में पर्यटन विभाग की असफलता के क्रम में चर्चा के लिए।

61. राज्य में नये पर्यटन स्थल विकसित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

62. राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन सम्भावनाओं को समुचित रूप से विकसित नहीं करने पर चर्चा के लिए।

63. मेवाड़ काम्पलेक्स चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर की पर्यटन योजनाओं की क्रियान्विति पर सरकार की उदासीनता के विषय में चर्चा के लिए।

64. राज्य पर्यटन निगम की असफलताओं के कारण निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारी लाल पारीक (मांडल)

65. मांडल क्षेत्र में पर्यटन की समस्याओं तथा विकास की सम्भावनाओं पर चर्चा के लिए।

श्री भालू खां (चूरू)

66. चूरू के ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

67. राजस्थान राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने में पर्यटन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

68. पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की मूल धारणाओं को समझ पाने की असमर्थता पर चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

69. राजगढ़ स्थित झरने तथा नारायणजी, पाण्डूपोल आदि तीर्थ स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विभाग द्वारा विकास किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

70. बीकानेर के पर्यटन स्थलों का आवश्यक प्रचार नहीं किये जाने, बीकानेर ढोलामारू के प्रचार कराने तथा कोलायत में "मिडवे" न बनाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

71. बीकानेर का मुख्य आकर्षक केन्द्र "जूनागढ़" की बाढ़ क्षतिग्रस्त दीवार व अन्य स्थानों की पर्यटन विभाग द्वारा शीघ्र मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

72 उदयपुर जिले की प्रसिद्ध झील जयसमन्द को पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाया जाये, इस पर चर्चा के लिए।

73. उदयपुर में पर्यटकों के आवागमन के साधन पर्याप्त नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

74. मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिए।

75. उदयपुर नगर विश्व पर्यटन के मानचित्र पर आ चुका है पर उसका विकास विभाग ने अब तक नहीं किया है इस पर चर्चा के लिए।

व्यवस्था का प्रश्न

विभागों के प्रगति विवरणादि के वितरण में विलम्ब

श्री यदुनाथसिंह : मैं अर्ज कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं और जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है वह रात को देर से मिलती है या सुबह बहुत जल्दी मिलती है उसका अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिये अगर वार्षिक प्रतिवेदन पहले से मिले, उसका अध्ययन करके आयें तो बहस में कोई तत्व निकले।

श्री अध्यक्ष : यह वन और पर्यटन की कब मिली है ?

श्री यदुनाथसिंह : सुबह ही मिलती है, अध्यक्ष महोदय।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सुबह साढ़े नौ बजे मिली है, साहब, यह।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने यहां से तो आपके यहां 8 तारीख को भेज दी।

श्री अध्यक्ष : 8 को भेजी तो 9, 10 की छुट्टी थी। जितने विभाग हैं, माननीय सदस्यों के पास इस तरह के प्रतिवेदन, मांगें जब विचारार्थ ली जायें उससे काफी पहले वितरित हो जाने चाहिये ताकि वे अध्ययन

(श्री अध्यक्ष)

कर सकें उसके पश्चात् सदन में उस विभाग या उस मांग के संबध में चर्चा कर सकें। मैं समझता हूं कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 4–5 रोज पहले भेज दी गई, छुट्टियों के कारण डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, लेट हुई है।

श्री अध्यक्ष : छुट्टियों का भी आइन्दा ध्यान रख लीजिये कि बीच में छुट्टियां हैं। श्री जगनसिंह।

मांग संख्या 9 व 47 पर विचार

श्री जगनसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वनों की संख्या बहुत अधिक है लेकिन·······

श्रीमती उजला अरोड़ा : कटौती प्रस्ताव मेरा सर्वप्रथम है, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी आप बहिर्गमन कर गई थीं इसलिये आप सुन नहीं सकीं। आप अपने दल की तरफ से नाम भिजवाइये, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव आये हैं हमने यह समझ लिया कि वह मूव कर दिये गये हैं। आपका दल की तरफ से नाम आना चाहिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब कटौती प्रस्ताव दिये हैं, फिर क्या जरूरत है कटौती प्रस्ताव देने की ?

व्यवस्था का प्रश्न
कटौती प्रस्तावों का
यथा समय उत्तर

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सदस्य, क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी, मैं क्षमा चाहता हूं, वाक आउट मे था, सभी कटौती प्रस्ताव मूव किये हुए माने जायेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जवाब आ जायेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब आ जायेगा ? पिछले मार्च में जो कटौती प्रस्ताव थे उनका जवाब सितंबर में आया। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इसकी भी सचिव महोदय से सचिवालय से जानकारी करें। बार-बार निवेदन करने के बाद भी सरकार ने सितबर में जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : इस वर्ष ऐसी व्यवस्था करेंगे कि माननीय सदस्यों को समय पर या शीघ्र उनके उत्तर मिल जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : एक महीने में या कोई तिथि निश्चित कर दी जाये जो सरकार कह दे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तिथि तय कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थिति का अध्ययन करके मैं निवेदन कर दूंगा। श्री जगनसिंह।

मांग संख्या 9 व 47 पर विचार

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वनों की संख्या अधिक है, जिसमें पूर्वी राजस्थान वनों से आच्छादित है। यह कहावत है कि जंगल पेड़ों से और घर बच्चों से शोभा देता है। लेकिन जहां पेड़ों को बच्चों की तरह पाला जाता है, दूसरी तरफ उन्हीं पेड़ों को चन्द लोग अपने स्वार्थ के लिये, अपने भले के लिये बड़ी निर्दयता से काटते हैं।

आज राजस्थान में जो इतने बड़े पैमाने पर वनों की अवैध कटाई चल रही है वह बड़े आदमियों, अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि जो अवैध कटाई चल रही है पेड़ों को निर्दयतापूर्वक बड़े पैमाने पर काट-काट करके अवैध रूप से लकड़ियों की निकासी चल रही है उस पर रोक लगाई जाये।

अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बयाना क्षेत्र, भरतपुर जिले में है। इस क्षेत्र का करीब 60–70 प्रतिशत भाग वनों से भरा हुआ है। एक तरफ बसेड़ी की डांग है, दूसरी तरफ बाजना की डांग है और तीसरी तरफ के गांवों में धोक के पेड़ हैं। अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र भी इस संकट से बच नहीं पाया है और यहां भी अवैध कटाई चल रही है। रोज गाड़ी की गाड़ी, ऊंट के ऊंट, लड्ढे के लड्ढे लकड़ियों से लद-लद कर के अवैध रूप से बाहर जा रहे हैं और आरा मशीन पर, कारीगर के घर पर व स्टालों पर लकड़ियों के ढेर लगते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्लान्टेशन स्कीम चालू की है। मेरे क्षेत्र में भी एक-दो जगह यह स्कीम चालू की है। यह बहुत सराहनीय कार्य है अगर इसको सही ढंग से किया जाये तो वास्तव में यह प्रशंसा के योग्य कार्य है। भरतपुर से जब जयपुर रोड पर आते हैं तो चारों तरफ हरियाली से लदे पेड़ हैं, जो बहुत ही सुन्दर लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में यह स्कीम चालू की गई है लेकिन वहां यह बड़ी विपरीत अवस्था की गई है। शेरगढ़ में करीब 1500 बीघा रकवा ऐसा है जो प्लान्टेशन स्कीम के योग्य है। अध्यक्ष महोदय, प्लान्टेशन स्कीम के योग्य रकबा है, उबड़-खाबड़ रकबा है वास्तव में किसी काम में आने वाला नहीं है, वहां पर पेड़ लगाये जायें तो किसी काश्तकार को नुकसान होने वाला नहीं है। उस स्थान को छोड़ कर के अधिकारियों ने ऐसे गांव में स्कीम चालू की है जिसको चारों तरफ से गंभीर नदी ने घेर रखा है, बाढ़ से आये साल वहां का किसान पीड़ित होता है पशुओं के चरने का कोई रकबा नहीं है। उस जगह अधिकारियों ने जान-बूझकर प्लान्टेशन स्कीम चालू की है। लेकिन वहां आज चंद पेड़ हैं फिर भी उन काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस जगह को छोड़ करके 100–150 बीघा रकबा खाली है, उससे आगे 1300–1400 रकवा पड़ता है उसमें चाहे जितने वन

(श्री जगनसिंह)

सरकार लगा सकती है चाहे जितने पेड़ यह डिपार्टमेंट लगा सकता है।

दूसरी दर्रं बराहना स्कीम है। शेरगढ़ और दर्रं बरा- हना में एक ही साल में प्लान्टेशन स्कीम चालू की गई थी। शेरगढ़ में इन्टेन्शली पेड़ पहले लगा दिये गये और दर्रं बराहना में आज तक एक भी पौधा नहीं लगाया गया है जहां कि पहाड़ है। मैं निबेदन करना चाहूंगा कि दर्रं बराहना में प्लान्टेशन किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भगोरी, डुमरिया, नहरोली, पुरा हरलाल, कपूरी मलूका इत्यादि गांव ऐसे हैं, जो कि पहाड़ों से, जंगलात से मिले हुए हैं। यहां पशुओं के चरने की बड़ी अव्यवस्था रहती है। आज भी यहां के काश्तकार 25–30 रुपये मन के भाव में कुट्टी खरीद कर पशुओं को चरा रहे है।

(4.44 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र की रेवेन्यू के बदले में इन काश्तकारों से पशुओं की चराई ले ली जाये, पैसे ले लिये जायें और उनको छूट दी जाये। दूसरा मैं इस जिले का रहने वाला हूं, वहां का नागरिक होने के कारण घना के ऊपर भी दो शब्द कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले यह सवाल कई रूपों में उठ चुका है। आज घना की जो स्थिति है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। घना को नेशनल पार्क घोषित किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके चारों तरफ जो गांव हैं, जो आबादी है, उन गांवों के बीच में जो जमीन पड़ती है, वह बरसात के पानी में पूरी की पूरी ढक जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, चारों तरफ पानी भरने के कारण इन गांवों के पशु घना से बाहर नहीं निकल सकते हैं। केवल यहां घना की जमीन ऐसी रह जाती है जहां पर पशु आकर खड़े रह सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन पशुपालकों के पशुओं के चरने की जब तक कोई अन्त-रिम व्यवस्था न हो तब तक इस घना में उनको चरने की छूट दी जाये। अगर उनको बन्द कर दिया गया पशुओं को नहीं जाने दिया गया तो काश्तकारों, पशुपालकों और वहां की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

जो पर्यटन वाली बात है, वह 47 नम्बर की मांग है। उसके ऊपर भी दो शब्द कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, देश के इतिहास को···

(व्यवधान)

एक मोड़ देने वाला जो युद्ध हुआ था वह खानबा का युद्ध हुआ था। इससे भारत देश का इतिहास ही दूसरी तरफ मुड़ गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह खानबा का युद्ध जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, बयाना से, वहां हुआ था। उस युद्ध की साक्षी देने वाले अवशेष खण्डहर आज भी विद्यमान हैं, जो ऐतिहासिक हैं। वहां की लोकल कहा-वत है कि अगर ढाई कब्र और बन जाती

(श्री जगन्नसिंह)

तो वह मोहम्डन, मुस्लिम आबादी के लिए मक्का, मदीना जैसी पवित्र स्थली हो जाती। उपाध्यक्ष महोदय, उस स्थान को पर्यटन विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से बिलकुल उपेक्षित रखा गया है। उस पर वहां के चन्द आदमी, व्यापारी वर्ग द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। जो इतना ऐतिहासिक स्थान है अगर उसकी ऐसी हालत रही तो वह एक दिन आबादी में बदल जायेगा। जहां पर खानवा का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के विवरण से भारत के इतिहास के पन्ने रंगे पड़े हैं वह इतिहास में केवल पढ़ने के काबिल रह जायगा। उपाध्यक्ष महोदय वहां पर देखने वालों कोई चीज नहीं रह पायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बाबर का सेनापति अबू बकर था, उसका बहुत ही बढ़िया मकबरा उस युद्ध की, उस वीर सेनापति के शौर्य की गाथा कहता है। उपाध्यक्ष महोदय, उस मकबरे को देख कर आप भी एक बार भाव-विभोर हो जायेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे हमारे सामने ही इस महान सेनापति ने अपनी बलि दी थी, युद्ध लड़ा था। आप स्वयं को युद्ध स्थली में खड़ा हुआ महसूस करेंगे। मैं भी जैसे इस युद्ध में खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बयाना में तलाकी मस्जिद मौजूद है। आज भी वह अपनी दुर्दशा की गाथा आने जाने वालों को सुनाती हुई अपनी ओर आकर्षित करती है। उपाध्यक्ष महोदय, तलाकी की मस्जिद वह है जहां बाबर ने शराब न पीने की सौगन्ध ली थी। उस मस्जिद के ऊपर बाबर ने करो या मरो का उपदेश अपनी सेना को दिया था लेकिन वह आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एकमात्र ऊषा मन्दिर है वह बयाना में है। पुरानी कलाकृति–पुरानी बनावट, नमूने इत्यादि मौजूद जो, हैं देखने योग्य हैं। उससे लगा हुआ है दरबार–ए खास जहां पर दरबार लगा करता था। वहां के इतिहास को नया मोड़ देने वाला यह दरबार–ए खास मौजूद है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे हटते ही पहाड़ी पर जो ऐतिहासिक किला है वह आज भी अपने आप में एक अनूठा किला है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें बाजार है, बावड़ी है और अवादों के रहने योग्य है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर ही भीम लाट इत्यादि ऐसे देखने योग्य स्थान हैं, जिनको देखने वाला भाव विभोर हो जाता है पुराने इतिहास को याद करता है और पुराने खण्डहरों को देख कर खुश हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसको पर्यटन स्थल में ले लिया जाय, पर्यटन विभाग में ले लिया जाय तो यह राजस्थान के लिये ही नहीं वरन् हिन्दुस्तान के लिये भी गौरव का विषय होगा। इससे रेवेन्यू बढ़ेगी और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनको यह आकर्षित करेगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि बयाना में जो इतिहास के अवशेष इतिहास की याद दिलाने वाले

(श्री जगनसिंह)

खण्डहर अलग-अलग स्थानों पर हैं, उनको पर्यटन विभाग में लेकर सरकार अपनी सुरक्षा में ले और उनका डवलपमेंट करे। धन्यवाद।

श्री पाउध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षो से धीरे धीरे जिस तरह वन विभाग का बजट बढ़ता जा रहा है उसी मात्रा में पेड़ों की संख्या घटती जा रही है और जो नये पेड़ लगने चाहिए उनकी संख्या घटती जा रही है। आखिर यह कब तक घटती जायेगी ? क्या राजस्थान के अन्दर पूरा रेगिस्तान ही बना देना है ? अगर इसलिये ही वन विभाग बना हुआ है तब तो ठीक है बाकी इस वन विभाग का नाम बदलकर वन विनाश विभाग कर देना चाहिए क्योंकि इस विभाग के बनने के बाद से ही पेड़ कटते चले गये हैं। संख्या देते हैं कि 3 करोड़ पेड़ लगा दिये, पता नहीं कहां लगा दिये, कहां नहीं लगाये हमको तो कहीं दिखते नहीं है। सरकारी अधिकारियों ने आपको आंकड़े दे दिये और मंत्री महोदय ने उसको लिखकर आपको भेज दिया, दिखते तो कहीं पर भी नहीं हैं पेड़। हम लोग पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं इसलिये हम तो वनों को समझते नहीं हैं। हम तो पेड़ इसलिये लगाते है कि उसके पत्ते अपने जानवरों को खिला सकें। वन कहीं पर पूर्वी राजस्थान में हों तो हों हमारे यहां तो पेडों की संख्या धीरे-धीरे ऐसी हालत में पहुंच गई है कि करीब-करीब आज हर पेड़ जो है वह शहरों में जा रहा है, भट्टे वाले ले जाते हैं। उसको सिर्फ जलाऊ लकड़ी के काम में लिया जा रहा है। पिछले चार सालों से अकाल पड़ता जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद उस क्षेत्र के हैं आप जानते हैं कि अकाल का किसी भी तरह से हमारे पास लड़ने का कोई जरिया है तो कहना चाहिए कि सिर्फ हमारे पास पेड़ मौजूद है। जिस वर्ष बारिश न हो, घास नहीं हो, तो पेड़ों के पत्ते अपने जानवरों को खिलाकर जिंदा रख सकें और उनसे हमारे कुछ फायदे हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वन विभाग को चलाया जा रहा है, उससे तो इस बीमारी का कोई इलाज होने वाला नहीं है। वन विभाग, जितने पेड़ों की आवश्यकता है, जितने पेड़ों की आज जरूरत है, उतने नहीं लगा सकता है। जब तक सरकार के अन्य विभागों को इसमें शामिल नहीं करेंगे अन्य विभागों का हम सहयोग लेकर पेड़ नहीं लगायेंगे तब तक अकेला वन विभाग भी उस मात्रा में पेड़ नहीं लगा सकता है जिस मात्रा में पेड़ कट रहे हैं। मुझे इस बाबत दो चार सुझाव देने हैं।

हमारी प्रधान मंत्रीजी ने एक नया नारा दिया है "एक बच्चा एक पेड़"। मेरा सुझाव तो यही है कि "एक बच्चा एक पेड़ नहीं" बल्कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वह प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो चाहे सैकण्डरी का हो, चाहे मिडिल

(श्री माधवसिंह दीवान)

स्कूल का बच्चा सो हरेक को पाबन्द किया जाये कि जो मास्टर हैं, उनको साथ लेकर हर साल एक एक बच्चा 10-10 पेड़ लगाये पेड़ों की रखवाली करने का जिम्मा भी स्कूल वालों का ही हो। आज 30-40 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे है, तो कम से कम तीन चार करोड़ पेड़ तो स्कूल के बच्चे ही लगा देंगे। पानी पिलाना, उनकी सुरक्षा करना आदि काम तो खेल खेल में ही कर देंगे उससे जो आमदनी हो उसको स्कूल के कार्य में ही लगायी जाये, टाट-पट्टी चॉक खरीदने में उस पैसे को काम में लिया जा सकता है। हमारे एरिया के अन्दर अगर एक पेड़ पांच साल का हो गया है, तो उससे बड़ी आसानी से पत्तों को बेचकर आमदनी एक साल में पांच रुपया प्रति पेड़ कर सकते हैं। अगर एक स्कूल हजार पेड़ भी लगाये तो पांच हजार की आमदनी हो सकती है जिससे कि कमरों को बनवाया जा सकता है और टाट-पट्टी, चॉक वगैरह, जिनकी की आज कमी है वे उनको आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ ही साथ एक भी पैसा खर्च किये बिना अनेकों पेड़ राजस्थान में लग जायेंगे। इसी प्रकार से वन विभाग एक कार्यक्रम चलाता है। किसान अपने खेत में पेड़ लगाये परन्तु हम अभी तक किसान को इस बात के लिये प्रेरित नहीं कर पाये है कि किसान अपने खेत पर पेड़ क्यों लगाये। मेरा सरकार को सुझाव है, आज जो, हम किसानों पर बिगोड़ी या रेवेन्यू है, यों तो बहुत कम है लेकिन फिर भी उसका नाम ही हमारे ऊपर बहुत भारी है, अगर सरकार यह तय करे डिक्लेयर कर दे कि जो किसान एक बीघा में अंदाजन 20-25 पेड़ लगायेंगा चाहे वह मेड पर लगाये चाहे बाड़ पर लगाये, चाहे खेत के बीच में लगाये उसको सरकार बिगोड़ी माफ कर देगी तो उससे किसान को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और वह पेड़ लगा सकेगा। पेड़ को काम में ले सकते हैं। हमारे क्षेत्र में कृषि विस्तार कार्यक्रम चलता है, पतानहीं वर्ल्ड बैंक वालों

ने उसकी कैसे तारिफ कर दी। पता नहीं कृषि विस्तार कार्यक्रम की किस तरह से तारिफ की है। हम लोग तो करीब करीब यह देखते हैं कि यह ग्राम सेवक बिलकुल फर्जी बैठे रहते हैं उनके पास कोई काम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वन विभाग वालों से यह कहना है कि कृषि विस्तार में लोग करें या न करें पर पेड़ों का विस्तार उनके द्वारा जरूर किया जा सकता है। काश्तकारों के पास जाने के लिये उनके पास काफी कार्यक्रम हैं। उनको ये पेड़ लगाने की बात कह दी जाये, उनके टार्गेट फिक्स किये जायें कि इतने पेड़ काश्तकार के खेत में लगायें, तो जरूर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लग सकते हैं। परन्तु सबसे बड़ी प्राब्लम यह आती है कि सीड लिंग्स के समय पर वन विभाग से पेड़ ही उपलब्ध नहीं होते हैं। आर्डर पंचायत समिति की मार्फत आते हैं कि किस पंचायत समिति को कितने पेड़ चाहिए। हम लोग मार्च-अप्रेल में ही लिखकर भेज देते हैं, पर पेड़ आते हैं, सितम्बर अक्टूबर में जब कि बारिश का मौसम ही पूरा हो जाता है तब उनके गांव

(श्री माधवसिंह दीवान)

में पहुंचाने का क्या फायदा है ? काश्तकार उनको किस तरह से लगायेगा ? क्या फायदा है इन पेड़ों का वन विभाग के पहुंचाने का ? विभाग से कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रक्टर है, हम उससे कैसे पहुंचायें । इस तरह जो पेड़ मौजूद हैं उनको पहुंचाया नहीं जा सकता है तो पेड़ लगे नहीं इस बात की गलती किसकी है । मंत्री महोदय, इस ओर जरूर ध्यान दें ।

पिछले दिनों अखबारों के अन्दर छपा था कि आन्ध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को स्वीडन की गवर्नमेंट ने 45 करोड़ का लोन वृक्षा रोपण करने के लिये दिया है ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा का बैठक के निर्धारित
समय में वृद्ध

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का मांगें पारित हों तब तक समय के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया ।

मांग संख्या 9 व 47 पर विचार

श्री मधावसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जब आन्ध्र प्रदेश को 45 करोड़ का लोन विदेश से वनों के विकास करने के लिये प्राप्त हो सकता है, तो हमारी सरकार क्या सो रही है ? हमारी सरकार क्या कर रही है ? हमारे पास अपना पैसा नहीं है तो कम से कम लोन ले । इतनी जरूरी चीज है जो कि रेगिस्तान को बचाने के लिये भी काम में आ सकती है । अभी पिछले दिनों मैं यह पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी अमेरिका से 9 करोड़ रुपये मिले हैं । जब दूसरे प्रदेश दूसरे मुल्कों से पैसा ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं फायदा उठा रहे हैं ? इस बात का जवाब मुझे आशा है, मंत्री महोदय, अपने जवाब में कुछ जरूर पेश करेंगे ।

सबसे बड़ी मुश्किल किसानों को यह आ रही है कि जिस पेड़ को उगाते हैं उसको भेड़ बकरियों से बचाने का उनके पास कोई साधन नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार ऐसे आदेश जिला प्रशासन को दे कि जो पेड़ लगायें जाते हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो । इसके लिये कानून में अलग से प्रावधान करके जब तक भारी सजा का प्रावधान नहीं किया जायेगा तब तक भेड़ बकरी वालों से इन पेड़ों को नहीं बचाया जा सकता है, इसलिये जिला

(श्री माधवसिंह दीवान)

प्रशासन जब तक सक्रिय रूप से सहयोग नहीं देगा तब तक इन पेड़ों को नहीं बचा पायेंगे।

अन्त में सिर्फ मैं यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि वन विकास और पेड़ विकास राजस्थान के लिये सर्वोपरि है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसलिये इसके ऊपर जितना ज्यादा खर्च कर सकें उसके लिये अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, "जननी जन्म भूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी।"

इस बात की कल्पना कवि ने शायद इस आधार पर की होगी कि मेरी शस्य श्यामला भारत माता हरी भरी खेती एवं वृक्षों से आपूरित धरती है इसलिए उस कवि ने कल्पना की होगी। बंकिमचन्द्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वन सम्पदा को देखकर इतनी सुन्दर कल्पना भारत के विषय में की थी। कुल जमीन पर 33 प्रतिशत वन था। दुर्भाग्य है कि इन 32 सालों के अन्दर वह प्रतिशत घटते-घटते 8 प्रतिशत रह गया। मेरे राजस्थान में यह प्रतिशत सबसे कम है केवल साढ़े छः प्रतिशत जमीन पर वन हैं। राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश होने के नाते राजस्थान में वन सम्पदा अधिक बढ़ती, राजस्थान में वन सम्पदा अधिक बढ़ करके राजस्थान बहबूदी की तरफ बढ़ता, 'वृक्ष वृद्धि सर्व-समृद्धि' का नारा जो जगह जगह आज वन विभाग द्वारा लगाया जा रहा है, वह सर्वसमृद्धि की ओर बढ़ता लेकिन दुर्भाग्य है कि न मालूम क्यों, न मालूम किन कारणों से वन सम्पदा अधिक नहीं बढ़ रही। वन सम्पदा दिन प्रतिदिन ह्रास की तरफ जा रही है।

हिन्दुस्तान में केवल मेरा राजस्थान ही था जहां गांवों के नाम पेड़ों के आधार पर रखे जाते थे। राजस्थान में एक गांव का नाम खैरवाड़ा था। खैरवाड़ा का नाम खैरवाड़ा क्यों रखा? वहां खैर पैदा होता था। मेरे पास में एक नीमतला गांव था, उसका नाम नीमतला क्यों था? इसलिये कि वहां नीम के पेड़ हैं। नीम का थाना क्यों रखा? इसलिए कि वहां नीम के पेड़ थे। यहां पर राजस्थान में बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा क्यों रखा? इसलिये कि वहां बांस पैदा होते थे। लेकिन आज खैरवाड़ा साफ हो गया, खैरवाड़ा में वापस पेड़ लगाने के लिये वन विभाग ने एक योजना बनाई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस परियोजना के तहत आज से पांच महीने पहले खैरवाड़ा में डेढ़ लाख रुपये का एक फर्जी मस्टर रोल पकड़ा गया। वन मन्त्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पांच महीने पहले खैरवाड़ा में जो फर्जी मस्टर रोल पकड़ा गया उसका क्या हुआ, जाली मस्टर रोल पर क्या एक्शन लिया? आप बड़े ईमानदार हैं बड़े तपस्वी बनते हैं, आप दाढ़ी वाले आदमी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आप तपःदूत हैं, तो खैरवाड़ा में फर्जी मस्टर रोल का जो डेढ़ लाख रुपये का घोटाला हुआ उन घोटाला करने वालों को आपने दण्डित क्यों नहीं किया ? आप दण्डित नहीं कर सकते, हमने किया था। पिछले तीन साल में, हमारे जमाने में रावतभाटा में एक फर्जी मस्टर रोल पकड़ा गया था। हमने एक्शन लिया था। लेकिन जिन जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने एक्शन लिया था उन लोगों को एक्शन लेने के बाद सेवा से अलग नहीं किया गया। वह एक्शन क्रियान्वित नहीं होने देने के कारण रावत-भाटा का जो तीन लाख का फर्जी मस्टर रोल का घोटाला था, वह घोटाला आज खामोशी के बस्ते में बन्द पड़ा है।

मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, कि रावत भाटा में जो फर्जी मस्टर रोल बी. जे. पी., भारतीय जनता पार्टी के कार्य काल में पकड़ा गया था उस पर एक्शन लिया जाना था लेकिन वह एक्शन आज तक नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, कल मैंने आपसे पूछा था, माननीय मन्त्री महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टाइम का ध्यान रखें, बोलने वाले बहुत हैं, टाइम थोड़ा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहला ही व्यक्ति बोल रहा हूं। मैंने कल पूछा था रावत भाटा का क्या हुआ ? आपने बड़े दुखी हृदय से कहा कि दाऊदयालजी बड़ा दुखी हूं। श्रीमान् मन्त्री महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के इशारे पर यहां पर बड़ी बड़ी दाद दी जाती है, संजय गांधी का नाम लेकर सजय उद्यान लगाये जा रहे हैं, डेढ़ करोड़ पेड़ों के लगाने की घोषणा आप यहां कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ ? तीन करोड़ की इस साल घोषणा की, क्या हुआ ? कितने पेड़ कट गये रावत भाटा में ? रावत भाटा में डेढ़ लाख पेड़ कट गये। रावत भाटा में डेढ़ लाख पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं। 60 हजार रुपये प्रति माह का कोयला बना बनाकर सारे राजस्थान भर को सप्लाई कर रहे हैं।

कल मैंने कोटा के एक व्यापारी से पूछा था यह तुम्हारे पास कोयला कहां से आता है, कोयले का धन्धा तो सरकार करती है। उसने कहा, मध्य प्रदेश से आता है। मैंने कहा, मध्य प्रदेश से आता है राजस्थान में ! वहां व्यापार निगम है यह कैसे आता है ? कहने लगे, दाऊदयालजी यह कोयला गुलाम अब्बास बना रहा है, वहां से आ रहा है। गुलाम अब्बास फोकट में, बिना पाई दिये हुए बना रहा है। उसने एक पैसा नहीं दिया।

मत्स्य परियोजना अधिकारियों के इशारे पर वह योजना बनी।

माननीय सदस्य, आप ट्रान्सफर की बात बाद में कर लेना, मैं बात नहीं कहूंगा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जब तक माननीय मन्त्री महोदय सुनेंगे नहीं, वह ट्रान्सफर की बात कर रहे हैं बात नहीं सुन रहे हैं, वह सुन नहीं रहे हैं बात कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, वन) : मैं सुन रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सदस्य, आप तबादले की बात बाद में कर लेना हमारी बात सुन लें। मैं निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने समझा आपने भाषण बन्द कर दिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानरवा काण्ड से भी भयंकर काण्ड रावत भाटा का हुआ जिसमें आज तक डेढ़ लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। दस साल तक वह जंगल कटेगा। साठ हजार रुपये प्रति माह का वह जंगल कट रहा है, कट करके कोयला बन रहा है। मत्स्य परियोजना अधिकारियों के इशारों पर दस साल तक बिना एक पाई, एक पैसा दिये वह व्यक्ति जंगल काटेगा। माननीय मन्त्री महोदय तो उससे दुखी हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मुझे याद है कि सुखाड़ियाजी के गुलाम अब्बास से सीधे-सीधे सम्बन्ध थे और मैं माननीय मुख्य मन्त्री, श्री माथुर साहब पर चार्ज लगाता हूं कि आज भी उनके इशारों के कारण पानरवा काण्ड के बाद यह एक बहुत बड़ा काण्ड रावतभाटा में हो रहा है चूंकि वह भीलवाड़ा से सम्बन्धित हैं और ठेकेदार उदयपुर से सम्बन्धित है, इसलिए पानरवा काण्ड से भी भयंकर काण्ड रावत भाटा में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, क्या किया आपने रावत भाटा का ? आपकी दाढ़ी तो बढ़ रही है लेकिन पेड़ कट रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं अभी जवाब दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : रावत भाटा के लिये आज आपने क्या किया ? स्टे नहीं लिया। स्टे आपने लिया ? कहां स्टे लिया था ? स्टे लेने के बाद क्या हुआ ? आपने पैरवी की ? नहीं की। मेरे पास तारीख है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इशारा करूंगा, माननीय मन्त्री महोदय को इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, जवाब भी देंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि आपने स्टे लिया, स्टे लेने के बाद 29.4.81 तारीख पड़ी, फिर 15.5.81 की तारीख पड़ी। आपकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं गया तब किसने एप्लीकेशन दी ? आपका व्यक्ति पहुंचा ही नहीं, उस बिना पर उस आदमी का स्टे कन्फर्म हो गया। आज भी दुनिया में ऐसे बेरिस्टर हैं, इतने अच्छे एडवोकेट्स हैं जो स्टे वैकेट करवा सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि पानरवा से भयंकर घोटाला

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुआ, इस बड़े काण्ड में आप स्टे करवा सकते थे, स्टे नहीं करवाने का कारण क्या है ?

मै आपसे जवाब चाहता हूं कि मत्स्य परियोजना अधिकारी, रावतभाटा, जिलाधीश चित्तौड़गढ़ एवं उप मुख्य वन संरक्षक, परियोजना कोटा द्वारा वन विभाग की भूमि पर खड़ी वन सम्पदा को निशुल्क हटाने का ठेका देना क्या नियम विरुद्ध नहीं है ? मैं पूछना चाहता हूं क्या मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने रिपोर्ट की है कि इस ठेके की सारी कार्यवाही सन्देहास्पद है ? क्या आपने उस रिपोर्ट की जांच कराई है ? मैं पूछना चाहता हूं जब राज्य सरकार ने लकड़ी कोयले का ठेका नहीं देने की नीति बनाई हुई है तब आपने उस व्यक्ति को कैसे अनुमति दी ? वह व्यक्ति कैसे कोयला बना रहा है, कैसे लकड़ी काट रहा है ? मैं पूछना चाहता हूं राजकीय भूमि पर उग रही वन सम्पदा को हटाने का कार्य वन विभाग के विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा किये जाने के राज्यादेश हैं तो फिर मत्स्य परियोजना अधिकारी एवं उप मुख्य वन संरक्षक ने स्थानीय स्तर पर ही एक निजी ठेकेदार को यह ठेका देने का निर्णय किस प्रकार से ले लिया ? मैं पूछना चाहता हूं कि संजय गांधी के सपने पूरे हो रहे हैं ? संजय गांधी के सपनों की आपको चिन्ता भी नहीं है संजय गांधी के सपने वास्तविक सपने रहे थे लेकिन आप तो आज उन स्वप्नों को धूमिल करने जा रहे हैं।

माननीय मन्त्री महोदय, रावतभाटा के फर्जी मस्टर रोल के बाद फार्म फारेस्टरी पर चर्चा हुई थी। रावतभाटा में पेड़ लगाने के लिये एक पेड़ के चार रुपये के हिसाब से प्रति किसान को दे रहे हैं, यह इस साल में आपने तय किया है। सात लाख पौधे किसानों को बांटे गये। पिछली बार पांच लाख, 47 हजार पौधे आपने जिलों मे बांटे थे। कितने पेड़ जीवित रहे ? कोई हिसाब नहीं। X X X जिसके तहत कलेक्टर और वन अधिकारी आपस में मिल-जुलकर पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं। एक करोड़ रुपया कोटा, बून्दी, झालावाड़ के अन्दर फार्म फारेस्टरी के नाम पर खर्च हो चुका। एक करोड़ की बजाय एक लाख पेड़ भी आज की तारीख में खड़े नहीं हैं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं फार्म फारेस्टरी कराना चाहते हैं तो जाओ हरियाणा में, जाओ पंजाब में और देखो कितना वहां पर प्रोत्साहित करते हैं। गुजरात में फारेस्टरी देखने के लिये जाओ वहां कितने पेड़ उगे हैं। राजस्थान में फार्म फारेस्टरी के नाम पर X X X लाखों करोड़ों के वारे-न्यारे हो रहे हैं। मन्त्री महोदय, आपके इशारे के आधार पर कालाबाजारी हो रही है। आपने कोटा जिले में चम्बल सिंचित योजना क्षेत्र में वृक्षारोपण

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

योजना बनाई है। मैं कहना चाहता हूं आज महंगाई बढ़ रही है लेकिन जंगलात के बारे में सरकार का खर्चा कम हो रहा है। पिछली बार आपने चम्बल सिंचित क्षेत्र में 175 हैक्टेअर में पेड़ लगाने की योजना बनाई थी। मेरा दावा है आप किसी जांच अधिकारी को बिठाकर जांच करवा लीजिये 175 हैक्टेअर के बजाय 100 हैक्टेअर जमीन के अन्दर आपकी वन सम्पदा नहीं निकलेगी।

वर्ष 81-82 की योजना के अन्तर्गत 3 लाख 70 हजार रुपये व्यय करके 175 हैक्टेअर में वृक्षारोपण किया गया है। वर्ष 82-83 की योजना के अन्तर्गत 2 लाख 25 हजार रुपये का प्रावधान है जिसके द्वारा 175 हैक्टेअर में वृक्षारोपण किया जायेगा। पिछली बार तो आपने खर्च किया था 3 लाख 70 हजार रुपये और इस बार आप खर्च कर रहे हैं 2 लाख और 25 हजार रुपये। क्या सस्ताई हो जायेगी ? केवल बजट में कटौती का परिणाम है। आपका पैसा काट लिया और आपने कुछ नहीं कहा। वित्त मन्त्रीजी ने आपके बजट में कटौती कर दी, आंकड़े वही रख दिये। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से 175 हैक्टेअर में जंगल लगाया गया है आपको मालूम नहीं था, इसलिये वित्त मन्त्रीजी ने पैसा काट लिया तो क्या हुआ ? चलो, वन मन्त्री पद तो यथावत् बना रहा और तनख्वाह यथावत् आती रही। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : I will not be able to do justice to your other Party members.

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था 1958 के अन्दर उन्नहाली की फीस 10 हजार रुपये बढ़ाई गई थी। तीन दिन में उन्नहाली साफ हो गयी। कौन जिम्मेदार अधिकारी था किसने एक्शन लिया, किसने सस्पेन्ड किया? किसी ने नहीं। 10 हजार बढ़ाये थे, वहां पेड़ों को काट लिया गया और फोरेस्ट अधिकारी देखते रहे। किसकी जिम्मेदारी थी ? मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय, आप इसका जवाब दें कि उन्नहाली को काटा किसने ? वहां कभी पेड़ थे उनको काट लिया गया। मैं बताना चाहता हूं कोटा के अन्दर दफ्तर चल रहा है उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार का आधा-आधा हिस्सा है। वन परियोजना कार्यालय उसका नाम है लेकिन उसमें काम क्या हो रहा है, वहां पर कितना खर्चा होता है? 50 प्रतिशत खर्चा भू-संरक्षण के नाम पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है, आधा हमारा पैसा लगता है। कितना भू-सरक्षण हुआ है ? अगर हुआ है, तो मैं आपको चैलेन्ज करता हूं आप मेरे साथ कोटा चलिये चम्बल की कन्दराओं को देखें, वहां नंगी पहाड़ियां पड़ी हुई हैं। वन संरक्षण किसी तरह नहीं हो रहा है। चम्बल और उसकी कन्दरायें आज चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है, अगर संरक्षण हो रहा है तो डाकुओ का हो रहा है लुटेरों का हो रहा

Page No 182

(182)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है, वन अधिकारियों का हो रहा है, वन का संरक्षण कहीं नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है इस बात की आप निश्चित रूप से जांच करवाइये ।

मैं निवेदन कर रहा था मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर चन्दन के पेड़ लगे हुये थे। क्या हुआ उन चन्दन के पेड़ों का? मेरे धुलेत गांव में चन्दन के पेड़ थे उस धुलेत नामक सारे गांव में चन्दन के पेड़ थे जिन्हें काट दिया गया और जंगलात विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया, मेरी धरती जो चन्दन उगलती थी उस चन्दन को लोग चाट गये।

(व्यवधान)

चन्दनमल बैदजी तो चाट ही गये, वह सारे बजट को चाट गये। मैं कहना चाहता हूं गागरेन पंचायत समिति के अन्दर 800 बीघा जमीन पर कांग्रेस (आई) के व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है। मैं आपसे जांच करवाना चाहता हूं कि गागरेन पंचायत समिति की जमीन का मालिक एक कांग्रेसी व्यक्ति बना बैठा हुआ है। आज कांग्रेस के सदस्य ने कहा था कि आप किसानो पर अत्याचार कर रहे है, आप बतायें के कांग्रेस के लोग जमीन दबा कर बैठे हैं, इनका आप क्या करना चाहते है? आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं क्योंकि वह मन्त्रीजी के जाति की हैं इसलिए उनको नहीं कहा गया। इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकी।

मैं कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, राजस्थान में काम कैसे हो, यहां माथुरीकरण हो रहा है। माथुरीकरण के कारण जो व्यक्ति बैठे हुये हैं, वे बैठे हैं और उसका परिणाम है कि भरतसिंह नामक अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक जो राजस्थान में कार्यरत थे, हमने जिनको केन्द्र को दिया था वे केन्द्र से वापस लौट आये। आज 5 महीने हो गये, मन्त्री महोदय, उनकी कहीं पोस्टिंग की? कैसे कर सकते है? कर ही नहीं सकते। रेवेन्यू सैक्रेटरी, श्रीमान् माथुर साहब का इशारा है, जब तक आपको हरी झण्डी नहीं मिलती नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ओ० पी० माथुर रिवर्ट होता है। उसको एक जगह बिठा दिया तो हटा नहीं सकते। राजस्थान का मुख्य मन्त्री माथुर है, किसकी ताकत है,XXX कि माथुर को हटा दे। उनको नहीं हटा सकते। इसलिए हटा नहीं सकते कि रेवेन्यू सैक्रेटरी, माथुर साहब और आनन्द मोहनलाल सक्सैना दोनों ही माथुर है। यह माथुर की मिलीभगत है। आपने अगर हटा दिया तो अगले वर्ष वन मन्त्री का बजट कोई दूसरा मन्त्री पेश करेगा। वन मन्त्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माथुर को आप हटा नहीं सकते। तीन बार आपके पास फाइनेंस सैक्रेटरी श्रीमान् आनन्द मोहनलालजी सक्सैना का नोट बन कर आ

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रगलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चुका है। फाइनेन्स मिनिस्टिर के पास गये उन्होंने उठा कर फेंक दिया कि यह कैसे हो सकता है, राजस्थान तो घाटे के बजट में चल रहा है राजस्थान में ओवर ड्राफ्ट चल रहा है और तुम नई नियुक्ति करना चाहते हो, यह नहीं हो सकता। इसलिए आपका तीन बार नोट आ चुका है लेकिन आपकोXXX यह पद सृजित करना पड़ेगा। वन मन्त्री महोदय क्या यह सही है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : XXX शब्द एक्सपंज किया जाता है।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरा-पाटन) :XXX कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : श्री माथुर साहब की बात मान ली, आनन्द मोहन-लालजी की बात मान ली लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में भयंकर घोटाले हैं, भयंकर रूप से पैसे की लूट है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, XXX मतलब है मछली मारना और मछली मारने को मक्खी मारना कह दूं तो, मैं समझता हूं, यह आपत्तिजनक नहीं है। बाद में उन्होंने वित्त मन्त्रीजी से कहा कि ओ० पी० माथुर को बाद में हटाऊंगा, पहले माथुर साहब को हटा लेने दो। तो, मैं निवेदन कर रहा था कि वन विभाग में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है, कहीं कोई विकास नहीं है। आप कहते हैं कि चम्बल में कंकरीट में विस्फोट हो रहे हैं उस कारण से वन कट रहे हैं, भू-संरक्षण हो रहा है, जयपुर में आयी बाढ़ का कारण यही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने सारी बातें स्वीकार कर ली हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है ? कोई व्यवस्था नहीं है। आप केवल राजस्थान के पैसे को लूटना चाहते हैं, आप एक असफल मन्त्री हैं। मैं निवेदन करूं आपसे कि राजस्थान के हित में आप तुरन्त त्याग पत्र दे दें और अच्छे योग्य व्यक्ति को राजस्थान का मन्त्री बनने दें। राजस्थान का अभयारण्य, जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, उजड़ रहा है। आप दो बातों की तरफ जरूर ध्यान दें एक तो रावतभाटा वाले चार्ज में निश्चित रूप से एक्शन लें। जो रावतभाटा में जंगल था वह साफ हो गया। जहां गंगा-यमुना रूपी चम्बल मैया बहती है उसके किनारे आज हरी वृक्षावली बनी हुई है, मैं कहता हूं आप उसकी रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ । समय का ध्यान रखें । बोलने वाले बहुत हैं । संक्षेप में ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की मांगों पर जो चर्चा हो रही है, उसमें विशेषकर एक ही मुद्दे पर मुझे निवेदन करना है और वह है फार्म फारेस्टर । मैंने वन विभाग का प्रतिवेदन, जो मिला है पढ़ा है लेकिन मैं यह अभी तक समझ नहीं पाया कि फार्म फारेस्टर का मतलब क्या है ? वैसे इन्होंने इसमें बताया है कि किसानों को फार्म की मेड़ पर या उनके रास्तों के किनारों पर पौधे लगाने के लिये दिये जायेंगे या दिये गये हैं और प्रति पेड़ उनको प्रोत्साहन स्वरूप 4) रुपये दिये जायेंगे । एक पौधा मुफ्त में दिया जायेगा । दूसरे साल पौधा जिंदा रहने पर उसको दो रुपये दिये जायेंगे और वह पौधा तीन साल तक रह जाता है, तो बाकी के दो रुपये दिये जायेंगे । इस तरह से उनको 4) रुपये दिये जायेंगे । मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है जब किसान फार्म फारेस्टर करते हैं तो वह यह भी सोचते है कि आया उन पेड़ों के लगाने के बाद उन खेतों पर चिड़ियों से ज्यादा हर्जाना होगा या पेड़ों से ज्यादा आमदनी होगी ।

जैसा कि अभी पूर्व में एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि हम लोग अपने खेतों में पेड़ इसलिये लगाते हैं कि उनके पत्तों से हमको मवेशियों के लिये चारा मिलता है और पेड़ों से जलाने के लिये लकड़ी मिलती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो फारेस्टर ग्रो की जा रही है या जो आलरेडी खेतों में पेड़ उगे हुये हैं उनको काटकर जलाने के काम में लाने की तो बिलकुल कतई पाबन्दी नहीं है । काश्तकार निजी उपयोग के लिये तो काटकर काम में ले सकता है लेकिन जो उस ने अपने खेत में उगाये हुए हैं और वह बेचने के लिए काटना चाहता है या जलाने की लकड़ी जो उसने उगाई है, बेचने के लिये काटना चाहता है तो राज्य सरकार की किसी प्रकार स्वीकृति नहीं मिलती । तब होता क्या है कि किसान को उस लकड़ी की आवश्यकता नहीं है और काटना उसके लिये नितांत आवश्यक है इसलिये वह लकड़ी काटता है और जब काट कर ले जाता है तो वन विभाग वाले उस पर जुर्माना करते हैं ।

मेरे यहां के ज्वलंत उदाहरण हैं, नागौर जिले में खेजड़े की लकड़ी बहुतायत में होती है। क्योंकि खेजड़े की लकड़ी बहुत यत में होती है इसलिये किसान को वह लकड़ी काटनी पड़ती है। अगर वह लकड़ी को न काटे तो अपने खेत में काश्त नहीं कर सकता । जैसे अभी दीवान साहब ने, माननीय सदस्य ने वनों के सम्बन्ध में कहा कि पेड़ कटते जा रहे हैं लकड़ी कम होती जा रही है, जहां तक पहाड़ों पर सरकारी वन हैं. उस संबंध में यह बात बिलकुल सही है कि पेड़ कटते जा रहे हैं, पहाड़ नंगे होते जा रहे हैं और वन खाली होते जा रहे हैं लेकिन जहां तक किसान का सवाल है यह बात बिलकुल इसके विपरीत है ।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

आप अगर नागौर साइड में गये हों तो आपने देखा होगा कि पहले खेतों में पेड़ नहीं थे क्योंकि बरसात के बाद में जब काश्तकार अपने खेत में काश्त के लिये तैयारी करता था तब छोटे छोटे पौधों को काट दिया जाता था ताकि हल उसमें नहीं फंसे और काश्त आसानी से हो सके। लेकिन पिछले 5-7 बर्षों में जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये नहीं काटे जायें और इनको उगने दिया जाय तो मेरे को ज्यादा आय हो सकती है तब उन पौधों को उगने दिया गया। अधिकतर नागौर जिले में पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी होती है इसकी पत्ती जानवरों के काम में आती है खाद भी अच्छा होता है और इसके नीचे फसल भी खराब नहीं होती है। अधिकतर यह देखा गया है जहां पेड़ उगता है उसके नीचे फसल खराब हो जाती है लेकिन खेजड़े का पौधा ऐसा है जिसके नीचे फसल ज्यादा अच्छी होती है, इसलिये खेजड़ी बहुतायत में है। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि अगर खेजड़ो ज्यादा हो गई तो उसको काटना आवश्यक है नहीं काटेंगे तो काश्त नहीं हो सकती। तब इसके दो कारण बनते हैं या तो खेजड़ी उगायें नहीं और खेत को साफ रखें, अगर वह खेजड़ो को उगाता है, प्लांटेशन करता है या अपने आप देखभाल से उगाता है तब आवश्यक है, कुछ वर्षों के बाद में काटकर वेचे और दूसरा पौधा लगाये। अगर इस तरह से प्लांटेशन और काटने का प्रोसेस नहीं होता है तो किसान की आय रुक जाती है। ज्यादा पेड़ होने से खेत में काश्त ज्यादा नहीं होती है इसलिये यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके में इन सालों में बरसात ज्यादा होने से पेड़ बहुत ज्यादा हुये हैं और वह पेड़ कटकर जा रहे हैं। अभी एक तरफ वित्त मंत्री भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि राज्य सरकार को आय नहीं है। आय के लिये कई तरह के टैक्स लगाने पड़े जिसमें किसानों पर टैक्स लगाये और किसान परेशान हैं। मैं आपको आय का एक सोर्स बताता हूं, इसको एग्जामिन करें और अगर मुझे मौका दें तो मैं वित्त मंत्री के साथ बैठकर चर्चा करने को तैयार हूं। मेरे जिले और अन्य जिलों से जोधपुर को लकड़ी जाती है, उससे प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता है, वन विभाग के लोग या दूसरे विभागों के लोग उनसे जो पैसा वसूल करते हैं, वह प्रतिदिन करीब एक लाख रुपये होता है।

मेरा निवेदन बहुत स्पष्ट है। एक लाख रुपये की नाजायज तौर से लकड़ी ले जाने वाले, जोधपुर में भ्रष्टाचार के नाते नाजायज तरीके से अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रतिदिन एक लाख रुपये देते हैं। इसका अंदाज लगाया जाये कि कितना पैसा नाजायज तरीके से लेकर अपनी जेब भरते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ इस कारण से है कि कानूनी अड़चनें हैं। आपके किसी आदमी ने इसको गहराई से नहीं देखा जब कि एक तरफ आप वनों में ज्यादा पेड़ उगाने की बात करते हैं आप वन में अमुक अर्से के बाद ठेका देते हैं। जैसा एक पेड़ की आपने उम्र 7 साल आंकी है, तो 7

(श्री राम रघुनाथ चौधर)

साल के बाद में उस वन के ठेकेदार को पेड़ देते हैं और वह काटता है। साइड में जो खाली जगह पड़ी रहती है वह उसमें प्लांटेशन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ठेका होता है उसमें कटाने का और लगाने का प्रोसेस चलता रहता है उसमे आमदनी होती है और आप अपने पेड़ों से आय बताते हैं। वनों से पहले आय 1॥ करोड़ रुपये की होती थी, यह आय 8 करोड़ तक पहुंच गई है। यह आपकी आय वनों की लकड़ी कटाने से हुई है।

अगर वनों की लड़की काटकर दे सकते हैं तो काश्तकार पर किस बात का प्रतिबंध है? एक तरफ आप प्रोत्सहित कर रहे हैं कि वह लकड़ी उगाये आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह पेड़ लगाये और दूसरी तरफ लोग अपने पेड़ों को बेच नहीं सकते। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण बताना चाहता हूं। खेजड़े के पेड़ की वन विभाग वालों ने 30 साल की उम्र आंकी है। कोई भी खेजड़े का पेड़ 30 साल तक पकता जायेगा और 30 साल के बाद स्टैंडस्टिल हो जायेगा, उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। पेड़ खोखले होते जायेंगे और आमदनी घटती जायेगी। हो सकता है जिन इलाकों में बारिश ज्यादा हो वहां पेड़ जल्दी से जवान हो जायें। जहां कम हो वहां देरी से जवान हों, इसलिये 30-15 का बड़ा फर्क हो सकता है। तो, जिन काश्तकारों के 40-40, 50-50 सालों से पेड़ खड़े हैं, उनकी कोई आमदनी नहीं हो रही है। पेड़ खराब हो रहे हैं. फिर काटने की क्यों नहीं स्वीकृत देते? यह किसानों के साथ में बिलकुल जुल्म है। अगर आप वनों को बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, फार्म फारेस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसान रिप्लांटेशन करे या और पौधे लगाये तो उसके खेत में जो पेड़ लगे हुये हैं उनको काटने की इजाजत दें।

मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि जब नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी मे एक पौधा छोटा लगाया जाता है तब वृक्षारोपण होता है। वृक्षारोपण के बाद में दो तीन साल बाद में उसकी ऊपर से कटिंग कर देते हैं, नर्सरी में कटिंग इसलिये करते हैं कि उसकी जड़ें मजबूत हो जायं और तना मोटा हो जाय और पौधा मजबूत जड़ों के साथ में जल्दी बढ़ने में सक्षम हो सके। जब आप टैक्निकली जानते हैं कि किसी भी पौधे को नर्सरी में दो तीन साल रखने के बाद अगर उसका प्लांटेशन हो तो जड़ें मजबूत होंगी और जल्दी से बढ़ेगा।

इसी तरह से मैं यह बिलकुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर खेजड़े का पेड़ जमीन से 6 इंच ऊपर या जमीन के लेवल से काटा जाये तो जो खेजड़ी 20 साल में बड़ी होती है और जवान होती है, वह खेजड़ी 10 साल में तैयार हो जायगी। यह साइंटिफिक है कि कोई भी काश्तकार अगर खेजड़े को जमीन के लेवल से काटेंगे तो काटने के बाद उस काश्तकार को आदनमी होगी। उसके बाद में नये

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

पेड़ लगा कर 30 साल में तैयार करने वाले हैं, वह 7-8 साल में तैयार हो सकते हैं, तो आप किस कारण से रोकते हो? इसका मतलब है आपने उसकी आय पर सीलिंग लगा दिया। एक गरीब काश्तकार अपने मन से या आपके प्रोत्साहन से आपसे पौधा लेकर आये या अपने आप कहीं से बीज लेकर पौधा उगाता है उसे काट नहीं सकता। यह उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सोचनीय विषय है। मैं आपसे दो मिनट और लेना चाहता हूं।

आज हमारी सरकार द्वारा किसान, जिसकी जमीन खराब क्वालिटी की है, को फारेस्ट्री के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन उस पेड़ की लकड़ी बड़ी होने पर उसको बेच कर वह लाभ ले सके और उसकी जगह पर दूसरा प्लान्टेशन कर सके दूसरी फारेस्ट्री कर सके उसके लिए मै आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने पहले जिन काश्तकारों को पौधे दिये थे उनको प्रति पौधा चार रुपया देने का वायदा किया था, उनको प्रोत्साहन देने का विश्वास दिलाया था। उन लोगों ने पौधे लेकर लगा दिये लेकिन वह पौधे उगे नहीं और उन लोगों ने पैसा ले लिया। पैसे लेने के बाद विभाग को घाटा हुआ और जो कार्यक्रम था वह पूरा नहीं हुआ। वह कार्यक्रम पूरा नहीं होने से उनको भी आपने पाबन्द कर दिया कि आप 200-250 पौध लेंगे। आप उनको चार रुपये पर पेड़ देंगे यह भी गलत है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो भी काश्तकार फारेस्ट्री ग्रो करना चाहते हैं, चाहे दस हैक्टेयर में करें चाहे पांच हैक्टेयर में करें यह आय का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह किताब जो दिखायी गई है इसमें यह लिखा हुआ है कि संवत् दो हजार में खाने को आटा तो मिल जायेगा लेकिन जलाने को लकड़ी नहीं मिलेगी। अगर जलाने के लिए लकड़ी का यह कार्यक्रम आपने यह दिया है तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो आपने इसमें कोई प्रगति बताई है न प्लान्टेशन के बारे में कुछ किया है, न ही आपने यह दिखाया कि आपके क्या टार्गेट होंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी लकड़ी फारेस्ट में है वही काम आयेगी।

दूसरी, बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस काश्तकार को पौधे के लिए लोन दीजिये और अगर वह काश्तकार उस पेड़ को चार साल तक जिन्दा रखता है तो जो ऋण आपने स्वीकृत किया है, उसको आप सब्सिडी में डाइवर्ट कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय इस तरह पता लग जायेगा और जिसने पौधा लगाया है, वह उस पौधे को चार साल तक के लिए जिन्दा भी रखेगा। चार साल जब वह पौधा जिन्दा रहता है तो आपका मकसद पूरा हो जाता है और उसको जो सब्सिडी आप देना चाहते हैं या दे रहे हैं वह बिलकुल जायज होगी, न्यायपूर्ण होगी। आज जो सड़कों के किनारे आप पेड़ लगा रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं,

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

वह पौधे उगते नहीं हैं क्योंकि फारेस्ट विभाग ने यह केलकूलेट कर रखा है कि एक महीने के अन्दर एक बार उन पेड़ों को पानी दिया जाना चाहिए। जब आप एक महीने में एक बार पानी देते हैं, तो राजस्थान, जहां कि रेगिस्तान है, की जलवायु के अनुसार रेगिस्तानी इलाके में, सूखे इलाके में, एक महीने में एक बार पानी देने से वह पेड़ जिन्दा नहीं रह सकता है। गर्मियों में तो कतई जिन्दा नहीं रह सकता है। आप पौधे को निरन्तर पानी पिलाते रहें तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ वन विभाग का जो एक साल में 10-12 रुपये खर्चा आता है यदि वह चार साल में 20-25 रुपये का खर्चा आ जायेगा तो ज्यादा पेड़ लगेंगे और जो आप फारेस्ट्री के लिए किसान को ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं उससे वह अधिक पेड़ उगायेगा और आपका यह कार्यक्रम भी सही चलेगा। आप कार्यक्रम को सही रूप में परिणत करके दिखा देंगे। तो आप इसको क्यों नहीं करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसके साथ ही मैं इतना सा और निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में, विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में नील गायें बहुत हैं। नील गाय को मारा नहीं जा सकता है, खेतों में उसको खदेड़ने के बाद वह पुनः आ जाती है वह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी प्राब्लम है। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि एक दो आदमी के काबू में वह नहीं आती है, आप उसको भगायेंगे तो वह वापस आ जायेगी, तो मेरा इसके लिए सुझाव है कि जहां पर वन हैं, वहां पर उनको ले जाकर रखें।

इसके साथ ही मैं थोड़ा आपको टूरिज्म के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आपने कई सूचना केन्द्र खोले हैं। अभी इन्टरनेशनल फेयर था, वहां हम भी गये थे। हमने वहां पर देखा था कि आपके सूचना केन्द्र पर न तो कोई लिट्रेचर था और न ही कोई वहां पर किसी प्रकार की जानकारी ही थी। बल्कि जिस आदमी को वहां पर लगाया गया वह भी वहां पर उपस्थित नहीं था। वह वहां पर इसलिये नहीं था कि उसके पास कोई सामान ही नहीं था। आपने यह लिखा है कि आप बहुत सारा मैटीरियल छपा रहे हैं करीब चार-पांच लाख रुपये का छपा रहे हैं। इसमें आपके इतने रुपये खर्च होंगे मेरा सुझाव यह है कि कुछ लिट्रेचर, जो साधारण लिट्रेचर हो, आप मुफ्त दे दीजिए लेकिन ऐसा लिट्रेचर जो कि अट्रेक्टिव लिट्रेचर हो, जैसे पिक्चर पोस्ट कार्ड हो सकता है या और भी कोई लिट्रेचर हो वह पैसा लेकर दीजिये। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वह किसी देश में जाते हैं उस देश की जो खास-खास सामग्री होती है उसको खरीदते हैं और अपने साथ में ले

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जाते हैं। ऐसे प्रिन्टेड अट्रेक्टिव मैटीरियल के लिए पैसा लगता है, वह पैसा लेकर आप उनको उपलब्ध करावें. इससे उनको कम से कम अपने स्टेट के बारे में जानकारी तो होगी। इस प्रकार का मैटीरियल उपलब्ध करायें, तो उनको यह नहीं लगेगा कि आपके व्यक्ति के पास सूचना केन्द्र में कुछ भी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप सारे मैटीरियल को मुफ्त उपलब्ध करा दें. लेकिन जो यह पिक्चर पोस्टकार्ड है या और मैटीरियल है वह उचित दामों में उपलब्ध करावें।

श्री उपाध्यक्ष : आप, कृपया, समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक पुस्तक जो मुझे तो नहीं मिली आपके विभाग से लेकिन मैंने रामसिंहजी से लेकर पढ़ी थी। उसमें मैंने देखा कि आपने उदयपुर एरोड्रम पर सूचना केन्द्र खोल रखा है, परन्तु जयपुर एरोड्रम पर आपने सूचना केन्द्र नहीं खोला है। आपको शायद यह उम्मीद होगी कि जयपुर एरोड्रम तो ट्रांजिट है जहां से कि टूरिस्ट सीधे उतर कर बाम्बे वगैरह चले जाते हैं इसलिये शायद आपने सूचना केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं समझी लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि आपको जयपुर में एरोड्रम पर सूचना केन्द्र खोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि आज शायद मुझे समय बहुत कम दिया जायेगा। अगर यह बात है तो कृपया मुझे यह बता दीजिये, क्योंकि मैं कम बोलती हूं और बीच में टोकना पसन्द नहीं करूंगी। इसलिए आप समय बता दीजिये ताकि मैं उसी के अनुसार बोल जाऊंगी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक घण्टे तक।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : नहीं-नहीं। मैं एक घण्टे तक नहीं बोलना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जितना जल्दी आप अपना भाषण समाप्त कर सकें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : नहीं, मैं उसके पहले ही समाप्त करने की कोशिश करूंगी। मैं आपका ज्यादा समय भी लेना नहीं चाहती। मैं तो अनुशासन में रहती हूं और चाहती हूं कि आप सभी अनुशासन में रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके सामने वन विभाग को लेती हूं। अभी जितने माननीय सदस्य वन विभाग के बारे में बोले सभी ने अपना-अपना दुख

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

प्रकट किया। मैं तहे-दिल से कहती हूं कि राजस्थान के किसी मामले पर अगर सबसे ज्यादा मुझे दुख है तो वन विभाग को लेकर के है। हमारी जो दूसरी कमियां, खामियां हैं, उनको पूरा किया जा सकता है, यदि हमारे पास बिजली नहीं है या कम है, तो उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है सिंचाई को भी आसानी से बढ़ाया जा सकता है है लेकिन वन एक ऐसा है जो कि एक जनरेशन में जाकर के पूरा होता है उसे आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है। खास करके राजस्थान जैसे प्रदेश में, जो भूमि है उसमें वैसे ही वन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां पर जिस निर्दयता के साथ बेरहमी के साथ वनों को पिछले 30-40 साल में काटा गया है उसको देखकर के रोना आता है, रन्ज होता है। आज हमारी बहुत कुछ समस्यायें हैं, जैसे अकाल की समस्या है। अगर हमने हमारे वनों को इतनी बुरी तरह से नहीं काटा होता तो आज अकाल की समस्या शायद इतनी गम्भीर नहीं होती।

इसी तरह पेड़ कटते जा रहे हैं और जमीन का सरक्षण होता जा रहा है उससे हमारे खेतों की जमीन की फर्टीलिटी का ह्रास हो रहा है इसका प्रभाव वर्षा के ऊपर भी पड़ रहा है। मुझे तो डर यह है कि आज से दस साल या बारह साल बाद इस राजस्थान में जलाने के लिए लकड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुर्दे को जलाने के लिये कोई प्रबन्ध होगा या नहीं होगा। ऐसा लगता है कुछ वनों के साथ राज्य सरकार ने न्याय नहीं किया। हमारी राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं यह साफ साफ शब्दों में कहती हूं कि हमने वनों का ह्रास किया है, बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। एफॉरेस्टेशन हम जिसको कहते हैं उसके बजाय इसमें डिफॉरेस्टेशन होता है। मेरा आज से नहीं वर्षों से मानना है कि यह फॉरेस्ट विभाग नहीं बल्कि डिफॉरेस्टेशन विभाग है जिसने जंगलों को काटा है जब पूछते हैं तो बड़े तरीके बड़े ही साइंटिफिक वे में हमें बतायेंगे कि हम इस तरह से वन लगायेंगे लेकिन वास्तव में देखते हैं तो कटी हुई चीजें तो दिखाई देती है, जो नये कूप होते हैं या जो नये कूप ऊपर आते हैं जिनकी वृद्धि की जा सकती है वह हमें कटे हुए दिखाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने वन विभाग के अधिकारियों से आंकड़ों के बारे में पूछा, मैं पक्की जानकारी मिलने की बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि भारत के अन्दर 33 प्रतिशत जंगल होने चाहिये पर हमारे यहां पर पहले ही बदकिस्मती से 11 प्रतिशत जंगल है। राजस्थान मरु प्रदेश है 11 प्रतिशत के आंकड़े जो सरकार ने दिये हैं उसके बजाय 9·2 प्रतिशत है लेकिन मैं नहीं मानती हूं वाकई में इतने होंगे। मैं आपको निवेदन करूं कि जो घेरे में हैं वह वन है। यह नहीं कि जहां 25 खेजड़ी खड़ी है या 50 केर के पेड़ हैं उनको आप जंगल कह दें। जंगल 9·2 प्रतिशत सरकार के अनुसार है लेकिन इस तरह तो 4·5 प्रतिशत ही होंगे। मैं तो यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि यह भी होंगे।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

उपाध्यक्ष महोदय हमारे यहां जो जंगल थे उनमें से कहां हैं बांसवाड़ा के जंगल, कहां हैं डूंगरपुर के जंगल, कहां हैं उदयपुर के जंगल, कहां हैं कोटा और बारां की तरफ के जंगल ? जो जंगल हमने 20-25 साल पहले देखे थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई नैनीताल के जंगल हों। उन जंगलों का बुरी तरह से सफाया किया गया है। जहां घने जंगल थे वहां पहाड़ियां नजर आ रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पेड ऊपर से नहीं काटे जा रहे हैं। बल्कि वह जड़ों से खोदे जा रहे हैं इस कारण जगह जगह खड्डे हो गये हैं। यह आज से नहीं बल्कि 20 साल से हो रहा है। उसके ऊपर कोई रोकटोक नहीं। झाड़ियों को जड़ से काटते जा रहे हैं और आप पचास साल में भी उस मरू भूमि में पेड़ लगाने चाहें तो मुश्किल होगा। इसके ऊपर असेम्बली में एक दफा नहीं कितनी ही दफा चर्चा की, पालियामेंट में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया। पिछली दफा असेम्बली में भी उठाया लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर जाता हो नहीं है कि उन पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है उनकी क्या हालत है ? कहीं कहीं नये फारेस्ट लगा रहे है, वहां पर कांटेदार तारों से तारबन्दी की जारही है। उस पर लाखों रुपया खर्च हो गया लेकिन असली स्थिति क्या है ? उसमें भेड़ बकरियां घूसती हैं जानवर घूसते हैं जान बूझकर तारबन्दी को तोड़ दिया जाता है। लाखों रुपयों की जो कांटेदार तारबन्दी की गयी है उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सारा का सारा पैसा बेकार जाता है। आखिर हम लोग, चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। यह सोचें कि इस राज्य में जो वन सम्पदा है वह खतम क्यों हो रही है। उसको रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं इस पर बहुत ही गौर और ध्यान के साथ हमें विचार करना चाहिए। आप कहेंगे कि इतने लोगों को इस काम पर लगा रखा है, यह काम है किताब आप छापकर देते हैं तो इसमें कोई शंका नहीं है। प्लान की किताब छपी हुई है, सब कुछ ठीक है लेकिन हमें जानना है कि वास्तविक स्थिति ऐसी क्यों हो रही है।

पहले हमारे बुजुर्ग लोगों ने नियम बना रखे थे कि यह वनी यह है, आरन है और इस जंगल की लकड़ी नहीं काटी जाय, चाहे वह किसी देवता के नाम पर होने के कारण है चाहे किसी विश्वास के कारण है लेकिन उस वनी और आरन की रक्षा तो होती थी। वह आज नहीं है। आज वन की सम्पदा नष्ट हो रही है। इसमें मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देती, राज्य सरकार उतनी ही दोषी है। हमारा अधिकारी वर्ग भी उतना ही मिला हुआ है, नीचे वाले कर्मचारी भी उतने ही मिले हुए हैं। और जनता भी इसी तरह बेरहमी के साथ वन काटती है। नीचे के लोग गांव के लोग मिल जाते हैं, कर्मचारी मिल जाते हैं और अवैध रूप से जंगल

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

काटे जाते हैं और ट्रक के ट्रक भरकर बेचे जाते हैं आप बुरा नहीं माने तो मैं कहूंगी कि हम भी दोषी हैं। हम जन प्रतिनिधि है उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि जो अवैध रूप से जंगल काटे जाते हैं उनको रोका जाये। हममें भी नैतिक साहस नहीं है, चाहे चीप पापलैरिटी समझें चाहे वोट के लिए समझें या नैतिक साहस की कमी समझें हम भी उनकी आड़ के लिए आ जाते है। इसलिये मेरा कहना है कि सभी लोग इसके दोषी हैं। जंगल कटने तभी रुकेंगे जब जन प्रतिनिधि भी जगलों की कटाई को रोकने के लिए आगे बढ़े जनता को समझाया जाये बल्कि ग्राम जनता को एक ऐसा आन्दोलन करना चाहिए कि कोई लकड़ी काटे उसकी मुखालफत करे। जैसे यू. पी. में एक दफा चिपको आन्दोलन चला जब था, कोई लकड़ी काटने जाता था तब जनता पेड़ों के चिपक जाती थी और काटने नहीं देती थी। और इस प्रकार का सख्त कदम सब मिलकर नहीं उठायेंगे तो हम जंगलों की रक्षा नही कर सकते। लेकिन अपने स्वार्थों के लिए, अपने पैसे की कमाई के लिए ग्राम लोग और सरकारी कर्मचारी मिलकर इनको कटाते हैं। जो ठेकेदारी प्रथा है उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना होगा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप इस आन्दोलन को लीड कीजिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : शायद मैं अपनी क्षमता के बाहर की बात समझती हूं। मेरे जो विचार थे वह मैंने आपके सामने रख दिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : कुछ तो काटना ही पड़ेगा। कृषि डंडे के लिए काटना पड़ेगा नहीं तो लकड़ी कहां से लायेंगे और काहे का बनायेंगे? खेती के काम मे आने वाली चीजें हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य फिर आपका टाइम काट लूंगा मैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो अभयारण्य हैं उनकी दुर्दशा भी देखी जा रही है। इधर तो सरकारी कहती है कि हम पशुओं को बचाना चाहते हैं पशुओं को बचाने के लिए सेमिनार किये जाते हैं, पशुओं के बचाने के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तैयार किये जाते हैं। कहीं टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, कहीं घना सैंचुरी के विस्तार के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है लेकिन हमारी ही सरकार दुमुंही है। इधर तो हम विकास की बातें करते हैं, खर्च करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं और उधर वनों की रक्षा के लिए जो माकूल कदम और इन्तजाम किये जाने चाहिए वह नहीं किये जाते हैं। घना का अभयारण्य है उसका मसला बार-बार आपके सामने आ रहा है। हमने खुद जाकर देखा वहां पर पशु चरते हैं, गायें चरती हैं, मवेशी चरते हैं। वहां पर जो बडे

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

लाइफ है, एनीमल लाईफ है उसमें इतना डिस्टरबेन्स पैदा करते हैं कि उस से कोई सैंक्चुरी नहीं रह सकती। जो गायें चराने वाले हैं, पशु पालक हैं उनको भी समस्यायें है, हम चाहते हैं कि उनको चरनोट दी जायें, उनको चरागाह दिये जायें और चरागाह की व्यवस्था की जाये लेकिन दो तीन संक्चुरीज हमारे राज्य में हैं उनकी तो कम से कम व्यवस्था की जाये, उनकी तो साज संभाल की जाये। आप मवेशियों के लिए अलग चरागाह दे सकते हैं लेकिन घना जैसी सैंक्चुरी राज्य सरकार तो क्या भारत सरकार भी बनाना चाहें तो नहीं बना सकती। यह तो एक नेचरल चीज होती है या जहां कुदरत देती है वहीं हो सकती है। जो घना सैंक्चुरी बनी है यह केवल हमारे देश की ही थाती नहीं है यह दुनियां की एक महान् सैंक्चुरी है, इसके बाद दूसरे नम्बर पर अफ्रीका में एक सैंक्चूरी हैं। इतनी अमूल्य चीज हमें मिली है उसको हम संभाल नहीं सकते? परसों हमारे यहां इसके बारे में एक प्रश्न आया था, मुझे अफसोस है कि जो हमारे मन्त्री महोदय का रुख देखा वह भी उन जानवरों को, बर्ड्स को बचाने के बारे में इतना नहीं था जितना दूसरे लोगों, जो गऊओं को या पशुओं को चराने के लिए आये, के लिए था।

इसी तरह सवाई माधोपुर में एक गार्ड थे या अधिकारी थे, वे हमेशा इन पशुओं को चरने के लिए रोकते थे। वे चाहते थे कि सब कुछ कायदे कानून के साथ बना रहे। वहां टाइगर प्रोजेक्ट बन सकें और एनीमल्स की रक्षा हो सके। उनकी लोगों ने सामूहिक रूप से पिटाई की। क्या आप बतायेंगे कि किसी भी आदमी की इस तरह से और पिटाई हो तो आपके कर्मचारी ईमानदारी पर क्यों चलें? बेईमान जो कर्मचारी होता है उनको प्रोत्साहन मिल जाता है और जो ईमानदारी से अपने फर्ज की अदायगी करते हैं उनकी पिटाई होती है। क्या मन्त्री महोदय ने उनको बुलाकर शाबासी दी? क्या उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया? मुझे उम्मीद है दी होगी, देनी चाहिए। ताकि जो दूसरे ऐसे गार्ड हैं उनमें ताकत पैदा हो जाये कि हमें अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए, हमें अपने काम को करना चाहिए। वन मन्त्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि सारे के सारे वर्ल्ड में, दुनियां में पशुओं की रक्षा के लिए, बर्ड्स की रक्षा के लिए न जाने कितने-कितने प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं, धन खर्च हो रहा है और हमारी प्रधान मन्त्री भी बार-बार पेड़ों की रक्षा के लिए, वन की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए, एनीमल्स और बर्ड्स की रक्षा के लिए कहती हैं लेकिन उसके ऊपर हम कितना अमल कर रहे हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं इस विषय को आपकी घंटी के साथ समाप्त

(१९५)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

करती हूं। और मुझे दो मिनट का टाइम दें तो टूरिज्म के ऊपर बोलना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में बहुत भारी स्कोप टूरिज्म के लिए है यूं तो हिन्दुस्तान में भी बहुत स्कोप हैं लेकिन राजस्थान देश के राज्यों में सर्वोपरि माना जाता है। यूं तो कश्मीर को माना जाता है कश्मीर में केवल एक ही खूबी है कि नेचरल ब्यूटी है लेकिन राजस्थान में कई तरह की वेराइटीज हैं जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट को बहुत ही अट्रेक्ट करती हैं। हमारे यहां के किले, पुरातत्व सामग्री डेजर्ट पहाड़ियां, हैंण्डी क्राफ्ट्स और अन्य कई चीजें हैं। जिनको प्रमोट करने के लिए टूरिज्म विभाग को बहुत कुछ करना पड़ा है। मैं मानती हूं कि पिछले वर्षों में बहुत कुछ किया गया है लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इस काम के लिए राज्य सरकार को आज तक जितना ध्यान देना चाहिए था वह नहीं दिया गया है वर्षों तक चिल्लाने के बाद टूरिज्म कार्पोरेशन कायम हुआ। इस कार्पोरेशन ने मैं मानती हु मिड वे बनाकर काफी अच्छा काम किया, इन्फ्रा स्ट्रक्चर कायम किया है, टूरिस्ट बंगले हैं वह बहुत अच्छे बनाये हैं। उनका जाल सा बिछा हुआ है लेकिन इसके अलावा इस बात की काफी जरुरत है कि इस तरह की जो प्रमोशनल एक्टीविटीज हैं उनको बढ़ाया जाये। अगर इसके ऊपर बोलें तो काफी वक्त तक बोला जा सकता है। एक-एक पाइंट को लेकर कहा जा सकता है लेकिन जब आपने घंटी बजा दी है तो मैं सूक्ष्म रुप में दो तीन बातें कहना चाहती हूं।

मुझे खुशी है, मन्त्री महोदय, कि का पुरुष्कार राजस्थान को मिला जो कि मिलना आसान नहीं होता। मैं आपके विभाग को बधाई देना चाहती हूं कि पेसिफिक एरिया ट्रेवल एजेन्सी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया को देखती है, का राजस्थान को दो बार पुरुष्कार मिला। यह इंगित करता है कि हमारे यहां कितना स्कोप है और टूरिज्म एक उद्योग के रुप में प्रमोशनल एक्टीविटीज बढ़ा सकते है। कोई भी उद्योग हो, जब तक उस पर धन खर्च नहीं किया जाये तब तक वह उद्योग कमाने लायक नहीं होता। यह आवश्यक है कि उसके लिये चाहे आप लोन फ्लोट करें या डिबेन्चर जारी करें या बैंकों से लोन मिलन बन्द हो गया है तो किसी तरह लोन की व्यवस्था करें ताकि हम अपने कामों पर पूरा अच्छी तरह से खर्च कर सकें।

दूसरा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जो टूरिस्ट बंगले और मिडवे बनाये जाते हैं उनके लिए राज्य सरकार से जमीन ली जाती है। इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर सरकार बाजार भाव से जमीन की कीमत लेती है, उसके ऊपर टैक्स लगाती है वह छोड़ा जाना चाहिए और नामीनल भाव के ऊपर जमीन दी जानी चाहिए। दूसरे जो करोड़ों की इमारतें टूरिस्ट बंगले,

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

मिडवे वगैरह बन चुके हैं। उनके ऊपर जो लेण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स लगता है वह लेण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स भी माफ किया जाना चाहिए क्योंकि प्रमोशनल एक्टीविटी है। यह भी खुशी की बात है कि इस समय आपका जो टूरिज्म कारपोरेशन है वह सरकार के ऊपर बजन बनकर नहीं बैठा है वह खुद कमा रहा है, अपना खर्चा खुद कर रहा है और दूसरे कारपोरेशन की तरह जनता का पैसा नहीं चूस रहा है बल्कि आपको कमाकर दे रहा है। इसलिए उसे इस तरह की सुविधायें दिलायें ताकि टूरिज्म में ज्यादा काम किया जा सके।

दूसरा, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों में जयपुर शहर को रंग रोगन करके साफ सुथरा किया गया था उसी तरह फिर से जयपुर शहर की सफाई करके साफ सुथरा बनाया जाय, उसको अच्छी तरह संवारा, सजाया जाय। दूसरे जो टूरिस्ट जयपुर में आते हैं उनको स्कूटर रिक्शा वालों से बहुत परेशानी होती है। आज होटलों की जगह-जगह भर मार है। जैसे ही टूरिस्ट टैक्सी से उतरता है उस से होटलों में जगह बताने के लिये रिक्शा स्कूटर वाले 50-50, 60-60 रुपया ले लेते हैं। आप इसकी कुछ व्यवस्था करें। ताकि टूरिस्ट इन लोगों से लुटे नहीं। इसी तरह भिखमंगों की लाईन लगी रहती है उनको भी चैक किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, टूरिस्टों के लिये राजस्थान का हैण्डी क्राफ्ट्स बड़ा मशहूर है वह हैण्डी क्राफ्टस उनको ठीक ढंग से, ठीक भाव से मिल सके यह भी टूरिस्ट विभाग को देखना चाहिये। हमारे राजस्थान का एम्पोरियम खुला हुआ है लेकिन वहां पर जिस ढंग से काम हो रहा है वह आज का विषय नहीं है, एम्पोरियम के ऊपर बोलूंगी तब बताऊंगी कि किस तरह एम्पोरियम में लोगों को कितना मंहगा माल मिलता है। आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि टूरिस्ट्स को अच्छी चीज ठीक भाव पर मिल सके। वे तो केवल यह चाहते हैं कि माल ठीक हो, उनको यहां की कीमत का पता नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त न लेकर एक बात और कहना चाहूंगी, टूरिस्ट बंगलों में जिस प्रकार की टेरिफ की सुविधा मिलती है, उसकी मैं तारीफ करना चाहती हूं। मेरे मेहमान आये थे और मैंने उनको उदयपुर भेजा था। उन्होंने वहां से आकर प्रशंसा के शब्द कहें कि 40) रु0 में ऐसा कमरा मिला है कि हमारे यहां तो टूरिस्ट बंगलों के आस पास में भी 500 रु. में वैसा कमरा नहीं मिल सकता है तो मुझे उम्मीद है कि आप किराया नहीं बढ़ायेंगे। यही टेरिफ रखेंगे यह न हो कि तारीफ कर दी और किराया बढ़ाने लग जाय, माफ करना।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको जाना है।

श्री रामसिंहविश्नोई (लूणी) : XXX मेरा नाम था, जाना आना तो सब को होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मेरा डिस्क्रिशन है। इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वनों के बारे में कुछ बाते कहूंगा। हमारे पदम पुराण में यह लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वृक्ष लगाता है वह व्यक्ति जब तक स्वर्ग में पहुंचता है तब तक वह वृक्ष फलता और फूलता है। आज भारत के अन्दर वनों का बहुत ही महत्व है, आर्थिक महत्व है। वन के बिना धरती ऐसी लगती है जैसे सुन्दरी कोई आभूषण पहने हुए नहीं हो जैसे बिना आभूषण के सुन्दरी अच्छी नहीं लगती है वैसे ही धरती भी वनों के बिना नंगी लगती हैं।

आज जिस प्रकार से वनों की दुर्दशा हो रही है वह बहुत ही चिन्तनीय है। राजस्थान के अन्दर कोटा के पास जो वन लगे हुए हैं उनकी क्या हालत है? कुछ दिनों पहले ही मैं वहां गया था, हमारी कमेटी उधर से जा रही थी तब वहां पर बहुत बढ़िया वन थे लेकिन अब वहां जगह-जगह से दीवारें टूट गई हैं, पेड़ बिलकुल कट गये है और कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत बाड़मेर तहसील में सिवाना तहसील की है। पीपलों का वन कट रहा है। बालोतरा में रोज 10 गाड़ियां लकड़ी की आती है उस लकड़ी को फैक्ट्री में काम में लेते हैं। माननीय मन्त्री जी से भी मैंने निवेदन किया था कि इस प्रकार से जो अन्धाधुन्ध वन कट रहे हैं उसका कोई न कोई हल निकाला जाय। बालोतरा में 366 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और रोज एक-एक फैक्ट्री के लिए दो-दो ट्रक लकड़ी की जरूरत होती है। मैंने बार-बार निवेदन किया....

(5.55 सांय)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत सभापति, पदासीन)

कि कोयले का कोई डिपो खोलिये, सरकारी लकड़ी की कोई दुकान खोलिये लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ रहा है। हमेशा गीली लकड़ी के ट्रक आते हैं लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

इसी प्रकार बाड़मेर में जहां पानी की कमी है और जहां थोड़े बहुत वृक्ष है। वे भी वहां अन्धाधून काटे जा रहे है उनकी कोई व्यवस्था नहीं हैं। मैं माननीय

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अमराराम चौधरी)

मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जो लकड़ी ट्रकों से आ रही है उस पर पाबन्दी लगाकर शीघ्र ही वहां कोयले का डिपो खोलें। चितोड़गढ़ में कोयला पड़ा है, पाली में कोयला पड़ा है, बालोतरा में कोयला पड़ा है उस लकड़ी और कोयले से आपको अच्छी आमदनी हो सकती है।

• वनों के अन्दर कोयला पड़ा हुआ है, उस पर आपका खर्चा होता है आदमी रखते हैं तो क्यों नहीं उस कोयले को यहां लाकर जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोका जाय। पुराने समय में वन थे उनके पीछे एक भावना थी, एक धार्मिक भावना थी। आरान में से कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता था। अब भी इस प्रकार की एक भावना जागृत करनी पड़ेगी तभी हमारी वन सम्पदा कायम रह सकती है अन्यथा आपने जो इतने बड़े बड़े आफिसर वनों की निगरानी के लिए रख रहे हैं वे सब बेकार हैं।

मैं यह मानता हूं कि पिछले सालों में काफी वन लगे हैं। रोड्स पर भी हम देखते हैं कि आप पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है जहां पानी बिलकुल नहीं हैं वहां आपको पेड़ नहीं लगाने चाहिये। पेड़ वहां लगाने चाहिये जहां पानी बिलकुल नजदीक हो। पेड़ वहीं लगाने चाहिये जहां पानी हो। जिन पेड़ों को पानी आप एक बार पिलाते हो वे बाद में नष्ट हो जाते हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां पानी की व्यवस्था हो वहीं पर पेड़ लगाने चाहिये।

सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, जहां-जहां आपने पिछले साल वनों की रक्षा के लिए तार-बन्दी की है वहां लकड़ी की तार बन्धाई की है। भाई, लकड़ी एक साल रहेगी, दो साल रहेगी दीमक लगने से वह नष्ट हो जायेगी। आप तारबन्दी करें तो परमानेन्ट तारबन्दी करें ताकि पेड़ बड़े हों, तब तक वह रहें। दूसरा, किसानों को जो फार्म फारेस्ट्री के लिए पेड़ दे रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेड़ दीजिये जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हो सके। सब जगह बबूल दे देते हैं। जहां मीठा पानी हो वहां इस प्रकार के पेड़ दीजिये जिसमें किटाणु नहीं लग सकें। जहां खारा पानी है वहां बबूल दीजिये जिससे किसानों की आमदनी भी हो सके। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी, कि इस प्रकार जो फारेस्ट फार्म लगा रहे हैं, उसमें पैसे क्यों दे रहे हैं ? किसान तो बिना पैसे भी लगा देंगे। आपको पैसा देने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप किसान को 10 पेड़ देंगे और आपके विभाग के कर्मचारी 100 पेड़ लिख देंगे। किसान के घर में तो 10 ही पेड़ जायेंगे और पैसा आपका ज्यादा लग जायेगा। इसलिये जो इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको देखना पड़ेगा तभी वनों का विकास होगा।

दूसरा, मैं पर्यटन के बारे में भी बोलना चाहूंगा, हमारे बाड़मेर जिले में कराड़ू है, खेड़ू है, नाकोड़ा का मन्दिर है जो भारत के इतिहास में बहुत विख्यात मन्दिर है

(श्री अमराराम चौधरी)

और हजारों लोग वहां पर आते हैं, इसके बावजूद भी एक पर्यटन स्थल नहीं बनाया है, न आपकी प्रगति रिपोर्ट में आपने कोई व्यवस्था की है। रेगिस्तान के अन्दर जो इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थान है उसको पर्यटन विभाग बिलकुल भूल रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक इमारतों को भी हम भूल रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केराडू खेड़ और नाखोड़ा को भी आप भविष्य में पर्यटन स्थल बनाने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : सभापति महोदय, हवा, अन्न और जल-मनुष्य के लिए तीन भौतिक आवश्यकताएं हैं तीनों भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अगर हम इकोलोजिकल बेलेंस प्रकृति में नहीं कर पाये, वनों का जितना प्रतिशत भूमि पर रहना चाहिए, वह नहीं रख पाये तो हम इन तीनों चीजों से महरूम हो जायेंगे। इसीलिए हवा, अन्न और जल का जो महत्व हमारे जीवन में है, उससे कम महत्व वनों का नहीं है। सभापति महोदया, वन, एक तरह से देखा जाय तो हमारा जीवनदर्शन होना चाहिए। वन इस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं कि निकट भविष्य में हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है जमीन की कटाई हम नहीं रोक पायेंगे, जमीन कटेगी, रेगिस्तान नहीं रोक पायेंगे तो जमीन के नीचे उर्वरा शक्ति नहीं रुक पायेगी, जमीन की नमी ऊपर नहीं आ पायेगी। इस प्रकार जो उत्पादकता है जमीन की, वह दिन प्रतिदिन नष्ट होती चली जायेगी। सभापति महोदया, आपने भी इस के बारे में काफी दुःख का इजहार किया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा, जो भावना इसके पीछे है उसको समझें। एक माननीय सदस्य श्री देवीलालजी, ग्रामीण भाषा में यहां बोले थे, उनकी आत्मा से यह बात निकली थी कि आज वनों का महत्व है इसलिए पेड़ को काटने वाले को फांसी की सजा दी जाय, कत्ल करने वाले को जो सजा है, वह सजा दी जाय। सभापति महोदया, पेड़ और वन हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो रेगिस्तान फिर बढ़ेगा। जमीन की कटाई बढ़ेगी तो जो हमारे पास भूमि है, वह भी नष्ट होती चली जायेगी। भूमि के संरक्षण के लिए और जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए पेड़ों का एक विशेष महत्व है। लेकिन पिछले दिनों में देखा यह गया है कि पेड़ दिन प्रतिदिन कटते चले जा रहे हैं। आंकड़े कुछ भी दर्शाते हों प्लाण्टेशन का एरिया 11 प्रतिशत से 9 प्रतिशत रह गया हो, 4 प्रतिशत रह गया हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। किसी एक एरिया, जिस एरिया में प्लाण्टेशन किया हुआ है, के आंकड़े भले ही दे दें लेकिन वास्तव में कितने बीघे में कितने पेड़ होने चाहिए, कितने एकड़ में कितने पेड़ होने चाहिए, उस हिसाब को अगर जोड़कर चलें तो मेरे ख्याल से राजस्थान में बांसवाड़ा और एक दो जिले को छोड़कर एक प्रतिशत से

(श्री यदुनाथसिंह)

ज्यादा वन हमको नजर नहीं आयेंगे। वनों का महत्व हमारे जीवन में जब इतना है तो वनों से आमदनी और उन पर खर्च को लेकर हम नहीं चल सकते। वन से आय कितनी होने वाली है और वन पर खर्चा कितना होने वाला है वन क्योंकि हमारे जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, किसी भी प्राणी के लिए जब इतना आवश्यक अंग है कि बिना पेड़ के और बिना वन के आगे आने वाला जीवन नष्ट होने वाला है तो वन के महत्व को इस आधार पर नहीं आंका जा सकता है वन से हमको आमदनी कितनी होती है और खर्चा कितना होता है। सभापति महोदया, हम वनों के संरक्षण की बात करें, पुराने वनों को सुधारने की बात करें, नये वन लगाने की बात करें तो जो खर्चा सरकार की तरफ से दिखाया जाता है, उस खर्चे पर आप, सभापति महोदया, नजर डालें। मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर मैंने देखा है कि आम तौर पर पूरा खर्चा वेतन और भत्ता, मेडिकल बिल के पुनभरेण, सरकारी गाड़ियां, वाहनों पर किया गया है। सभापति महोदया, अगर राजस्थान को हमें एक प्रगति का रास्ता दिखाना है तो हमें पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर सघन वनों का निर्माण करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, जिससे रेगिस्तान मिटे, जमीन से पानी ऊपर आये, इकोलोजिकल बेलेंस बने, वातावरण शुद्ध हो, पीने का पानी जमीन से मुहैया हो। वनों में प्लान्टेशन करते टाइम हमें इस पर भी नजर रखनी है कि पैटर्न आफ प्लान्टेशन क्या हो, कौन सी जमीन के लिए कौन सा प्लान्टेशन अच्छा होगा, कौन सी जगह पर कौन सा प्लान्ट अच्छा रहेगा, कहां पर खारी पानी है, कहां पर मीठा पानी है, कहां क्षारीय जमीन है, किस तरह की जमीन है। इस सबके अनुसन्धान की जरूरत है। लेकिन मुझे बहुत खेद है कि अनुसन्धान के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है, वह निल किया गया है। इसलिए ही अनुसन्धान बिलकुल नगण्य है। जब हम अनुसन्धान नहीं कर पायेंगे, जब हम रिसर्च नहीं करेंगे तो आगे वनों की क्या रूपरेखा होने वाली है, उसको हम सही दिशा नहीं दे पायेंगे। सभापति महोदया, राजस्थान का इकानोमिक ढांचा भी वनों के आधार पर बदला जा सकता है। सभापति महोदया, पालियामेंट में चर्चा हुई थी, महाराष्ट्र में कुबबूल नाम का वृक्ष है, उसको कल्पवृक्ष भी कहा जा सकता है। पालियामेंट में जो इसके बारे में चर्चा हुई उसमें प्रधान मन्त्री ने भी भाग लिया। सभापति महोदया, वह अजीब पेड़ है, एक साल में 15–20 फीट बढ़ता है। पत्थर में उसको लगाइये, बिना पानी की जमीन में लगाइये, रेगिस्तान में लगाइये, किसी भी जगह पर उसे लगा सकते हैं। 30 पर्सेन्ट तो उसकी पत्तियों में प्रोटीन मौजूद है। पूरी खुराक पेड़ की पत्तियां दे सकती हैं। उसके पेड़ को अपनी रुचि के अनुसार शेप दी जा सकती है। आप चराई के लिए उसको काम में लेना चाहते हैं तो झाड़ी का उसको रूप दे सकते हैं। आप टिम्बर के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं तो उसको बढ़ने दे सकते हैं। एक साल में वह 15-20

(श्री यदुनाथसिंह)

फीट बढ़ता है और 40-50-60 फीट तक उसकी लम्बाई बढ़ जाती है। उस पेड़ को आप पहाड़ पर भी लगायेंगे तो पहाड़ पर भी वह उपजता है। वह पेड़ जमीन को और ठीक करता है। पहाड़ की मिट्टी को परिवर्तित कर देता है। सभापति महोदया, जैसे कृषकों के लिए आज कई योजना हैं उसी प्रकार प्लान्टेशन की योजना बना कर किसान को प्रोत्साहित किया जाय तो उसकी माली हालत भी सुधरने वाली है। एक एकड़ के खेत में करीब--करीब 70-80 टन लकड़ी निकलेगी अगर उसमें प्लांटेशन किया जाये तो 10 हजार पेड़ लगेंगे एक एकड़ में और उससे 40 हजार की आमदनी होगी। जब पेड़ को काट देंगे तो फिर अगले साल वह 15 फिट बढ़ जाता है। इस प्रकार से उसके जीवन का कोई अन्त नहीं है। इस प्रकार के प्लांटेशन राजस्थान में किये जायें तो यह राजस्थान खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की इकानामी को बदल सकता है। इससे राजस्थान की इकानामी को बदला जा सकता है और राजस्थान एक मालामाल राज्य हो सकता है।

सभापति महोदया, जब हम बात कर रहे थे, वनों की तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने वाइल्ड लाइफ के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखायी। सभापति महोदया, जो आदमी, जो मनुष्य, पक्षी और वन्य जीवों के प्रति, पशुओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता, वह मनुष्य के प्रति भी संवेदनशील नहीं हो सकता। सभापति महोदया, अच्छे वन हम रखें, तो मारे पास वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है, वे टूरस्ट पॉइन्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेन्ट हैं और हमारी असेट्स हैं। आपने घना वाइल्ड सैंचुरी का जिक्र किया, मैं भी पर्टीकूलरली उसका जिक्र करूंगा। उसके बारे में मेरा एक प्रश्न भी था, सभापति महोदया, मैं उस प्रश्न के उत्तर से किसी भी सूरत में सन्तुष्ट इस आधार पर नहीं हो सकता है कि वहां के जो किसान हैं, आस-पास 15-20 गांव के किसान हैं। उनके मवेशियों के चरने की कोई जगह नहीं है। सभापति महोदया, आप देख लीजिए, 2 प्रतिशत किसानों के अलावा वहां पर कोई किसान ऐसा नहीं है, जिसके पास 50-60 बीघा से कम जमीन हो। नम्बर दो 10-12 गांवों के मवेशियों की चरने की समस्या क्यों है? दूर-दूर तक मवेशी चरते हैं। सभापति महोदया, वहां हम देखते हैं यह बड़े क्रिमनल हैं। ब्रीडिंग भी भरतपुर में होता है, बहुत-सी चिड़ियां जमीन पर अण्डे देती हैं, बहुत-सी पेड़ पर अण्डे देती हैं बहुत-सी फलोटिंग नेस्ट पानी में भी अण्डे देती हैं, वे तीनों प्रकार के अण्डों को नष्ट करते हैं। आपकी यह क्रिया है कि जीवों को नष्ट करें। इतना सुन्दर घना पक्षी विहार है कि वहां पर आदमी गद्गद् हो जाता है। वहां से निकलने का मन नहीं करता है। वहां विभिन्न 300 प्रकार के पक्षी आपको नजर आते हैं। सभापति महोदया, वहां वर्डला भी है, पर्टलापोड भी है, सब कुछ है। वहां पर मवेशियों का आना किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए, इस आधार पर कि मवेशियों की चराई नहीं की जा सकती और कि वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होने

(श्री यदुनाथसिंह)

वाली है। सभापति महोदया, कल को तो सेक्रेटेरियट में लोग लट्ठ लेकर घुस आयेंगे, कहेंगे, साहब, इनको यहीं पर सेट किया जाये। Struggle to be maintained, क्योंकि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होने वाली है, तो क्या आप उनको वहीं रखेंगे ? लॉ एण्ड आर्डर की सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी है। सभापति महोदया, इसलिये जो इस तरह के हमारे असेट्स मॉन्यूमेण्ट्स है और जिससे हमारा देश और विदेशों में नाम होता है, उसमें हमको ब्रॉण्ड माइण्डली सोचना होगा। घना की स्थिति आज बहुत नाजुक है। मैं बचपन से वहां पला हूं, और देखा है, जो घना में 10-15 साल पहले था, आज वह उसकी स्थिति नहीं है। माननीय सभापति महोदया, उस जगह की पोपूलेशन क्या थी और आज क्या है उस समय घना कितना घना था और आज उसकी कितनी कटाई हो चुकी है। वहां पर किसी तरह का टाउन डिस्टरबेंस नहीं हो। किस तरह से लाइफ आज डिस्टर्ब हो रही है, किस तरह से मूवमेंट डिस्टर्ब वहां हो रहा है। 39 स्क्वायर किलोमीटर का जो घना है उसके सारे क्षेत्र को, सभापति महोदया, आप देखें तो उसकी परिधि 12 या 13 किलोमीटर रह जाती है। वहां पर आई. टी. डी. सी. का फोरेस्ट रेस्ट हाऊस बनाया गया। सभापति महोदया, घना के अन्दर। जिन राजाओं ने उस घना को बनाया था वे चाहते, तो वहां पर दो कमरे की कॉटेज नहीं बनाते, एक प्लेस बनाते। तो, सभापति महोदया वाइल्ड लाइफ में जो बड़ी शांति, बड़ी शाई होती है उसमें डिस्टरबेंस होता है। वहां पर बड़े विजन के साथ वाइल्ड लाइफ को सम्भालने की और घना सेंचुरी को सम्भालने की आवश्यकता है, सभापति महोदया। इस प्रकार के कोई भी डिस्टरबेंस आज घना में अगर होते है तो, हमारे ट्यूरिज्म पॉइण्ट ऑफ व्यू से भी नुकसानदायक है और पक्षियों के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है उसके भी विपरीत बैठती है।

सभापति महोदया, अब दो मिनट, मैं आपके ट्यूरिज्म के सम्बन्ध में भी लेना चाहूंगा। राजस्थान में जितने ट्यूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स हैं, हिन्दुस्तान के दूसरे किसी कोने में नहीं हैं, सभापति महोदया। यहां पर इकोलोजी है, यहां पर वाइल्ड लाइफ है, यहां पर फोरेस्ट है, यहां पर डिजर्ट की ब्यूटी है, यहां पर आर्ट है, कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, यह सब कुछ है। सब कुछ होते हुये भी राजस्थान में अभी तक इसको इण्डस्ट्री का रूप नहीं दिया गया है। सभापति महोदया। इतनी भारी इनकम ट्यूरिज्म से राजस्थान में हो सकती है कि शायद किसी दूसरे हैड से नहीं। तो यह देखें, यह तो विजन की बात है, सभापति महोदया। यह शाही रेलगाड़ी चलाने से ट्यूरिज्म की बात पूरी होने वाली नहीं है। मुझे तो शाही रेलगाडी पर बड़ा आश्चर्य होता है, सभापति महोदया, कि शाही रेलगाड़ी से ट्यूरिज्म को किस तरह से बढ़ायेंगे। आपने ट्यूरिज्म का पैटर्न देखा ? ट्यूरिस्ट आपके राजस्थान में सात दिन के लिए आने

(श्री यदुनाथसिंह)

वाला नहीं है। वह तो टाइम निकाल कर बाहर से यहां पर आता है। सात दिन में उसका इतना टाइम बेस्ट करके आप राजस्थान दिखाना चाहते हैं। ट्यूरिस्ट दो-ढाई दिन से ज्यादा राजस्थान में रुकने वाला नहीं है। इसलिये आपका यह जो सात दिन ट्रेन का शिड्यूल है, वह आपका पैसा डूबने वाला है। यहां पर राजस्थान में घूमने-फिरने की व्यवस्था का, ट्रांसपोरटेशन का नितान्त अभाव है। यहां पर उन्हीं खचडा बसों में, बाहर का ट्यूरिस्ट आता है, इण्डीजीकस ट्यूरिस्ट --हिन्दुस्तानी ट्यूरिस्ट आता है, वह भी इन्हीं खटाला गाडियों में घूमता है। उनके लिये इसी पैसे से, जो पैसा शाही रेलगाडी पर खर्च किया गया है, अच्छे साधन मुहैया कराये जावें। सभापति महोदया, ट्यूरिस्ट हमारे यहां पर तीन ग्रुप का आता है. अपर ट्यूरिस्ट के लिए शाही रेलगाडी बना दी है और उसमें भी जिस हिसाब से वह शाही रेलगाड़ी बनाई गई है वह सफल होने वाली नहीं है। सभापति महोदया. थ्री स्टार या फोर स्टार फैसेलिटि देने वाले हैं, उसमें बाहर से ड्राइंग रूम तक नहीं आ जा सकते। चार-चार घण्टे तक बैठे रहो जिस जगह पर बैठे हो। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में घुसने की भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की जा सकती है लेकिन कहते हैं कि सैलून की ब्यूटी जाती रहेगी। तो शाही रेलगाडी का, मन्त्री महोदय, अपने दिमाग से भूत उतार कर आप इसकी जगह छोटी-छोटी, सस्ती-सस्ती राजस्थान ट्यूरिज्म की बसें चला दें जिससे ट्यूरिस्ट का टाइम सेव हो। वह निश्चित टाइम लेकर राजस्थान में आता है और इसलिये सात दिन के लिये इतना पैसा बर्बाद करने की बजाय आप उसको इस तरह से देखें कि ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था की जावे।

सभापति महोदया ट्यूरिज्म को एक मन्त्री के नीचे जरूर रखा गया है, लेकिन फोरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इकॉलोजी, कल्चर, ट्यूरिज्म और इस प्रकार के सम्बन्धित जितने भी विभाग है उनको, जब तक एक विभाग में क्लब नहीं किया जायेगा तब तक ट्यूरिज्म को एक्सप्लाइट करने की, उसको बढ़ाने की ज्यादा उम्मीद नही की जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, सभापति महोदया, इतना ही कहते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदया, मैं सर्वप्रथम वन की डिमाण्ड के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूं। राजस्थान में लकड़ी का अभाव है ईंधन के लिए। राजस्थान में चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण हो जाने के कारण और चरागाहों का विकास निरन्तर नहीं करने के कारण आज गोचर

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

भूमि उपयोगी नहीं रही, इसलिये चरागाह का अभाव है। जहां हम चारे के अभाव और ईंधन के अभाव की स्थिति को देखते हैं तो यह आवश्यक है कि गोचर भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण होना चाहिये। उससे एक तरफ हमको ईंधन की लकडी मिलेगी, दूसरे, हमारे मवेशियों को चरने के लिये चारा मिल सकेगा। हमें दुख है, पिछले सत्र में भी मैंने इस सन्दर्भ में जोर दिया था और यह मांग की थी कि ग्राम पंचायतों की गोचर भूमि बेकार पड़ी हुई है, उस भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण लगाया जाना चाहिये। मिश्रित वृक्षारोपण प्रदेश में 1800-1900 एकड़ में कही किया होगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जयपुर जिले में किसी भी चरागाह भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण नहीं किया गया है। जयपुर जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ है और गोचर भूमि में बाढ़ आ जाने के कारण आ जाने के कारण आज मवेशियों के चरने के लिए चारा लेश मात्र भी नहीं है जयपुर जिले की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह परम आवश्यक है कि जो चारागाह की भूमि रेगिस्तान के रूप में परिणत हो गई है उस भूमि में, चारागाह भूमि में, मिश्रित वृक्षारोपण किया जावे ताकि वहां के काश्तकारों को जलाने के लिए ईंधन मिल सके और आगे चल कर, मवेशियों को चरने के लिए चारा मिल सके। जहां बाढ़ आई है वहां चारागाह भूमि में छः छः फुट रेत जमा हो गई है और जहां रेत जमा हो गई है वहां घास उगने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं तो राज्य सरकार से विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को पुनः स्थापित करने के लिए, वहां के मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने के लिए, बाढ़ ग्रस्त एरिया में जो गोचर भूमि उपलब्ध है उस भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण किया जावे। मेरा तो यह भी विनम्र सुझाव है कि प्रत्येक पंचायत समिति में, चाहे आप प्रयोग के तौर पर दो ही पंचायतें लीजिए, हर पंचायत समिति में चारागाह की भूमि के अन्दर मिश्रित वृक्षारोपण आप करिये और उससे अगर लाभ मिलेगा तो जो दूसरी पंचायतें हैं, इस मिश्रित वृक्षा रोपण को देखेगी उपयोगी समझेंगी, तो वे पंचायत समिति की निजी आय से भी वृक्षारोपण, मिश्रित वृक्षारोपण किया जा सकता है।

दूसरा मेरा एक विनम्र सुझाव यह है कि जयपुर जिले में ही नहीं बल्कि समूचे राजस्थान में जलाने की लकड़ियां शहरों में आती हैं। राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्तर्गत अनावश्यक लकडी को काटने के लिए, जो घरेलू काम के लिए लकड़ी काटने के लिए है, काश्तकार को इजाजत दी जा सकती है। लेकिन जो अनावश्यक पेड़ हैं उनको काट कर किसान अपनी लकड़ी को जयपुर में लाकर या किसी भी शहर में ले जाकर बेच सके और उसका उचित कीमत मिल सके, इस प्रकार का प्रावधान अपने किसी भी नियम में नहीं है। आप फार्म फोरेस्ट्री के लिए किसानों को प्रेरित करना चाहते हैं अगर किसानों को वास्तव में फार्म फोरेस्ट्री के लिये प्रेरित करना चाहते है तो आपको उस किसान को लकड़ी काटने की इजाजत देनी पड़ेगी जो अनाव-

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

श्यक लकड़ी हो। जो वन को अपने खेत के चारों तरफ बाड़ के रूप में लगायेगा, जब नये पौधे लगावे उसके बाद इन वृक्षों को हटाने का प्रावधान आपके नियमों मे होना चाहिए। आज भी अवैध लकड़ी आती है और उस अवैध लकड़ी के पीछे क्या पृष्ठ भूमि है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता तहसीलदार अलग पीछे-पीछे गाड़ियों के चलता हैं पुलिस वाले अलग पीछे-पीछे चलते हैं और उसमें काश्तकार स्वयं आज अपनी लकड़ी को लेकर बेचने का साहस नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी के कारण जो लकड़ी के धन्धे में लगे हुए लोग हैं वे सस्ती लकड़ी खरीद कर जयपुर के उपभोक्ताओं को महंगे भाव में बेचते हैं। जहां किसा की लकड़ी दो और तीन रुपया मन बिकती है, वहा पर मौके पर वहीं लकड़ी आकर दस रुपये मन बिकती है। ऐसी स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए कि उपभोक्ता को भी लकड़ी सस्ती उपलब्ध हो सके और काश्तकार वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने की ओर प्रेरित हो सके, इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप राजस्थान टिनेंसी एक्ट में या राजस्थान वन सम्पदा अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान कीजिए कि जो किसान अपने खेत से पेड़ को काटना चाहता है यदि उसके बदले में नया पौधा लगा दे तो उसके बाद उसे काटने अनुमति दे दी जाय और जब यह अनुमति आप नियमों के अन्तर्गत दे सकेंगे तो उससे काश्तकार प्रेरित होंगे और वृक्ष लगा सकेंगे।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि व्यावसायिक दृष्टि से किसानों की लकड़ी को यदि आप खरीद कर बेच सकें तो उपभोक्ता को भी सस्ती मिलेगी और कृषकों को भी उससे अधिक कीमत प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा, आप किसी आरा मशीन पर चल कर देख लीजिए, हरे पेड़ कट कर आते हैं। आरा मशीन के लिए अपने अपने नियमों अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं कर रखा है।

आप जो लाइसेन्स देते हो, मेरा सुझाव है कि आरा मशीन को दीजिये। उसको भी आप वन विभाग के अधीन लाइसेंस देने की व्यवस्था कीजिये, ताकि आप जाकर वहां चैक कर सको। आज सड़कों के किनारे के पेड़ कट कर आरा मशीन पर आ जाते हैं और उससे सस्ती लकड़ी प्राप्त करके वह नाजायज फायदा उठाते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दें और काश्तकारों को प्रेरित करने के लिये आप उसके वहां जो अनावश्यक लकड़ी है, उसको काटने की इजाजत नियमों में प्रावधान रखकर दीजिये। इसके अलावा मेरा एक सुझाव था। अभी संजय वन आपने अपने लगाया, आपने ऐसे स्थलों को छोड़ दिया, जहां वन लगाया जाना चाहिये था। जयपुर जिले के अन्दर, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में, मैंने अनुरोध किया था, बांसकों, धार्मिक स्थल है, एतिहासिक स्थान है उस स्थान पर संजय वन लगाना चाहिये था। मंत्री महोदय माननीय ने इस संदर्भ में आदेश भी दिये। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन आदेशों की क्रियान्विति नहीं हो सकी। ऐसे जो प्रमुख स्थल है, वहा पर आपको वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिये। यह विकास की

(श्री जगदीशप्रशाद तिवाड़ी)

दृष्टि से और धार्मिक स्थल के महत्व की दृष्टि से काफी उपयोगी होगा।

●

मैं समझता हूं, भविष्य में सड़कों के किनारे पेड़ लगाने के मामले में चाहे जैसे वृक्ष हों पेड़ लगाये जायें। वस्सी क्षेत्र में जितनी भी सडकें हैं आज नगी पड़ी हुई हैं। केवल एक राष्ट्रीय मार्ग पर आपने दोनों ओर वृक्ष लगाये हैं। मेरा विनम्र निवेदन है जिन सड़कों के लिये मैंने अपने सुझाव दिये हैं, उन सड़कों के दोनों ओर, जहां गोचर भूमि पड़ी हुयी है जहां सरकारी भूमि खाली पड़ी हुई है, वहां पर वृक्षारोपण किया जाये। जो वन आदि लगे हुए हैं, उन पर अधिक से अधिक ध्यान सुरक्षा की ओर दिया जाये। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मोहन मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री कनकराज मेहता।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं वन की मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं यों देखा जाये तो वन इंसान की जिंदगी के लिये एक बहुत मुख्य चीज है। साथ ही धरती की शोभा भी इससे बढ़ती हैं। कहने का मतलब यह है कि वन आज जहां जहां लगे हुए हैं, वहां, आम डिसक्शन से मालूम होता है कि भारी शिकायत है। वन बड़ी मात्रा में काटे जा रहे है। बड़ी निर्दयता का उनके साथ व्यवहार हो रहा है। लेकिन जो प्रशासक हैं, जो इस विभाग के अधिकारी है, आज तक जितनी शिकायतें उनके पास आई उन्होंने उन पर क्या किया? देखना यह है, वन अधिकारी जो वन रक्षक बने हुए है, जो भक्षण वनों का हो रहा है, इस संबंध में वे कितने सतर्क हैं। उसका तो मंत्री महोदय, जवाब देंगे तभी स्पष्ट होगा। वास्तव में वनों की रक्षा इतनी की जा रही है, या ये फालतू आंकड़े पेश किये जा रहे हैं उनके द्वारा जो वन लगा रहे हैं। लेकिन जो वन लग रहे हैं। और लगे हुए वन हैं उनकी सुरक्षा के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सारे राजस्थान के वन उजड़ते जा रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात गत सैशन में भी कह चुका हूं। मेरे यहां भवासरा जोड़, जिसको सरदारपुरा जोड कहते हैं, करीब साढे छः हजार बीघा का वन है, आज उस वन के अन्दर जो काफी पुराने दरख्त थे, काफी बड़े-बड़े दरख्त थे, वह निर्दयता के साथ काटकर साफ कर दिये गये हैं। इस संबंध में मैंने एक एडजोनमेंट मोशन मूव किया था। मंत्री महोदय ने यह वायदा किया था, सी.आई.डी. से इनक्वायरी कराकर, उसकी मैं व्यवस्था करूंगा। लेकिन मुझे दिखता नहीं है, इनक्वायरी का क्या हुआ। क्या इनक्वायरी कराने की है? आपके वनों पर आपका स्टाफ लगा हुआ है और वन कट चुका। लकड़ी सारी बिक चुकी है। और वहां भट्ठे गए है। आपके जो अधिकारी हैं, जिसके चार्ज के अन्दर यह वन दिया हुआ था, क्या उससे कोई छिपा

(श्री कनकराज मेहता)

हुई बात है ? यानि, वन अधिकारियों ने वनों को अपनी कमाई का सोर्स बना लिया है, उसमें वह कमाते जा रहे हैं। उनके तहत कई लोगों को लाभ मिलता है। जहां तक जंगल साफ हुए हैं, मैं आपको कहता हूं, सांचौर के अन्दर, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हमारे जिस क्षेत्र में वन था, जब से यह वन कटना शुरू हुआ है, वहां भयंकर अकाल है। अकाल के कारण लोग बड़े त्रस्त हैं। जो वन था, उससे काफी लोगों को रोजगार मिलता था। वन के अन्दर पीलू होता था, खेजड़ी होती थी, इसमें कई मवेशी अपना गुजारा करते थे। वह वन आज साफ हो गया। उसकी सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की, कुछ पता नहीं हैं। वन के अधिकारी हैं, वह वन पर न जाकर सांचौर में घूमते हैं। और कोई ठेले पर एक दो बोरी लेकर आते है, या (बुआरी) लेकर आते हैं, या ऊंट लड्ढा लेकर आते हैं, तो उससे पूछते हैं, तुम लाये कहां से। मेरा निवेदन है कि जब सांचौर तहसील में एक ही वन है, जो 60 मील की दूरी पर है, तो सांचौर में उनका कौनसा जूरिस्डिक्शन है। अगर वन की लकड़ी आती है तो उस पर नियंत्रण रखने का उन का कानूनी अधिकार है। वन ही नहीं रहा, इसलिये लोग सांचौर में फिरते हैं। क्या उन लोगों को लाइसेंस मिला है ? मामूली मामूली छोटे किसान हैं, या मजदूर लोग हैं, वह बुआरी लेकर आते हैं, तो उन पर टैक्स लगाते हैं। सारा इंधन सांचौर में इतना महंगा हो गया, कि रुपया किलो इंधन बिक रहा है। क्या यह आपसे छिपी हुई बात है ? मेरा माननीय मंत्री महोदय, से यह निवेदन है कि सांचौर के अन्दर इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह लोगों के अन्दर मामूली मजदूरी करने वालों के दिल के अन्दर खौफ बैठा हुआ है कि बुआरी लेकर जायेंगे तो वह जब्त करली जायगी, बोरी ले जायेगे कोयले की, वह भी जब्त कर ली जायगी। जब तक इन लोगों को यह आश्वासन नहीं मिलेगा, उनके साथ इस तरह की ज्यादती वहां नहीं होगी तब तक वे लोग मजदूरी से महरूम रहेंगे। जनता के लिये जो इंधन मिल रहा है वह बहुत महंगा मिल रहा है, इसकी व्यवस्था करना सरकार का फर्ज है। साथ ही मेरा निवेदन है, वन तो उजड़ गये हैं, लेकिन हमाये यहां ऐसी जगह है, वह वन के आसपास ही है, काफी मील तक है, काफी खार की जमीन है, उस खार की जमीन में मामूली पानी से खेजड़ी लग सकती है। इंधन की लकड़ी इतनी पनप सकती है, सांचौर के उस जोड़ के अन्दर के मेरे ख्याल से राजस्थान को, जालौर जिले को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस लिये व्यवस्था करना जरूरी है। यदि आप वन रखना चाहते हैं तो उसका उस जमीन पर कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिये। उसके अन्दर कुछ न कुछ सरकार की तरफ से वन लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर आप वन लगाना चाहते हैं, उसके अन्दर ऐसे वृक्ष लगाये, जो कम पानी से पनप सकें। जनता को इसका लाभ मिल सके। अड़ोस-पड़ोस के गरीब लोग गुजर कर रहे हैं, उनको फायदा मिल सके, लेकिन

(श्री कमकराज मेहता)

यह भी नहीं किया जा रहा है। इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ताकि वहां का इलाका जो इस वन के कटने से वीरान पड़ा है, और जो खार की जमीन बेकार पड़ी है। उस जमीन का उपयोग करना इस सरकार का फर्ज है। उस उपयोगिता के अन्दर, इंधन की लकड़ी लगायी जाये। वह बहुतायत से पनप सकती है और काफी फायदा हो सकता है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही मेरा निवेदन है कि काफी वन लगाये जा रहे हैं। लगाने के आंकड़े तो आपके पास मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से वह आंकड़े आपके पास नहीं होंगे कि उन वृक्षों में से कितने वृक्ष सखाइव हुए। यह आंकड़े क्षुब्ध है लुप्त है। उसके अन्दर क्या होता है आंकड़े तो यह दिखाते हैं इतने दरख्त लगाये गये, लेकिन वास्तव में देखा जाय तो जितना धन खर्च वन विभाग के ऊपर हो रहा है, उसकी उपलब्धि शून्य तुल्य है। इसकी और ध्यान जरूरी है। जो पेड़ लगाये जाते हैं, वह किस जमीन में किस ढंग से लगाये जाये, वह समय पर लगते है या नहीं, इसकी देख रेख न होने के कारण इस सरकार को भारी हानि हो रही है। अन्त में मेरा निवेदन है कि वन कटने से सांचौर तहसील की समस्या उग्र हो रही है, और फ्यूल प्राब्लम हो रही है, उस पर कृपया ध्यान देकर फ्यूल वुड बढायी जावे, उगाई जाने की व्यवस्था कराया जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदया, वनों के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये। मैं भी, माननीय सभापति महोदया, यह उचित समझता हूं कि आज के हालात में अगर वनों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो देश के अन्दर और विशेषकर राजस्थान के अन्दर जो वनो की स्थिति है उससे भी ज्यादा खराब हालत होने की संभावना है। सभापति महोदया, पूरे विश्व में 33 प्र. श. वनों का होना प्राकृतिक सौंदर्य, व प्राकृतिक संतुलन के लिये आवश्यक है लेकिन राजस्थान में केवल 9.9 प्र.श. ही वन उपलब्ध हैं। यह बड़ी ही भयंकर स्थिति है। वनारोपण प्रोग्राम को सरकारी अफसरों के भरोसे चलाया गया तो अभी जो ऊंटों की और लकड़ी की कमी बढ़ रही है और उसका अभाव है उसको देखते हुए और किसानों की जो मजबूरी की हालत और परिस्थितियां है उन सब को देखते हुए मौजूदा स्थिति भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आ सकती है। सभापित महोदया, केवल प्रलोभन से या कानून कायदे बना कर अपन किसी भी चीज को जनता पर थोप नहीं सकते। आपको इस प्रोग्राम को जनता तक ले जाने के लिये, समझाइश करनी होगी और कुछ कुछ प्रटेक्शन देने पड़ेंगे ताकि जनता इस रास्ते पर अग्रसर हो। मैं मेरे समाज की बहुत पुरानी बात कहूंगा। आज से पांच सौ वर्ष पहले हमारे गुरू जमेश्वर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

भगवान ने वनों के प्रति अट्रैक्शन पैदा किया था और वनों को धार्मिक महत्व दिया था। वनों को महत्व दिया जाना आज के युग की मांग भी है। अगर वनों को महत्व नहीं दिया गया होता तो जो लगाव हमारा वृक्षों, खेजड़ी, हरे वृक्षों के प्रति है, वह नहीं रहता। आज हमारे समाज में कोई कानून कायदा नहीं, भय नहीं लेकिन हमारा अट्रैक्शन है, प्रेम है, स्नेह है वनों और जंगली जानवरों के प्रति हमारे समाज में भावना शिकार न करने की, हरे वृक्ष न काटने की भावना पैदा की गई है। जब तक इस तरह का लोगों का मानस नहीं बनाया जायगा। तब तक प्राकृतिक संतुलन रह नहीं सकता।

मैं थोड़ी सी बात अपनी ओर से निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार मेरे ख्याल से 12 करोड़ रुपया वनों पर खर्च करने जा रही है। इन 12 करोड़ में से मेरे ख्याल से, 8 करोड़ तो बड़े बड़े अधिकारियों, के रहन-सहन, टी.ए.डी.ए. और झूठे खाडे खोदने और झूठे वृक्ष लगाने पर खर्च होता है बाकी बहुत ही कम असली चीज पर खर्चा होता है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि पूरे राज्य की व्यवस्था ही ऐसी है तो वन विभाग अछूता कैसे रह सकता है। आजादी के बाद के आंकड़े देखेंगे वे अगर पूरे आंकड़े सही हो जाते है तो एक इंच जमीन नहीं बचती जिसमें वृक्ष नहीं लगे हुए हों। इतने खाडे खुदे हुए हैं पूरे राजस्थान में, पूरे एरिया में। लेकिन असली बात आ रही है जो कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है, इसलिये के सारे कागजी घोडे है, जो दौड़ाने पड़ते हैं, इसके द्वारा दौड़ाये गये हैं। माननीय सभापति महोदया, हमारे समाज में इस तरह का नारा दिया गया है—सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण। इसमें रूख का, हरे वृक्ष का महत्व दिया है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाय। अगर सिर कट जाता है, उसके बावजूद भी हरे वृक्ष की रक्षा करते हैं तो भी हरे वृक्ष की कीमत सिर नहीं चुका सकता। जिस समाज में वृक्ष का ऐसा महत्व हो, जहां की जनता, नागरिक इस तरह की राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होगी वहीं हरे वृक्ष का महत्व होगा उस समय इस महत्व को समझेंगे और इस प्रोग्राम को चला पायेंगे। आज जितनी लकड़ी की मांग है। जहां भयंकर चूने, भट्ठे वाले लाखों रुपये देकर करके प्रलोभन देकर अकाल की स्थिति में किसानों से जो लकड़ी ले लेते हैं, हजारों वृक्ष काट लेते हैं, सरकार की ओर से कोई बंदिश नहीं है। तो आपका प्रोग्राम चल नहीं सकता। 12 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी खर्च कर दें लेकिन जब तक लोगों में वृक्ष को न काटने की प्रवृत्ति नहीं पैदा करेंगे तब तक प्रोग्राम चल नहीं पायेगा। इस लिये मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, वन मंत्रीजी भी जानकार हैं, आपको कुछ अट्रैक्शन, धार्मिक बंधन पैदा करने पड़ेंगे। लोगों का मानस बनाना पड़ेगा। और अधिकारियों को, आपको, देखना पड़ेगा कि कौन से वृक्ष-कौन सी जगह ऐसी है जहां पर उपयोगी रहते है। आज खेतों में किसान

(श्री रामसिंह विश्नोई)

को लाभ देकर किसी तरह का वृक्ष लगाना चावें। तो किसान को मालूम है, खेत में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं है खेजडी के अलावा, जो उपयोगी हो। वृक्ष खेतों के किनारे पर होने चाहिये, वहां नीम भी लगा सकते हैं, पीपल और बबूल भी लगा सकते हैं लेकिन खेतों के बीच में खेजडी के अलावा कोई भी वृक्ष उपयोगी नहीं है। खेजडी इसलिये कि खेजडी के नीचे जो फसल होती है अच्छी होती है, वह डेढ़ी होती है लेकिन दूसरे वृक्ष उस फसल को खा जाते हैं। इसलिये किसानों के लिये खेती के अन्दर दूसरे वृक्ष उपयोगी नहीं हैं। इसलिये खेती के अन्दर कौन सा पौधा लगाना चाहिये इसका उपयोगी हल होना चाहिये सडकों के किनारे कौन सा वृक्ष होना चाहिये इस तरह का प्रोग्राम आप सरकार के अधिकारियों के जरिये, वन विभाग के अधिकारियों के जरिये बनावें। जहां पर बडी-बडी जो भी ईमारतें, कार्यालय हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर सभी जगह लाजिमी तौर पर आपको इस तरह का प्रोग्राम चलाना पडेगा ताकि इसकी प्रगति दिन प्रति दिन होती रहे। माननीय सभापति महोदय, मैंने वनों के बारे में तो सुझाव दिये है लेकिन मैं उचित समझता हूं कि वनों के अलावा जो वन्य प्राणी, जीव हैं, हरिण, खरगोश, छोटे-मोटे जीव वनों के अन्दर रहते हैं, जो प्रकृति की सुन्दरता के लिये जरूरी है उनकी रक्षा के लिये भी केवल हमारे समाज के अलावा बहुत कम लोग हैं जो इनकी हिफाजत की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे किसान हैं, ब्राह्मण हैं, जैन हैं, बहुत अच्छे समाज हैं, लेकिन जितना प्रभाव विश्नोई समाज दिखाता है वैसा अन्य समाज नहीं करता। कुछ उनको पालते हैं, वैसे वह धन्धा करते हैं। राजकीय वन विभाग के अधिकारी किसी तरह की तवज्जोह उनकी ओर देते नहीं है। केवल हम लोग उनसे दुश्मनी लेते हैं, हमारे आदमी उनसे लड़ते हैं, हमारे आदमी उनकी रक्षा करते हैं, बिना पैसों के हम उनकी हिफाजत करते हैं लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन हम लोगों का नहीं मिलता उल्टे हम लोग उनकी एक शिकायत तैयार करके देते हैं जिसका नाजायज फायदा यह लोग उठाते हैं। यह इसलिये निवेदन है कि आपको इस तरह का कानून-कायदा बनाना चाहिये कि जो शिकारी हैं, जो शिकार करते हैं, जो शहरों के किनारे पर मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जो मिले हुये आदमी हैं उनके खिलाफ शीघ्र एक्शन लेना चाहिये। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पिछले 10-20 सालों में आपने कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की ? आपके पास आंकड़े बिलकुल शून्य हैं। हजारों शिकायतें हैं, शिकायत करने वाला खुद थक जाता है, परेशान हो जाता है, उसको पैसा खर्च करना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद [illegible] कुछ भी नहीं निकलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वन्य जीवों की रक्षा के लिये इस तरह के कानून-कायदे बनाने चाहिये ताकि उनको प्रोत्साहन मिले व शिकारियों को सख्त सजा मिले।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मैं पर्यटन की दृष्टि से भी सुझाव देना चाहता हूं। पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है। राजस्थान में भी अतुल सम्पदा है पर्यटन की दृष्टि से। यहां पर अगर इसका विकास किया जाय, जो कलात्मक मन्दिर, बड़े-बड़े किले, महल, धार्मिक स्थल हैं उनका यहां पर इतना आकर्षण पैदा किया जाना चाहिये कि बाहर के पर्यटक जो यहां पर आते हैं, उनसे आकर्षित हों। यहां पर करोड़ों की विदेशी मुद्रा उनसे अर्जित हो सकती है लेकिन इसके लिये कुछ प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे। सभापति महोदया, पर्यटन में केवल 66 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उन पैसों से पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया विकास कर पायेंगे। ऐसा नहीं है, माननीय सभापति महोदया। मेरे क्षेत्र में जहां बिलाड़ा के पास बाण गंगा पर पुल बन रहा है, वहां बहुत बढ़िया धार्मिक स्थान भी है, वहां बारह मास जल-प्रवाह होता रहता है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पर्यटन के लिये, उसको सुन्दर बनाने के लिये वहां पर मिड-वे की स्थापना कर देते हैं तो जयपुर से जोधपुर, जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों के लिए मिड-वे का काम करेगा ही, उसके साथ ही उसके [illegible]व स्थापित हो जायेगा। मेरे खयाल से वहां आस-पास के हजारों तीर्थ यात्री प्रति माह, प्रति दिन आते हैं; उनके लिये भी आकर्षण का केन्द्र बन जायगा। इसी प्रकार परड़-याजी का मन्दिर, जो जैन मन्दिर है, आज से तीन सौ साल पहले बना था। वास्तुकला की दृष्टि से, कलात्मक सुन्दरता की दृष्टि से भव्य बना हुआ है। उसको भी अगर पर्यटन स्थल बनाते हैं या इस तरह की व्यवस्था कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि वह भी मनोरंजन की और प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यन्त सुन्दर होगा। पहले पर्यटन की बसेज लगी हुई थीं वे भी खतम कर दी हैं।

पूर्व में जयपुर से जोधपुर के लिए पर्यटन बसेज लगी हुई थीं, वे भी बन्द कर दी गई हैं। उन्हें पुनः चालू करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो पर्यटक बाहर से आते हैं, चाहे हिन्दुस्तान से हों, चाहे विदेश से हों, उनको आकर्षित करने के लिये, उनको जल्दी किसी स्थान पर पहुंचाने के लिये इस तरह की बसेज की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। जो नहीं है। ये बसेज दो-तीन साल पहले चलाई गई थीं। लेकिन उनको आपने बन्द कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि उनको वापस चालू करें। जोधपुर-दिल्ली-जैसलमेर तक जो सड़क है, आप उसको चौड़ा करने की सोचें, उसके किनारे पर हरे वृक्ष लगावें। हर 100 किलोमीटर की दूरी पर मिड-वे स्थापित करें। यह जो छोटे-छोटे मामले हैं, उनको सरकार को अपने स्तर पर तय करके इस तरह के अट्रेक्शन पैदा करने चाहिये ताकि पर्यटक, चाहे वे राजस्थान के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे वे विदेशी हों, को यह लगे कि यह कोई अच्छा इलाका है। वे थके हुये हों और आराम करना चाहें तो 100 किलोमीटर के दरम्यान में इस तरह के अट्रेक्शन उनके

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दिमाग में होने चाहिये ताकि एक-दो घण्टा ठहर कर विश्राम कर सकें, वहां के हालात का वहां के प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द ले सकें। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने 66 लाख का बजट प्रावधान रखा है उसको आप बढ़ायेंगे और जो वनों का महत्व है उसे भी कायम रखेंगे तथा जो राजस्थान के अन्दर वन 9.2 प्रतिशत ही रह गया है। इसकी हिफाजत ही नहीं करेंगे वरन् उसे 33 प्रतिशत नहीं करेंगे तब तक राजस्थान, जो रेगिस्तान को उजड़ने से नहीं रोक सकेंगे।

श्रीमती सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदया, वनों पर आज चर्चा चल रही है। मांग संख्या 9 पर काफी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैंने एक हैडिंग दिया था-वन विभाग में भ्रष्टाचार पर चर्चा।

माननीय सभापति महोदया, आज बड़े दुःख का विषय है कि राजस्थान में वन की जो स्थिति है वह गिरती जा रही है जिसका अहसास आपने भी किया है। मैं आपका आपके जरिये मन्त्री महोदय का भी अपने पहाड़ी इलाके की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाके में खास तौर से आदिवासी इलाके में जंगल की कटाई क्यों हो रही है? सबसे पहले इसमें सरकार दोषी है, जिसने जंगल का ठेका देकर जंगल काटना शुरू किया था। मान्यवर, अभी मेरे पहले से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने सुना कि पानरवा काण्ड हुआ। इसी तरह से धरियावद में बहुत बड़ा जंगल है। वहां इस तरह से लकड़ी चोरी से निकाली जा रही है। यह जो लकड़ियां काटी जा रही हैं, वहां के अधिकारी और जन प्रतिनिधि की मिली-भगत से काटी जा रही हैं। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो भयंकर जंगल है, सागवान का बहुत अच्छा जंगल है, आज केवल पैसा कमाने की दृष्टि से काटा जा रहा है। इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाये। जो चोरी से काटा जाता है, वन अधिकारी भी उसमें मिले हुए होते हैं, उसको रोकने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाना चाहिये। जो पहाड़ी इलाका है, जो आदिवासी इलाके के जंगल कटते हैं उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गम्भीरता से इस बात पर सोचें। सरकार ने सोचा, आदिवासी जंगल काटता है वह आदिवासी क्यों काटे। उसका जो पुराना अधिकार है वह छीन लिया गया है। आज वन मण्डल और व्यापार मण्डल के जरिये से जंगल को काटा जा रहा है। मैं चाहूंगा जो आदिवासी के अधिकार हैं वे उनको वापस दिये जायें। व्यापार मण्डल ने जिस तरह से गोंद निकालने का ठेका दिया है, सभापति महोदया, आपको मालूम होगा, पहले पेड़ से आदिवासी थोड़ा सा गोद कर गोंद निकालता था। जो सालरा का पेड़ है वह ज्यादा पनपता है, लेकिन उसका गोंद

(श्री मेघराज तावड़)

निकालने के लिये अधिकारी वह कह सकते हैं कि हमने ट्रेनिंग ली है, वह बढ़ सकता है। लेकिन, सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी वन अधिकारी हैं, जो ट्रेनिंग करके आते है, मेवाड़ में हमारे यहां यह कहावत है 'भणया घणा गुणिया कम", इस बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं लेकिन कौन-सा पेड़ कहां पर लगना चाहिये, किस-किस पेड़ का महत्व है, इसके बारे में वे नहीं जानते हैं। सभापति महोदया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पहले भी मैंने इस बात को कहा था, जो पहाड़ पर जंगल लगाते हैं, जो पेड़ लगाने हैं उसकी जगह उस पहाड़ी में यूनिसल का पेड़ लगावें और आशा करें कि वह पनपेगा, तो वह कभी नहीं पनप सकता है। वह समतल भूमि पर पनप सकता है। पहाड़ी में नहीं पनप सकता और न ही वह पेड़ इस इलाके के लिए काम में आने वाला है। जो काम आने वाले हो सकते हैं, यह है खैर, धावड़ा। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बिना पानी के पहाड़ों पर पनप सकते हैं। उस इलाके के लोगों को, वहां के काश्तकारों को प्रोत्साहित करके पेड़ लगाये जा सकते हैं। सभापति महोदया, जो पेड़ पर पैसा खर्च किया जा रहा है, नर्सरी के जरिये पेड़ दिये जाते हैं वह पेड़ आदिवासी किसानों को प्रोत्साहित करके वे खुद लगवायें, बीज के जरिये अलग से पौधा लगा कर, नर्सरी में लगा कर, बोयेंगे तो वह ज्यादा पनपेगा। यह उस इलाके के लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाये। जंगल का जो अधिकार आदिवासियों से छीना गया है वह वापस उनको दिया जाये और आदिवासी को प्रोत्साहित किया जाय। वे खुद जंगल की रक्षा कर सकते हैं। जो जंगल कट रहे हैं उसमें केवल आदिवासियों का नाम है। यह आदिवासियों के ऊपर लांछन है और उनको ज्यादा कलंकित किया जा रहा है। आदिवासियों को कम पैसा दिया जाता है। ठेकेदार लोग काट कर ले जाते हैं। आदिवासियों को छाछ मिलती है और मक्खन मलाई दूसरे खाते हैं। राज्य सरकार को गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर सोचे। पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासी जंगल के ऊपर निर्भर रहते हैं और कोई धन्धा नहीं है। धन्धा खोला जाये। इसलिए इन इलाकों में, आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को जिन्दा रखने के लिए कोई न कोई अलग तरह का धन्धा खोलें जिसके आधार पर जिन्दा रह सकें। पेड़ों की रक्षा की जिम्मेदारी आदिवासियों सौंपें। उन्हें जिन्दा रखने के लिये कोई न कोई अलग तरह का धन्धा खोलें, जिसके आधार पर जिन्दा रखने के लिये गम्भीरता से इस पर विचार करें। सभापति महोदया, यही नहीं आप बन्दर करेंगी, जो पेड़ की रक्षा करने वाली बात करते हैं, खजूर का पत्ता है, मेरे इलाके में, कोटड़ा इलाके में समतल इलाके में खजूर का पेड़ ज्यादा होता है, आपके उधर भी होगा। मुझे मालूम है, जो खजूर का पेड़ है, उस खजूर के पेड़ को ले, राजस्थान सरकार इतनी भूखी है कि जो

(श्री मेघराज तावड़)

खजूर के पेड़ के पत्ते काटने के लिये ठेका दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि जो फल निकलता है, वह फल लग नहीं सकता है क्योंकि अगले टाइम पत्ते कम आयेंगे, पेड़ सूख जायेगा। सभापति महोदया, खजूर का पेड़ है, उस खजूर के पेड़ में गर्मी के दिनों में फल आते हैं। पत्ते काटने से वह फल नहीं पनपेगा, पेड़ सूख जायेगा। आदिवासी इलाके में, यह सुनकर ताज्जुब होगा कोटड़ा के इलाके में लोग खजूर खाकर रहते है। खजूर का फल है, खजूर को इकट्टा करके रखते हैं और आदिवासी सुबह खाकर के दिन भर पानी पी करके अपनी जिन्दगी निकालते हैं। आप कहेंगे, केवल खजूर खाकर के जिन्दा रहता है! आदिवासी पेड़, पत्ते, फलों पर जिन्दा रहते हैं। खजूर को खाकर वह जिन्दा रहते है। उसको भी आपने नहीं छोड़ा। गत वर्ष आन्दोलन करवाया था, इस सम्बन्ध में और इन पत्तों को नहीं ले जाने दिया था। मैं चाहूंगा, राज्य सरकार गम्भीरता से सोचे। खजूर के पत्ते आदिवासी खाकर जिन्दा रहते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह हकीकत है। इसलिये इस खजूर के पेड़ का ठेका देना सरकार बन्द करे। इससे आदिवासी जिन्दा रहता है। यह दूसरे काम में भी आता है। जो पेड़ है वह लोहे के पाट की जगह घर में काम में आता है। आदिवासी के घर में काम में आता है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदया, जंगलों में, ग्रामीण इलाकों में जो जलाऊ लकड़ी है, मन्त्री महोदय इस बात को नोट करें, जंगल में रहने वाले आदमी 40 रुपये मन के हिसाब से लकड़ी खरीदें जबकि 20-30 रुपये क्विन्टल गन्ने की कीमत नहीं मिलती है। लकड़ी गन्ने से ज्यादा महंगी हो गयी। जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं, जो गरीब काश्तकार हैं उनको जलाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता है वह लकड़ी बिकाऊ लेंगे? वह कैसे लेंगे। अभी अभी आपकी राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर निकलता है जिसमें, जो पहले गोद में या सर पर लकड़ी ले जाते थे उनकी तो रायल्टी नहीं बढ़ायी है लेकिन, सभापति महोदया जो गधे पर, पाड़े पर या ऊंट पर लेकर जाते थे उनसे पहले जो रायल्टी ली जाती थी-एक रुपया गधे पर ली जाती थी। हरेक आदमी सर पर लकड़ी काट कर नहीं ले जा सकता है, गरीब काश्तकार है वह तो दूसरा जो साधन है जानवर वगैरह है, उस पर ही ले जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में खतम करता हूं। मैं तो मेरी पार्टी का अकेला हूं इसलिए समय ज्यादा होगा.......

श्री सभापति : 10 मिनट का है।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, अभी तो मैं चार मिनट ही बोला हूं।

(श्री मेघराज तावड़)

गधे पर पांच रुपया, पाडे पर पांच रुपया, ऊंट पर 10 रुपया और बैलगाड़ी के ऊपर 30 रुपया एवं दो बैलों की जोडी की गाड़ी पर 40 रुपया तथा ट्रैक्टर पर 150 रुपया और ट्रक पर 500 रुपया किया है। ट्रैक्टर और ट्रक वालों पर जो बढ़ाया है वह तो ठीक है लेकिन ग्रामीण आदमी के लिए जो रायल्टी बढ़ायी है वह उचित नहीं है। इसके खिलाफ आन्दोलन होने वाला है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर नहीं रहेगा। ईंधन उपलब्ध करायें और जलाऊ लकड़ी की जो रायल्टी बढ़ाई है उसको वापस लें।

सभापति महोदया, इस पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर चीफ कन्जरवेटर है उदयपुर में वर्माजी उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। जन प्रतिनिधियों को शामिल करके काश्तकारों को भी शामिल किया गया है। मेरा सुझाव है कि गांव के लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित हों, और उनको ही इसके लिए पैसे देने की कोशिश करें। मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं नये-नये तरीके निकाल कर जो गोंद आदि के पेड़ लगाने के सरकार प्रयास कर रही है और जो सागवान आदि की लकड़ी के ठेके देती है, सरकार उसे खतम करे। तेंदू के पत्ते के जो ठेके सरकार देती है, उसमें सरकार ठेकेदारों को क्या देती है और ठेकेदार लोग पत्ते तोड़ने वालों को क्या देते हैं। पत्ते तोड़ने वालों को 100 पत्तों पर 2 पैसे मिलते हैं और ठेकेदार कितना पैसा कमाते हैं? मेरी जानकारी इससे जादा है। जब कभी डिस्कस करने का मौका आयेगा, बताऊंगा। अभी समय कम है। मैं यह सुझाव देता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जंगल के बारे में काफी जानते हैं, अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, अफसर जो हैं वे गुणी नहीं हैं, अफसर पढ़े-लिखे जरूर हैं लेकिन वे गुणी नहीं हैं। सभापति महोदय, अब मैं पर्यटन के बारे में ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मन्त्री महोदय से यह जरूर कहना चाहता हूं कि गोगुन्दा एक आदिवासी क्षेत्र है, यह पहली बार निवेदन किया गया है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोगुन्दा को एक पर्यटन क्षेत्र घोषित करें। वहां पर महाराणा प्रताप की छतरियां हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मिनट में, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का जो राजतिलक हुआ था वह गोगुन्दा से शुरू हुआ था। वहां पर महाराणा प्रताप की छतरियां हैं, वहां पर पास ही में गजानन्द की मूर्ति है, वहां पर भी काफी लोग दर्शन के लिए आते हैं। दोनों जगह काफी अच्छी हैं और उधर वह ठण्डा इलाका है, बड़ा ही सुहावना मौसम रहता है। मेरे ख्याल से, आबू के बाद दूसरा स्थान राजस्थान में गोगुन्दा

(श्री मेघराज तावंड़)

का ही आता है। आप वहां पर गर्मी में भी जायेंतो गर्मी महसूस नहीं करेंगे, ऐसा इलाका है। अगर उस इलाके को पर्यटन क्षेत्र घोषित करें तो यह ज्यादा उपयुक्त होगा। रणकपुर जिस रास्ते में है वह यही रास्ता है, आबू के रास्ते में भी यह आता है, इसलिये इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाये। वहां पर मिड-वे भी बनाया जाये ताकि आमदनी हो और उस इलाके का विकास हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, सभापति महोदया, इसी तरह से जावरा जो है, वह भी काफी महत्व पूर्ण स्थान है। वहां पर महाराणा प्रताप रहे थे। उनके खण्डहर हैं वे भी काफी देखने लायक हैं। उसको भी काफी लोग देखने आते हैं। उसको पर्यटन क्षेत्र····

(6.54 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

घोषित करना चाहिए और पुरातत्व विभाग को उसकी रक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके पास समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा नहीं कह सकता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूलाल मीणा। माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि ठीक साढ़े सात बजे मन्त्री महोदय का जवाब होगा इसलिये अपनी बात को थोड़े शब्दों में, मैं रखने की कृपा करें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : वन सम्पदा को प्रोत्साहित करने के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूलाल मीणा

श्री महाराम चौधरी : आपने मेरा नाम लिया था।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : किसका नाम है, जरा, उपाध्यक्ष महोदय, नाम बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम आ जायेगा।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सब जानते हैं कि कि जंगल जहां पर होंगे वहां पर वर्षा होगी। जहां पर जंगल नहीं होंगे वहां पर वर्षा का औसत कम होगा। जैसे, नदी में या नाले में जहां पर पानी होता है और उस पानी में मछली होती है तो पानी साफ रहेगा, उसी तरह से मनुष्यों के लिए जंगल का होना बहुत जरूरी है। अगर जंगल होंगे तो जो गन्दी हवा है वह जंगल सोख लेंगे और स्वच्छ हवा को छोड़ेंगे। इसलिये यह

(श्री भैरूंलाल मीणा)

बहुत आवश्यक है कि वृक्षों की रक्षा की जाय।

आप जानते हैं कि पिछले तीन साल से अकाल पड़ रहा है, जंगल बराबर साफ होते जा रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जायेंगी कि वर्षा नहीं होने से अकाल की स्थिति बनीर हेगी। इसलिए, माननीय सदस्य, जो मेरे से पूर्व बोल रहे थे उन्होंने भाषण दिया, बड़ी अच्छी बात है, वे बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, जंगल नहीं कटने चाहिए। लेकिन खुद उनका भी जंगल कटवाने में काफी हाथ रहा है, वे अगुआ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में अभी यह बात बैठी है कि जंगल काटने से नुकसान होता है। तो मैं उनको बधाई देता हूं। आप जंगल काटने को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय एक क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं ..

श्री भैरूंलाल मीणा : मैं तो आपकी पैरवी कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे उपर जो टौंट किया गया है उसका जवाब देना चाहता हूं। पैरवी नहीं ऐसा है कि जो पुराने जमाने में बाजरे काटते थे यह किसी की....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनने की हिम्मत रखिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल मीणा : क्योंकि आदिवासी लोगों के लिए जमीन पर्याप्त नहीं है....

श्री मेघराज तावड़ : ये भी उस इलाके के हैं। इन्होंने देखा होगा बाजरा क्या होता है।

श्री भैरूंलाल मीणा : आदिवासियों के लिए, सही बात है, जमीन कम है। कोई दूसरा साधन नहीं होने के कारण ही पेड़ काटने के अलावा कोई दूसरी उनको आमदनी नहीं है। लेकिन उनको अगर सही तरीके से समझाना होगा। जो जंगल काटे गये हैं उनको मैंने खुद ने देखा, बावड़ी, जावरा के जंगल सड़क के किनारे-किनारे थे और उसमें नाहर चीते तक मिल जाते थे। आज वे जंगल तक साफ हो गये हैं। उनको चुर को जलाने तक के लिये लकड़ी नहीं मिलेगी और उनको खुद को गांव के अन्दर टाल खोलनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति आ गयी है। तो उनको शुरू से ही यदि समझाया जाता कि आप लोग जंगल नहीं काटें और जंगल की रक्षा करें और खेतों पर ही ज्यादा मजदूरी करें, जितनी मेहनत जंगल में जाकर पेड़ काटकर करते हैं उतनी मेहनत खेत में करते तो खेत भी आमदनी देते और जंगल भी बच जाते।

(श्री भैरूलाल मीणा)

अगर यह उनको शुरू से सिखाया जाता तो जंगल ज्यादा नहीं कटते। आज पेड़ काटने वाले, ऐसा नहीं है, इच्छा से काटते हैं, वे मजबूरी के कारण ही ऐसा करते हैं। लेकिन उनको सिखाया जाय कि ज्यादा जंगल नहीं काटें। अगर आपका दिमाग साफ होगा कि जंगल की रक्षा करनी चाहिए।

श्री मेघराज तावड़ : आप क्या समझते हैं ?

श्री भैरूलाल मीणा : आप ज्यादा

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब मत दीजिये, अपनी बात कहिये।

श्री भैरूलाल मीणा : आपको बधाई है....

श्री उपाध्यक्ष : समय जाया कर रहे हैं। मैं आपका समय काट लूंगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप विपक्ष को ताड़ना दीजिये।

श्री महाराम चौधरी : यह समय काटने वाली बात ठीक है।

श्री भैरूलाल मीणा : जैसा कि सरकार ने 12 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा है, मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार 50 करोड़ रुपये भी खर्च कर देंगे तब जाकर भी पेड़ नहीं पनप पायेंगे, क्योंकि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ऐसे इलाके हैं जो कि पहाड़ी हैं। इन पहाड़ों पर नये वृक्ष लगाने की जो योजना है, उससे कुछ नहीं होगा। वर्तमान में जो वृक्ष हैं उनकी रक्षा करने का एक ही उपाय है कि जो स्थानीय आदिवासी हैं, नागरिक हैं उनके खेतों के पास, आज अगर देखें तो चाहे नाजायज कब्जे हों, चाहे जायज कब्जे हों आज जंगल ज्यादा मौजूद हैं और जिन जंगलों के सरकारी अधिकारी हैं जो उनकी रक्षा करते हैं वह जंगल साफ हो गये हैं। आप ज्यादा बोलने नहीं देंगे इसलिये यही कहना चाहता हूं कि वहां पर रहने वाले आदिवासियों ने जंगल के बीच-बीच में काबिल काश्त की जमीन निकाल दी है में तो जमीन के चारों ओर जंगल की सुरक्षा वह स्वयं करेंगे जससे कि जंगल की रक्षा अपने आप होगी किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं होगी। वह खुद काश्तकार जंगल की रखवाली भी करेगा और खेती भी करेगा। इस तरह सरकार को अगर वास्तव में जंगलों की रक्षा करनी है और जंगलों को बचाना है तो मैं नहीं कहता कि सारे के सारे जंगल दे दिये जायं, या सारे के सारे पेड़ उनको दे दिये जायं। जिस तरह से जिसके हिस्से में आवे सरकार द्वारा स्थानीय लोगों के जंगल अगर हाथ में दिये जायं और उनको अधिकार दिया जाय कि इतने जंगल की तुम रखवाली करो, उनकी उपज में होने वाला लाभ भी लेंगे तो उनकी सूखी

(श्री भैरूं लाल मीणा)

लकड़ी को ले जाकर वह बेच सकता है। इस तरह के उनको कानूनी कोई अधिकार दिये जायें तो वह जरूर उस जंगल की रक्षा करेगा और जंगल बचाये जा सकेंगे। नहीं तो भले ही कितने पेड़ लगा दो वह जंगल साफ हो जायेंगे और जंगल साफ होने से वह पहाड़ और दर्शनाऊ हो जायेंगे। कुछ अर्से पहले पहाड़ों पर हरियाली नजर आती थी। कुल दस साल बाद वह पहाड़ ऐसे नजर आयेंगे, पत्थर के अलावा उन पहाड़ पर कुछ नजर नहीं आयेगा, वह भी देखने लायक एक दर्शनाऊ चीज हो जायेगी। उस पहाड़ को देखेंगे तो सूखा नजर आयेगा, बढ़िया नजर आयेगा, फोटो भी अच्छा आयेगा इसलिए मेरा निवेदन है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि उस इलाके में जैसे सागवान के इलाके में सागवान लगवाया जाय, और जहां पर सालर, गोदल, धावड़ा, खेर है उस इलाके में सालर, गोदल, धावड़ा, खेर लगवाया जाय। जहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सागवान होता है वहां पर दूसरे वृक्ष लगवाये जाते हैं जहां पर सालर, गोदल, धावड़ा, खेर होता है वहां पर दूसरे वृक्ष लगाते हैं। यहां जो सड़क के किनारे पेड़ लगाते हैं वह फलदार वृक्ष तो लगाते नहीं। फलदार लगाने से क्या नुकसान होता है सरकार को। तो मेरा यह निवेदन है सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाते हैं और जो आदिवासी होते हैं या जो भी वहां के निवासी हैं उनसे जमीन ली जाती है उस जमीन के अन्दर फलदार वृक्ष लगाये जायें और फलदार वृक्ष की रखवाली पास के उन्हीं लोगों को दी जाय ताकि रखवाली भी करेंगे, फलदार वृक्ष भी लग जायेंगे और पेड़ों की रखवाली भी बिना पैसे हो जायगी तो इस प्रकार सरकार योजनाबद्ध बात करती है और उस तरह से पैसा खर्च करती है तो उसका कोई लाभ होगा अन्य।.... •

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लाखों रुपये खर्च कर देंगे जिसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूं लाल मीणा : अन्यथा जंगल साफ हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री महाराम चौधरी : मेरा नम्बर है। आपने आश्वासन दिया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के दो मिनट रह गये हैं। बोल लोगे।

श्री महाराम चौधरी : दो मिनट में बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 47 पर्यटन को शायद चर्चा में बहुत कम महत्व दिया जा रहा है लेकिन मेरी मान्यता है कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा धन कमाकर विभाग दे सकता है, जिसकी पोटेन्शियलिटी है, जिसमें क्षमता है जिसके आधार पर राजस्थान धनी बन सकता है तो वह पर्यटन विभाग है क्योंकि राजस्थान का पर्यटन का आकर्षण केन्द्र यहां का इतिहास है, यहां के धार्मिक स्थान है, यहां के कुछ पुराने ऐसे किले हैं जिनके आधार पर यह सदा ही लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि इसको इस ढंग से नहीं लेकर के इसका केवल 66 लाख और कुछ का जो बजट आपने पेश किया हैं, ऐसा लगता है अपने आप को, अपने मन को इतना सिकोड़ कर रखा है कि शायद हम इसका विकास करना चाहते नहीं हैं अन्यथा केवल एक उदयपुर और उदयपुर के आसपास क्षेत्र में इतनी आज क्षमता है कि वहां लगभग एक करोड़ की विदेशी मुद्रा इससे कमाई जा सकती है। केवल उदयपुर में विदेशी जो लोग आते हैं उनके आधार पर उदयपुर को काफी व्यापार मिलता है लेकिन हम इसको अधिक बढ़ाने के लिये चिन्तित नहीं हैं। यहां तक कि आपके विभाग की जो प्रगति रिपोर्ट है इसको देखने से ऐसा लगता है कि शायद उदयपुर को नेगलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उदयपुर का जो कुछ भी टूरिज्म डवलपमेंट हुआ है वह वहां की प्राकृतिक सौन्दर्य और वहां के राजा-महाराजाओं की देन के कारण हुआ है। स्वतन्त्र भारत के बाद इसके विकास के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। इन आंकड़ों को सुनकर ताज्जुब होगा कि उदयपुर में 3 लाख और 81 हजार और इस साल तो 4 लाख 36 हजार तो देशी, अपने देश के लोग, आये और 38 हजार विदेशी प्रति वर्ष वहां पर आते हैं लेकिन उसके बाद भी आपने उनकी सुविधा के लिये क्या किया। आज से कई वर्ष पहले वहां जो आवास व्यवस्था आपने कर रखी है और जो आपने 85 शैय्याओं की व्यवस्था बताई है इसमें से केवल पिछले वर्ष बताया है कि 1429 हो गई लेकिन उदयपुर की वह 85 की 85 ही बनी हुई है। श्रीमन्, यही नहीं, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने एक प्रयत्न किया कि यह मेवाड़ की जो भूमि केवल राजस्थान, हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व में यह मेवाड़ की पवित्र भूमि राजस्थान वीरों की भूमि जानी जाती है इस कारण से और महाराणा प्रताप के नाम से इसको जाना जाता है लेकिन आज दिन तक किसी ने भी जो एक महापुरुष, जिसके कारण से हम पहचाना जाता है, उस स्थान को जिसके कारण से जाना जाता है, के उस स्थान को विकसित करने के लिये 33 वर्षों में प्रयत्न नहीं किया। पिछली जनता सरकार के समय में एक मेवाड़ काम्प्लेक्स की योजना केन्द्रीय सरकार को बनाकर पेश की गई थी उस मेवाड़ काम्प्लेक्स में महाराणा प्रताप जहां रहे उन स्थानों के विकास की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक योजना बनायी थी उसमें चण्डावक जहां उनकी मृत्यु हुई, गोगुन्दा, जहां उनका राजतिलक हुआ और कुम्भलगढ़, जहां उनका जन्म हुआ। और हल्दी घाटी जहां युद्ध हुआ—इन चारों स्थानों का एक प्लान बनाकर भेजा जिसकी केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी। यहां तक कि स्वीकृति ही नहीं दी उसके लिये उन्होंने सर्वे करने के लिये पार्टी भी मुकर्रर की और पार्टी मुकर्रर करके सर्वे का कार्य पूरा किया। आपने मेरे पिछले कटौती प्रस्ताव का जवाब दिया, सर्वे पर चार लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने व्यय किया। मतलब हमने चार लाख रुपया खर्च करके इस मेवाड़ काम्प्लेक्स को बनाने के लिये जो दो करोड़ रुपयों की योजना थी उसको किया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि राजस्थान को ऐसे महापुरुषों पर गर्व नहीं है अन्यथा किसी प्रान्त में चले जाइये, महाराष्ट्र में चले जाइये शिवाजी की स्टेच्यू गांव-गांव और एक-एक शहर के चौराहे पर आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं महाराणा प्रताप की स्टेच्यू केवल उदयपुर की मोती मगरी को छोड़ कर के और कहां है? हल्दी घाटी में जहां महाराणा प्रताप ने युद्ध किया वहां स्टेच्यू है, चितौड़गढ़ में हैं, किस स्थान पर है। हम अपने महापुरुषों को इस तरह से नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना जिसको केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी और जिसकी सैक्शन आ गई जिनका प्रोजेक्ट बन गया यह सारी स्वीकृति मिलने के बाद भी पता नहीं किस कारण ढिले हो गई। मैं चाहूंगा कि आप प्रयत्न करें जिससे कि मेवाड़ काम्प्लेक्स का कार्य हो सके।

यही नहीं, श्रीमन्, उदयपुर में टूरिस्ट सेन्टर डवलप करने के लिये एक उदाहरण देना चाहता हूं। जयसमन्द जो झील है वह एशिया की सबसे बड़ी झील है। अगर जयसमन्द को टूरिस्ट पाइन्ट बनाकर डवलप करें, उसके अन्दर तैरते हुए मकान बनावें जिसमें आकर के विदेशी लोग ठहरें, हन्टिंग व्यवस्था मछली के शिकार की व्यवस्था जहां है, उस स्थान को अगर हमने विकसित किया तो मेरा ऐसा मानना है कि उदयपुर ही नहीं राजस्थान के टूरिज्म को बहुत बड़ी मदद कर सकेंगे।

यही नहीं, श्रीमन्, होटल को इण्डस्ट्री नहीं मानते। अगर आप होटल को भी एक इण्डस्ट्री और पर्यटन को इण्डस्ट्री का दर्जा दिला दें तो मेरा ऐसा मानना है इस पर्यटन के क्षेत्र को हम काफी विकसित कर सकेंगे, इसमें काफी और आगे बढ़ सकेंगे।

श्रीमन्, यही नहीं, यहां तक कि ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अपनी बात को बहुत जल्दी ही कुछ पाइन्ट्स में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन्, क्या यह सच है कि इस साल भी आपका डिपार्टमेन्ट घाटे में रहा ? लेकिन मेरी जो जानकारी है, 80-81 में 22 लाख का घाटा है और 81-82 में 60 लाख का था। यह आपका कार्पोरेशन है या नहीं, यह घाटा है या नहीं क्या ? यह भी सत्य है कि आपके यहां का आर टी. डी सी. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के गिरवी है ? आज हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हम टूरिज्म को विकसित कर सकते हैं, आपके पास स्वतन्त्र चार्ज है. आप इसको डवलप कर सकते हैं, टूरिज्म की हमारे यहां बहुत पोटेन्शियलिटी है लेकिन इसके साथ ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जल्दी समाप्त करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आंकड़े और प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि 10-11 प्रतिशत जमीन पर राजस्थान के वन हैं। लेकिन सत्यता यह है कि 4 प्रतिशत पर भी शायद मुश्किल से मिलेगा। मैंने कई बार वहां देखा है, मैं कई दफा उदयपुर और वहां के कस्बों से आता हूं इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उदयपुर से लेकर कोटड़ी तक आप चले जायें. आपको जमीन का एक कण भी नहीं दिखाई देता था. लेकिन आज सारी घाटियां सारे जंगल बरबाद हो गये, समाप्त हो गये। दयनीय स्थिति हमारे यहां के जंगलों की बन गयी। श्रीमान्, आपने यहां आय की बहुत विस्तृत चर्चा की कि हमें 7 करोड़ 75 लाख रुपये की आय हुई है। 70 की आय जो सिर्फ डेढ़ करोड़ थी उससे कई गुना बढ़ गई है। क्या आपने यह विचार किया कि इस आय के साथ आपका खर्च कितना बढा। मैं आंकड़े देकर तुलना नहीं करना चाहता हूं। आप उन आंकड़ों को टटोलिये तो आप पायेंगे कि आपकी आमदनी सिर्फ 40-42 लाख रुपये बढ़ी है। केवल यह कहकर आप बचने की कोशिश करें, भगवान के नाम पर कम से कम इस राजस्थान को बचाने के लिये. ईमानदारी से काम करें। नहीं तो राजस्थान चौपट हो जायेगा, उसका सर्वनाश हो जायेगा। मैं यह कठोर शब्द इसलिए कह रहा हूं कि इसके आधार पर सारी भूमि का ह्रास हो रहा है, मिट्टी बह कर आ रही है और जहां आपने साधन बनाये थे सिंचाई के लिये वह धीरे-धीरे धंस रहे हैं, उनसे तालावों में मिट्टी आ रही है. पत्थर आ रहे हैं। अगर इनको नहीं बचाया गया तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप वहां वन पैदा नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा कहना है कि इस लालच में न रहें। हिन्दुस्तान में कम से कम आपके विभाग का चरित्र इतना गिर चुका है इस पर मुझे अब विश्वास नहीं रहा उन। वनों का मालिकाना हक उस आदिवासी, जो वहां पर झोंपड़ी बना कर रहता है, को दो और उससे जो आमदनी हो उसको आप तय करें कि 50 प्रतिशत आप लेंगे। आपके अफसरों के बारे में, हिन्दुस्तान का चाहे जो करेक्टर बन गया हो, मुझे विश्वास नहीं है कि वह जंगल को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बचा सकेंगे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से फिर गुजारिश करूंगा कि आज आप अगर जंगल को बचाना चाहते हैं तो आदिवासी, जो उस जंगल में रहता है, को उसका हक दो, उसको झोंपड़ी बनाने दो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकंवार।

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : आपके माध्यम से जंगलों को बढ़ावा देने के लिये और जंगल का विकास करने के लिए अनेक सदस्यों ने सुझाव दिये हैं यहां पर, मैं उनकी भावनाओं से अपने आपको जोड़ता हूं और इसके साथ-साथ ही निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से कि जो यह जंगलों पर नाजायज कब्जा लोगों ने कर रखा है उनसे जंगल पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाये है, ऐसा मैंने कई जगह सुना और देखा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने जंगलों के आसपास के जो किसान हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनको सही तरह से निकाले। उसके साथ-मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से जंगलों की स्थिति अलग-अलग है। कई जगह तो समतल जमीन पर जंगल हैं। विशेषकर देखने में आया है कि जिस जगह बड़े-बड़े पहाड़ हैं या छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं वहां हमने जंगल रखा है। मेरा मानना यह है और इस सम्बन्ध में विधान सभा में कई प्रश्न मैंने उठाये कि जंगल में कई जानवर ऐसे हैं जैसे नील गाय जो आस-पास के खेतों को उजाड़ देती है। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि उन जंगलों में जानवरों की रहने की जगह तो आपने कर दी लेकिन उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पहाड़ से पानी उतर कर जाता है वह बरसात आने पर अन्य स्थान पर पहुंच जाता है, वहां के जानवरों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी जंगल या पहाड़ियां हैं उनमें कुछ पानी के लिए अपने विभाग की ओर से बांध बनवा दीजिये, ताकि वह पशु, जो जंगल में रहते हैं, पालतू जानवर पानी पी सकें। जंगल में आराम से रह सकें और जंगल से बाहर जाकर खेतों को उजाड़ने की कोशिश न करें। इसके साथ-साथ मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जंगलों के आस पास में जो आबादी है, वहां एक विशेष प्रकार की जाति रहती है गुर्जर रहते हैं, वह भेड़-पालक होते हैं, बकरियां पालते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनके पशुओं को आप जंगल में चरने से रोक देंगे तो धीरे धीरे वहां के लोग बेरोजगार हो जायेंगे। उनके पास कमाई का और कोई स्रोत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक ओर आप दरख्त लगाते हैं दूसरी ओर जो पशु उनमें चरते हैं वह छोटे पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि कि आप उन जंगलों को दो हिस्सों में बांट दे ताकि जिधर छोटे पौधे लगाये जायें वहां पशु न जायें और जब वह पेड़ बन जायें तो दूसरी जगह आप तारबन्दी करके पौधे

(श्री रामकंवार बैरवा)

लगा दें और इधर उन्हें चरने दें। इसके साथ-साथ जितने भी जंगल हैं उसमें जो घास और पेड़ों की पत्तियां हैं उस को आस-पास के लोग कुछ पैसे देकर ले जायें। आपको यह उनको अधिकार देना चाहिये। जंगल से घास इकट्ठी नहीं करके आप उसे चाहें तो नीलामी में बेच दें या किसी अन्य तरीके से उन्हें दे दें। क्योंकि घास जो उन्होंने इकट्ठी नहीं कर ली होती है तो बरसात का मौसम जब आता है तब घास नहीं होती है और उनको दिक्कत होती है घास के लिये, तो वह तब घास लेकर अपनी उदर पूर्ति कर सकेंगे। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, जंगलों में जो तारबन्दी होती है उससे रास्ता तंग हो जाता है जिसमें आने-जाने वालों को काफी चक्कर काटकर जाना पड़ता है। इसके लिये आपने जो तारबन्दी कर रखी है उसमें आने जाने के लिये रास्ता होना चाहिये। इसके साथ ही जंगल के लिये वन विभाग के महकमे से एक और पुरजोर शिकायत है कि आपके वन विभाग में अनुसूचित जाति के लोग सभी श्रेणियों में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति के लोग अन्य पोस्टों पर पढ़े-लिखे होने के बावजूद दूसरे महकमें जैसे टेक्निकल में तो आ नहीं सकते लेकिन विभाग में यह आराम से काम कर सकते है चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो मैं कहना चाहूंगा कि वे विभाग द्वारा सौंप गये उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभा सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों को शीघ्र भर्ती करें जो उनका रिजर्वेशन है उसके आधार पर।

इसके साथ ही मैं पर्यटन विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पर्यटन मन्त्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन के अन्दर जयपुर के आसपास कतई आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाहर से जो भी लोग आते हैं चाहे वह दूसरे देश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी दो मिनट में समाप्त करूंगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है।

दूसरे पुराने जमाने से राज-पूताना चलता आ रहा है इसलिये कई लोग कहते हैं कि यहाँ के महाराजा मानसिंह, जो पोलो के खिलाड़ी थे, की कोई प्रतिमा कहीं बनी हुई है? इसलिये मैं कहना चाहूंगा, मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछे लेकिन अभी तक उन पर गौर नहीं किया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि स्वर्गीय मानसिंह की प्रतिमा या तो स्टेशन के सामने लगनी चाहिये या रामनिवास बाग या कोई उचित स्थान देखकर पर्यटन विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाये ताकि बाहर के लोग उसको देख सकें, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि डिग्गी टोंक जिले में ऐसा स्थान है जो आपका पर्यटक केन्द्र अच्छा बन सकता है डिग्गी श्री कल्याण जी

(श्री रामकंवार बैरवा)

का मंदिर है उसका कोई विकास नहीं हुआ। अपने उत्तर में क्या मंत्री महोदय आंकड़े दे सकेंगे कि डिग्गी श्री कल्याण जी कितने यात्री जाते हैं और कितने आते हैं ? डिग्गी के उस स्थान को टूरिस्ट सेन्टर नहीं बनाया गया इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिग्गी श्री कल्याण जी को पर्यटक केन्द्र घोषित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रामकंवार बैरवा : और दूसरा टोडा रायसिंह है जो भी एक ऐतिहासिक नगर है। आपकी स्मारिका छपी हुई है उसमें देखिये, कितने राजा-महाराजाओं की पुरानी राजधानियां थीं। बादशाहों और राजाओं का इतिहास है कि कई ने राजधानी बदली। मेरा निवेदन है कि टोडा-रायसिंह को पर्यटक केन्द्र घोषित किया जाय। जयपुर जिले में शीतलामाताजी का मेला अभी 4-6 रोज बाद लगेगा। उसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। उस स्थान को या जोबनेर माताजी हैं और पहाड़ी गांव चांद माताजी है उनको पर्यटक केन्द्र बनावें ! मेरा निवेदन है आपसे, जयपुर जिले में विशेषकर आसपास जितने स्थान हैं और जहां सड़कें जाती हैं या बनाई जा सकती है वहां सड़क बनाकर उन दर्शनीय स्थानों को देखने का मौका देना चाहिये ताकि ऐसे स्थानों के प्रति बाहर से आये हुये पर्यटक आकर्षित हो सकें ...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामकंवार बैरवा : इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री महाराम चौधरी : मैं सिर्फ दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : पर्यावरण जीवन उपयोगी हो तथा मौसम सम्बन्धी परिवर्तन में संतुलन हो इसके लिये पर्याप्त वनों का होना जरूरी है। साथ ही यह देखते हैं कि राजस्थान में अकसर अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है उससे जन धन की अपार क्षति होती है। इसका कारण भी यह है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उससे मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है। अनावश्यक रूप से कभी अधिक बारिस होती है, कभी कम होती है इसकी वजह से अकाल पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि वन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। वनों की अंधाधुन्ध कटाई से वन दिनों दिन उजड़ते जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है इससे वन पनप नहीं पाते हैं। यदि इनके आंकड़े देखे जायं तो लगता है कि इतने पेड़ हो जाने चाहिये कि पैर रखने की जगह नहीं मिले लेकिन जो पेड़ लगाये जाते हैं उनमें से जीवित कितने रहते हैं। केवल पेड़ लगाने के आंकड़े, खड्डे खोदने

(श्री हीरालाल आर्य)

के आंकड़े, उनको पानी पिलाने के आंकड़े हैं, कितनी बार पानी पिलाया, ये सब झूठे होते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है।

इसके अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगा। मेरे क्षेत्र में कंदरा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग कन्दराओं को ठीक करने के लिये मिट्टी के और पक्के चेक डैम्स बना रहा है। यह चैक डैम्स बनाने का कार्य इस तरह का हो रहा है कि काम के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं। एक मजदूर दिन भर में जितना उनका असेसमेंट होता है उससे ज्यादा काम करता है। वह ज्यादा काम करता है लेकिन फर्जी हाजरी भरकर उनका पैसा अधिकारी लोग जीम जाते हैं। इस तरह से वन विभाग में करोड़ों रुपये का गबन हो रहा है।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि उस इलाके में 3-4 नदियां पड़ती हैं उन नदियों की वजह से रैविन्स बढ़ते जा रहे हैं। उन रैविन्स से खेती की सुरक्षा के लिये पुराने जमाने में मिट्टी के चैक डैम्स बने हुये थे, वह मिट्टी के चैक डैम्स अब स्थान स्थान पर टूट गये हैं। उनकी मरम्मत होना भी अति आवश्यक है। एक कन्दरा सुधार कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत नये चैक डैम्स तो बनाये जा रहे हैं लेकिन जो पुराने बन्ध टूट गये हैं, उनकी मरम्मत नहीं करा रहे है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जो पुराने मिट्टी के चैक डैम्स टूट गये हैं उनकी मरम्मत कराई जाय। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि वन विभाग में इस तरह की जमीन एक्वायर की गई है जिसमें किसान पहले से काबिज थे। किसान वर्षों से खेती करते आ रहे हैं,। गांव के किसान हैं और उन किसानों के पास खेती के अलावा दूसरा आजीविका का साधन नहीं है। आज भी वन विभाग के लोग जहां वास्तव में वन लगाने चाहिये वहां लगाते नहीं और किसानों की जो अलाट शुदा जमीनें हैं उन पर अपनी मुंडियां गाड़ते हैं, उनकी अशिक्षा और अज्ञान का फायदा उठाते हैं। कभी इधर मुंडियां गाड़ते हैं और कभी उधर गाड़ते हैं। काश्तकार जब उनके पास पहुंचता है और कहता है, साहब, यह हमारी खेती की जमीन है इसमें आप मुंडियां क्यों गाड़ते हैं तो वे कहते हैं ऊपर से आदेश हैं। जो ट्रैसपासर्स हैं, रेवेन्यू विभाग की लापरवाही से वह रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं। आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो वर्षों से ट्रैसपासर्स हैं, खेती करते आये हैं किसानों के पास दूसरा इन्कम का कोई साधन नहीं है इसलिये उनके सम्बन्ध में सहानुभूति-पूर्वक विचार करें। उनके बन्धे बने हुये हैं, कुएं बने हुये हैं, वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। गांव का सरपंच और दूसरे लोग इस बात को प्रटेस्ट करते हैं। उनसे पूछ कर जो वर्षों से खेती करते आ रहे हैं उनको नहीं हटायें।

साथ ही हमारे यहां इन्द्रगढ़ में दरा माताजी का स्थान है उसके नीचे करीब

(श्री हीरालाल आर्य)

20-25 दुकानें लगी हुई हैं, 25 दुकानें हैं, वन विभाग ने 20-25 लोगों को नोटिस दिया है। वे कहते है, हमारी 24 दुकानें वर्षों से हैं. रेवेन्यू वालों ने भी इस बात को माना, वहां के तहसीलदार की रिपोर्ट है और आपके वन विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट है कि वर्षों से बसे हुये लोग हैं इनके नाम ही नियमन कर देना चाहिये लेकिन इस बारे में मैंने प्रश्न पूछा था तो जवाब मिला कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बैन होने की वजह से जमीनों को दूसरे काम में नहीं लिया जा सकता। वह यहां वर्षों से काबिज हैं, वहां पर एक मन्दिर है, उनकी दुकानें बनी हुई हैं इसलिये अन्य स्थानों पर नहीं जा सकते। उनको बार बार तारीखों पर कोटा जाना पड़ता है इससे उनको मुक्त करें और जो जमीन पर बसे हुये हैं उन्हीं के नाम से अलाटमेंट करने की आज्ञा प्रदान करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो आदिवासी लोग थे लकड़ी काटकर अपने दैनिक काम के उपयोग में लेते थे, काश्तकार भी अपने दैनिक उपयोग में लेते थे वे सिर पर बोझ लादते थे। उनसे पहले तीन रुपये लेते थे। जो किसान झाड़ काट कर बैलगाड़ी में लाता था उससे तीन रुपये लेते थे अब 30 रुपये कर दिये हैं। गांव में अपनी खेती को प्रोटेक्ट करने के लिये जिस झाड़ की बाड़ लगाते है उसके लिये 30) रु. कीमत बढ़ायी है इसलिये वहां के किसानों में असन्तोष है। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको समाप्त करके वापस 3) के हिसाब से उनसे लिया जाय तो उचित रहेगा।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां बलवान ठींपरी, किशनवास आदि में आपके क्लोजर्स हैं, वे क्लोजर्स क्योंकि बहुत बड़े हो गये हैं आसपास के जानवर भेड़, बकरियां व गायों को चराने का दूसरा स्थान नहीं है क्योंकि पेड़ पौधे बड़े हो गये है इसलिये नियमानुसार 10 साल से ज्यादा होने पर आप चरने की अनुमति दें तो किसानों को राहत मिल सकती है।

साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो आपके वन विभाग में तकनीकी कर्मचारी हैं उनके सेवा नियम न होने की वजह से उनके प्रमोशन्स नहीं हो पा रहे हैं। उनके सेवा नियम जो आपके पास विचाराधीन हैं, उनको शीघ्र जारी करें ताकि उनके प्रमोशन्स हो सकें।

साथ ही पर्यटन पर मैं दो मिनट बोलना चाहूंगा। पर्यटन की दृष्टि से अपना राजस्थान बड़ा प्राकृतिक स्थान वाला है और यहां पर वीर-वीरांगनाओं का अपना स्थान है। इस दृष्टि से यहां पर बहुत सारे ऐसे महल हैं, प्राचीन मन्दिर है। मेरे यहां भी जो अरावली पहाड़ियां नायब तहसील इन्द्रगढ़ में हैं वहां पर माताजी का स्थान है। हजारों लोग दर्शन करने के लिये आते हैं, विशाल मेला लगता है, लेकिन न कोई सड़क की व्यवस्था है न प्रकाश की, न पीने के पानी की व्यवस्था है। इसलिए उसको

(श्री हीरालाल आर्य)

पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाकर इन चीजों का वहां पर विकास किया जाय। इसी तरह से अरावली पहाड़ियों में कमलेश्वर मन्दिर हैं वहां हजारों यात्री दर्शन करने आते हैं। वहां शरद पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है बड़ा रमणीक स्थान है, महाभारत काल का प्राचीन मन्दिर है इसलिये उस जगह को आवागमन की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, विकसित किया जाय तो आने-जाने वालों को लाभ हो सकता है। इसी तरह एक डोबरली गांव है जहां पर माला देवी' का स्थान है। उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत ही रमणीक स्थान है वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा है जो हमने तो देखी है आप भी उसे देखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इसका विकास करा दें तो मैं इतना कह सकता हूं कि वह राजस्थान का आश्चर्य हो सकता है। मैंने एक प्रश्न इसके बारे में उठाया था, सुरक्षा दल, प्रकाश, ऑक्सीजन को इसे देखने को कहा था। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल ही रमणीक स्थान है इतनी लम्बी गुफा है वहां बहुत बड़ा रमणीक स्थान बन सकता है। राजस्थान के अन्दर एक बहुत अच्छा पर्यटन का स्थान बन सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। माननीय सदस्य, सिर्फ दो मिनट।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशों की पालना करते हुए वन विभाग के बारे में ज्यादा नहीं बोल कर सिर्फ सुझाव ही देना चाहूंगा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि किसी भी जगह के बनों का विकास वहां की परिस्थितियों के अनुसार ही किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हर 12 कोस के बाद में जमीन का एक तरह से रेवा बदल जाता है और उसी तरह 12 कोस के बाद में आदमी की वेष भूषा में परिवर्तन हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह परिस्थितियों को देखते हुए एक जिले के अन्दर बहुत सी परिस्थितियां देखी जाती हैं, उसके अन्दर जैसे वनों की उपयोगिता होती है उसके अनुसार ही वहां दरख्त लगाने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जहां खेजड़ी, कैर, भोगड़ा और बोरड़ी की तरह के दरख्त होते हैं वह भी हर 12 कोस के बाद जमीन के अनुसार बदल जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जिस तरह के पेड़ों से जिन परिस्थितियों में ज्यादा फायदा हो सकता है उनकी उपयोगिता को देखते हुए उनका विकास किया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों ने वन के बारे में काफी कह दिया है, कैसे पेड़ कहां पर पनपते हैं लेकिन एक पेड़ ऐसा है बेचारा, उपाध्यक्ष महोदय, जो जब से पनपता है तब से लेकर आखिर तक जब तक उसकी उम्र खतम होती है, हमेशा उपयोगी रहता है। वह पेड़ है कैर, उपाध्यक्ष महोदय। कैर ऐसा पेड़ है जो कि दवाइयों के भी बहुत काम आता है और उसकी उपयोगिता बहुत होती है। मन्त्री महोदय खुद भी इसकी उपयोगिता को जानते होंगे। इसको बढ़ाने

(श्री महाराम चौधरी)

से किसानों को ग्रामदनी हो सकती है। जिस तरह दूसरे फलों के फायदे होते हैं उसी तरह इसकी भी बहुत उपयोगिता है। इसकी लकड़ी जलाने के काम आती है। इसके फूलों के रस को अगर कोई पीता है तो उस रस से अमृत के तुल्य फायदा होता है। कैसी भी बीमारी हो, उपाध्यक्ष महोदय, वह ठीक हो जाती है। कई बड़े बड़े लोग बोम्बे-कलकता वगैरह जाते हैं तब अपने साथ इसे ले जाते हैं।

इसके अलावा पर्यटन के लिये ज्यादा नहीं कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शाही रेल जो आपने चालू की है इसको आप रुकवा दीजिये क्योंकि हमारे यहां के क्षेत्र के लोग यह सोचते हैं कि कहीं वहीं पुराने राजा-महाराजाओं वाला जमाना नहीं आ गया या कहीं अंग्रेजों का जमाना नहीं आ गया। वह तो इससे बड़े भयभीत हैं। इसके लिये आप अनाप-शनाप खर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आप चाहे जिसमें खर्चा करें, चाहे आप उत्पादन बढ़ायें लेकिन इसमें खर्चा नहीं करें। लोग तो शाही नाम से ही घबराते हैं। मैं आपसे यही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि आप मुझे आइन्दा भी समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वन मन्त्रीजी जवाब देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पर्यटन मन्त्री जी से जवाब दिलावें पहले।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, वन) : माननीय उपाध्यक्षजी, वन विभाग की मांग के सम्बन्ध में। ●

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय बोलने के लिये दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय खतम हो गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : समय तो कहां खतम हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दल तो अभी नया बना है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। साढ़े सात बजे का समय निर्धारण किया गया था।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही कल्याणकारी सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप बोल चुके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके दल को पूरा समय मिल गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आपके दल का समय था उसके अनुसार आप 39 मिनट बोल चुके हैं। आप 13 मिनट ज्यादा बोले हैं।

श्री महाराम चौधरी : माननीय सदस्य, आपको आसन की व्यवस्था की अनुपालना करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष जी, वन विभाग की मांग के सम्बन्ध में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I have done justice to all.

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिये बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन को सहयोग दीजिये। आप समय का ध्यान रखिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट के लिये समय दे दें। मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। I will take only five minutes.

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर पांच मिनट के अन्दर सुझाव देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आपको सिफारिश की क्या जरूरत है, आप बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई जरूरी नहीं है कि आप आज ही बोलें। आपको सुझाव देना है तो आप बाद में दे देना।

Page No 230

(230)

श्री उपाध्यक्ष : आप लिख कर दे दें अपने सुझाव मन्त्री महोदय को।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि मैं उनको क्रियान्वित करा दूंगा तो लिख कर दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : शार्ट एण्ड स्वीट दो मिनट के लिए।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : हम तो बोलना चाहते हैं यह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सिर्फ दो मिनट। ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सबके साथ इन्साफ किया है, माननीय सदस्य, आप समय की कीमत को समझें।

(व्यवधान)

Even your name is not there.

श्री भंवरलाल शर्मा : It is there. It is signed by me.

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन का समय ले रहे हैं। आपकी पार्टी के लिए 13 मिनट समय था वह आपको दे दिया। माननीय सदस्य, आप कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, समय की पाबन्दी की मजबूरी है। वन मन्त्रीजी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग की मांग के सम्बन्ध में 112 कटौती प्रस्ताव आये थे और 13 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता वनों के बारे में की उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि वन हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक हैं किन्तु उनका दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा है। उनको बढ़ाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उपाध्यक्षजी, राष्ट्रीय नीति के अनुसार करीब देश के एक-तिहाई भाग में जंगल होने चाहिये। वन इसलिये आवश्यक हैं, उपाध्यक्षजी, क्योंकि वनों के अभाव में एक तरफ जहां पर शोषण होता है वहां पर दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस भी वनों से मिलती है। जब पेड़ों की कमी होती है तो कार्बन-डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। इसके साथ साथ ही वर्षा की मात्रा अधिक संख्या में होनी चाहिए वह भी दिन प्रति दिन वनों की कमी की वजह से घटती जा

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

रही है और पेड़ नहीं होने के कारण कभी कभी बाढ़ भी आती है, जैसी कि अभी जयपुर में आई थी। उस बाढ़ को रोकने के लिए भी पेड़ों की आवश्यकता है। अभी हमारी लोकप्रिय प्रधान मन्त्री हिंगोनिया में आई थीं उन्होंने यह बात विशेष तौर से आम सभा में कही थी कि यदि यहां पेड़ बड़ी मात्रा में होते, तो यह जो विनाश बाढ़ के द्वारा हुआ है वह शायद नहीं हो पाता न केवल यह दृष्टिकोण, उपाध्यक्ष महोदय, बल्कि हमारी जो जरूरत है प्रति दिन के ईंधन की, उस जरूरत को पूरा करने के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें वनों की जरूरत है। यदि वर्तमान गति से वनों की जो प्रगति है वह अगर इसी रफ्तार से रही तो वैज्ञानिकों का मत है कि दो हजार के आसपास आते आते सारे वन नष्ट हो जायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो यह बतायें कि प्रिजर्वेशन के लिये क्या कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसके प्रिजर्वेशन के लिए उपाध्यक्ष महोदय, अभी योजनायें राज्य सरकार के पास हैं....

एक माननीय सदस्य : क्या किया है? योजनायें क्या है?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप तसल्ली रखें।

जहां एक ओर अधिक वृक्षारोपण करने की योजनायें हैं उसमें कुछ योजनायें केन्द्र के द्वारा भी स्वीकार की गयी हैं जिसमें आधा पैसा हम देते हैं। उनमें अभी 11 जिलों को इस काम के लिए लिया गया है और उसमें काफी काम हम इस संबंध में करने जा रहे हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो वन हमारे पास हैं उनकी सुरक्षा के लिए न केवल वहां का जो कर्मचारी नियुक्त है वही है उसके अलावा भी 14 फ्लाइंग स्क्वैड हमारे पूरे इस प्रदेश में काम कर रहे हैं जो नियमित तौर पर आकस्मिक दौरा करके यह देखते हैं कि वनों की कटाई अवैध रूप से कहीं हो तो नहीं रही है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत भी अवैध कटाई को रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है। सारे कानूनों के बावजूद भी मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि जो स्टाफ हमारे पास है उसके द्वारा इस अवैध कटाई को रोकना यदि असम्भव नहीं है तो कठिन अवश्य है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक आन्दोलन जैसा अभी कुछ माननीय सदस्यों ने, भीम से आने वाली सदस्या और दूसरे सदस्यों ने भी इस बाबत जिक्र किया था कि जब तक आम आदमी अपने आपको....

श्री उपाध्यक्ष : विधायकों को भी इन्वाल्व कीजिये आप।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : विधायकों को ?

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : विधायकों की ज्यादा जिम्मेदारी है। जब तक हम इसकी महत्ता को समझते हुए यह नहीं समझेंगे कि यह जो अवैध कटाई हो रही है वनों की कटाई हो रही है इसके लिए जैसा अभी सदस्यों ने यहां कहा भी है हम सभी जिम्मेदार हैं ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी और भी है। जोधपुर शहर में दरखत बहुत कम हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी रामसिंह जी विश्नोई, लूणी से आने वाले विधायक महोदय ने आपके सामने बताया था और हमारे जो पूर्वज थे वह समझते थे और जानते थे कि एक ऐसा समय आ सकता है जब इन पेड़ों की इस तरह से कटाई हो सकती है तो उन्होने इसको एक ऐसा रूप देने की कोशिश की कि इसके अन्दर देवी देवताओं का, दैवी प्रकोप का और दैवी भय का वातावरण देने की कोशिश की और यह कोशिश की कि लोग इन वनों को नहीं काटें। काफी सालों तक उस भय से हम लोगों ने यह समझ कर कि पेड़ काटना एक पाप है, इस सिद्धान्त को मानते हुए पेड़ों की कटाई को बहुत दूर रखा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि वह भय दिन ब दिन अब हमारे मन में से निकलता जा रहा है और जो लोग पहले पेड़ों को काटना पाप समझते थे आज वही लोग उन पेड़ों को बहुत ही तीव्रता से काटने में लगे हुए हैं।

मैं शुक्रगुजार हूं उन कौमों का, उन बिरादरियों का जिन्होंने इन वनों की रक्षा के लिए अपने आप कुछ नियम बनाये। खास तौर से विश्नोई जाति के जो लोग हैं मैं तो समझता हूं कि वह हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारे सबसे बड़े खैरख्वाह हैं वन विभाग के, वह अपनी जान देकर भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो वनों की रक्षा करते हैं। जैसा अभी उन्होंने बताया कि सिर कटाने के बाद भी पेड़ों की रक्षा हो सके तो बहुत बड़ी बात है।

(व्यवधान)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि जब तक हम सब अपने आपको इन्वाल्व नहीं करेंगे और ऐसा वातावरण नहीं बनेगा जैसा कि यू० पी० में बना है, हिमाचल प्रदेश में बना है, हिमाचल प्रदेश में भी, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से पेड़ों की कटाई होने की वजह से बर्फ की सिल्लायें नीचे सरक कर आने लगीं तो आज वह लोग उन जगलों की रक्षा खुद करते हैं। इस तरह से चिपको आन्दोलन जो बहुगुणा जी ने वहां चलाया है, बहुगुणा जी जो राजनैतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं वह नहीं दूसरे बहुगुणा हैं जो चिपको आन्दोलन के प्रेरक हैं बल्कि उनसे पूर्व ही राजस्थान में विश्नोई कम्युनिटी ने पहले से ही इस काम

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

को अपने हाथ में ले रखा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक हम यह महसूस नहीं करेंगे कि पेड़ को काटने की ओर रोकने की हमारी भी जिम्मेदारी है और जब तक एक जनमत इसके लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी हमारे पास हैं हो सकता है उसमें से कुछ आदमी अपने आपको ही इस कटाई में शामिल करते हों लेकिन इसको पूरी तरह से,

(7.47 रात्रि)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

रोकने का काम और इसको बढ़ावा देने का काम—मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यह जन आन्दोलन के तौर पर इसको लें और खास तौर से जो विधायक साथी यहां मौजूद हैं वह तो कम से कम हजार हजार पेड़, पौध देने की जिम्मेदारी अपने विभाग की है वह अपने क्षेत्र में या खेतों में या जहां भी उन्हें स्थान प्राप्त हो वहां लगाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बड़े अच्छे सुझाव और विचार यहां माननीय सदस्यों ने रखे। मो.न से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही अच्छा सुझाव यह प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक छात्र को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अभी विभाग इस बात के लिए तैयार है कि वह पौध प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध करा सकता है। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल विभाग के पास यह योजना है कि स्कूल में नर्सरी लगाने के लिए तकनीकी ज्ञान के अलावा जब वह पौध पनप जायेगी तो हम एक पौध का 20 पैसा देने के लिए, पौध पैदा करने के लिए उन बच्चों के छात्र कल्याण कोष में या और कोई भी वर्ग है वह लेना चाहे तो वह देने की कुछ योजना हमारे विचाराधीन है और इस वर्ष काफी स्कूलों में इस ओर प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, जो आदिवासी क्षेत्र हैं और जिनका जंगलों से खास तौर से विशेष लगाव है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आदिवासियों का और जंगलों का बिलकुल चोली और दामन का साथ है। अभी तक उनकी सारी जीवन प्रणाली वनों पर आधारित है लेकिन जिस प्रकार वन की कटाई और जो संरक्षण उनको दिया जा रहा है अगर वही गति कायम रही तो जैसा अभी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर व दूसरे जिलों में हुआ है वह और भी आगे बढ़ सकती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने वनों की एक योजना प्रस्तावित की है और इस साल हमने 50 परिवारों को उस योजना के तहत काम देने का प्रयास किया है। अगले सालों में भी करीब 75 परिवारों को हम उसमें लेंगे। इस योजना के तहत, अध्यक्ष महोदय, उन परिवारों को दो हैक्टेयर भूमि और वहां पेड़ लगाने के लिये उसे प्रति वर्ष तीन हजार

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

रुपये सरकार द्वारा दिये जायेंगे। इस क्रम को 15 सालों में पूरा किया जायगा ताकि एक व्यक्ति के 30 हैक्टेयर भूमि हो और जगलात पर 30 हजार रुपये की आमदनी से लगाकर उन वनों की रक्षा भी कर सके और जब पेड़ पूरी क्षमता पर आ जायेंगे तो उनको 20 प्रतिशत उत्पादन और जो छोटे उत्पादन हैं जैसे पत्ते हैं, टहनियां हैं उन पर भी पूरा अधिकार दिया जायगा। इस प्रकार की योजना के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो आदिवासियों का जीवन यापन का एक साधन है केवल मात्र लकड़ी काटकर लाना है। इस प्रकार दूसरे रास्ते पर ले जाकर एक तरफ तो वनों की रक्षा की जा सके और वहीं दूसरी तरफ यह भी कोशिश की जा सके कि रोजगार भी प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार फार्म फारेस्ट्री के बारे में भी एक योजना सरकार की है। उसके बारे में भी कुछ सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे हैं। इस सम्बन्ध में जो प्रोत्साहन राशि अभी दी जा रही है उसके अतिरिक्त भी हम कोशिश यह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में किसान अपने खेतों में या जो भूमि उनके पास उपलब्ध हैं, उनमें पेड़ लगायें।

अध्यक्ष महोदय, परीक्षण से यह साबित हो चुका है कि पेड़ लगाना खेती करने से अधिक फलदायक है लेकिन चूंकि इसमें काफी समय फल प्राप्त होने में लगता है इसलिये वह योजना बहुत अधिक गति से नहीं बढ़ सकी। जैसा कुछ सदस्यों ने अपने विचारों में कहा कि पंजाब और हरियाणा की तरह आगे नहीं बढ़ा पाये हैं लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय आवश्यकता को महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि आने वाले सालों में हमें ईंधन की जरूरत पड़ेगी, हमारे जो किसान भाई है, वे अवश्य अंगीकार करेंगे और जो पौध निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं वे उसका लाभ उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ बातें और भी कही गई हैं कि जो लकड़ियां हैं वे दिन प्रतिदिन काटकर शहरों में लाई जाती हैं और वन विभाग के कर्मचारी उसमें या तो लिप्त हैं या लापरवाह हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकांश जो लकड़ियां काटकर लाई जाती हैं वे किसानों की जो अपनी खातेदारी की जमीन है, उस पर वृक्ष थे, उनसे कटाकर लाते हैं। उस सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं कि अपने पेड़ों को काटने की इजाजत दी जानी चाहिये। यद्यपि राजस्व के नियमों में यह प्रावधान है कि किसान अपनी जरूरत के लिये पेड़ काट सकता है लेकिन इसके साथ-साथ ही यह भी प्रावधान है कि एक पेड़ के साथ 5 पेड़ लगाने की व्यवस्था करे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रावधान की जो छूट देने की सीमा है या इसमें जो परिवर्तन करने की, संशोधन करने की जो बात है वह राजस्व विभाग के अधिकार में है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पेड़ों का जो जीवन है

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उसको पूरा होने के बाद उन्हें काटने की की इजाजत दी जानी चाहिये और अगर हमें काटना है तो हमें उसके लिये कुछ सोचना होगा कि हम किस हद तक पेड़ों को काटने की इजाजत, उनके जो मालिक हैं, उनको दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी कुछ बातें विचाराधीन हैं और मैं समझता हूं शीघ्र ही इस पर कार्यवाही की जायगी।

एक बहुत ही अच्छा सुझाव नदबई से आने वाले माननीय विधायक ने दिया था कि कुबबूल प्रजाति जो विकसित की गई है उसका अधिक से अधिक उपयोग यहां भी किया जाय। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुबबूल एक ऐसा पौधा विकसित किया गया है कि वह न केवल जल्दी ही बड़ा होता है बल्कि जानवरों के खाने के लिये भी और दूसरों के खाने के लिये भी काम में आ सकता है और विभाग इसमें पूर्णतया सजग है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां से हमारे विभाग के अधिकारी को यहां से केन्या में कुबबूल के प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है। कुबबूल को जहां तक ज्यादा से ज्यादा लगाने का सवाल है, विभाग इसके लिये सचेत है और जहां पर भी अनुकूल वातावरण और एरिया मिलता है वहां पर अधिक कार्यवाही इसके लिये की जायगी। एक विशेष वृक्षारोपण के लिये भी यहां सुझाव दिये गये हैं ...।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : केर की जो झाड़ी है वह भी है।

श्री महाराम चौधरी : केर और खेजड़ी।

श्री परसराम मदरेणा (सिंचाई मन्त्री) : केर के पेड़ के नीचे छाया में कभी बैठे हो क्या ? केर फायदे बन्द भी है और नुकसान भी करता है। जो घालू खाते हैं उनके बीमारी हो जाती है....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मिश्रित वृक्षारोपण की एक योजना विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता के द्वारा चलाई जा रही है और उसके तहत जो राजस्व की भूमि है, पंचायत की भूमि है, सामुदायिक विकास की भूमि है, उसके ऊपर हम उनके आवेदन के ऊपर वृक्षारोपण का काम करते हैं। काफी काम इस सम्बन्ध में किया गया है। जयपुर में भी कुछ क्षेत्र में अभी जब यहां बाढ़ आई थी तो यह काम कुछ जगह चालू किया गया है और इस सम्बन्ध में वित्तीय प्रावधानों की कमी के कारण इसे बहुत बड़े पैमाने पर हम अभी फिलहाल पूरे प्रदेश में तो नहीं लेकिन कुछ चुनिन्दा जगहों पर ही लागू कर पाये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर में कहां-कहां लगाये हैं स्थान बता दें ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जयपुर में झालाना, ओ० टी० एस० का नाला, अमानीशाह का नाला जहां 16.70 हैक्टेयर पर लगाये हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : अमानीशाह के नाले पर काफी बडी योजना है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे कल जाकर देख लें ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, 82 पंचायत समितियों में और 158 गांवों में मिश्रित वृक्षारोपण का काम करीब 6 हजार हैक्टेयर में गत वर्ष किया गया है, और इस वर्ष करीब 1600 हैक्टेयर में करने की हमारी योजना है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे ये निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार जो हमारा विभाग है, वह अपनी पूरी क्षमता के साथ वन विकास का काम कर रहा है। इसके साथ-साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि वन्य जीवों के प्रति भी जहां विभाग की जिम्मेदारी है....

श्री अध्यक्ष : नील गायों की कोई सैंक्चुरी बना दें आप, नील गाय आजकल बहुत हो गयी हैं ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे वित्तीय प्रावधान दिला दीजिए, मैं सभी जानवरों के लिए व्यवस्था कर दूंगा ।

श्री महाराम चौधरी : नील गाय की पूरी जानकारी करके उसको उपयोगी करके व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था हो तो अच्छा हो ।

श्री परसराम मदेरणा : दूध निकालना चाहते हो ?

श्री महाराम चौधरी : दूध ही नहीं दे....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें ।

श्री महाराम चौधरी : दूसरी चीजों का अनुसंधान होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी करके उसको भी उपयोग में लेने की बात हो।

श्री परसराम मदेरणा : दूध निकालने का अनुसंधान आप प्रारम्भ करो न, उसमें कुछ परिणाम अच्छे निकल सकते हैं ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 2 बछड़े हल जोतने के लिए पकड़े थे, एक बार, पता नहीं कहां भाग गये ।

श्री महाराम चौधरी : भोपालगढ़ और गर्जसिंह पुरा के आसपास नील गायों का ज्यादा आतंक है, इसलिए पहले आप परीक्षण कीजिए, फिर बाद में उपदेश दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : आपसे तो मैं सहयोग और कुछ मदद करने की अपील कर रहा था क्योंकि आपके तो पास ही में है।

•

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इन्होंने दो बछड़े पकड़े थे, पर वे भाग गये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ ही अपनी बात समाप्त करने से पूर्व और मांगें पारित करने के निवेदन से पूर्व मैं एक प्रश्न का और जवाब देना चाहूंगा कि वन विभाग में अनुसन्धान के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी दूंगा कि हमारे यहां हेड क्वार्टर में सिलवी कल्चरिस्ट की एक पोस्ट है और बाकायदा उस पोस्ट के तहत और भी कर्मचारी हैं और वे निरन्तर रूप से वन अनुसन्धान के काम में लगे हुए हैं। इसके साथ-साथ ही जोधपुर में सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्सटीट्यूट है, वह भी वृक्षों के सम्बन्ध में पूरा अनुसंधान कर रहे हैं और उनके अनुभव और परीक्षण से जो ज्ञान मिलता है, उसका भी लाभ वन विभाग उठाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि इन मांगों को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मांगें तो अभी स्वीकार करा लेंगे। एक मेरी क्वेरी है उसका भी उत्तर दीजिए। वह यह है कि मरुस्थल में जो वृक्ष हैं, जो बहुत उपयोगी हैं और श्रेष्ठ पशु आहार है उसका सबूत है, पश्चिमी राजस्थान का पशुधन। इस तरह के जो वृक्ष हैं, उनको तो आप प्रोत्साहन दे नहीं रहे हैं, आपका विभाग न तो उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था कर रहा है और न नये वृक्ष लगाने की कोई व्यवस्था कर रहा है। एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीटयूट है, वह केवल एकेशिया टोरटेलिस (Acacia Tortalis) के पीछे लगा है, जो इन वृक्षों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से मुख्य कारण इसका यह है कि आपके ये फॉरेस्ट के ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट हैं, वे ज्यादा वर्षा के इलाकों के अन्दर स्थित हैं, देहरादून में और साउथ में। तो किताबों में वही वृक्ष पढ़ते हैं। अपनी तरफ से यदि स्थानीय वृक्षों की सुरक्षा नहीं होती है तो मरुस्थल में आपका इससे जो संतुलन है वह बिल्कुल बिगड़ जायेगा। नये वृक्ष जो पहले लगे हैं, उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालियेगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने जो विचार रखे थे, उसी तरह मैंने भी जब ये विभाग की मांगें सामने आयीं तो कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछा था कि जो पहले से पेड़ इन इलाकों में खास तौर रेगिस्तानी इलाकों में लगाये जा रहे हैं और जो इसने उपयोगी हैं, उनके ऊपर ज्यादा महत्व क्यों नहीं

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

दिया जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं इतना तो निवेदन कर दूंगा कि 10 पर्सेंट कम से कम पेड़ खेजड़ी, बेर और जाल के दूसरे उपयोगी वृक्ष हैं, उनके लिए लगाने के लिए मैंने उन्हें निर्देश दे दिये हैं। बाकी जो दूसरा आपने फरमाया कि जो कजरी वगैरह के दूसरे पेड़ लगाने की हमें जानकारी मिली है। लगाने के लिए अध्यक्ष महोदय, एक बेर का पेड़ भी उन्होंने डवलप किया है, उसमें जो बेर आता है, वह इतना बड़ा है कि सेव के मुकाबले का है। इस तरह के कुछ परीक्षण किये जा रहे हैं और इसी तरह से रबड़ का पेड़ भी डवलप किया गया है और वह भी रेगिस्तान के इलाके में काम में आने वाला है। इस तरह से क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत विभाग अपनी बताता है, वह मैंने बतायी, ये बड़े लम्बे समय तक.... ...

श्री अध्यक्ष : एक पेड़ ऐसा भी सुना है, जो डीजल देता है, ऐसा कोई पेड़ लगाये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह एक पेड़ एक अलग पेड़ है, वह हनुमानगढ़ में कुछ हमने लगाये हैं, लेकिन ये जो पेड़ लगे हैं—

श्री महाराम चौधरी : ये सुझाव मैंने दिया था।

श्री यदुनाथ सिंह : ये बराबर बंटना चाहिए डीजल, अध्यक्ष महोदय, सबको।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इन पेड़ों को ज्यादा लगाने की जो वजह में विभाग द्वारा बतायी गयी है वह यह है कि जैसे खेजड़ी का वृक्ष है, वह करीब 30 साल में अपने पूर्ण तरुणाई में पहुंचता है और 30 साल में अकाल पड़ने से या इधर उधर से कई बार मिट्टी से और कुछ कामों से पेड़ को ...

श्री अध्यक्ष : इनकी एप्रोच गलत है, यह जड़ से बढ़ता है, अगर बीज से लगाओ तो 30 साल वाली बात सही है लेकिन इसका तो रूट सिस्टम जमीन के अन्दर है, इनकी सिर्फ सुरक्षा की जाय तो 10 साल के अन्दर सही बड़ा पेड़ हो जाता है।

श्री महाराम चौधरी : 10 साल नहीं साहब 5 साल में हो जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वन मंत्री महोदय से...

श्री परसराम मदेरणा : 5 साल में कौन से वृक्ष की कह रहे हैं कि वह तरुणाई में आ जायेगा ?

श्री महाराम चौधरी : मैं खेजड़ी के के लिए कह रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : खेजड़ी तो 4 साल में पूरा जवान हो जाता है।

श्री महाराम चौधरी : वह न पनपते ही उपयोगी हो जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा सुझाव है कि क्यों नहीं चीफ कन्जरवेटिव ग्राफ फारेस्ट का ग्राफिस फलौदी में कायम करा दिया जाय ताकि सारे फॉरेस्ट ग्राफिसर जावें देखें ग्रौर डेजर्ट के भी सब कारण मालूम करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने की इजाजत दें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। फार्म फारेस्ट्री ग्रो करना चाहते हैं 5-7-8-10 बीघे में. चाहे उनको 10 हजार पेड़ चाहिए, 20 हजार पेड़ चाहिए, कितने हो चाहिए। वे इसलिये कि ये ग्रौर फसलों के मुकाबले में भी इकानामिक है, उनको ग्राप जो 4 रुपये प्रति प्लांट के हिसाब से प्रोत्साहन दे रहे हैं, वह ग्राप ऋण देकर दें प्लान्ट वह उगाकर 3 साल तक दिखा दे तो ग्राप उनका ऋण अनुदान में स्वीकृत करने को तैयार हों, क्या ऐसा कर सकते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं इस बात पर विचार करूंगा।

श्री माधवसिंह दीवान : क्या यह सही है कि हमारी कुछ मुख्य खेजड़ी की जातियों, जिनकी बढ़ोतरी काफी तेजी से होती है, को ग्रलग ग्रलग निकाल कर प्रोत्साहन देने का प्रोग्राम है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इस सम्बन्ध में ग्रभी ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जोधपुर ग्रौर उसके ग्रासपास के इलाके के अन्दर जो बहुतायत से जंगली हिरण पाये जाते हैं उनका शिकार जोधपुर शहर के लोग जाकर करते हैं। क्या ग्रापने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : शहरवाइज तो मेरे पास ग्रांकड़े नहीं हैं लेकिन जो वन्य जीव हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : कितने दण्डित किए ? ग्रापने इंट्रेस्ट लेकर, ग्रापके डिपार्टमेंट ने कितने लोगों को पकड़ा ग्रौर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : वर्ष 1981 में वन्य जीवों के 210 केस पकड़े गए ग्रौर 81-82 में दिसम्बर तक 109 पकड़े गए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उनमें से 88 के कोर्ट में चालान किये गये और 193 केसेज में कम्पाउण्ड करके 60898) रुपये वसूल किए गए।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये नाजायज पेड़ काटने के कितने मुकदमे बतायें ? यह जैसा आपने बताया वन्य जीव का, वैसे ही पेड़ काटने का भी बताइये।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं यह बता सकता हूं। मेरे पास हैं फिगर्स हैं, मैं बता सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, प्लीज। बातें नहीं करें आपस में।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : गये साल 35168 केस और इस साल चालू बर्ष में 25842 केस हुए। इन केसेज में से अभी 25082 केसेज का निर्णय हो चुका है और 35182 केस अभी पेंडिंग हैं। इनमें से जो कोर्ट में चालान किये गये हैं वह 646 हैं। कम्पोजीशन फी के तौर पर जो जुर्माना वसूल किया गया है वह 32.05 लाख है।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जितने आपने मुकदमे बनाए पेड़ उनसे ज्यादा कटे हैं।....

श्री अध्यक्ष : पूरे राजस्थान के प्रश्नों के बारे में उत्तर नहीं आ सकता। श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं भी माननीय मंत्री महोदय, इस राय से की इत्तफाक करता हूं कि पेड़ों और वन जन्तुओं की रक्षा करने में विश्णोई जो कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। वे इसके लिए डिवोटेड रहते हैं। पिछली बार बहुत दिन हुए, सरकार के, विचाराधीन भी था और विचार भी किया था कि इन लोगों को ज्यादा भर्ती करके कम से कम वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जावे। वह विश्णोई मर जाएगा लेकिन वहां पर जानवन को मरने नहीं देगा। इस बारे में अगर आप वास्तव में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप चिंतित भी हैं, हैं, कोचिंग भी होती है, पेड़ भी कटते हैं तो इस तरह की कोई कानून में कमी हो तो इस तरह का प्रावधान करने के लिए सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष : प्राथमिकता देने के लिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई कानून बना कर

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

रिजर्वेशन देना मेरे ख्याल से संविधान के विपरीत होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : रक्षा के लिए प्रोत्साहन दीजिए किसी तरह से।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : भर्ती करने लिए....

श्री यदुनाथसिंह : हिस्टोरिकल बैक ग्राउण्ड लेकर कर सकते हो।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार।

श्री रामकंवार बेरवा : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके जंगलात में जो अधिकारी हैं जो जंगल की रक्षा करने वाले हैं वे गांव के कुछ लोगों के बहुत प्रिय होते हैं और वह बड़े बड़े पेड़, पौधे ले जाते हैं। वे वहां शिकार भी करते रहते हैं और उसी की देखा देखी कुछ गरीब लोग भी यह देखें कि अगर इतना बड़ा दरख्त ले जा रहे हैं तो मैं छोटा सा ही ले जाऊं तो क्या आपने इस प्रकार की जांच की है कि गरीब लोगों को भी उसमें बसाया जावे। थोड़ी नजदीक जाकर इस बात की देखरेख की है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो जो पकड़ में आ जाये। है वही चोरी हो सकती है।

मांग संख्या 9 का पारन

श्री अध्यक्ष : मांग पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,91,11,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47 पर विचार

पर्यटन मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक बात कहना चाहता हूं। दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : पर्यटन के सम्बन्ध में?

श्री भंवरलाल शर्मा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि बाद में आप स्पष्टीकरण के तौर पर पूछ लेना। पहले मंत्री महोदय का जवाब आने दीजिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म या पर्यटन राजस्थान के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही लेकिन सब्जेक्ट्स के तौर पर भी

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

बहुत ही ग्लेमरस है और स्कोप भी इसमें राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा है । कटौती प्रस्ताव की संख्या जो मैंने देखी और गिनी, अन्दाज से करीब सौ के मेरे सामने आये हैं। कोशिश मैंने यह भी की कि इनको अलग अलग हैड्स में बांट कर उन पर थोड़ी चर्चा कर दूं। जो 7-8-10 माननीय सदस्यों ने आज सदन में कुछ सुझाव रखे हैं उनके लिए तो मैं आभारी हूं लेकिन यह एक फिगर मैं आपको, आपकी मार्फत अध्यक्ष, महोदय, सदन को बड़े प्राईड के साथ देना चाहता हूं कि करीब एक करोड़ की राशि राज्य सरकार, इस प्रस्ताव में तो 66 लाख की है लेकिन अन्दाज से हमारा बजट हमारे कार्पोरेशन की मार्फत और डिपार्टमेंट की मार्फत करीब एक करोड़ का सालाना खर्च का एस्टीमेट है। एक करोड़ दस लाख के करीब और उस एक करोड़ के एक्सपेंडीचर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राजस्थान सरकार को टूरिस्ट जैसे इनफ्लो के मार्फत प्राफिट होता है इस प्रदेश की कम से कम 60-70 करोड़ का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोफिट होता है। यह मैं प्रूव करना चाहता हूं। यों तो प्रगति रिपोर्ट में फिगर्स हमने दिये हैं लेकिन हमारा अनुमान रहा है टूरिज्म ट्रेड में, अध्यक्ष महोदय, एक फोरिनर अगर राजस्थान में आता है तो कम से कम अगर आप उसका स्टे दो ढाई दिन लेवें तो कम से कम वह हजार रुपया खर्च करता हैं, होटल के अलावा। शोपिंग को लीजिए आप, हमारे यहां की टैक्सियां वह लेता है, पर्यटक स्थलों पर जाता है, हमारे टूरिस्ट बंगलों में रहता है। वहां पर खाने-पीने पर भी वह खर्च करता है और उसके कम्पेरिजन में हमारा इण्डियन टूरिस्ट अन्दाज से पांच सौ के करीब रुपये इस स्टेट एक्सचैकर में कण्ट्रीब्यूट करता है। अध्यक्ष महोदय, आपको....

श्री यदुनाथसिंह : स्टेट एक्चैकर में ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : डायरेक्टली और इनडायरेक्टली the State gets it after all अध्यक्ष महोदय, आपको हर्ष होगा यह जानकर कि फ्लड के बावजूद जब कि हमारा कम से कम तीन महीने ट्रैफिक पीरियड ब्लाक हो गया था जुलाई अगस्त सितम्बर में, जो अभी हमारी अमेरिका से ट्रैफिक आने वाला था, या कनाडा से आने वाला था, वह भी काफी डिस्टर्ब हो गया उसके उपरान्त हमारा अनुअल इनक्रीज, वह क्रेडिट टूरिज्म डिपार्टमेंट को देता हूं, उनके एफर्ट्स से, नेशनल अनुअल इनक्रीज से एक पर्सेन्ट ज्यादा रहा। नेशनल इन्क्रीज करीब साढ़े छः पर्सेन्ट रहा और राजस्थान को करीब साढ़े सात पर्सेन्ट रही। अगर पर्सेन्टेज को फिगर्स में डिवाइड करें, तो 1979 में भारत में फारिनर्स आये थे करीब साढ़े सात लाख, 1980 में आये थे आठ लाख और 1981 में करीब साढ़े आठ लाख। इन सब फिगर्स का राजस्थान का पर्सेन्टेज 25 रहा। 1979 में 1 लाख 95 हजार फारिनर्स

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

हमारे यहां आये, 1980 में 2 लाख आये और 1981 में दो लाख बीस हजार आये।

अध्यक्ष महोदय, पैलेस आन व्हील के सब्जेक्ट पर तो बाद में आऊंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : शाही मामला है, छेड़ो ही मत।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन हमने हमारे प्रयास और हमारे एफर्ट्स, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ फोरिन टूरिस्ट तक ही सीमित नहीं रखे। इण्डियन टूरिस्ट, इन्टरनल टूरिस्ट ट्रैफिक की बढ़ोतरी हुई 79 में हमारे यहां 23 लाख आदमी आये, 80 में आये 24 लाख और 81 में आये थे 26 लाख। हमारे जितने भी टूरिस्ट बंगलो हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां का स्टैण्डर्ड हमने जानकर के थोड़ा सा घाटा उठा कर के भी करीब 40 और 60 रुपये की अवधि में रखा है, पर डे, पर पर्सन स्टे का। और यही कारण है, अध्यक्ष महोदय, भले ही जोधपुर का टूरिस्ट बंगला हो, या यहां का गणगौर वा हो, आपको भी अनुभव उसका है, करीब-करीब हमारे टूरिस्ट बंगलो की आक्यूपेंसी 90–95 पर्सेन्ट पर राउण्ड करती है। अब इन पाइन्ट्स पर आऊं, अध्यक्ष महोदय, उसके पहले मैं सदस्यों को अवगत कराना चाहता था। यह जो 82–83 में प्लेन एलोकेशन किया है, वह इस ट्रैफिक को लेते हुए और राजस्थानी कल्चरल को, टूरिज्म ट्रेड के थ्रू बढ़ाने के हिसाब से हमने हमारा एक्सपेंडीचर एलोकेट किया है एडमिनिस्ट्रेशन पर साढ़े छः लाख का। अध्यक्ष महोदय, टूरिस्ट इनफार्मेशन एण्ड पब्लिसिटी। जैसा कि हमने कुछ गेस्ट राइटर्स को इनवाइट किया है और करेंगे, इन फ्यूचर। आपने समाचार पत्रों में हमारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, अध्यक्ष महोदय। यों हमारे ब्रोशर्स डिजाइन किये हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, वह न केवल राजस्थान में या भारत में एप्रीशियेट हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रेड में यह दूसरी बार है, मेरा ख्याल है कि इन्डिया में अकेले नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत कम, स्टेट तो छोड़िये, कन्ट्रीज होंगे, जिनको कंटीनुअसली सेकिण्ड ईयर में पाटा का अवार्ड मिला हो। उसके लिये आपको खुशी होगी, अध्यक्ष जी, हमारे डायरेक्टर कल जा रहे हैं, मद्रास उस अवार्ड को रिसीव करने के लिये। बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड है। उसके ऊपर माननीय लक्ष्मी कुमारी जी ने चर्चा कर रखी है पहले, मैं इस सदन का समय नहीं लूंगा। लेकिन इस टूरिस्ट इन्फार्मेशन और पब्लिसिटी पर हम लोग 13 लाख खर्च कर रहे हैं। इतना एलोकेट किया है।

फेयर एण्ड फेस्टिवल, अध्यक्ष महोदय, जिसमें आपको भी बहुत रुचि है....

श्री अध्यक्ष : अब आजकल इतनी रुचि नहीं रही।

Page No 244

१५५

श्री शिवराम शर्मा : अवस्था के हिसाब से।

श्री महाराम चौधरी : आजकल मदेरणा साहब की हुई है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : फेयर एण्ड फेस्टिवल पर हमने जो वहां की एक्चुअल लर्निंग की है, उसके अलावा डिपार्टमेंट के थ , 6 लाख रुपया एलोकेट करने का निर्णय लिया। लेकिन फेयर और फेस्टिवल के पीछे, अध्यक्ष महोदय, मेन प्रिंसीपल यही रहा है, बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं, भले ही फोरिनर हों, भले ही इण्डियन हों, एक ये अपने मेले हैं, अध्यक्ष महोदय, नागौर क्या, पुष्कर क्या, मैं चाहता हूं कि अगले साल चैत्री भी इसमें आ जाये, अध्यक्ष महोदय। यों हमने तय किया है 82-82 में शायद हम एक तो महावीर जी का बड़ा प्रसिद्ध मेला होता है, हिण्डौन में, एक गणेशवर ट्राइबल का बहुत ही इन्ट्रेस्टिंग और श्रृंगारिक मेला डूंगरपुर बांसवाड़ा के बोर्डर पर होता है और अपना रामदेवरा....

श्री यदुनाथ सिंह : हमारा बसन्त पंचमी का मेला बहुत बढ़िया होता है।

श्री महाराम चौधरी : पंडित की ढाणी का मेला बहुत बढ़िया होता है।

श्री अध्यक्ष : उम्मेदनगर का मेला बहुत प्रसिद्ध है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 66 लाख में कितना खोलें उस 66 लाख को कैसे डिवाइड करें और उसमें क्या हमारी प्रायोरिटी आये

श्री अध्यक्ष : लेकिन गोगामेड़ी और दूसरे जो गोगे जी के मेले हैं वह और प्रकार के हैं। जो आपने बताये हैं, वह पशु मेले हैं, कुछ यात्री आते हैं, लेकिन गोगे जी के मेले हैं, वह नयी चीज होती है टूरिस्ट के लिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इनका भी अनुभव है। यों तो मेरे ध्यान में था, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : और कुछ शील सातम के मेले भी अच्छे होते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यों तो, अध्यक्ष महोदय, नाग पंचमी का मेला भी बहुत प्रसिद्ध है अपने मण्डोर का।

फेयर और फेस्टिवल के सब्जेक्ट पर, अध्यक्ष महोदय, सदस्यों के काफी सुझाव आये हैं, यह तो मैं पहले कह चुका हूं, हमारे फेयर और फेस्टिवल इंटरनेशनल कैंडर पर आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे भले ही रिकग्नाइज्ड ट्रेवल एजेन्ट हों हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट स्वदेश का क्या, भारत का भी पिछले दो साल से जितनी रिक्वेस्ट इनफार्मेशन की डिजायर हमारे फेयर और फेस्टिवल के बारे में पर्टीकूलर पुष्कर और जैसलमेर के बारे में आ रही

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

है, मेरे ख्याल से इनक्वायरी के रेट में कम से कम 10 हजार पर्सेन्ट की इन्क्रीज हुई है।

श्री यदुनाथ सिंह : हूं।

श्री अध्यक्ष : एक आध वाइल्ड लाइफ, जो खास तौर से जोधपुर डिवीजन में है, बताने का आपके यहां कोई बन्दोबस्त नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं उस पाइन्ट पर हाजिर हो रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर के बिल्कुल नजदीक है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जो अपने डोलीगंवा है, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : वह बहुत छोटा है, उसके मुकाबले में कई बड़े हैं और।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में जैसे एक जगह है, जिसके बारे में मुझे कहा गया था, उसको भी हमने हमारे....

श्री अध्यक्ष : वह अपना छापडलिया है, वहां दो सौ ढाई सौ है, बाकी जगह पांच पांच हजार है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप जगह फर्मा दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह हम बाद में कह देंगे। पचासों जगह हैं, खूब हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वाइल्ड लाइफ के बारे में, अध्यक्ष महोदय, जब आपने चर्चा फर्मा ही दी है, हमने यह निर्णय लिया था 82–83 में जो गाइड लाइन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है, टूरिज्म प्रमोशन, उसको एक मिनिएचर के रूप में हमने हमारे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की गाइड लाइन्स हैं, अभी टूरिज्म मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में भी गया था अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था और उसके बाद में रिजोल्यूशन भी लिया गया कि आल ओवर दी कन्ट्री टूरिज्म सर्किट्स चुने जायेंगे और चुन भी लिये गये हैं जिनमें राजस्थान के लिये तीन चुने गये हैं जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट एजेन्सी के थ्रू टूरिज्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट, आई. टी. डी. सी. की मार्फत पब्लिसाइज कराएगी वह तीन सर्किट्स हैं। इनको हमने मिनिएचर फोर्म में लागू किया है। वाइल्ड लाइफ का आपने उठाया तो हमने सफारी के रूप में राजस्थान के लिये कुछ ट्रेवल सर्किट्स तय किये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सफारी का क्या मतलब होता है?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सफारी का मतलब सफर करने से है, भारतीय वर्ड है। इसमें, अध्यक्ष महोदय, हमने 7–8 रूट्स

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

तय किये हैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं आपके मार्फत जैसे बीकानेर, से नाचना या जोधपुर से बाड़मेर या कुछ हम थोड़े बहुत रिलीजियस एंगल भी लेना चाहते हैं, जैसे रणकपुर से उदयपुर करीब 80 मील का रूट है, मेरा अनुभव रहा है अध्यक्ष, महोदय, रिलीजियस पाइन्ट आफ व्यू से मोस्ट ब्यूटीफुल रूट है, रणकपुर से शुरू हो तो रणकपुर मंदिर, चारभुजा कांकरोली, नाथद्वारा, एकलिंगजी, उदयपुर-ऐसे हमने करीब 8-10 रूट तय किये हैं जिनको हम लिटरेचर और पब्लिसिटी मैटीरियल के थ्रू पब्लिसाइज करेंगे जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्पोटर्स है जैसे डियर पार्क्स स्थापित कर सकते हैं उनको हम करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ये डीयर पार्क्स कुदरती हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां, बिलकुल। वहां अगर गवर्नमेंट करती है तो करोड़ों रुपये खर्च होते हैं।

श्री यदुनाथसिंह : कर ही नहीं सकती।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I agree with you.

श्री अध्यक्ष : एक टूरिज्म स्पाट है जैसे ओसियां जैसे पुराने मंदिर हैं उनके पास काफी गंदगी रहती है और फोरिन टूरिस्ट खूब आते हैं और बड़ी गंदगी है यह मैंने देखा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह जिस मंदिर का, अध्यक्ष महोदय, जिक्र कर रहे हैं वह प्राइवेट है।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, ओसियां वाले आर्कियोलोजीकल साइड के हैं उनको बहुत देखने आते हैं टूरिस्ट। 10-12 मंदिर हैं जहां बहुत गंदगी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गुप्ता पीरियड वाले। यह पहले वाला रूट आपको अर्ज कर दूं। इस पाइन्ट आफ व्यू को लेकर भारत सरकार ने तीन चैनल सर्किट्स राजस्थान के लिये पब्लिसाइज, एन्करेज. प्रमोट करने के लिये तय किये हैं। पहला है भरतपुर - जयपुर-टोंक - सवाई माधोपुर-जयपुर - सिरसका - अलवर। दूसरा - जयपुर, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर रिखभदेव, एकलिंगजी, नाथद्वारा, रणकपुर माउंट आबू। तीसरा जयपुर, जोधपुर, ओसियां, पोकरण, जैसलमेर, बीकानेर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ओसियां क्यों साहब, शेरगढ़ होकर क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ में गुप्ता पीरियड के मंदिर है।

श्री अध्यक्ष : हां पुरातत्व कोई ऐसे....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : इस सदन का पुरातत्व मौजूद हैं वहां पर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अब, अध्यक्ष महोदय, काफी प्रपोजल्स कट मोशंस में आये कि यह टूरिस्ट सेंटर डिक्लेयर करिये इस सर्किट रूट के माध्यम से ही हमारी एक्टिविटीज, अध्यक्ष महोदय, अब तक हमने जो की हैं आइडिया यही रहा है कि हम गरीब करीब पूरे-राजस्थान को कवर करें इन सर्किट्स के मार्फत टेंटेकल्स पूरे-राजस्थान में फैलायें तो कम खर्च में ज्यादा हम कैपेसिटी गेन कर सकेंगे। एक, अध्यक्ष महोदय, रहने के लिये हमने अकोमोडेशन तो यों बढ़ाई ही है, टूरिस्ट बंगलो-20, यूथ होस्टल:2, मिड वेज-5, लेकिन साथ ही साथ अभी हमने पी. डब्ल्यू. डी. से रिक्वेस्ट के तौर एक सूचना मांगी है। आपको ध्यान होगा, पुराने आपके जगह जगह डाक बंगलो होते थे जो कि अब करीब करीब डिस्यूज में हैं।

श्री अध्यक्ष : उनमें सांप-बिच्छू भी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उसकी तो व्यवस्था हो जायेगी, अध्यक्ष महोदय, लेकिन अन्दाजन ऐसी टूरिस्ट हट्स, डाक बंगलो पी. डब्ल्यू. डी. हट्स 2 से लगाकर 6 से 20 कमरे तक के पूरे राजस्थान में एक सौ या डेढ़ सौ के आस पास हैं जो कि अनफारचुनेटली डिस्यूज में में रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पिछले 15-20 साल से। हम यह प्रावधान करेंगे, अध्यक्ष महोदय, उनको साफ-सुथरा करके सोने की व्यवस्था कर दो जाय। दो आदमी रखेंगे जो कि आर्डर पर खाना बना दे, सफाई रख ले। उनको पब्लिसाइज करेंगे पब्लिसिटी मेटीरियल के थ्रू इंडिया में ही नहीं आउट साइड में भी कि 5 10 या 15 रुपये में वहां जाकर रह सकेंगे।

श्री घनश्याम तिवाडी : सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था करवादें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह तो हो जायेगी। वह तो आज भी है। यह हमारा प्रस्ताव है उनको 82-83 में लेने वाले हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से। एक पैलेस आन व्हील्स पर में दो....

श्री अध्यक्ष : अब बन गई हैं उसको चलाते रहिये।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना पैसा लगाकर टूरिस्ट नहीं जा सकता। सात दिन का टूरिस्ट के पास टाइम नहीं है राजस्थान के लिये। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल फिजीबल नहीं है। गरीब आदमी का पैसा जाता है एक्सपेरिमेन्ट के लिये आई.टी.डी.सी. चलाये इसको। राजस्थान इस हालत में नहीं है इतना पैसा बरबाद करें। यह उचित नहीं है। शाही मेल, शाही नाम से ही गांव वाले घबराते हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : यह तो बिल्कुल चरण सिंह जी के भक्त हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप से भाषण की उम्मीद नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को जानकर खुशी होगी इसका एक्सपेंश आप घड़ी की तरफ देख रहे है, अध्यक्ष महोदय, इसका एक्सपेंश, शाही रेल-पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं, एक पैलेस आन व्हील का एक्सटेन्शन, इस का पूरा सैकण्ड क्लास की ट्रेन में कर रहे हैं। रेलवे आथोरिटीज ने जैसा कि हमको प्रामिस किया है शायद 1983–84 तक और उसका दिल्ली रूट यह होगा, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से शुरू होगी और वापस दिल्ली जायेगी। 7 दिन 10 दिन इसमें लगेंगे। अभी पैलेस आन व्हील 1000/- रुपया डेली है, उसमे 200/- रुपये तक ट्रेवल कर सकेंगे, खाने की व्यवस्था होगी। वहां पर टूरिज्म साइट में जाने की व्यवस्था होगी। अध्यक्ष महोदय, इसका इन्टेन्शन यह है ..

श्री यदुनाथ सिंह : मैने अच्छी ट्रेवलिंग एजेन्सी से बात की है। उनका कहना है कि टूरिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है जो हिन्दुस्तान में आता है, वह ज्यादा से ज्यादा ढाई दिन राजस्थान के लिये दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

साल भर अनुभव करेंगे। अगले साल इस पर विचार करेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :...जयपुर शहर पर काफी चर्चा हुई थी और जयपुर के लिये टूरिज्म डिपार्टमेंट बिलकुल इन्ट्रेस्ट नहीं ले रहा है, यह कहा गया। अध्यक्ष महोदय, हमें पूर्ण जानकारी है कि जयपुर अपने प्रदेश की राजधानी है, आपको खुशी होगी, अध्यक्ष महोदय, यह हमारा प्रयास रहा है और उसमें सक्सेस मिली है। एक इवेन्ट इसमें यह है कि दिल्ली से एशियाई गेम्स हो रहे हैं और दिल्ली से बाहर जो गेम होगा वह रामगढ में होगा। इससे रामगढ़ कैसा काम्पलेक्स बन जायेगा इसको हम डेस्क्राइब नहीं कर सकते। समय बतायेगा। इसके साथ माननीय सदस्यों ने जो कट मोशन और सुझाव दिये हैं उसके लिये हैं उसके लिये धन्यवाद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह डिमाण्ड पास की जाये।

श्री भवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के विकास के लिये पेज 6 पर लिखा है, जयपुर आमेर के विकास के लिये। इसमें केवल आपने, गैटोर पर विकास का काम, यह बात लिखी है। इसके लिये धन्यवाद। आपको ध्यान होगा, गलता एक तीर्थ स्थल है। बड़ा रमणीक है। बाढ़ में यह क्षतिग्रस्त हुआ है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गलता के बारे में अपने चर्चा की है।

श्री भवरलाल शर्मा : और भी है। मैं केवल आपको सुझाव दे रहा हूं। गलता के विकास की घोषणा सरकार ने बार-बार की है। गलता के विकास का आपको ध्यान रखना होगा। जयपुर में जो दूसरे स्थान हैं वे बड़े पोटेन्शियल हैं। टूरिस्ट जब आमेर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जाते हैं तो एक पुराना घाट है । पुराने घाट में पार्क बनाने का प्रस्ताव पहले से था । उस पर आप ध्यान दें । हवामहल से होकर नाहरगढ़ तक जाते हैं, वह पूरा का पूरा एरिया टूरिस्ट काम्प्लेक्स की दृष्टि से पोटेन्शियल है। हवामहल है वहां से विधान सभा भवन चन्द्र महल, आब्जरवेटरी, गोविन्द देवजी की, मन्दिर, जय निवास उद्यान, ताल कटोरा....

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर आपका मकान ।....

श्री भंवरलाल शर्मा : ''गेटोर की छतरियां, गणेश मन्दिर, और नाहरगढ़ फोर्ट । यहां अपने आप स्थान मिलते हैं । यदि आप ध्यान देंगे तो इसका अच्छा विकास होगा । लोकल टूरिस्ट और बाहर के टूरिस्ट दोनों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र होगा ।....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां आमेर में आते हैं और हाथियों पर बैठ कर ऊपर जाते हैं । हाथी की सवारी का आनन्द लेते हैं । ...

श्री अध्यक्ष : आप भी कभी हाथी पर बैठे हैं ।....

श्री भंवरलाल शर्मा : उनके ठहरने के लिए वहां एक मैदान है वह स्थान इनको दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । टूरिस्ट को भी सुविधा सुलभ रहेगी ।

दूसरा निवेदन यह है कि छठ का मेला होता है जिसका जयपुर शहर में कलेक्टर महोदय विशेष अवकाश करते हैं । इस मेले का महत्व बढ़े, आप उसे डिपार्टमेन्ट की तरफ से आकर्षक बनावें । यह मेरा सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं । तीज बहुत पापुलर है । सब जगह टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट इसको प्रोत्साहित करता है ।....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मेरे सुझाव हैं । आप इन सुझावों पर विचार करें । आप मेरे साथ इन स्थानों पर चलें तो वास्तव में इनकी उपयोगिता मालूम होगी ।

श्री अध्यक्ष : बीच-बीच में बात कह देते हैं ।

गोगुन्दा वगैरह सब ध्यान में है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ''गलता जी का आपने जिक्र किया । आपको खुशी लोगी, अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेन्ट के कोआपरेशन से ढाई करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और साढ़े उन्नीस लाख रुपया सैंक्शन हो गया है । साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, इस फ्लड के कारण दो क्वारे जो गलता के ऊपर थे, क्षतिग्रस्त हो गये थे, उनके लिए भी साढ़े

(150)

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

छियालिस लाख का प्रोजेक्ट करीब-करीब सैंक्शन हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य स्पष्टीकरण हो गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये। मेवाड़ काम्लेक्स स्वीकृत हो गया और चार लाख रुपया सर्वे पर खर्च किया गया। 1979 की योजना अभी तक लागू नहीं हुई है स्वीकृति के बाद।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय कटारिया साहब फर्मा रहे हैं मेवाड़ काम्प्लेक्स के बारे में, आपको, अध्यक्ष महोदय, खुशी होगी ...

श्री अध्यक्ष : मेरी खुशी में सभी माननीय सदस्यों की खुशी निहित है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेवाड़ काम्पलेक्स की जो सैंक्शन करने जा रहे हैं, ये हमारे पास अब हो प्रिपेयर होकर एक रिपोर्ट के रूप में फाइनल करेक्शन के लिये करीब हफ्ते भर पहले डायरेक्टर जनरल ने भेजी है। मेरे जो विभाग के आफिसर हैं वे अगले दो-तीन हफ्तों के अन्दर देख लेंगे इसकी जो काफी आयी है आपको बाद में नजर करूंगा यह काफी अच्छी है, काफी अच्छी इसकी प्रिपरेशन हुयी है परन्तु कुछ देरी का कारण है, उदयपुर के निवासियों को ब्लेम तो मैं नहीं करूंगा ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोपरेशन नहीं मिलने से।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन उदयपुर के हमारी कांग्रेस पार्टी के जो मेम्बर्स थे, जो प्रताप का स्मारक बनाया गया है उदयपुर में, उसमें माननीय सुखाड़िया जी का बड़ा ही सहयोग रहा है लेकिन कुछ कारणवश अनफार्चूनेटली मेवाड़ काम्प्लेक्स में 70 में इसको इस स्कीम में शामिल नहीं रखा गया था तो प्रताप का वह जो स्मारक था, आपने भी देखा होगा, अध्यक्ष महोदय, सर्किट हाउस के पास ही बना हुआ है, हमारे कुछ साथियों ने हमारी पार्टी के कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने यह इच्छा पेश की कि इस स्मारक को भी कन्सीडर किया जाये इसलिये हमने 80-81 मे सैंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि इसको भी इनक्लुड करें। उसके कारण थोडी सी देरी हुयी है। अब यह कम्प्लीट होकर हमारे पास आ गयी है। मेरे ख्याल से दो तीन हफ्तों में हम उसको देख लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाहरगढ़।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

यों तो राजस्थान में हर जगह गढ़ है तो उनको विकास हो या नहीं हो, यह अलग बात

(श्री अध्यक्ष)

है । मैं मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा स्पष्टीकरण भी चाहता हूं वह यह कि राजस्थान, आप जानते हैं, बड़ा ही रंग-बिरंगा प्रदेश है, उनके अलग वेशभूषा रंगबिरंगे कपड़े, उनकी रंगाई, छपाई, ऊंट, घोड़ा, बैलगाड़ी उनके श्रृंगार, त्यौहार आदि हैं पर आपको जो टूरिस्ट काम्प्लेक्स है वह बना अरबन बेस्ड है तो उसको असली राजस्थान का रूप देवें । कहीं पर जैसे इनके यहां पर बैलगाड़ी की दौड़ होती है, दौड़ अगर नहीं सवारी रख दें, मेड़ता से वहीं रख दें, ऊंटों के कैसे कैसे श्रृंगार और काठिया हैं और कैसी यह सब सजावट गांवों में होती है, शहरों में बूढ़े ऊंट लाकर उनको दिखाते हैं । अपनी दुनिया में कहीं पर भी घोड़ी नाच नहीं सकती । अपने यहां पर घोड़ियां नाच सकती हैं । तो आप थोड़ा देखें । ग्राम का भोजन है यह भी अपने यहां पर बढ़िया-बढ़िया कई तरीके का बनता है । सफारी झोंपड़े अफ्रिका में मैंने देखे हैं वहां पर लोग झोंपड़े बनाकर रहते हैं । अपने यहां पर तो इनकी कोई कमी नहीं है । मेरे ख्याल से आप इसको रूरल बेस्ड ज्यादा बनायें । इसी प्रकार जो आप ऊंटों पर बैठाकर ले जाते हैं उसके बजाय बहुत बढ़िया इसको किया जा सकता है । इस पर आप कुछ प्रकाश डालें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सुझाव अच्छा है, और बहुत ही रमणीक भी है, आकर्षक भी है । आपको खुशी होगी, अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 महीने में मैंने बराबर इस डिपार्टमेंट को मेरे आफिसर को यह निर्देश दिये हैं । महोदय, जैसे पुष्कर में बनिस्पत एक नयी बिल्डिंग बनाने के हमने झोंपड़ों की शुरुआत की है । इसी प्रकार जैसलमेर में टूरिस्ट बंगले के एक्सटेन्शन का मेरे पास प्रश्न आया था । वहां पर भी हमने यह कहा कि आप झोंपड़े बनायें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : बनाने की क्या आवश्यकता है, जो हमारे यहां झोंपड़े हैं उनको ही ठीक करें जिससे गांव वालों का भी जीवन स्तर अच्छा होगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने काम्पलेक्स का जिक्र किया था यह पूरा ही रूरल बेस्ड है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धीमी गति के समाचार आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री यदुनाथसिंह : यह सब बड़े लोगों के लिये हैं । लो इन्कम टूरिस्ट के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । सब मध्यम और उच्च वर्ग के टूरिस्टों के लिये है । वे बेचारे इधर-उधर डोलते-फिरते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह मैंने उनके लिये पूछा था ।

मांग संख्या – 47 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 198ऌनतोसऌ 3 होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 66,12,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

एक माननीय सदस्य : इसको बढ़ाया जाये । एक करोड़ कर दी जाये ।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 47-पर्यटन स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 मार्च, 1982 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8·05 बजे को शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

परिशिष्ट-12मार्च, 1982-परिशिष्ट

(505
153

परिशिष्ट संख्या--1

तारांकित प्रश्न संख्या 34 9 की सूची

उपनिवेशन तहसील कोलायत नं० 1 से 4 व उपनि. तहसील बीकानेर के गांवों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
	उपनि. तहसील कोलायत नं० 1	16.	माणकासर
1.	मगनवाला	17.	बांगड़सर
2.	मोरनवाला	18.	पृथ्वीराज का बेरा
3.	करणीसर	19.	रणधीरसर
4.	नसुर्मा	20.	मंगनेऊ
5.	जग्गासर	21.	रानीसर
6.	नंबरोंवाला	22.	फाबुसर सिन्दुका
7.	मोंयावाला	23.	बोठ नोक
8.	डूंडकाला		**कोलायत नं ०2**
9.	विकेन्द्रो	1.	भूरासर
10:	बिन्जेरी	2.	मूसेवाला
11.	ढून्ढ खुर्द	3.	कायमवाला
12.	गुलामवाला	4.	बरसलपुर
13.	शेरूवाला	5.	देहरिया
14.	भलूरी	6.	छोला-कश्मीर
15.	गोकल	7.	मगजी का तला

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
8.	सादोलाई	6.	रणजीतपुरा
9.	केहरली	7.	गज्जेवाला
10.	कान्धरली	8.	रावलोतान का तला
11.	गोडू		**उप निवेशन तहसील कोलायत नं० 4**
12.	बेरासर	1.	चारण वाला
13.	मोडायत	2.	फुलासर खुर्द
14.	भाटियों की ढाणी	3.	फलासर कलां
15.	पूरनवाला	4.	नारायनसर
16.	मोठड़िया	5.	गोगड़ी वाला
17.	बज्जू राजपुरा	6.	बीकमपुर
18.	बज्जू खालसा	7.	पाबूसर
19.	पवार वाला	8.	दादूका गांव
20.	गिरान्धी	9.	सेवड़ा
	उप निवेशन तहसील कोलायत नं० 3	10.	नगरासर
1.	अन्नेवाला	11.	बेरा देवाबतान
2.	कबरावाला	12.	कोलासर
3.	सांजू	13.	गिरराजसर
4.	असूसर	14.	नोखड़ा
5.	राववाला		

155

उपनिवेशन तहसील बीकानेर के ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	सारा	19.	महुरासर
2.	नगासर	20.	करमोसर
3.	रकवा जलालसर	21.	नत्थूसर
4.	जलालसर	22.	स्नल्लायसर
5.	कानासर	23.	कीरामसर
6.	चिचियां	24.	सरह नथानियां
7.	जगदेववाला	25.	कावनो
8.	डान्डूसर	26.	चक गवां
9.	घोलेरा नम्बर एक	27.	वीषवाल
10.	घोलेरा नम्बर दो	28.	शिवबाड़ो
11.	सरेह घोलेरा	29.	उदासर
12.	घोलेरा हिस्सा पेमजी	30.	अनुपमसर
13.	घोलेरा हिस्सा मगनी	31.	नैनोका बास
14.	भैस्पांवा	32.	पनपालसर
15.	भैरुघिरा	33.	पैमासर
16.	हरसासर बागोड़ान	34.	हुसनसर
17.	सरह भाऊ व्यास	35.	बासो सहजवरदाराम
18.	बदरासर	36.	जगनाथसर
		37.	नग्गासर
		38.	नग्गासर पंवारान
		39.	सहर कुन्जिया
		40.	नौखा उर्फ देया
		41.	कोडमदेसर

(156)

सूची उपनिवेशन तहसील बीकानेर के 20 ग्रामों में अभिवृद्धि की जाकर 173 आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये ।

क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	खारा
2.	सिवीया
3.	जलालसर
4.	जगदेसवाला
5.	भैरुद्दी का
6.	भैरूपावा
7.	बरदासर
8.	बीछवाल
9.	पेमासर
10.	हुसगंसर

157
509

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982-परिशिष्ट

सूची, जिनको आवासीय भूखण्ड आवंटन किये गये हैं

तहसील का नाम – (उपनिवेशन तहसील, बीकानेर)

क्र. सं.	नाम व्यक्ति मय पिता का नाम जिनको आवासीय भूखण्ड आवंटन किये गये हैं।	प्लाट का साइज
1	2	3
1.	लिखीराम पुत्र चुनाराम नायक सा० प्रवाष बस्ती पाहुवारी, बीकानेर।	600 वर्गगज
2.	मुलचन्द पु० अर्जनदास भादायी सा० मढाणी प्रेस बड़ा बाजार, बीकानेर।	700 ,,
3.	मांगीलाल पु० बोड़दाराम नायक सा० सादूलगंज, बीकानेर।	600 ,,
4.	घन्नाराम पु० लिच्छाराम नायक सा० सादूलगंज, बीकानेर।	600 ,,
5.	पुसाराम पु० लिच्छाराम नायक, ,,	600 ,,
6.	धर्माराम पु० आसूराम नायक, ,,	600 ,,
7.	नारायन पु० लिच्छाराम नायक, ,,	600 ,,
8.	मु० चैनी पत्नी हरसाराम ब्राह्मण सा० उदासर	600 ,,
9.	बजरंग पु० पूनम माली, सा० ओरामसर	300 ,,
10.	गिरधारीलाल पु० रामचन्द्र ब्राह्मण सा० बदरासर	600 ,,
11.	श्रीमती कुलीदेवी वेवा मेघाराम कुम्हार, सा० गंगाशहर	300 ,,
12.	उघेसिंह पु० पहाड़सिंह राजपूत सा० बीकानेर	600 ,,
13.	टीकूराम पु० भीवाराम माली, सा० बोरामसर	300 ,,
14.	द्वारका पु० सेवाराम माली, सा० बोरामसर	300 ,,
15.	तेजाराम पु० जोगीराम नायक, सा० गोगा दरवाजा, बीकानेर	300 ,,

Page No 258

1	2	3	
16.	श्रीमति विमलादेवी पत्नी बलदेवप्रसाद ब्राह्मण सा० बीकानेर	600	वर्गगज
17.	मनाराम पु० खेमाराम जाट सा० पलाना	600	,,
18.	सांवलराम पु० अरजनराम जाट, सा० बदरासर	600	,,
19.	मोहम्मद हनीफ पु० अमीर अली जाति तेली, बीकानेर	700	,,
20.	मोहनी बेवा चौथू माली सा० नत्थूसर	300	,,
21.	तुलसाराम पु० पूनमचन्द माली सा० बोरामसर	300	,,
22.	रामलाल पु० असूताराम सुनार सा० जस्सूसर गेट, बिनानियां की तलाई, बीकानेर।		,,
23.	गढ़ाराम पु० पूराराम जाट सा० बदरासर	600	,,
24.	जयराम पु० तुलसाराम जाट सा० बदरासर	600	,,
25.	किशनाराम पु० अर्जनराम जाट सा० बदरासर	600	,,
26.	सुरजाराम पु० तुलसाराम जाट सा० बदरासर	600	,,
27.	किशनराम पु० अरजनराम जाट सा० बदरासर	600	,,
28.	खेताराम पु० जेठाराम सांसी, सा० बदरासर	600	,,
29.	बोदूराम पु० जेठाराम सांसी, सा० दरासर	600	,,
30.	रामनारायन पु० भोमाराम जाट सा० बदरासर	600	,,
31.	सांवतराम पु० तुलसाराम जाट सा० बदरासर	600	,,
32.	पेमाराम पु० निम्बाराम जाट सा० बदरासर	600	,,
33.	केसरराम पु० निम्बाराम जाट सा० बदरासर	600	,,
34.	माणकचन्द पु० लूणाराम ब्राह्मण सा० बीकानेर	600	,,
35.	पहाड़सिंह वल्द हरिसिंह राजपूत सा० बीकानेर	700	,,
36.	जेठाराम पु० फुलाराम सांसी सा० बदरासर	600	,,

1	2	3
37.	चान्दरतन पु० शिवरतन छंगाणी सा० बीकानेर	600 वर्गगज
38.	शंकरनाथ पु० मोतीनाथ योगी सा० बीकानेर	600 ,,
39.	किशनाराम पु० पोकरराम नायक सा० लालसर	300 ,,
40.	रामचन्द्र पु० सुगनाराम मेगवाल सा० बदरासर	600 ,,
41.	रामूराम पु० सुगनाराम मेगवाल सा० बदरासर	600 ,,
42.	बलवीरसिंह पु० केशरसिंह मजबीसिंह सा० बदरासर	600 ,,
43.	गुरदेव पु० मिठासिंह जटसिंघ सा० बदरासर	600 ,,
44.	मोहनलाल पु० चीमनाराम भाट सा० नथूसरबास, बीकानेर	600 ,,
45.	भंवरलाल पु० मोहनलाल भाट सा० बदरासर	600 ,,
46.	बद्रीलाल पु० सुखदेव माली सा० बोरामसर	600 ,,
47.	भूरासिंह पु० चिमनसिंह राजपूत सा० बदरासर	300 ,,
48.	ज्ञानसिंह पु० चुनीसिंह राजपूत सा० बदरासर	600 ,,
49.	गुरदीपसिंह पु० जोतसिंह कोम रायसिख सा० वांन आबाद कांवनी	666 ,,
50.	फोजासिंह पु० बहादुरसिंह जटसिख सा० कानासर	600 ,,
51.	हीराराम पु० छोटूराम माली सा० बीकानेर	600 ,,
52.	मोहनलाल पु० रामलाल सेठिया सा० उदासर	1540 ,,
53.	माणकचन्द पु० मोहनलाल सेठिया सा० उदासर	600 2/3
54.	मोतीलाल पु० मोहनलाल सेठिया सा० उदासर	666 2/3 गज
55.	मंगलेया पु० कम्बेवा मुसलमान सा० कावनी	933 1/3
56.	स्याऊषा पु० पीरेक्षा मुसलमान सा० कावनी	933 2/3 ,,
57.	खजूसा पु० पीरेसा मुसलमान सा० कावनी	666 2/3 ,,

1	2	3
58.	नाजीमा पु० मोहम्मद मुसलमान सा० कावनी	666 2/3 गज
59.	छोटू पु० रीहीमया मुसलमान सा० कावनी	666 2/3 ,,
60.	राधाकृष्ण पु० छोटूलाल ब्राह्मण सा० कावनी	666 2/3 ,,
61.	नथूया पु० मोतीया मुसलमान सा० कावनी	666 2/3 ,,
62.	श्री तुलछाराम पु० बीजाराम मेघवाल सा० करमीसर	666 2/3 ,,
63.	सीयाराम पु० चीमाराम मेगवाल सा० करमीसर	666 2/3 ,,
64.	दानाराम पु० रामूराम नायक सा० करमीसर	666 2/3 ,,
65.	संतुराम पु० साधूराम बाजीगर सा० भेल्बीरा	1533-3 ,,
66.	लाल मोहम्मद पु० दीन मोहम्मद मुसलमान सा० बीकानेर	250 ,,
67.	हरदयालसिंह पु० किशनसिंह जटसिख सा० मोघर	666 2/3 ,,
68.	बामनसिंह पु० निरंजनसिंह जटसिख सा० फरीदकोट	666 2/3 ,,
69.	साईबग्स पु० चान्दखां मुसलमान सा० भुटो का बास	666 2/3 ,,
70.	महबूबअली वल्द रहीमबग्स सा० बीकानेर	666-66 ,,
71.	मु० समी पत्नि फकरखां मुसलमान सा० भुटो का बास	250 ,,
72.	भंवरया पु० खीछेलाखां सा० मुसलमान ,,	250 ,,
73.	भोलेखां पु० मीरुखां ,,	250 ,,
74.	कोरसिंह पु० प्रतापसिंह जाट जटसिख सा० भटिंडा	933-33 ,,
75.	टेकसिंह पु० गणीसिंह जटसिख सा० गेरोबूदर व० भटिंडा	933-33 ,,
76.	जरनेलसिंह पु० कृपालसिंह सा० बदरासर	933-33 ,,
77.	अमृतकोर जोजे भगतसिंह कोम सिख सा० गंगानगर	666-66 ,,
78.	मोहम्मदसफी पु० जालूसा पसा० खोरी सा० मोहलाचुनधरान	933-33 ,,

(१८८

1	2	3	
79.	सुलतान पु० अतेला मुसलमान सा० भटो का बास	666-66	वर्गगज
80.	सुमीदमोहम्मद पु० जावेखां मुसलमान सा० ,,	1533-33	,,
81.	भंवरखां उर्फ भोलेखां पु० बगेखां मुसलमान सा० ,,	666-66	,,
82.	जमालदीन पु० अमरदीन मुसलमान सा० ,,	666-66	,,
83.	साऊदीन पु० मेकूखां मुसलमान सा० ,,	666-66	,,
84.	नानूखां पु० मनफूल भूटा सा० भुटो का बास	666-66	,,
85.	करीमखां पु० मनफूलखां मुसलमान सा० भुटो का बास	666-66	,,
86.	नेजेखां पु० भंवरखां मुसलमान भुटा सा० ,,	666-66	,,
87.	इलाहीबक्स पु० अमीर खां मुसलमान पड़िहार सा० ,,	666-66	,,
88.	हुसेना बेवा भंवरखां मुसलमान पडिहार सा० ,,	666-66	,,
89.	गनी पु० भंवरखां मुसलमान भटो का बास बीकानेर	666-66	,,
90.	जूनाराम पु० चान्दूराम नाई सा० भेरुबीरा	1222-22	,,
91.	माजीखां पु० हिमदखां सा० भुटो का बास	933-33	,,
92.	कोरसिंह पु० लालसिंह जटसिख सा० रमाना त० फरीदकोट	933-33	,,
93.	आसूराम पु० सुन्दरराम बाजीगर सा० त० सरसा	1533-33	,,
94.	करनेलसिंह पु० जगसिंह सुधार सिख सा० भेरुधीरा	666-66	,,
95.	दिलदारखां पु० गहनेखां मुसलमान सा० भुटो का बास	666-66	,,
96.	बरियामसिंह पु० टानसिंह राजपूत जीगर रतनपुरा तह० नोहर	1533-33	,,
97.	नूरराम पु० हाकमराम बाजीगर सा० सादावालीढाणी	933 1/3	,,
98.	दिवानचन्द पु० मुलदास बाजीगर सा० ,,	933-66	,,

1	2	3	
99.	पालाराम नानाराम पि. हीराराम कोम बाजीगर हाल आबाद भेरुघीरा	1533-33	वर्गगज
100.	नेताराम पु० दयालूराम बाजीगर बालबाबाद भेरुघीरा	1533-33	,,
101.	रामचन्द्र पु० आसाराम माली, सधुसर	250-00	,,
102.	छोगाराम पु० मनीलाल मेगवाल सा० करमीसर	666-66	,,
103.	कालूराम पु० केशरराम मेगवाल सा० भेरुबाबा	666-66	,,
104.	पेपसिंह पु० छोगसिंह राजपूत सा० भेरुबाबा	666-66	,,
105.	पुनुराम पु० आसूराम बाजीगर सा० साथावाली	933-33	,,
106.	श्री जगन्नाथ पु० प्यारेलाल बाजीगर सा० वदरासर	666-66	
107.	,, दौलतराम सिंह धुड़ाराम मेघवाल सा० बीकानेर	933-33	
108.	,, पृथ्वीराज पु० नारायण मेघवाल सा० भैरुयावा	933-33	
109.	,, आत्माराम पु० जग्गूराम पि. सरदाराराम बाजीगर सा० भैरयावा	1553-33	
110.	,, ठाकरराम पु० पठानाराम बाजीगर सा० भैरयावा	666-66	
111.	,, पिसूराम पु० सुन्दरराम बाजीगर सा० ,,	250	
112.	,, सिगाराम पु० ईश्वरराम हरिजन साविन ,,	250	
113.	,, सिंगाराम पु० मंगूराम बाजीगर सा० ,,	250	
114.	,, छगनाराम पु० धीकलराम चमार सा० ,,	933-33	
115.	,, बेगाबाई पत्नि मांगीलाल मेघवाल सा० बीकानेर	933-33	
116.	श्रीमती बाली पत्नि हड़मानाराम सा० भैरयावा	666-66	
117.	श्री मीडाराम पु० किस्तूरीराम मेघवाल सा० भैरयावा	666-66	

1	2	3
118.	मु. ज्वारा बेवा मुहम्मद बस साo कसाईयो का मोहल्ला	250
119.	श्री आसूराम पु० लिछमाराम मेघवाल सा० भैरयावा	933-33
120.	,, नारायण दत्त पु० देवाराम मेघवाल सा० ,,	1553-33
121.	,, रामलाल पु० देवाराम मेघवाल सा० ,,	1533-33
122.	मु. माना बेवा भाउखां मुसलमान सा० बीकानेर	250
123.	श्री भोजराम पु० मघाराम मेघवाल सा० भैरयावा	933-33
124.	मु. लालीदेवी बेवा भंहेलराम माली सा० सोहनगिरी बीकानेर	933-33
125.	श्री मघाराम पु० मेघाराम सा० बीकानेर	666-66
126.	,, गोविन्दराम पु० लूणाराम मेघवाल सा० भैरयावा	933-33
127.	,, सुन्दरराम पु० पुर्णाराम मेघवाल सा० ,,	933-33
128.	,, भीवाराम पु० मानाराम मेघवाल सा० ,,	666-66
129.	,, श्रवणकुमार पु० मानाराम मेघवाल सा० ,,	1533-33
130.	,, खेतराम पु० मानाराम मेघवाल सा० ,,	666-66
131.	,, भातूराम पु० टून्डाराम बाजीगर सा० सपावाली ढाणी	250
132.	,, मुहम्मद उसमान पु० अब्दुल सतार मुसलमान सा० बीकानेर	933.33
133.	,, गोपाल पु० मोतीलाल भांभी सा०	250
134.	,, मनोहरलाल पु० देवाराम मेघवाल सा० भैरयावा	933-33
135.	,, जगीरलाल पु० प्यारेलाल बाजीगर सा० बदरासर	666-66
136.	,, लालू पु० रामू डांडी सा० करमोसर	666-66
137.	,, भंवरलाल पु० घूड़ाराम मेघवाल सा० बीकानेर	933-33

(KW)

1	2	3
138.	श्री चतराराम पु० पूर्णाराम मेघवाल सा० भैरयावा	933-33
139.	,, शिवदयाल पु० सुन्दरराम मेघवाल सा० ,,	666-66
140.	,, केशराराम पु० सगतराम बाजीगर सा० भैरयावा	666-66
141.	,, मुन्शीराम पु० हरीराम बाजीगर साकिन ,,	666-66
142.	,, हरीराम पु० दीनाराम बाजीगर साकिन ,,	666-66
143.	,, जयमलराम पु० सुन्दरराम बाजीगर साकिन ,,	250
144.	,, घाड़ीराम पु० मालूराम बाजीगर साकिन ,,	250
145.	,, देमाराम पु० टाकाराम मेघवाल साकिन ,,	933-33
146.	,, श्रवणकुमार पु० मानाराम मेघवाल साकिन ,,	2090
147.	,, पूनमराम पु० मानाराम मेघवाल साकिन ,,	933-33
148.	,, इन्दरराम पु० मंगलाराम बाजीगर सा० भैरुधीरा	933-33
149.	,, सोहनराम पु० पूमनराम बाजीगर सा० ,,	1533.33
150.	,, शेराराम पु० जोगाराम बाजीगर सा० हाल आबाद भैरुधीरा ,,	933-33
151.	,, छरीयानराम पु० नाराराम बाजीगर सा० ,,	933-33
152.	,, बट्टूराम पु० बूमनराम बाजीगर सा० ,,	1533-33
153.	,, ठाकरराम पु० बूटाराम बाजीगर सा० ,,	933-33
154.	,, नागरसिंह पु० बीरसिंह बाजीगर सा० ,,	933-33
155.	,, बलूराम पु० पठानाराम बाजीगर सा० ,,	666-66
156.	,, असीराम पु० सोहनाराम कोम बरनया सा० ,,	155-33
157.	,, महेन्द्रसिंह पु० वरयामसिंह कोम बरजवा सा. ,,	1533-33
158.	,, दर्शन पु० शकूराम बाजीगर साकिन ,,	666-66

Page No 265

(165)

1	2		3
159.	श्री पूर्णाराम पु० सन्तूराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
160.	,, साधूराम पु० धर्मचन्द बाजीगर साकिन	,,	666-66
161.	,, पेड़ाराम पु० चोगाराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
162.	,, कालीराम पु० मंगताराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
163.	,, बरयाम पु० हरीराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
164.	,, मंगलसिंह पु० इन्द्रसिंह मजबी साकिन	,,	666-66
165.	,, शब्बाराम पु० सुन्दरराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
166.	,, नानकराम पु० चान्दीराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
167.	,, दौला पु० शेरा बाजीगर साकिन	,,	933-33
168.	,, गोपालाराम पु० हीराराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
169.	,, महंगाराम पु० मेवाराम बाजीगर साकिन	,,	666-66
170.	,, बृजरतन पु० भैरू बक्श व्यास साकिन बीकानेर		600
171.	,, मोहनसिंह पु० नवलसिंह राजपूत साकिन बीकानेर		300
172.	,, सूरजाराम पु० चोथूराम नायक साकिन बदरासर		600
173.	,, कोहरसिंह पु० नगेन्द्रसिंह मजबी साकिन बदरासर		666-66

(166)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं० 350 की सूची

कम्पनी के स्वयं के 100 टन व 25 टन क्षमता के दो मैगजीन है जो कि निम्न प्रकार स्थित है :—

1–	100 टन एक्सप्लोजिव मैगजीन	झामरकोटड़ा खदान से बामदड़ा की ओर 5 किलो० मी० दूरी पर है जो कि उदयपुर झामरकोटड़ा रास्ते के 15 कि० मी० माइल स्टोन के नजदीक है।
2-	25 टन एक्सप्लोजिव मैगजीन	यह झामरकोटड़ा खदान से खारवाचांदा गांव की ओर 5 कि. मी. की दूरी पर मोहड़ी क्षेत्र में है।

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 352 की सूची

क्र. सं.	विभाग	नाम पद	स्वीकृत पद सं (थाई/अस्थाई)	स्थाई रूप से भरे हुए पदों की संख्या	अस्थाई/एड हॉक रूप से भरे हुए पदों की सं.	रिक्त पद सं.	अस्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों नाम व कब से कार्यरत है की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गृहकर विभाग	असेसर	3 X	1	1	1	श्री नन्दलाल व्यास 1-7-80
2.	,,	राजस्व निरीक्षक	7 ,,	2	2	3	1. ,, कमलनयन 27-10-78 2. ,, भगवान बच्चानी 4-11-78
3.	,,	कनिष्ठ लिपिक	16 ,,	14	2	-	1. ,, वीरचन्द/ 5-1-78 2. ,, जगदीश प्रसाद /अजमेरीलाल 16-5-79

1	2	3	4	5	6		7	8
			स्थाई/अस्थाई					
4.	गृहकर विभाग	खजांची	1	X	1	–	–	—
5.	,,	एड्डीमा आपरेटर	1	,,	1	–	–	—
6.	,,	राजस्व जमादार	4	,,	–	–	4	—
7.	,,	प्रो० सरवर	5	,,	4	–	1	—
8.	,,	चपरासी	4	,,	4	–	–	—
9.	,,	अर्दली	1	,,	1	—	—	—
10.	चुंगी विभाग	राजस्वनिरीक्षक	4	,,	2	—	2	—
11.	प्रवर लि.	प्रवर लिपिक	1	,,	–	—	1	—
12.	चुंगी विभाग	क० लिपिक	4	,,	4	—	—	—
13.	,,	नाकेदार	34	,,	18	8	8	1. श्री श्रीनारायण मोदी 26/3/80 2. ,, लालसिंह 26/3/80 3. ,, मुरलीधर 16/4/77 4. ,, मदनलाल जैन 16/4/77 5. ,, ताराचन्द जैन 5/5/80

1	2	3	4	5	6	7	8	
			स्थाई/अस्थाई					
							6. ,, दीवानचन्द	5/5/80
							7. ,, बाबूलाल अग्रवाल	5/5/80
							8. ,, छोटे खां	5/5/80
14.	चुंगी विभाग	स० नाकेदार	30	X	7	23	— 1. ,, मोहनलाल खेमका	7/5/77
							2. ,, त्रिलोकचन्द	5/5/80
							3. ,, मंगलचन्द	5/5/80
							4. ,, माथुलाल नवल	3/11/80
							5. ,, शिवकुमार	7/5/77
							6. ,, देवीलाल	5/5/80
							7. ,, बृजमोहन	7/5/77
							8. ,, नाथलाल	26/9/80
							9, ,, भवानीदत्त	7/5/77
							10. ,, अजमेरी दयाल	5/5/80
							11. ,, बिशम्बर दयाल	7/5/77
							12. ,, रामस्वरूप स्वर्णकार	5/5/80

1	2	3	4	5	6	7	8
		स्थायी/अस्थायी					
							13. ,, रामेशचन्द गुप्ता 7/5/77
							14. ,, लखी गुरुबक्सानी 26/3/80
							15. ,, पुरुत्तोम लाल 7/5/77
							16. रामनिवास 28/9/79
							17. ,, सत्यनारायण खंडेलवाल 7/5/80
							18. ,, रतनलाल 26/3/77
							19. ,, पोहूमल 25/4/80
							20. ,, संग्रामसिंह 26/3/80
							21. ,, लक्ष्मणसिंह 5/5/80
							22. ,, सुखदेव 7/5/77
							23. ,, सत्यनारायण गोयल 6/7/77

1	2	3	4	5	6	7		8	
				स्थाई/अस्थाई					
15.	चुंगी विभाग	नाका गार्ड	32	X	21	5	6	1. श्री पन्नालाल	6/10/81
								2. ,, इकबाल रहमान	22/7/81
								3. ,, अजीतसिंह	23/4/81
								4. ,, अशोककुमार रेगर	19/1/82
								5. ,, अशोककुमार जटिया	25/1/82
16.	,,	चौकीदार	1	,,	1	—	—	—	
17.	,,	अर्दली	1	,,	1	—	—	—	
18.	राजस्व विभाग	राजस्व अधिकारी (प्रथम)	1	,,	—	1	—	श्री अब्दुल सत्तार कादरी	8/6/79
19.	,,	राजस्व अधिकारी (द्वितीय)	3	,,	2	1	—	श्री सुरेशचन्द गर्ग/	

(172)

1	2	3	4	5	6	7		८	
		स्थायी/अस्थायी							
20.	स्वास्थ्य विभाग (ट्रा० स्टे०)	वाहन चालक	40	X	23	10	7	1. श्री अनूपसिंह	21/9/78
								2. ,, फकीरा/मोती	22/9/78
								3. ,, रमेश/नाथू	16/6/79
								4. ,, प्रेम/सुखा	16/6/79
								5. ,, भंवरलाल /क०	19/11/79
								6. ,, बिरदीचन्द	8/7/80
								7. ,, दयाल/दौला	8/7/80
								8. ,, रूपसिंह	9/7/80
								9. ,, गोपीलाल	15/7/80
								10. ,, सरफराज हुसैन	10/9/81

1	2	3		4	5	6	7	8	
			स्थायी/अस्थायी						
21.	स्वास्थ्य विभाग (ट्रा.स्टे.)	क्लीनर	13	X	7	—	6 क्लीनरों के दो रिक्त पद कार्यालय आदेश सं. 714 दि. 27-2-82 द्वारा भरे जा चुके हैं।	—	
22.	,,	मु० सफाई निरीक्षक	1	,,	—	5	—	1. श्री यतीन्द्रनाथ	18/12/80
24.	स्वा० वि०	स० निरीक्षक	5	X	2	3	—	1. श्री महेन्द्रकुमार	31/1/79
								2. ,, घनश्यामदास	22/7/81
								3. ,, सत्यनारायणी	23/7/81
								(उक्त दो कर्मचारी स०स०नि० के पद पर नियुक्त लेकिन स०नि० पद के विरुद्ध कार्यरत)	
25.	,,	स० स० निरीक्षक	4	,,	3	1	—	1. श्री करतार राय सिंघाणी	16/7/79

1	2	3	4	5	6	7		8	
			स्थायी/अस्थायी						
26.	स्वा.वि.	चपरासी	3	X	1	—	2	—	—
27.	,,	जमादार	35	,,	31	1	3	1. श्री रतनलाल	18/1/81
28.	,,	खाद्य सफाई निरीक्षक	1	,,	—	1	—	1. श्री रतनशंकर	15/11/65
29.	,,	चौकीदार	3	,,	1	—	2	—	
30.	,,	डाग कैचिंग कुली	7	,,	—	—	7	—	
31.	स्वा० कार्यालय	प्रवर लिपिक	1	,,	1	—	—	—	
32.	,,	क० लिपिक	5	,,	5	—	—	—	
33.	,,	चपरासी	3	,,	3	—	—	—	
34.	रेड क्रॉस व मलेरिया विभाग	रे० के० जमादार	1	,,	1	—	—	—	
35.	,,	मलेरिया जमादार	1	,,	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7		8	
		स्थायी/अस्थायी							
36.	रेड क्रॉस व मलेरिया विभाग	रेट कैचिंग कुली	7	X	3	—	3	—	
37.	,,	मलेरिया कुली	7	,,	2	—	5	—	
38.	पशुगृह विभाग	नाकेदार	2	,,	–	2	—	1. श्री रामेश्वरलाल	5/5/80
								2. श्री पांचूलाल	5/5/80
39.	,,	जमादार	1	,,	1	—	—	—	
40.	,,	गैंग मैन	7	,,	7	—	—	—	
41.	,,	नाकागार्ड	3	,,	2	—	1	—	
42.	,,	पार्ट टाईम हरिजन	1	,,	—	—	—	—	
43.	टीका विभाग	वेक्सीनेटर	6	,,	3	—	3	—	
44.	,,	चपरासी	6	,,	3	—	2	—	

1	2	3	4	5	6	7		8	
			स्थायी/अस्थायी						
45.	कस्तूरबा अस्पताल	होम्योपैथिक डाक्टर	2		1	1	—	1. श्री किशनस्वरूप आर्य	30/10/81
46.	,,	एक्सरे टेक्निशियन	1	,,	1	—	—	—	
47.	,,	पार्ट टाईम डाक्टर	3	,,	2	—	1	—	
48.	,,	कम्पाउण्डर	17	,,	6	—	11	—	
49.	,,	स्टोर कीपर	1	,,	-	—	1	—	
50.	,,	नर्स	2	,,	-	—	2	—	
51.	,,	वैद्य	6	,,	4		2	—	
52.	,,	उपवैद्य	6	,,	4	—	2	—	
53.	,,	महिला चपरासी	2	,,	1	—	1	—	
54.	,,	पुरुष चपरासी	1	,,	1	—	—	—	
55.	,,	वार्ड बाय	7	,,	5	—	2	—	

1	2	3	4	5	6	7		8	
		स्थायी/अस्थाई							
56.	कस्तूरबा अस्पताल	हैल्पर	7	X	7	—	—	—	
57.	,,	हरिजन	1	,,	1	—	—	—	
58.	,,	स्वास्थ्य अधिकारी	1	,,	1	1	—	—	
59.	,,	डाक्टर	3	,,	2	1	—	1. श्रीमती सुशीला यादव	24/11/76
60.	अन्य कर विभाग	राजस्व निरीक्षक	1	,,	1	—	—	—	
61.	,,	क० लिपिक	2	,,	2	—	—	—	
62.	,,	प्रोसेसर	1	,,	1	—	—	—	
63.	,,	राजस्व जमादार	2	,,	1	—	—	—	
64.	,,	चपरासी	2	,,	2	—	—	—	
65.	,,	गैंग मैन	7	,,	6	—	1	—	
66.	पुस्तकालय विभाग	पुस्तकाध्यक्ष	1	,,	—	—	1	1. श्रीमती पुष्पलता	9/1/78

(178)

1	2	3	4	5	6	7			8	
			स्थायी/अस्थायी							
67.	पुस्तकालय विभाग	क० लिपिक		8	X	7	1	—	1. श्री मोहन ग्रासवानी	27/5/77
68.	,,	पिकर		2	,,	2	—	—	—	
69.	,,	चपरासी		7	,,	6	1	—	1. श्री सुनीलकुमार माथुर	4/7/79
70.	,,	दफ्तरी		1	,,	-	—	1	—	
71.	,,	चौकीदार		1	,,	1	—	—	—	
72.	टाम्बे वर्क शाप	गैरीज ग्रधी०		1	,,	-	—	1	—	
73.	,,	क० लिपिक		1	,,	—	—	—	—	
74.	,,	स्टोर कीपर		1	,,	1	—	—	—	
75.	,,	मोटर मैकेनिक		2	,,	2	—	—	—	
76.	,,	फिटर		10	,,	7	2	1	1. श्री महेंद्रस्वरूप 2. ,, इन्द्र प्रसाद	17/4/80 18/12/78

1	2	3	4	5	6	7	8
		स्थायी/अस्थायी					
77.	,,	खाती	4	3	—	1	—
78.	,,	लोहार	4	2	—	2	—
79.	,,	हेल्पर	9	8	—	1	—
80.	,,	चपरासी	2	2	—	—	—
81.	,,	टाईम कीपर (चतुर्थ श्रेणी)	1	1	—	—	—
82.	,,	पेन्टर	2	—	—	2	—
83.	,,	चौकीदार	6	6	—	—	—
84.	भवन निर्माण विभाग	अधि० अभियन्ता	1	1 (प्रति० नि०)	—	—	—
85.	,,	सहायक अभियन्ता	1	1 (प्रति० नि०)	—	—	—

(180)

1	2	3	4	5	6	7	8	
			स्थायी/अस्थायी					
86.	इंजिनियरिंग सर्बाडिनेट विभाग	इंजिनियरिंग सर्बाडिनेट	8	5	—	3		
87.	,,	चपरासी	6	5	1	1	1. श्री हरीशचन्द	19/1/82
88.	,,	मिस्त्री	2	—	1	1	2. श्री चांदमल मिस्त्री	4/2/75
89.	,,	रोड़ रोलर ड्राईवर	2	1	—	1		
90.	,,	क्लीनर	1	—	—	1		
91.	भवन विभाग	क० लिपिक	1	—	1	—	1. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	1/5/79
92.	,,	ड्राफ्टमैन	2	2	—	—	—	
93.	,,	स्टेनो टाईपिस्ट	1	1	—	—	—	
94.	,,	क० लिपिक	4	4	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
			स्थाई/अस्थाई				
95.	,,	चपरासी	7	7	—	—	—
96.	,,	चौकीदार	3	2	—	1	—
97.	,,	ट्रेसर	1	1 (प्रतिनियुक्ति)	—	—	—
98. प्रशासन विभाग		आयुक्त	1	1	—	—	—
99.	,,	लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	1	1	—	—	—
100.	,,	लेखाकार (प्रति नियुक्ति)	1	1	—	—	—
101.	,,	कार्यालय अधीक्षक	1	—	—	1	—
102.	,,	शीघ्र लिपिक	1	1	—	—	—
103.	,,	शीघ्र लिपिक	1	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
			स्थायी/अस्थायी				
104.	प्रशासन विभाग	शीघ्र लिपिक हिन्दी	1	1	—	—	—
105.	,,	प्रवर लिपिक	3	3	—	—	—
106.	,,	लिपिक	35	26	—	—	1. श्री राजबिहारी शर्मा 6/3/79 2. ,, ईश्वरचन्द वर्मा 13/11/79 3. ,, प्रकाश नारायण माथुर 3/9/77 4. ,, मूलचन्द शर्मा 3/6/78 5. ,, जगदीशप्रसाद यादव 18/9/78 6. ,, रामस्वरूप सारस्वत 6/3/79 7. ,, बाबूलाल तोन्दवाल 17/3/79 8. ,, नवीन चन्द गोधा 31/1/77
107.	,,	लिफ्टर	1	1	—	—	—
108.	,,	मशीनमैन	1	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
			स्थायी/अस्थायी				
109.	प्रशासन विभाग	चपरासी	17 ,,	14	3	1	1. श्रीमति नाथी बाई/ कन्हैयालाल 4/11/81 2. श्री श्यामलाल/श्रवणलाल 19/1/82 3. ,, गोपीलाल/नानू 2/7/80
110.	,,	चौकीदार	3	2	—	1	—
111	लेखा शाखा	लेखाकार	1	—	1	—	1. श्री इन्द्र नारायण माथुर 1/9/79
112.	,,	सहा० लेखाकार	1	—	—	1	—
113.	,,	मुख्य. लिपिक	1	—	—	1	—
114.	,,	कोषाध्यक्ष	1	1	—	—	—
115.	,,	लेखालिपिक	1	—	1	—	1. श्री रियाज मोहम्मद चिश्ती 1/5/79
116.	,,	भुगतान लिपिक	1	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		स्थायी/अस्थायी					
117.	लेखा शाखा	संस्थापन लिपिक	6	6	—	—	—
118.	,,	प्रा० नि० लिपिक	3	3	—	—	—
119.	,,	डिस्पैचर	1	1	—	—	—
120.	,,	दफ्तरी	1	1	—	—	—
121	,,	चपरासी	2	2	—	—	—
122	,,	चौकीदार	3	3	—	—	—
123.	बगीचा विभाग	उद्यान प्रबन्धक	1	1	—	—	—
124.	,,	चौधरी	1	1	—	—	—
125.	,,	स० चौधरी	2	1	1	—	श्री मोती/पूरा
126.	,,	भिश्ती	1	1	—	—	—
127.	,,	माली	48	42	—	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			स्थायी/अस्थायी					
128.	बगीचा विभाग	चौकीदार	12	9	—	3	—	
129.	,,	हरिजन	4	3	—	1	—	
130.	फायर विभाग	दम० अधिकारी	1	1	—	–	—	
131.	,,	सहा० दम० अधि०	1	1	—	—	—	
132.	,,	लिडिंग फायर मैन	4	2	1	1	1. श्री सीयाराम	7/8/80
133.	,,	क० लिपिक	1	—	1	-	1. श्री दीना लाल	1/2/73
134.	,,	फायर ड्राईवर	9	5	3	1	1. ,, पांचूलाल	23/4/80
							2. ,, केसरसिंह	24/4/80
							3. ,, दयाल राम	23/4/80
134.	,,	फायर मैन	24	15	8	1	1. ,, छोटे लाल	2/12/79
							2. ,, चन्दर किशोर	4/12/79
							3. ,, केशवनाथ	24/4/80

1	2	3	4	5	6	7	8	
			स्थायी/अस्थायी					
							4. ,, बाबूलाल/कजोड़	14/5/80
							5. ,, खूम सिंह	13/7/81
							6. ,, मोहनदास	13/7/81
							7. ,, ओम प्रकाश	13/7/81
							8. भंवर लाल	14/7/81
136.	,,	क्लीनर	1 —	—	1	क्लीनर का रिक्त पद कार्यालय आदेश सं. 714 दि. 27-2-82 द्वारा भरा जा चुका है।	—	
137.	रोशनी विभाग	सहायक अभियन्ता (कनिष्ठ)	1 —	—	1		—	
138.	,,	रोशनी निरीक्षक	1 —	—	1		—	
139.	,,	सहायक रोशनी निरीक्षक	6 5	1	–		—	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			स्थाई/अस्थाई					
140.	रोशनी विभाग	चपरासी	1	—	1	–	1. श्री घीसूलाल	
141.	,,	हैल्पर आर०एस०ई०बी० से (प्रतिनियुक्ति पर)	10	4	—	6	—	
152.	कानून विभाग	ला आफिसर	1	—	—	1	1. ,, हव्वा सिंह	20/2/80
143.	,,	पैरोकार (प्रथम)	1	—	1	–	1. ,, हव्वा सिंह	
144.	,,	अभिभाषक	2 (पार्ट टाईम)	2	—	–	—	
145.	,,	क० लिपिक	3	3	—	–	—	
146.	,,	प्रो० सरवर	3	2	—	1	—	
147.	,,	चपरासी	3	3	—	–	—	
148.	रोड गैंग	मैसन	9	6	1	2	1. ,, दयाराम	1/8/67

1	2	3	4		5	6	7	8	
			स्थायी/अस्थायी						
149.	रोड गैंग	मैट	9	3	—	6			
150.	,,	जमादार	1	-	—	1			
151.	,,	बेलदार	70	50	4	16	बेलदारों के 16 रिक्त पदों पर राज्य सरकार के परिपत्रानुसार जिन व्यक्तियों ने 240 कार्य-दिवस पूर्ण कर लिए हैं कार्यालय आदेश सं 713 दि. 27-2-82 द्वारा नियमित किया जा चुका है।	1. ,, हरजी राम 2. ,, मोहनलाल 3. ,, राधेश्याम 4. श्रीमति सोहनी देवी	24/9/78 25/10/78 25/9/78 15/10/81
152.	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	71	52	15	4		1. जमना/मोतीलाल 2. जगदीश/कालू 3. सन्तराम/मोहन	11/12/81 ,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	
			स्थायी/अस्थायी					
152.	स्वस्थ्य विभाग	भिस्ती	71 X	52	15	4	4. कमला/श्यामलाल	1-12-81
							5. किरण/सज्जन	,,
							6. रामदयाल/रामपाल	,,
							7. प्रेम/मालदास	,,
							8. भगवानदेवी/शंकर	,,
							9. सरस्वती/चान्द	,,
							10. लाड़ू/किशन	,,
							11. जुम्मन/गिरधारी	,,
							12. चन्दो/रामस्वरूप	,,
							13. किरण/मदन	,,
							14. गेन्दी/घासी	2-12-81
							15. बसन्ती/लल्लू	,,
							16. मीरा/मनोहर	1-12-81
							17. कंचन/बंशी	,,
							18. चंदो/फकीरा	,,
							19. कोकी/मुन्ना	,,
							20. शारदा/भगवान दास	,,
							21. सुशीला/इतवारी	,,

1	2	3	4	5	6	7		8	
152.	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	स्थायी/अस्थायी 71	X	52	15	4	22. रुकमा/हीरालाल	1-12-81
								23. भैंरू/छीतर	,,
								24. तारा/प्रेम	,,
								25. सन्तोष/जोहरी	,,
								26. अन्नो/रामदास	,,
								27. नोतरी/प्रहलाद	,,
								28. बिदामी/ताराचन्द	,,
								29. पार्वती/प्रहलाद	,,
								30. मुन्नी/नाथू	,,
								31. विमला/मालीराम	,,
								32. सुशीला/गोपाल	,,
								33. इतवारी/अजमेरी	,,
								34 श्यामा/भंवरलाल	,,
								35. शान्ति/भंवरलाल	,,
								36. ताराचन्द/रामपाल	,,
								37 शान्ति/बाबूलाल	,,
								38. चंपा/नन्दलाल	,,
								39. अन्नू/मदन	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	
162	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	स्थाई/अस्थाई 71 X	53	15	4	40. कमला/नाथू	1-12-81
							41. प्रेम/श्यामूलाल	,,
							42. ,, ग्यारसी/बाबलाल	,,
							43. शान्ती/लालचन्द	,,
							44. रामदेव/पांचू	,,
							45. लक्ष्मी/साधुराम	,,
							46. विद्या/किशनलाल	,,
							47. कमला/मंगल	,,
							48. सोनी/प्रसादी	,,
							49. लालचन्द/पूनमचन्द	,,
							50. भंवरी/रामा	,,
							51. मुन्नी/बदरी	,,
							52. सोहन/नन्दकिशोर	,,
							53. कजोड़/मूला	,,
							54. कमला/मुवा	,,
							55. सुशीला/गोरधन	,,
							56. मुन्ना/भैरू	,,
							57. छोटी/वंशी	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	स्वास्थ्य विश्राम	भिस्ती	स्थायी/अस्थायी 71	X	75	15	4
							58. रमेश/मनोहर 1-12-81
							59. राधाकिशन/ब्रजमोहन ,,
							60. निर्मला/गोविन्द ,,
							61. पताशी/राधाकिशन ,,
							62. कमला/छगन ,,
							63. सुरेश/बुद्धा ,,
							64. नोरत/शंकर ,,
							65. रामप्यारी/भंवरलाल ,,
							66. लाला/नाथू ,,
							67. नोरत/मन्नाराम ,,
							68. रतना/छगनदास ,,
							69. गुलाबी/कल्लू ,,
							70. सीता/बुद्धाराम ,,
							71. बिरामी/किशन ,,
							72. लक्ष्मी/मन्नालाल ,,
							73. सन्तोष/मोहन ,,
							74. रुकमणी/बन्ना ,,
							75. चांद/प्रभाती ,,

1	2	3	4	5	6	7	8		
			स्थायी/अस्थायी						
152.	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	71 X	52	15	4	76.	नारायणी/सुवा	1-12-81
							77.	विमला/मुन्नीराम	,,
							78.	शान्ती/जगदीश	,,
							79.	चन्दो/अमरचंद	,,
							80.	इन्दर/कालू	,,
							81.	सूरेश/रामपाल	,,
							82.	ओमप्रकाश/सज्जन	,,
							83.	सन्तोष/गुरुचरण	,,
							84.	कमला/रामचन्द	,,
							85.	छोटी/सुरेश	,,
							86.	भंवरी/बाबूलाल	,,
							87.	कंचन/भूरा	,,
							88.	माला/छोटिया	,,
							89.	नारेत/लक्ष्मण	,,
							90.	मुन्नी/मक्खन	,,
							91.	विमला/सेवाराम	,,
							92.	संपत/मिठू	2-12-81
							93.	मुन्नी/मगतू	1-12-81
							94.	साविली/पारस	,,

1	2	3	4 स्थाई/अस्थाई	5	6	7	8	
162	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	71 / X	53	15	4	95. सीता/कालू	1-12-81
							96. शान्ती/बुद्धा	,,
							97. विरदी/देवीलाल	,,
							98. गुलाबी/बाबूलाल	,,
							99. कमला/रामदेव	,,
							100. सोनी/नानगा	,,
							101. प्रकाश/बदरी	,,
							102. सीता/अमरचन्द	,,
							103. शान्ती/सन्नू	,,
							104. रुकमा/घीसा	,,
							105. अनोपी/बालूराम	,,
							106. विमला/कालू	,,
							107. दीपचन्द/नन्नू	,,
							108. घीसा/नन्दलाल	,,
							109. मदन/मोडू	,,
							110. विमला/लालचन्द	,,
							111. शान्ती/लाला	,,
							112. मोहनी/मोहन	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	
152.	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	स्थायी/अस्थायी 71 X	52	15	4	11[illegible]. गोपाल/कल्या	1-12-81
							114. माया/भंवरलाल	"
							115. ओमवती/ताराचन्द	"
							116. किशन/घीसा	"
							117. सन्नी/हीरा	"
							118. रमेश/फकीरचंद	"
							119. सुशीला/रामदयाल	"
							120. भंवर/कालू	"
							121. बिहारी/श्यामलाल	"
							122. रामलाल/भोमा	"
							123. मुन्नी/नारायण	"
							124. मदन/गोपी	"
							125. शान्ती/कजोड	"
							126. कमला/नोरत	"
							127. पैम/ईश्वरदास	"
							128. बुद्धा/देबू	"
							129. बाबू/मूला	"
							130. शिवराज/बुद्धा	"
							131. गीता/नत्थू	"

(95)

1	2	3	4	5	6	7		8	
			स्थायी/अस्थायी						
152.	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	71	X	52	15	4	132. जगदीश/काना	1-12-81
								133. दिलिप/रामा	"
								134. नोरत/पांचू	"
								135. गोपाल/बन्ना	"
								136. शीला/रमेश	"
								137. शान्ती/प्रभू	"
								138. लादी/मगना	"
								139. अमरचन्द/पूनमचन्द	"
								140. पूरण/बाबू	"
								141. मोहन/सन्नू	"
								142. छोटी/श्याममाल	"
								143. पूरण/रामजीलाल	"
								144. रामदेव/रामपाल	"
								145. मुन्ना/भिकन	"
								146. पारस/पूनमचन्द	"
								147. सुन्दरी/कन्हैया	"
								148. मुन्ना/रामप्रसाद	"
								149. कन्हैया/कच्छी	"

1	2	3	4		5	6	7	•	8	
			स्थायी	अस्थायी						
152.	स्वस्थ्य विभाग	भिस्ती	71	X	52	15	4	150.	गीता/चांद	1-12-81
								151.	मैना/सोहन•	"
								152.	आनन्द/मोहनलाल	"
								153.	कमला/फकीरचन्द	"
								154.	फकीरचन्द/छोटेलाल	"
								155.	जसवन्त/मिठू	"
								146.	सन्तोष/पून्या	"
								157.	महेश/रामदीन	"
								158.	मोहन/भाण	"
								159.	शिवप्रसाद/लीलाराम	"
								160.	मिठू/शंकर	"
								161.	संपत/मोती	"
								162.	सुन्दरदास/अजमेरी	"
								163.	शान्ती/नारायण	"
								164.	सोहनी/पूरण	"
								165.	दिलीप/रामकिशन	"
								166.	नर्मदा/रमेश	"
								167.	अनूप/रामा	"

1	2	3	4	5	6	7		8		
			स्थायी/अस्थायी							
153.	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	71	X	75	15	4	168.	प्रहलाद/देवाराम	1-12-81
								169.	राजेन्द्र/पीरबक्स	,,
								170.	पूरण/सुगनचन्द	,,
								171.	कालू/चोयू	,,
								172.	कमला/राधाकिशन	,,
								173.	सत्यनारायण/ताराचन्द	,,
								174.	विजेन्द्र/लक्ष्मीनारायण	,,
								175.	शीला/बाबूलाल	,,
								176.	लाली/बाबूलाल	,,
								177.	नोरती/ताराचन्द	,,
								178.	प्रकाश/रामदीन	,,
								179.	हनुमानप्रसाद/भगवती	,,
								180.	सावित्री/किशन	,,
								181.	चरण/मोतीराम	,,
								182.	सुरेश/रामदेव	,,
								193.	गुरमुख/हसमुख	,,
								184.	शिवलाल/प्यारेलाल	,,
								185.	रामजीलाल/रामपाल	,,

1	2	3	4	5	6	7		8		
				स्थायी/अस्थायी						
152.	स्वास्थ्य विभाग	मिस्त्री	71	X	52	15	4	186.	पन्ना/घीसा	1-21-81
								187.	जग्गो/नन्दलाल	,,
								188.	कान्ता/रामप्रसाद	,,
								189.	बिदामी/रामदयाल	,,
								190.	रमेश/छोटू	,,
								191.	गुलाबी/कल्याण	,,
								192.	छोटी/प्रकाश	,,
								193.	विद्या/भागचन्द	,,
								194.	कमला/लाला	,,
								195.	सन्नू/रामकिशन	,,
								196.	ताराचन्द/घीसा	,,
								197.	समस्वरूप/सुक्खा	,,
								198.	भगवती/रमेश	,,
								199.	शान्ती/गोरधन	,,
								200.	तारा/हरिशचन्द्र	,,
								201.	गोरा/जुम्मन	,,
								202.	शान्ती/प्रेम	,,
								203.	फूला/माधु	,,

1	2	3	4	5	6	7	8		
162	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	स्थाई/अस्थाई 71 X	53	15	4	204.	भारती/मदन	1-12-81
							205.	कमला/नोरत	,,
							206.	छोटी/रामचन्द्र	,,
							207.	जुम्मन/बेठू	,,
							208.	कमला/सीताराम	2-12-81
							209.	छोटी/चन्दर	1-12-82
							210.	सन्नू/नारायण	,,
							211.	बन्नो/हरी	,,
							212.	नारंगी/गोपाल	,,
							213.	रामप्यारी/परतू	,,
							214.	कमला/शिशपाल	,,
							215.	चेतन/अजमेरी	,,
							216.	सरोज/मोहनलाल	,,
							217.	गीता/मोहन	,,
							218.	चिड़िया/मोहन	,,
							219.	राजू/व्रजमोहन	,,
							220.	रामदेव/प्यारेलाल	,,
							221.	सुरेश/पन्नालाल	,,

1	2	3	4	5	6	7	8		
				स्थायी/अस्थायी					
152.	स्वसाथ्य विभाग	भिस्ती	71	X	52	15	4	222. नोरत/छोटू	1-12-81
								223. भागचन्द/बीसा	,,
								224. इतवारी/बालू	,,
								225. कालू/माल्या	,,
								226. लालचन्द/अजमेरी	,,
								227. चांद/सोहन	,,
								228. वक्षी/प्रभू	,,
								229. सुरेश/पताश	,,
								230. कालू/हनुमान	,,
								231. बिरदीचन्द/भैरू	,,
								232. कैलाश/मदन	,,
								233. किशन/कल्लू	,,
								234, मंगल/भागीरथ	,,
								235. मंगल/मोती	,,
								236. चन्दकरण/परमा	,,
								237. पूरण/लालाराम	,,
								238. शान्ती/कालू	,,
								239. सुरेश/हनुमान	,,

201

1	2	3	4	5	6	7	8		
153.	स्वास्थ्य विभाग	भिस्ती	स्थायी/अस्थायी 71 X	75	15	4	240.	रामप्यारी/प्रकाश	1-12-81
							241.	रतनी/मदनलाल	1-2-82
							242.	चन्दो/मदनलाल	,,
							243.	मुन्नी/लेखराज	,,
							244.	रामी/ब्रजमोहन	28-1-82
							245.	सज्जन/रामेश्वर	29-1-82
							246.	जमना/सुगनचन्द	2-12-81
							247.	नन्दू/जगन्नाथ	,,
							248.	पांची/रामपाल	,,
							249.	शिवचरण/बाबूलाल	,,
							250.	शान्ती/मंगलचन्द	3-12-81
							251.	लक्ष्मी/प्रेमचन्द	,,
							252.	अब्दुलरहमान/याकुब	28-1-82
							253.	माणकचन्द/मदनलाल	,,
							254.	सीताराम/लक्ष्मीनारायण	,,
							255.	रामचन्द्र/लाडीकदास	25-1-82
							256.	हनुमानप्रसाद/भगवतीप्रसाद	28-1-82

1	2	3	4		5	6	7	8
								257. रामप्रसाद/मोहनलाल 27-1-82
								258. श्री सिकन्दर/खैराती 26-2-82
								259. ,, बाबूखां/अब्दुला ,,
								260. ,, अशोक/अमरुमल ,,
								261. ,, सुन्दर/गेहीमल ,,
								262. ,, हरीप्रकाश/ताराचन्द ,,
								263. ,, मदनलाल/रामविलास ,,
								264. ,, कालूराम/छगमा ,,
								265. ,, रामदेव/चोथूराम ,,
								266. ,, मोहन/नेनूमल ,,
153.	,,	हरीजन	1075	,,	810	251	14	—
154.	,,	स्टैम्पर	2	,,	2	—	—	—
			1148	X	864	266	18	
					1130			

विशेष :—नालों की सफाई के लिये 200 व्यक्ति दैनिक भत्ते पर गत माह में ही लगाये गये हैं इस प्रकार वर्तमान में 1330 व्यक्ति सफाई कार्य में रत हैं ।

(2040)

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राजस्थान नहर के निर्माण के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य

358. श्रीरामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1980-81 व 1981-82 के लिए राजस्थान नहर पर कितना कितना और किस-किस प्रकार का और कितनी-कितनी लागत का कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? कृपया विवरणात्मक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इस निर्धारित कार्य में से कितना-कितना कार्य सम्पन्न हुआ और वर्ष के अन्त तक कितने-कितने कार्य के सम्पन्न होने की आशा है ?

(3) निर्धारित कार्य में जो कमी रही उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में क्रमशः 21.00 करोड़ रुपये एवं 29.50 करोड़ रुपये की राशि परियोजना कार्यों के लिये आवण्टित की गई थी। इन दोनों वर्षों में इस राशि के आधार पर निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की सूचना संलग्न तालिका "अ" में दिखाई गई गई है।

(2) सूचना संलग्न तालिका "अ" में दिखाई गई है। वर्ष 81-82 में निर्धारित लक्ष्य पूरे कर दिये जावेंगे।

(3) वर्ष 80-81 में केवल लाईनिंग के कार्यों में मामूली कमी रही जिसका मूल कारण समुचित मात्रा में कोयले की ढुलाई के लिये रेल गाड़ियों का उपलब्ध न होना था।

वर्ष 1981-82 में निर्धारित लक्ष्य लगभग पूरे कर लिये जावेंगे।

राजस्थान नहर परियोजना

		1980–81		1981–82	
आईटम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि जनवरी, 82 तक
1	2	3	4	5	6
प्रथम चरण					
(अ) वितरण प्रणाली					
(I) कि० मी० 0 से 74 तक					
मिट्टी का कार्य	लाख घन फुट	—	—	23	6
लाईनिंग	कि० मी०	30.00	29.00	30.00	9.68
(II) कि० मी० 74 से 189					
पूगल शाखा प्रणाली					
मिट्टी का कार्य	लाख घन फुट	64	64	मार्च 81 तक कार्य पूरा हो गया	
लाईनिंग	कि० मी०	28.70	29.00	27.14	19.04

(205)

1	2	3	4	5	6
(ब) लिफ्ट नहर पर कार्य					
(अ) पम्पिंग स्टेशन नं० 4 तक					
पक्के खाले	कि० मी०	48.00	55.00	40.00	15.52
(ब) पम्पिंग स्टेशन नं 4 के नीचे वितरक प्रणाली					
मिट्टी का कार्य	लाख घन फुट	—	—	105	—
लाईनिंग	कि० मी०	—	—	10.00	—
2. पक्के खाले	कि० मी०	—	—	10.00	—
द्वितीय चरण					
(1) राजस्थान मुख्य नहर।					
मिट्टी का कार्य	लाख घन फुट	2000	2110	1600	571
लाईनिंग	कि० मी०	10.00	9.76	30.00	12.73

1	2	3	4	5	6
(2) वितरक प्रणाली					
मिट्टी का कार्य	लाख घन फुट	1400	1497	1600	739
लाईनिंग	कि० मी०	27.65	31.35	55.00	12.80
(3) वाटर सप्लाई चैनल					
मिट्टी का कार्य	लाख घन फुट	1600	1810	2200	1162
लाईनिंग	कि० मी०	15.00	—	29.00	23.19

Page No 308

खनिज विभाग की रेन्ट व रॉयल्टी की बकाया

359. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के खनिज विभाग की रेंट, रॉयल्टी आदि मदों में दिनांक 1-4-1981 से पूर्व की कुल कितनी पुरानी बाकियात चली आ रही हैं ?

(2) यह बाकियात रहने के सामान्यतया क्या कारण हैं ?

(3) यह बाकियात किन-किन पट्टेधारियों से कब-कब से चली आ रही है ?

(4) इस बाकियात को वसूल करने हेतु राज्य सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1/4/81 से पूर्व रेन्ट एवं रायल्टी के रूप में कुल 1,92,93,-797/-रु. की राशि बकाया थी।

(2) बकाया रहने का प्रमुख कारण पट्टाधारियों द्वारा समय-समय पर देय राशि जमा न कराना है बकाया राशि में से 38% केवल मैं. जयपुर उद्योग लि, सवाई माधोपुर में बाकी है, जिसे राजस्थान-सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम के अन्तर्गत दि. 30/6/82 तक सहायता उपक्रम घोषित किया गया है। शेष राशि की बकाया वसूली में देरी का कारण मुख्यतया न्यायालयों व केन्द्रीय सरकार से बाकीदारों द्वारा स्थगन-आदेश प्राप्त करना, बाकीदारों के नाम सम्पत्ति, जिसकी कुर्की की जाकर बकाया रकम वसूल की जा सकती हो, न होना तथा बाकीदारों की सम्पत्ति राजस्थान से बाहर होने के कारण भू राजस्व नियमों के अन्तर्गत वसूली न हो सकना है।

(3) बकाया वर्ष 1950-51 से चली आ रही है, जैसाकि संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(4) बकाया की वसूली शीघ्र व प्रभावी रूप से हो सके इसके लिये सरकार ने खनिज अभियन्ताओं व सहायक खनि अभियन्ताओं को भू राजस्व नियम के अन्तर्गत वसूली के अधिकार प्रदत्त किये हैं। उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर में चल रहे मामलों में समय पर समुचित कार्यवाही करने हेतु खनि अभियन्ताओं (रिट्स) के दो पद सृजित हैं।

परिशिष्ट क

दिनांक 31-3-81 को शेष रही बकाया का वर्ष वार विभाजन ।

वर्ष	बकाया राशि (अंक लाखों में)
50-51 से	
73-74 तक	रु० 40·95
74-75	रु० 7·91
75-76	रु० 12·86
76-77	रु० 17·81
77-78	रु० 15·41
78-79	रु० 46·26
79-80	रु० 13·64
80-81	रु० 38·10
रुपया	192·94 लाख

भवानी मंडी नगरपालिका क्षेत्र की सड़कें

360. श्री बाल चन्द्र आर्य वीर (हणे) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भवानी मंडी नगरपालिका क्षेत्र की डामर की सड़कों की हालत खराब है ?

(2) क्या यह सही है कि सड़कों की हालत खराब होने के कारण यह है कि इनके निर्माण के समय इन पर डामर अपेक्षित मात्रा में नहीं बिछाया गया था ? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(218)

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा रख रखाव की सड़कों की हालत सन्तोषजनक है।

(2) जी नहीं। सड़क निर्माण के समय डामर की मात्रा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही प्रयोग की गयी थी।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा दर्ज मामलों में कार्यवाही

361. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में कितने केसेज रजिस्टर किये गये ?

(2) कितने केसेज में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये ?

(3) क्या सरकार ने विभाग द्वारा चालान किये गये कुछ केसेज न्यायालय से वापिस लिए हैं ? यदि हो, तो कृपया उनकी कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में कुल 77 अपराध पंजीबद्ध हुए।

(2) उपरोक्त अवधि में 47 मामलों चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

(3) जी नहीं। कोई केस वापस नहीं लिया है। केवल एक अभियोग संख्या 3/79 के 10 अभियुक्तों के नाम भ्रष्टाचार के आरोप न होने के कारण अभियोग में वापस लिये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

न्यायालय से वापस लिये गये अभियुक्तों की सूची

(1) श्री राजेन्द्र कुमार यादव, क० लि०
(2) ,, रामावतार भारद्वाज
(3) ,, चन्द्रसिंह, व० लि०
(4) ,, महमूद खां
(5) ,, ग्यारसी लाल
(6) ,, जगदीश प्रसाद वर्मा, टाइपिस्ट
(7) ,, भवानी प्रसाद, पी०ए०
(8) ,, गोविन्द कुमार एहलानी
(9) ,, सीताराम
(10) ,, पी. के. अवस्थी।

बून्दी जिले में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

362. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं तथा किस-किस श्रेणी के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बून्दी के अधिकांश चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने चिकित्सालय हैं ? ऐसे चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी में 3 अस्पताल, 13 डिस्पेन्सरी व 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। श्रेणीवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) एक डिस्पेन्सरी को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर डाक्टर कार्यरत हैं।

(3) यथाशीघ्र ही व्यवस्था हो जावे, ऐसा प्रयत्न है।

२१२

जिला बून्दी की श्रेणी के अनुसार चिकित्सा संस्थाएं

संस्थाएं			रोगी शैयाएं	श्रेणी
अस्पताल	1.	सामान्य चिकित्सालय, बून्दी	150	द्वितीय
	2.	सामान्य चिकित्सालय नैनवा	20	पंचम
	3.	टी.बी. क्लीनिक बून्दी	10	छठी
डिस्पेंसरी	1.	लाखेरी		
	2.	केशोराय पाटन	4	
	3.	बासी		
	4.	गोठडा		
	5.	जवाहर सागर डेम		
	6.	खटकड		
	7.	डाबी		
	8.	बडा नया गांव		
	9.	जजावर		
	10.	अलोद		
	11.	करवर		
	12.	बडाखेड़ा		
	13.	देही खेड़ा (स्टाफ अभी स्वीकृत नहीं)		
प्रा.स्वा.के.	1.	तालेड़ा	6 रोगी शैयाएं	
	2.	हिन्डोली	6 रोगी शैयाएं	
	3.	कापरेन	6 रोगी शैयाएं	
	4.	देही	6 रोगी शैयाएं	
कुल :	19			

बेगूं (चित्तौड़गढ़) में सीमेन्ट उद्योग लगाने की सम्भावना

363. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उप खण्ड में चूने का पत्थर विद्यमान है ?

(2) यदि हां, तो किस क्षेत्र में एवं कितने क्षेत्रफल में ?

(3) उपलब्ध भंडार के आधार पर कितने सीमेंट के कारखाने लगाये जा सकते हैं ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखण्ड में चूना-पत्थर उपलब्ध है।

(2) चूना पत्थर के भण्डार बेगूं उपखण्ड के ग्राम पारसोली, बीघोर, रामनगर, काट्ण्डा, मानना, मागनियावास, बेला, सामरिया, में लगभग 20 व0कि0 क्षेत्र में पाये जाते हैं।

(3) इस क्षेत्र में विभाग द्वारा किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण द्वारा 150 मिलियन टन सीमेन्ट ग्रेड चूना पत्थर के भन्डार उपलब्ध होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में दो सीमेन्ट के बड़े कारखाने लगाया जाना सम्भव है।

ग्राम पंचायत अमलावद (प्रतापगढ़) की चरनोट की भूमि का बेचान

364. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अमलावद की चरनोट की कुछ भूमि नगरपालिका प्रतापगढ़ ने प्लाट, काट कर बेच दी है ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि नगरपालिका द्वारा जो बेचान किया गया है, वह अवैध है ?

(3) बेची गयी भूमि के कारण ग्राम अमलावद को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा बेची गई उक्त भूमि काफी कम कीमत पर बेची गई है जबकि भू-खण्डों की कीमत काफी अधिक है ?

(4) क्या राज्य सरकार नगरपालिका द्वारा बेची गई जमीन को वापस पंचायत अमलावद को सौंपने अथवा बेची गई भूमि की राशि पंचायत को लौटाने का निर्देश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत अमलावद के ग्राम रघुनाथपुरा की चरनोट की भूमि जो नगरपालिक प्रतापगढ़ क्षेत्र में सम्मिलित है,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जिसके प्लाट काटकर पालिका ने विक्रय की। यह भूमि चरनोट की होने के कारण पालिका इसे भू-खण्ड काट कर विक्रय नहीं कर सकती थी, लेकिन 8–9–80 को सम्बन्धित भूमि राज्य सरकार द्वारा चरनोट से खारिज करदी गई।

(3) ग्राम पंचायत अमलावद की यह भूमि नहीं थी, अतः उसे कोई भुगतान नहीं किया गया। यह सही नहीं है कि नगर-पालिका द्वारा भूमि काफी कम कीमत पर वेची गई हो क्योंकि भू-खण्ड नीलाम द्वारा विक्रय किये गये थे तथा नजूल से कई गुना अधिक कीमत प्राप्त हुई है।

(4) जी नहीं।

ग्राम गावड़ी (सिकराय) में प्राप्त गढ़ा हुआ धन

365. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मन्डी) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम गावड़ी तहसील सिकराय के नाथू-घासी की पुरानी बस्ती में हल चलाते समय सोना और चांदी से भरा हुआ एक मटका मिला था, जिसकी ग्रामवासियों ने सूचना पुलिस थाना मानपुर (जयपुर) को दी थी? यदि हां, तो कब?

(2) इस मामले में पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह सही है की उस माल को गायब कर दिया गया है? यदि हां, तो किसने किया तथा क्या सरकार उक्त माल बरामद करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

चितलवाना (जालोर) के डाक्टर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच

366. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डिस्पेंसरी चीतलवाना, जिला जालौर के डॉक्टर के विरुद्ध एक मजरुब की इंजरी रिपोर्ट में गड़बड़ घोटाला करने के बारे में मजरुब द्वारा शिकायतें की गई थी? अगर हां, तो कब एवं उसके बारे में डॉक्टर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा सत्र 1981 में श्री राम रघुनाथ एवं श्री मान सिंह देवड़ा विधायकों द्वारा अतः प्रश्न सं. 102 पूछे जाने पर सरकार द्वारा जवाब दिया गया था कि उक्त शिकायत निदेशक, चिकित्सा विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा

215

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

अधिकारी, जालोर को दिनांक 6 फरवरी, 1981 को जांच हेतु भेजी गई है ? अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इतनी गंभीर शिकायतों के बावजूद भी उक्त डॉक्टर अभी एक चितलवाना डिस्पेंसरी में कार्यरत है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार दरमियान जांच उनको उक्त स्थान से हटाना उचित समझेगी ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब सरकार उक्त शिकायतों के बारे में कब तक जांच रिपोर्ट मंगवाकर उक्त डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही कर देगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि जालोर पुलिस ने भी उक्त डॉक्टर के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया है ? यदि हां, तो कब एवं उसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है ?

उत्तर

जी हां। शिकायत दिनांक 2-1-81 को प्राप्त हुई थी। विषयान्तर्गत जांच करने हेतु दिनांक 6-2-81 को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच प्रतिवेदन दिनांक 7-4-81 को प्राप्त हुआ जिसमें डाक्टर के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट से आरोप सिद्ध नहीं हुए।

(3) शिकायत के आरोप सिद्ध नहीं हुए अतः वहीं कार्यरत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) जांच पूर्ण हो चुकी है। आरोप सिद्ध नहीं हुए। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(5) पुलिस द्वारा विभाग से इस विषय में आग्रह नहीं किया।

मोहनपुरा तथा इन्द्रगढ़ (कोटा) में उपलब्ध लोहे तथा ताम्बे के भण्डारों का उत्खनन

367. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ में मोहनपुरा तथा इन्द्रगढ़ की पहाड़ियों में अपार लोहे तथा तांबे के भण्डार हैं ?

(2) यदि हां, तो इस खनिज को प्राप्त करने हेतु अब तक क्या प्रयास किया गया है तथा किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में व्याप्त अपार खनिज की जांच कर इसके उपयोग हेतु प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) इन्द्रगढ़ नायब तहसील में इन्द्रगढ़ व मोहनपुरा ग्रामों के पास लोहे तथा तांबे के अपार भण्डार नहीं पाये गये हैं। सिर्फ एक पतली लोह अयस्क की धारी का होना पाया गया है। ताम्र खनिज के कोई भी चिन्ह नहीं पाये गये हैं।

(2) इस क्षेत्र में लोह अयस्क के भण्डारों के पूर्वेक्षण हेतु राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्व में किया जा चुका है। जिसके फलस्वरूप लोह अयस्क की पतली धारी (थीन वेन) मिली हैं जो कि करीब 200 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी है। उक्त धारी से कुछ नमूने एकत्रित किये गए हैं जिनमें आइरन ऑक्साइड की मात्रा करीब 58 प्रतिशत तक पाई गई है जो कि निम्न श्रेणी में आता है।

(3) प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप लोह अयस्क निम्न श्रेणी का तथा कम मात्रा में होने के कारण आर्थिक दृष्टि से उत्खनन के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इस क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले में भूतपूर्व जोधपुर रियासत की नगरपालिकाएं

368. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में भूतपूर्व जोधपुर रियासत (मारवाड़) में कौन-कौन सी नगरपालिकाएं थीं ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में दर्ज नगरपालिकाओं को कब कब कायम किया गया व इसकी विज्ञप्ति कब प्रकाशित की गई ? कृपया विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग (1) में बताई नगरपालिकाओं की सीमायें क्या-क्या हैं? कृपया उनकी सीमाओं के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व रियासत जोधपुर (मारवाड़) के समय में तीन नगरपालिकाएं पाली, सोजत व बाली थीं।

(2) पाली नगरपालिका की स्थापना 1908 में, नगरपालिका सोजत की स्थापना 1915 एवं नगरपालिका बाली की स्थापना 1940 में हुई थी।

(3) भूतपूर्व रियासत के समय का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने का कारण सीमाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है।

कास्टिक सोडे के कारखाने

369. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूसिंह)

(1) राज्य में कॉस्टिक सोडा के कारखाने लगाने हेतु सरकार ने केन्द्र को कहां-कहां के लिये कब-कब प्रस्ताव भेजे हैं ?

(2) उन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

(3) क्या ये कॉस्टिक सोडा के कारखानें निकट भविष्य में लगाये जा रहे हैं ?

(4) यदि हां, तो कहां व कब तक ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कॉस्टिक सोडे के कारखाने लगाने हेतु केन्द्र को भेजे गये प्रस्ताव के विवरण की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रस्तावों पर हुई प्रतिक्रिया के विवरण की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। कॉस्टिक सोडे के कारखाने की स्थापना संबंधी प्रगति विवरण की सूची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रश्न भाग (3) के उत्तर में उल्लिखित सूची (स) में वांछित सूचना अंकित है।

(218)

सूची 'अ'

राजस्थान में कास्टिक सोडे के कारखाने लगाने हेतु निम्नलिखित इकाइयों के निम्न स्थानों के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं:–

क्र. सं.	इकाई का नाम	स्थान	केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का दिनांक
1.	मैसर्स श्रीराम केमिकल्स इण्ड०	कोटा	27-4-1971
2.	मैसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	अलवर	4-5-1977
3.	मैसर्स नाभा इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि.	धौलपुर (भरतपुर)	19-12-1980
4.	मैसर्स सांभर साल्ट लि.	सांभर (जयपुर) या आबू (सिरोही)	20-1-1981

———

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982 परिशिष्ट

सूची 'ब'

केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त (सूची 'अ') के प्रस्तावों पर हुई प्रतिक्रिया का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया
1.	मैसर्स श्रीराम केमिकल्स	मैसर्स श्रीराम केमिकल इण्डस्ट्रीज को कास्टिक सोडा का कारखाना लगाने हेतु दिनांक 20-12-73 को आशय पत्र जारी किया गया था, जिसे दिनांक 5-1-1980 को लाइसेन्स में परिवर्तित किया गया है।
2.	मैसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	मैसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि. को कास्टिक सोडा का कारखाना लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्थान परिवर्तन भटिण्डा (पंजाब) से अलवर (राजस्थान) की अनुमति दिनांक 7-12-1979 को प्रदान की गई है।
3.	मैसर्स नाभा इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	केन्द्र सरकार द्वारा मैसर्स नाभा इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. के आवेदन को दिनांक 17-2-1981 को प्राइमाफेसी निरस्त कर दिया गया।
4.	मैसर्स सांभर साल्ट्स लि.	मैसर्स सांभर साल्ट्स लि. को कास्टिक सोडा का कारखाना लगाने हेतु आशय पत्र दिनांक 31-3-1981 को जारी किया गया।

220

सूची 'स'

कास्टिक सोडा के कारखाने निकट भविष्य में लगाने की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम	निकट भविष्य में लगाने के बारे में विवरण
1.	मैसर्स श्रीराम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज	कम्पनी द्वारा कोटा में कास्टिक सोडे के कारखाने का उत्पादन वर्ष 1983 के तीसरे त्रैमास तक संभावित है।
2.	मैसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स	कम्पनी द्वारा अलवर में कास्टिक सोडे का कारखाना लगाने हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य जुलाई, 82 तक पूर्ण होने की आशा है। इसके बाद शीघ्र ही उक्त कारखाने की उत्पादनरत होने की संभावना है।
3.	मैसर्स सांभर साल्ट्स लि.	यह प्लान्ट सांभर जिला जयपुर या आबू (सिरोही) में लगेगा। इकाई द्वारा उक्त उद्योग की स्थापना के लिये सांभर में पानी की उपलब्धता के लिये भौगोलिक सर्वेक्षण हेतु ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेंट को निवेदन किया है। भू-जल विभाग से उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही कम्पनी द्वारा स्थल चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

सांभर साल्ट्स

370. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी से सांभर साल्ट्स को पृथक करा कर इसका संचालन राज्य सरकार के हाथ में लेने हेतु विचार किया है? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार सन् 1974 से यह प्रयत्न कर रही है कि भारत सरकार की कम्पनी सांभर साल्ट्स के द्वारा चलाए जा रहे सांभर साल्ट स्रोत को वापस राज्य सरकार को सौंप दिया जाय। इस संबंध में सन् 1974 से राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच पत्राचार चल रहा है। इस मामले पर भारत सरकार के उद्योग मंत्री व राज्य सरकार के मुख्य मंत्री स्तर पर वार्ता भी दिनांक 4-5-81 को की गई थी।

जमवा रामगढ़ में अप्रोच सड़कों का निर्माण

371. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जमवा रामगढ़ खनिज बहुल क्षेत्र होते हुए भी आज तक सरकार ने वहां अप्रोच रोड आदि बनाने की दिशा में ध्यान क्यों नहीं दिया है ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में इस कमी को दूर करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जमवा रामगढ़ क्षेत्र में जयपुर से रायसोला तक पक्की सड़क बनी हुई है, जिससे होकर इस क्षेत्र के अधिकांश खनिज का निर्गमन होता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा नकचीघाटी से नायला तक सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है।

(2) नकची घाटी से नायला तक की सड़क पर वर्ष 77-78 से कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिस पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अन्य एप्रोच रोड बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

नगर परिषदों द्वारा किराये/आवंटन पर दिये गये भू खण्ड

372. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जीतमल जैन)

क्या यह सही है कि वर्तमान राज्य मंत्री स्वायत्त शासन विभाग के कार्यकाल में नगर परिषद जयपुर, अजमेर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा अलवर से भू-खण्ड किराये पर दिये गये हैं तथा आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को तथा किन-किन संस्थाओं को भू-खण्ड किराये पर दिये गये हैं तथा किस दर पर आवंटन किया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपरिषद अजमेर, उदयपुर, जोधपुर तथा अलवर में इस अवधि में कोई भू-खण्ड न तो किराये पर दिये गये हैं और न आवंटन किये गये हैं। नगरपरिषद जयपुर व बीकानेर द्वारा आवंटन एवं किराये पर दिये गये भू-खण्डों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(परिशिष्ट "क")

223

परिशिष्ट 'क'

नगर परिषद जयपुर

सूची आवंटित व्यक्तियों की जिनको जुलाई, 1981
के बाद आवंटन किया गया

क्र. सं.	नाम व वल्दियत	जाति	प्लाट नं. श्यामपुरी बस्ती में	
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति वसन्ती पत्नी श्री मूलचन्द	हरिजन	183	दस रु. प्रति वर्ग से
2.	श्री श्रवण लाल पु० जमना प्रसाद	,,	64	,,
3.	,, मदनलाल पु० जमना प्रसाद	,,	57	,,
4.	,, कमलादेवी पुत्री गणेश	,,	56	,,
5.	,, रामसहाय पु० छाजूराम	,,	54	,,
6.	,, चांददेवी पत्नि जुम्मा	,	34	,,
7.	,, बीदामी पत्नि काकू	,,	35	,,
8.	,, भगवानसहाय पु० कल्लू	,,	38	,,
9.	,, किशन पु० गोपी	,,	9 बी	,,
10.	,, कुशाल पु० किशन	,,	9 ए	,,
11.	,, आनन्द प्रकाश पु० सुवालाल	,,	215	,,
12.	,, श्रीमति रतनी देवी पत्नि नाथूलाल	,,	119	,,
13.	,, सीताराम पु० घन्ना	,,	272	,,
14.	,, जुम्मा पु० फूदाराम	,,	211	,,
15.	,, कन्हैयालाल पु० भोरीलाल	,,	208	,,
16.	,, छोटी लाल पु० मांगू	,,	235	,,
17.	,, छोटीलाल पु० भंवर	,,	180	,,
18.	,, रामप्रसाद पु० गुल्लाराम	,,	232	,,
19.	,, सूरज पु० भंवर	,,	196	,,
20.	,, सन्तोष पु० जमनाप्रसाद	,,	75	,,
21.	,, गोपाल पु० मन्ना	,,	191	,,
22.	,, मानाराम पु० छोटू	,,	182	,,

1	2	3	4	5
23.	श्री परसराम, कैलाश पु० रामदेव	हरिजन	194 ए	दस रु. प्र. व. से
24.	,, श्यामलाल पु० जुम्मा	,,	179	,,
25.	,, गोपाल पु० नाथू	,,	177	,,
26.	,, हेमराज पु० जमनाप्रसाद	,,	173	,,
27.	,, लड्डू — फूलचन्द	,,	174 ए	,,
28.	,, श्रवण पु० मानाराम	,,	163	,,
29.	,, लक्ष्मीनारायण पु० रामकुंवार	,,	164	,,
30.	,, मोहनलाल पु० मुकलया	,,	167	,,
31.	,, बाबूलाल पु० नाथू	,,	168	,,
32.	,, जगदीश पु० धन्ना	,,	169	,,
33.	,, बाबूलाल पु० नाथू	,,	168	,,
34.	,, मंगलराम पु० बिल्लाराम	,,	85	,,
35.	,, रमेश पु० जमनाप्रसाद	,,	84	,,
36.	,, रामस्वरूप, छोटू पु० मोती	,,	77	,,
37.	,, श्रवणकुमार पु० जमनाप्रसाद	,,	82	,,
38.	,, राधेश्याम पु० नाथूलाल	,,	80	,,
39.	,, मूलचन्द पु० किशन	,,	74	,,
40.	,, मोहनलाल पु० मूलचन्द	,,	70	,,
41.	,, सीताराम — जमनाप्रसाद	,,	72	,,
42.	,, कम्मो पत्नि कन्हैया	,,	86	,,
43.	,, गुलाबचन्द पु० लक्ष्मीनारायण	,,	89	,,
44.	श्रीमती केसर पत्नि घासीराम	,,	275	,,
45.	,, छोटी पुत्री विजयलाल	,,	53 बी	,,
46.	श्री दूरी पु० छोटालाल	,,	53 ए	,,
47.	,, लक्ष्मीनारायण पु० छोटूराम	,,	73	,,
48.	,, लड्डू पु० रामस्वरूप सिंह	,,	20	,,
49.	,, सन्तोषकुमार पु० किशोरकुमार	,,	25	,,
50.	,, ओमप्रकाश पु० छुट्टन	,,	49	,,
51.	,, लक्ष्मीनारायण पु० गणेश	,,	245 बी	,,
52.	,, मति गुलाब पत्नि गोपी	,,	207	,,
53.	,, गोरधन, प्रेमचन्द पु० जुम्मा	,,	196	,,
54.	,, रामपाल पु० नाथू	,,	184	,,

1	2	3	4	5
55.	श्री कालू पु० छुट्टन	हरिजन	203	दस रु. प्रति वर्गगज से
56.	,, बन्सी पु० केसरा	,,	88	,,
57.	,, फूलचन्द पु० घासी	,,	6	,,
58.	,, मति कमला पु० गेन्दा	,,	79	,,
59.	,, गोपाल पु० सोहन	,,	39	,,
60.	,, कैलाश पु० भोरीलाल	,,	41	,,
61.	,, सुवा पु० सेडू	,,	204	,,
62.	,, गुलाबचन्द पु० गोलूराम	,,	13 ए)	,,
	,, रामचरण पु० चोथमल	,,		,,
63.	,, गुलाबचन्द पु० गणेश	,,	245 ए	6) रु. प्रति वर्ग गज
64.	,, रामलाल पु० छोटू	,,	174	,,
65.	,, रामधन पु० बिरधा	,,	90	3) रु.
66.	,, लक्ष्मीनारायण पु० गंगू	,,	52	10) रु.
67.	,, गुलाबचन्द पु० महादेव	,,	363	,,
68.	,, बाबूलाल पु० छोटूलाल	,,	261	,,
69.	,, चौथू पु० भूरा	,,	14	,,
70.	,,मती धन्नी पत्नी सुण्ड्या	,,	76	,,
71.	,, पूरण पु० रामधन	,,	115	,,
72.	,,मती कमला पत्नी रामधन	,,	28	,,
73.	,, सुरेश पु० लक्ष्मीनारायण	,,	115	,,
74.	,, रामलाल पु० नाथू	,,	141	,,
75.	,, मोहन पु० देवीराम	,,	137	,,
76.	,, बाबू पु० होल्या	,,	136	,,
77.	,, सोहन पु० मूलचन्द	मीणा. बस्ती तोप. मीणा हजूरी	47	6) रु. प्रति

नगर परिषद्, बीकानेर

1. श्री गिरधर लाल पारीक पांच वर्ष लीज पर 368.40 पैसे वार्षिक किराये पर

राजकीय चिकित्सालय वहतूकला (अलवर)

374. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कठूमर में राजकीय चिकित्सालय वहतूकला (अलवर) खोला जा चुका है ?

(2) यदि, हां तो इस चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा प्रभारी कब से नहीं है तथा क्यों ?

(3) इस चिकित्सालय में कितना स्टाफ स्वीकृत है तथा कितना मौजूद है ?

उत्तर

(1) जी हां। 1. 1. 67 से कार्यरत है।

(2) 1. 10. 79 से पद रिक्त है। चिकित्सक की नियुक्ति कई बार करने के बाद भी उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

(3) स्वीकृत स्टाफ निम्न प्रकार है :-

चिकित्सा अधिकारी	एक
मेलनर्स श्रेणी दो	एक
नर्स दाई	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तीन

चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त अन्य सभी स्टाफ कार्यरत है।

कचरा बस्ती, जयपुर में आवंटित भू-खण्ड

375. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1979 में नगर विकास न्यास, जयपुर ने कचरा बस्ती के 77 व्यक्तियों के दावे सुनवाई कर मंजूर किये थे ? यदि हां तो, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त 77 व्यक्तियों में से 61 व्यक्तियों को आवंटन पत्र जारी कर दिये गये ? यदि हां, तो कब ? क्या उनको कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो आज तक कब्जा नहीं देने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि बाकी के 16 व्यक्तियों को अन्य बस्ती में बसाने का मामला 1979 में ही विचाराधीन था ? यदि हां, तो कहां तथा उनको अब तक भू-खण्ड आवंटित क्यों नहीं किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2 व 3) जी हां, न्यास द्वारा 61 व्यक्तियों को दिनांक 26/9/79 को आवंटन पत्र जारी किये गये। इन कच्ची बस्ती निवासियों का कब्जा पहले से ही कचरा बस्ती में है परन्तु आवंटित भूखण्डों पर विधिवत कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि बाद में न्यास द्वारा इन आवंटियों के कब्जे 1971 के पश्चात् के पाये गये जबकि सरकार ने केवल 20/8/71 तक के कब्जों को नियमित करने की ही घोषणा की थीं। अब राज्य सरकार ने 1/1/81 तक के कब्जों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिये हैं। कचरा बस्ती में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण 16 व्यक्तियों को पास ही की कच्ची बस्ती, मालियों की बगीची के सामने बसाने का मामला विचाराधीन है। अब तक भूखण्ड इसलिए आवंटन नहीं किया गया क्योंकि इन लोगों के कब्जे सन् 1971 के बाद के थे अब यह निर्णय लिया जा चुका है कि 1/1/81 तक के कब्जों को नियमित कर दिया जावे। अतः इन्हें शीघ्र ही भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

कचरा बस्ती में 77 दावेदारी की सूची

क्र० सं०	नाम एवं पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल
1	2	3	4
1.	श्रीमती रामा पत्नी श्री कन्हैयालाल	एस-1	50 वर्ग गज
2.	श्री समीउल्ला पुत्र हबीबुल्ला	एस-2	,,
3.	,, मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद युनुस	एस-3	,,
4.	,, चांद खां पुत्र श्री मसीतुल्ला	एस-4	,,
5.	,, नूर खां पुत्र मसीद खां	एस-5	,,
6.	, अब्दुल्ला पुत्र श्री अल्लू खां	एस-6	,,
7.	,, गुलाब पुत्र सुबराती	एस-7	,,
8.	,, गफ्फूर पुत्र रसूल	एस-8	,,
9.	,, मुन्नु खां पुत्र छोटे खां	एस-9	,,
10.	,,मती हमीदुन्निसा पत्नि श्री अब्दुल हयाज	एस-10	,,
11.	,,मती हबीबन पत्नी दीन मोहम्मद	एस-11	,,
12.	,, नसीर खां पुत्र श्री मिश्री खां	एस-12	,,
13.	,, गोविन्दराम पुत्र चुन्नीलाल	एस-13	,,
14.	,,मती गाली पत्नी श्री बद्री नारायण	एस-14	,,
15.	,, रामसुख पुत्र नानगराम	एस-15	,,
16.	,, प्रभू दयाल पुत्र मांगीलाल	एस-16	,,
17.	,, हनुमान पुत्र श्री रामपाल	एस-17	,,
18.	,, रामसहाय पुत्र श्री कुशलाराम	एस-18	,,
19.	,, नानगराम पुत्र श्री कुशलाराम	एस-19	,,
20.	,, राममुख पुत्र श्री रघुनाथ	एस-20	,,
21.	,, वृधी चन्द पुत्र श्री नानगराम	एस-21	,,
22.	,, जीवनराम पुत्र विशनराम	एस-22	..
23.	., मंगलाराम पुत्र श्री लालाराम	एस-23	,,
24.	,, नन्दाराम पुत्र श्री बिरधी चन्द	एस-24	,,
25.	,,मती मीरा पत्नी श्री भौंरीलाल	एस-25	,,
26.	,,मती मीता पत्नी श्री भूंथाराम	एस-26	,,
27.	,, श्री हीरालाल पुत्र ग्यारसीलाल	एस-27	,,
28.	;; हरिनारायण पुत्र श्री जीवनराम	एस:28	,,
29.	,, नानगराम पुत्र श्री मन्नाराम	एस-29	,,

1	2	3	4
30.	श्री मोहनलाल पुत्र रामदेव	एम-30	150 जवगग
31.	,, नन्हे खां पुत्र करीमबक्ष	80	83.3 वर्गगज
32.	,, नसरूद्दीन पुत्र अलाउद्दीन	81	,,
33.	,,मती आशिया पत्नि श्री मुन्ना	82	,,
34.	,, खलीलुर्रहमान पुत्र शेऊररहमान	83	,,
35.	,, जुल्फीकार अली पुत्र जान मोहम्मद	84	,,
36.	,, इनायत अली पुत्र लाला मियां	84 'ए'	,,
37.	,, मुनीर खां पुत्र श्री बजीर खां	97	,,
38.	,, बुन्दु खां पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन	98	,,
39.	,, निजामुद्दीन पुत्र इब्राहिम	99	,,
40.	,, नूर मोहम्मद पुत्र अलाद्दीन	100	,,
41.	श्री बुन्दू खां पुत्र इनायत खां	101	,,
42.	,,मती सरदार देवी रसूल बक्ष	101'ए'	,,
43.	,, बलबीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह	4'ए'	,,
44.	,, मंगलाराम पुत्र रामदेव	14	,,
45.	,, बाबूलाल पुत्र शादीलाल	5	,,
46.	,, हुसैनखां पुत्र सादुउल्ला	6	,,
47.	,,मती घपू पत्नी कल्लू खां	7	,,
48.	,, गुलाब पुत्र कालू	8	,,
49.	,, अब्दुल गफूर पुत्र छोटे खां	11	,,
50.	,, करीम खां अब्दुल शकूर	12	,,
51.	,, अज्जू खां पुत्र हमीद खां	13	,,
52.	,, अहमद खां पुत्र कल्लम खां	14	,,
53.	,, नूर मोहम्मद पुत्र पन्ने खां	15	,,
54.	,, नसरु खां पुत्र हैदर खां	15 'ए'	,,
55.	,, कल्लू पुत्र गरीबुल्ला	43	111 वर्गगज
56.	,, रामलाल पुत्र रघुनाथ	46	,,
57.	,,मती नसीरल पुत्री दीन मोहम्मद	76	,,
58.	,,मती हमीदा पत्नी अब्दुल रसीद	75	,,
59.	,, गुलाराम पुत्र नानूराम	103	,,
60.	,, बासीराम पुत्र चेजाराम	104	,,
61.	,, जहूर पुत्र श्री अलीम	107	,,

16. दावेदार जिनको मालियों की बगीची के सामने की बस्ती में बसाने का निर्णय

1	2	3	4
62.	श्री राधेश्याम पुत्र कजोड़ मल	मालियों की बगीची के सामने बसाना है।	50 वर्ग गज
63.	,, मगलदास पुत्र चोखाराम	,,	,,
64.	,,मती करतारो पत्नी पूर्णसिंह	,,	,,
65.	,, मोहनुदीन पुत्र करीम बक्ष	,,	,,
66.	श्रीमती जाहिजा पत्नी प्यारा	,,	,,
67.	श्री निजामुदीन पुत्र गेन्दा खां	,,	,,
68.	श्रीमती जुम्मी पत्नी मोहम्मद बशीर	,,	,,
69.	श्री रमेश पुत्र प्रभातीलाल	,,	,,
70.	,, ग्यारसीलाल पुत्र लादूराम	,,	,,
71.	,, दशरथ सिंह पुत्र भैरोंसिंह	,,	,,
72.	,, नसीबा पुत्र जमाल खां	,,	,,
73.	,, गोविन्दराम पुत्र पेमाराम	,,	,,
74.	श्रीमती शारदा पत्नी फूलसिंह	,,	,,
75.	श्री तुलसी राम पुत्र राम कुमार	,,	,,
76.	,, रामकिशोर पुत्र धनाराम	,,	,,
77.	,, सीताराम पुत्र किशन लाल	,,	,,

19 जनवरी, 1982 को हड़ताल के दिन गिरफ्तार व्यक्ति

376. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

दिनांक 19 जनवरी, 1982 को केन्द्रीय श्रम संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर राज्य में कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा किन-किन आरोपों में कितने-कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

दिनांक 19 जनवरी, 82 को केन्द्रीय श्रम संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर राजस्थान में कुल 239 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

दिनांक 19 जनवरी, 1982 को औद्योगिक हड़ताल में गिरफ्तार लोगों की सूची :—

		गिरफ्तार व्यक्ति
(1)	21 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराधों में :	79
(2)	107/151 जा0 फो0 के तहत	160
		239

(332)

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में एम. डी. में छात्रों के प्रवेश

377. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में इस वर्ष एम. डी. में कितने छात्रों ने प्रवेश पाया है एवं कितने स्थान रिक्त हैं ?

(2) क्या एम. डी. के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां तो कितनी ?

(3) जो स्थान रिक्त हैं, क्या वे ऐसे छात्रों से भरे जा सकते हैं जो बिना छात्रवृत्ति के ही प्रवेश पाना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे छात्रों की मांग पर कोई विचार किया है ?

(4) क्या यह सही है कि एम. डी. के रजिस्ट्रेशन की दो सूचियां प्रकाशित की गईं ? यदि हां, तो किस आधार पर ? कृपया दोनों सूचियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 1981 में विभिन्न एम. डी. कोर्स में प्रवेश पाने वाले छात्रों का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। केवल फिजियोलोजी एवं पी. एस. एम में क्रमशः 2 व 1 स्थान रिक्त है। शेष कोई स्टाईपेण्ड सीट खाली नहीं है।

(3) एम. डी. के छात्रों को जो कि रजिस्ट्रार के पद पर भी कार्यरत हैं सी. ए. एस. डाक्टर्स के अलावा) उन्हें 600/- रु. माहवार निश्चित स्टाईफण्ड दिया जाता है।

(3) उपरोक्त रिक्त स्थान स्टाईपेण्डरी हैं। इन स्टाईपेण्डरी सीट के अलावा छात्रों ने बिना छात्रवृत्ति के प्रवेश हेतु एक ज्ञापन दिया है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) एम. डी. के रजिस्ट्रेशन की जो सूचियां दिनांक 29-12-81 एवं उसके बाद में प्रकाशित की गई है, वे संलग्न हैं। ये सूचियां राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं मेरिट के आधार पर प्रकाशित की गई है। इन सूचियों में अन्य विशेषतायें भी हैं।

———

S. M. S. MEDICAL COLLEGE, JAIPUR

Statement showing the number of candidate (admitted to various M. D. Courses during the year 1981.

Name of M. D. Course	General P.G.	C. A. S. P.G.	Any vacancy	Remarks
1. General Medicine	13	3	—	
2. Paediatrics	6	2	—	
3. Skin & V. D.	2	1	—	
4. Paychiatry	3	1	—	
5. Tuberculosis	4 1 (Co-Guide)	1	—	
6. Radio-diagnosis	1	2	—	
7. Radio-therapy	1	—	—	
8. Anaesthesia	4	2	—	
9. Physiology	—	—	2	None applied
10. Biochemistry	1	—	—	
11. Pharmacology	1	—	—	
12. Pathology	3	1 (Service trainee)	—	
13. Microbiology	1	—	—	
14. P. S. M.	2	—	1	Being not eligible

(23-ष?)

OUT TODAY

OFFICE OF THE PRINCIPAL S. M. S. MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR

OFFICE ORDER

Dated 29th Dec., 81

The following candidates have been approved for various Postgraduate Degree courses, during the year 1981, by the Postgraduate Selection Committee of this College. These candidates will have to remain in this Institution as Full Time Postgraduate student for the full duration of the course. They are also required to fulfil the University requirements as per ordinances of the latest medical syllabus for P. C. Courses of the University of Rajasthan, Jaipur, before they will appear at the respective examination. The candidates will have to work to the entire satisfaction of the Guides failing which selection will be cancelled. Their selection will be provisional till the final registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. They should join the course immediately or latest by 31st December, 1981.

All the candidates are hereby asked to fillup the prescribed registration forms of the University (2 copies) obtainable from this office, on request and submit the same duly completed alongwith the following fees latest by 31st December, 1981.

1. Rs. 25/- as Registration fee of the University.
2. Rs. 150/- As Tuition fee for the Degree Course.
3. Rs. 20/- as Enrolment & eligibility fee of the University. (in case not enrolled)

S.No.	Name of candidate	Name of guide	Remarks
1	2	3	4
	M. D. (General Medicine)		
1.	Dr. Sudhir Agarwal	Dr. S. R. Mehta, Prof. & Head	

1	2	3	4
2.	Dr. Vinod K. Jain	Dr. S. R. Mehta, Prof. and Head	
3.	,, Ajay K. Mathur	Dr. V. M. Bhandari, Prof.	
4.	,, Rakesh K. Agnihotri	,,	
5.	,, Prabhu S. Shekawat	Dr. N. Bhu, Prof.	
6.	,, Miss Sujata Bhandari	,, N. Bhu, Prof.	
7.	,, Arun Bajaj	,, B. M. Sharma, Prof.	
8.	,, Mridul K. Daga	,, B. M. Sharma, Prof.	
9.	,, Nagar Mal Goyal	,, V. S. Baldwa, Reader	
10.	,, Vivek Bhargava	,, V. S. Baldwa, Reader	
11.	,, Yadav Narain Verma (SC)	,, K. S. Ratnu, Reader	
12.	,, Sarat Chandra Bansal	,, K. S. Ratnu, Reader	

M. D. (Paediatries)

1.	Dr. Avinash Bansal	Dr. (Mrs.) S. Saxena, Prof. & Head	
2.	,, Lucky Jain	,,	
3.	,, S. Sitaraman	,,	
4.	,, Neeraj Jain	Dr. P. P. Gupta, Reader	
5.	,, Miss Sushma Lala	,, Mrs. U. Sharma, Reader	
6.	,, Chaman Ram Verma (SC)	,,	

M. D. (T. B. & Chest Disease)

1-	Dr. Ram Babu Gupta	Dr. T. N. Sharma Prof. & Head	
2.	,, Arun Medan	,,	
3.	,, Ashok K. Mehrotra	Dr. S. D. Purohit, Prof.	
4.	,, Chandra Shekhar Purohit	,, T. N. Sharma/Dr. R.D. Singh (Co-guide)	

1	2	3	4
	5. Dr. Mali Ram Oswal (Aswal) (SC)	Dr. S. D. Purohit, Prof.	
	M. D. (Psychiatry)		
	1. Dr. Rajesh K. Goger	Dr. P. S. Gehlot, Prof. & Head	
	2. „ Devendra K. Sharma	„ D. C. Satija, Reader	
	3. „ Ravindra K. Mehta	„ P. S. Gehlot, Prof. & Head	
	4. „ Mahendra K. Gupta (UD)	„ P. S. Gehlot, „	
	M. D. (Dermatology)		
	1. Dr. Mukul Sharma	Dr. N. K. Mathur, Prof. & Head (Provisional)	
	2. „ Ram Awtar Bumb	„ N. K. Mathur „	
	M. D. (Anaesthesia)		
	1. Dr. (Mrs.) Rachna Narain nee lall	Dr. N. K. Sharma, Prof. & Head	
	2. „ (Miss) Kiran Chopra	„ Mrs. Maya Tandon, Reader	
	3. „ Avinash K. Bharadwaj	„ Mrs. Nirmal Sen, Reader	
	4. „ Mrs. Vijay Gupta	„ K. N. Haldia, Reader	
	M. D. (Radiodiagnosis)		
	1. Dr. Brijendra K. Rawat	Dr. R. Shrimali Prof. & Head	
	M. D. (Pharmacology)		
	1. Dr Kalpana Baijal	Dr. Mrs. P. Lauria, Reader	
	M. D. (Biochemistry)		
	1. Dr. Maheep K. Sinha	Dr. S. D. Bharadwaj, Prof. & Head	

1	2	3	4

M. D. (Microbiology)

1. Dr. Narendra Mohan Jain — Dr. H. N. Mangal, Prof. & Head

Subject to withdrawal of his registration of M. D. Medicine & acceptance of the University)

M. D. (Pathology)

1. Dr. Miss Sudhi Sharma — Dr. M. L. Sharma, Prof & Head
2. „ Priti Sharma — „ Dr. Mrs. K. Gangwal, Prof.
3. „ Mrs. Mitya Srivastava nee lall — „ M. L. Sharma Prof. & Head
4. „ *Bhagchand Tenani — „ Mrs. K. Gangwal, Prof.

*(Subject to clearance from the University for his eligibility)

M. D. (PSM)

1. Dr. Anil Gupta — Dr. B. K. Purohit, Prof.
2. „ Shiv Lal Solanki — Dr. V. N. S. Tomar, reader

M. S. (Gen. Surgery)

1. Dr. Raj Govind Sharma — Dr. O. Saxena, Prof.
2. „ Rajesh K. Saboo — -do-
3. „ Brij Mohan Nagar — Dr. K. N. Bhargava, Prof. & Head
4. „ Arun K. Gupta — „ P. K. Vanchoo, Reader
5. „ Kailash Narain Sharma — -do-
6. „ Suresh K. Jain — Dr. P. C. Kala, Reader
7. „ Mahendra K. Soni — „ K. N. Bhargava, Prof. & Head
8. „ Pramod K. Kataria — „ P. C. Kala, Reader
9. „ Indor Singh Shekhawat — „ G. C. Sharma, Prof.

1	2	3	4
10.	Dr. Surendra Mohan	Dr. G. C. Sharma, Prof.	
11.	„ Rajendra K. Jain	Dr. O. Saxena, Prof.	
12.	„ O. P. Bansal	„ G. C. Sharma, Prof.	
13.	„ Arun K. Mathur	„ B. S. Chandalia, Prof.	
14.	„ Kunj Behari Chhipa	„ S. R. Dharkar, Reader	
15.	„ Surendra K. Garg	„ B. S. Chandalia, Prof.	
16.	„ Praveer K. Gupta	„ S. K. Dharkar, reader	
17.	„ Chandra Mohan Sharma	„ P. K. Wanchoo, Reader	
18.	„ Alfred Charles Woodward	„ K. N. Bhargava, Prof. & Head	

M. S. (Ophthalmology)

1.	Dr. Miss Sandhya Upadhyaya	Dr. O. P. Kulshrestha, Prof. & Head
2.	„ Shyam Sunder Rao	„ R. G. Sharma, Prof.
3.	„ Navnneet K. Vijay	„ O. P. Kulshrestha, Prof. & Head
4.	„ Jai Kishan Goyal	„ R. G. Sharma, Prof.

M. S. (Gynae. & Obst.)

1.	Dr. Malika Swaroop	Dr. Mrs. P. Gupta, Prof. & Head
2.	„ Bina Gupta	-do-
3.	„ Miss Harjinder K. Khurana	Dr. S. Ramesh, Prof.
4.	„ Miss Suman Mandiratta	-do-
5.	„ Miss Anita Narula	Dr. Mrs. N. Bapna, Reader
6.	„ Achla Sanghi	-do-
7.	„ Miss Vijay Lakshmi	Dr. Mrs. S. Vaid, Reader
8.	„ Miss Anjana Chauhan (SC)	„ Mrs. P. Nagpal, Reader

1	2	3	4
M. S. (ENT)			
1. Dr. Suresh Prakash Kothari		Dr. D. L. Chhangani, Prof. & Head	
2. „ Prakash K. Chandanani		-do-	
3. „ Dwarka Pd. Gupta		-do-	
4. „ Anil K. Khullar		Dr. H. K. Kukreja, Prof.	
M. S. (Orthopaedics)			
1. Dr. Ajai Sharan Sahai		Dr. P. K. Sethi, Prof. & Head	
2. „ Anil K. Gupta		-do-	
3. „ Ajondra Singh Chauhan		Dr. M. Upadhyaya, Prof.	
4. „ Puran Mal Gupta		„ P. K. Sethi, Prof. & Head	
5. „ Rajesh Goyal		„ H. Upadhyaya, Prof.	
6. „ Anil K. Goyal		„ P. K. Sethi, Prof. & Head	
DIPLOMA COURSES			
D. P. H.			
1. Dr. Dhirendra Godhara		Dr. R. Sharma, Prof. & Head	
D. H. R. D.			
1. Dr. Jagdish Pd. Yadav		Dr. R. Shrimali, Prof. & Head	
2. „ Pradeep K. Sharma		-do-	
3. „ M. S. Nathawat		-do-	(Prov. for eligibility)
D. T. C. D.			
1. Dr. Hari Pd. Soni		Dr. T. N. Sharma, Prof. & Head	
2. „ Devendra Mohan Mathur		-do-	
3. „ Aditya K. Garg		-do-	
4. „ Dinesh Purohit		-do-	

240

1	2	3	4
D. A.			
1. Dr. Bhanwar Lal Jhakhar		Dr. H. K. Sharma, Prof. & Head	
2. „ Govind S. Dadlani		-do-	
3. „ Mrs. Praveen K. Mehrotra		-do-	
D. G. O.			
1. Dr. Mrs. Madhu Dhamija nee Mehra		Dr. Mrs. P. Gupta, Prof. & Head	
2. „ Dr. Mrs. Lalita Jain		-do-	
3. „ Miss Vijiya Sylvanigum		-do-	
4. „ Miss Beena Chandiramani		-do-	
M. Sc. (Med.) for non medical persons.			
PHARHACOLOGY			
1. Shree Deepak Saxena		Dr. F. S. K. Barar, Prof. & Head	
BIOCHEMISTRY			
1. Shree Puran Chand Gupta		Dr. S. D. Bharadwaj, Prof. & Head	

Notes :—

1. The above selections are subject to the final decision of the writ Petitions in High Court Bench, Jaipur, regarding guidelines issued by the Government on 26th Nov., 81.
2. If at any time it is proved that the candidate has secured admission to the above course, by submitting wrong information his/her selection will be cancelled.
3. The list is liable to correction, if necessary.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

240
593

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982-परिशिष्ट

No. MC/GS/81/3424

Dt. 29th December, 1981

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Secretary to the Govt. Med. & Pub. Health Deptt., Raj., Jaipur.
2. The Director of Medical & Health Services, Raj., Jaipur
3. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
4. The Head of the Departments concerned.
5. Concerned Guides.
6. The Superintendents attached teaching Hospitals/Director of RRC.
7. Wardens, R. D., Hostel/Girls Hostel.
8. Accounts/Statistical Section/Establishment Sec. (GAZETED) PA to P & C/PA to Purser.
9. Personal files of the candidates.
10. Concerned candidates (outside Jaipur)
11. College Notice Board.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

(2~~)

OUT TODAY/URGENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL, S. M. S. MED. COLLEGE & CONTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR

OFFICE ORDER

Jaipur, Dated 31st Dec., 81

The following candidates have been approved for various Post-graduate Degree/Diploma courses, during the year 1981, by the Postgraduate Selection Committee of this College. These candidates will have to remain in this Institution as Full Time Postgraduate student for the full duration of the course. They are also required to fulfil the University requirements as per ordinances of the latest medical syllabus for P. G. Courses of the University of Rajasthan, Jaipur, before they will appear at the respective examination. The candidates will have to work to the entire satisfaction of the Guides failing which selection will be cancelled. Their selection will be provisional till the final registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. They should join the course immediately of latest by 31st December, 1981.

All the candidates are hereby asked to fillup the prescribed registration forms of the University (2 copies) obtainable from this office, on request and submit the same duly completed alongwith the following fees latest by 31st Dec., 1981.

1. Rs. 25/- as Registration fee of the University.
2. Rs. 150/- As Tuition fee for the Degree Course.
3. Rs. 20/- as Enrolment & eligibility fee of the University. (in case not enrolled)
4. Rs. 250/- for Diploma Course.

S.No.	Name of Candidate	Course	Name of Guide	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Dr. Suresh Agarwal	M. D. (Radio Thep.)	Dr. P. L. Nawalkha, Prof. & Head.	
2.	Dr. Ravindra K. Manohar	DMRT	"	
3.	Dr. Mahesh K. Bochiwal	"	"	
4.	Dr. Mahesh Chand Yadav	"	"	
5.	Dr. Ravindra K. Mehta	M. D. (Gen. Med.)	Dr. Miss Dinesh Mathur, (Unit Ist)	Vice M. I (Psy)Cou.
6.	Dr. Vinod Kumar*	M. D. (Path.)	Dr. M. L. Sharma, Prof. & Head	
	*Vice Dr. Mrs. Nitya Srivastava nee Vyas as she did not complete one year job on 31-12-1981 hence her selection is cancelled.			
7.	Dr. H. L. Khanesra	M. Ch. (Geni. to Urinary Surg.)	Dr. K. C. Gangwal, Prof. & Head	
8.	Dr. Gopal Lal Sharma (CAS)	M. S. (Gen. Surg.) Vice/M.D. (Rad. Diag.)	Dr. K. M. Bhargava Prof. & Head	Study Leave

1	2	3	4	5
@9.	Dr. S. S. Gupta	M. D. (Rad. Diag) vide M.S. (Gen. Surg)	Dr. R. Shrimali Prof. & Head	Study Leave

@As per Government Order No. F. 6 (12) ME/81-Gr. I, dated 31st Dec. 81.

The selection order issued vide No. 44426-486/MC//GS/81 dt. 31-12-1981 in r/o Dr. A. K. Saxena CAS of M. D. (Paed) Course, is cancelled.

1	2	3	4	5
%10.	Dr. Pradeep K. Sharma	M. D. (Psy.)	Dr. P. S. Gehlot, Prof. & Head	Vice DMRD course

%Vice Dr. Mahendra K. Gupta of Udaipur, who has been selected for M. D. (Gen. Medicine) Course there and intends to join the same, as informed to this office.

1	2	3	4	5
11.	Dr. Ramgopal Yadav	M. Ch. (GU Surg)	Dr. K. C. Gangwal Prof. & Head	

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982-परिशिष्ट

Notes :—

1. The above selections are subject to the final decision of the Writ petitions in High Court Bench, Jaipur, regarding guidelines issued by the Government on 26th Nov., 81. (execept CAS candidates)

2. If at any time it is proved that the candidate has secured admission by giving wrong information or consealed the same in the application of Registration, his/her selection will be liable to cancelled.

3. The list is liable to correction, if necessary.

No. MC/GS/81/44860-900 Dt. 31st Dec., 1981

Copy forwarded to the following for information and n/a.

1. The Secretary to the Govt. MPH Deptt. Rajasthan, Jaipur.
2. The Director of Med. & Health Deptt., Rajasthan, Jaipur.
3. The Registrar, Univ. of Raj., Jaipur.
4. The Principal, Medical College, Ajmer/Bikaner/Jodhpur/Udaipur.
5. The Supdt. S. M. S. Hospital/Psychiatric Centre, Jaipur.
6. The Director, Mobile Surgifal Unit, Raj. Jaipur.
7. The Head of the Department of Surgery./Path., Paed., Psy., RD/RT. Med.,
8. Dr. K. C. Gangwal, Professor of Surgery (Urology) of this College.
9. Concerned guides/Concerned candidates.
10. College cashier (2 copies)
11. Estt. Sec. (Gazetted/Statis/PA to P&C/PA to Purser.
12. College Notice Board/R. D. Hostel M. Board/Girls Hostel N. Board.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

2^^6

URGENT/OUT-TODAY

OFFICE OF THE PRINCIPAL, S. M. S. MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR.

OFFICE ORDER

Jaipur, दि. 31st Dec., 81

In pursuance of the Government Order No. F. 6 (12) ME/81-Gr. I, dated 29th December, 1981 (for Degree/Diploma Courses), the following candidates have been approved for various Post-graduate Courses for the year 1981, by the Postgraduate Selection Committee of this College. These candidates will have to remain in this Institution for the full duration of the course. They are also required to fulfil the University requirements as per ordinances of the latest Medical Syllabus for P. G. Courses of the University of Rajasthan, Jaipur, before they will appear at the respective examination. The candidates will have to work to the entire satisfaction of the Guides failing which selection will be cancelled. Their selection will be provisional till the final Registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. They should join the course immediately or latest by 8th January, 1982.

All the candidates are hereby asked to fillup the prescribed registration forms of the University (2 copies) obtainable from this office, on request and submit the same duly completed alongwith the following fees latest by 8th January, 1982.

1. Rs. 25/— as Registration fee of the University.
2. Rs. 20/— as enrolement & eligibility of the Univ. (in case not enrlled)
3. Rs. 150/— as Tution fee for the Degree Course.
4. Rs. 200/— as Tution fee for Diploma Courses.

S. No.	Name of Candidate (CAS)	Course	Name of Guide	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Dr. V. D. Mehta	M.D. (Gen. Med.)	Dr. S. R. Mehta Prof. & Head	Study leave

1	2	3	4	5
2.	Dr. Rajendra Dixit	M.D. (Gen. Med.)	Dr. V. M. Bhandari Prof.	Study leave
3.	„ A. K. Saxena	M. D. (Paed.)	Dr. Mrs. U. Sharma Reader	„
4.	„ Saroj Gupta	M. D. (Rad. Diag)	Dr. R. Shrimali, Prof. & Head	„
5.	„ Gopal Lal Sharma	„	„	„
6.	„ V. C. Kasliwal	„	„	„
7.	„ Mrs. Rajesh Mathur	M.D. (PSM)	Dr. R. Sharma Prof. & Head	„
8.	„ A. E. Contractor	M.D. (Anaes.)	Dr. Mrs. M. Tanton. Reader	„
9.	„ Dr. V. K. Purohit	„	Dr. K. N. Haldia,	„
10.	„ Nand Lal Khatri	„	Dr. Mrs. A. Shankar Reader	Deputation
11.	„ Tejendra Singh	„	Dr. H. K. Sharma Prof. & Head	„
12.	„ Ramesh Chandra Sharma	MD (TB)	Dr. T. N. Sharma Prof. & Head	„
13.	„ S. S. Gupta	M.S. (Gen. Surg.)	Dr. K. N. Bhargava Prof. & Head	S.L.
14.	„ S. K. Mishra	„	Dr. O. Saxena, Prof	„
15.	„ Mrs. Uma Jain	„ (Ophth)	Dr. D. P. Sharma, Reader (with Dr. O. P. Kulshrestha Head of Deptt)	„
16.	„ Mrs. Chandra Jain	„ (Gynae & Obst)	Dr. Mrs. P. Gupta Prof. & Head	Deputation.

1	2	3	4	5
17.	Dr. Mrs. Madhu Mathur	M.S.(Gynae & Obst)	Dr. Mrs. S. Ramesh Prof.	De-putation
18.	„ Narendra Lodha	M.S. (ENT)	Dr. D. L. Chhangani Prof. & Head	Study Leave
19.	„ G. K. Mishra	M.S. (Ortho)	Prof. M. K. Sethi, Prof. & Head	„
20.	„ Usha Bhadoria	D.A.	Dr. M. M. Sharma Prof. & Head	Depu-tation
21.	„ Mrs. Sudha Pareek	„	„	„
22.	„ Jamuna Das Goyal	„	„	„
23.	„ J. P. Jain	D.T.C.D.	Dr. T. N. Sharma Prof. & Head	„
24.	„ Harish Chandra	„	„	„
25.	„ L. N. Sharma	D.H.R.D.	Dr. R. Shrimali Prof. & Head	„
26.	„ Shyam Lal Jangid	„	„	„
27.	„ D. S. Panwar	D.G.O.	Dr. Mrs. P. Gupta Prof. & Head	„
28.	„ Mrs. Janak Arey	„	„	„
29.	„ Dr. S. S. Rajawat	D.P.H.	Dr. R. Sharma Prof. & Head	„
30.	„ Mohan Lal Dhariwal	„	„	„
31-	„ Abhimanyu K. Jain	„	„	„

NOTES

1. The Selection of these above doctors (CAS) will be on terms and conditions, as specified in the above Government orders.
2. All the candidates are also required to fillup the application forms for registration of the College also.

3. If at any time it is proved that the candidate has secured admission to the above courses, by submitting wrong information or by cancealing the same, his/her selection will be cancelled.

4. The List is liable to correction, if necessary.

Sd/—

PRINCIPAL & CONTROLLER.

No. MC/GS/81/44426-486 Dated, 31st December, 1981.

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Secretary to the Government, Med. & Pub. Health Deptt., Rajasthan, Jaipur.
2. The Director of Med. & Health Services, Raj., Jaipur.
3. The Registrar, University of Raj., Jaipur.
4. The Principal, Medical College, Ajmer/Bikaner/Jodhpur/Udaipur.
5. The Supdts. of the Attached Teaching Hospitals, Jaipur.
6. The Director of N. R. C.
7. The Head of the Deptts. concerned.
8. The concerned guides.
9. Wardens R. B. Hostel/girls Hostel.
10. Accounts/Statistical/Establishment (Gazetted) PA to P & C/PA to Purser.
11. Personal files of the candidates.
12. Concerned candidates through D. H.H.S. Rajasthan, Jaipur.
13. College Notice Board.

Sd/-

PRINCIPAL & CONROLLER

(258)

OUT-TODAY

OFFICE OF THE PRINCIPAL, S.M.S. MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR

OFFICE ORDER

Dated 5th January, 1981

The following candidates have been approved for Postgraduate degree courses mentioned against each during the year 1981, by the Postgraduate Selection Committee of this college. These candidates will have to remain in this Institution as Full Time Postgraduate students for the full duration of the Course. They are also required to the fulfil the University requirements as per ordinances of the latest medical syllabus for P. G. Courses of the University of Rajasthan, Jaipur, before they will appear at the respective examination. The candidates will have to work to the entire satisfaction of the Guides failing which selection will be cancelled. The selection will be provisional till the final registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. They should join the course immediately or latest by 20th Jan. 1982.

The candidates are required in fill up the prescribed registration forms of the University (2 copies) obtainable from this office, on request and submit the same duly completed alongwith the following fees latest by 20th Jan., 1982 or immediately.

1. Rs. 25/- as registration fee of the University.
2. Rs. 150/- as tution fee for the Degree course.
3. Rs. 20/- as Enrolment & eligibility fee of the Uni. in case not enrolled.

1.	Dr. D.C. Mathur, CAS (NOC),	M.D. (Dermatology)	Dr. N.K. Mathur
2.	Dr. P.D. Bhomia CAS (NOC)	M. S. (E.N.T.)	Dr. D.L. Chhangani

Consequent upon the selection of Dr. P. D. Bhomia the next candidate Dr. (Miss) Guldadlani is hereby registered in E. N. T. under co-guide system at J. L. N. Medical College, Ajmer.

Notes :—

1. The above selections are subject in the final decision of the writ Petitions in High Court Bench, Jaipur, regarding guidelines issued by the Government on 26th Nov., 1981.
2. If at any time it is proved that the candidate has secured admission to the above course, by submitting wrong information his/her selection will be cancelled.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

No. 3505/MC/GS/81 Dated 5-1-82

Copy forwarded to:—

1. The Secretary to the Govt, Medical and Pub. Health Deptt. Rajasthan, Jaipur.
2. The Director of Medical & Health Services, Raj, Jaipur.
3. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
4. The Head of the Deptt. concerned.
5. The Superintendent, SMS Hospital, Jaipur.
6. Personal file of the candidate concern.

for information and necessary action.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

(252)

OFFICE OF THE PRINCIPAL S. M. S. MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR.

OFFICE ORDER

Jaipur, dt. 13th Jan., 1982

In pursuance of the Government order No. F. 6 (12) NE/81 Gr. I, dated 31.12.81 and even numbers dated 4.1.82, 7.1.82 & 11.1.82 the following candidates (C. A. S. on study leave) have been approved for various Post-graduate courses for the year 1981 by the Post-Graduate seleciion committee of this college. Those candidates will have to remain in this Institution for the full duration of the course. They are also required to fulfil the University requirements as per ordinances of the latest Medical syllabus for P. G. Courses of the University of Rajasthan, Jaipur, befora they will appear at the respective examination. The candidate will have to work to the entire satisfaction of the guides (as noted against each) failing which selection will be cancelled. Their selection will be provisional till the final Registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. They should join the course immediately or latest by 15th January, 1982.

The candidates are heareby asked to fill up the prescribed registration forms of the University (2 copies) obtainable from this office, on request and submit the same duly completed alongwith following fees latest by 15th January, 1982..

1. Rs. 25/ as Registration fee of the University.
2. Rs. 20/ as enrolment & eligibility of the University (if not enrolled)
3. Rs. 150/- as Tution fee for the Degree Course.

S. No.	Name of candidate (CAS)	Course	Name of Guide	Remark
1.	Dr. V. D. Mehta	M.D. (Gen. Med.)	Dr. R. K.Sogani. Reader (in Unit I)	Instead of Med. Coll. Ajmer
2.	Dr. B. M Yadav	-do- (Paed.)	Dr. Naresh Bhu. Prof.	-do-
3.	Dr N. K. Mohanpuria	M.D.	Dr. (Miss) U. Sharma Reader	Vice Dr. A. K. Sexena now transf-rred to Ajmer.

Dr. A. E. Contractor, C. A. S. in M. D. (Anaos.) has been transferred to Medical College, Ajmer for the said course.

NOTES :

1. The selection of these above doctors (CAS) will be on terms and conditions, as specified in the Govt. orders.
2. The candidates are also required to fill up the registration forms a fresh.
3. If any time, it is proved that the candidate has secured admission to the said course by submitting wrong information or by concealing the same, his selection will be cancelled.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER.

NO. 1502-42/MC/GS/82 Dated : 13.1.82

Copy forwarded for information and necessary action, in continuation to this office order No. MC/GS/81/44426-486 dt. 31.12.81 :—

1. The Secretary, Medical & Public Health Dept. (Gr. I) Raj. Jaipur.
2. The Director, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
3. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
4. The Principal, Medical College, Ajmer.
5. The Superintendent, SMS/Jaykaylon Hospital, Jaipur.
6. The Head of the dept. of Medicine/Paed./Anaesthesia.
7. The Warden, R. D. Hostel.
8. Concerned guides.
9. Concern doctors.
10. Accounts/statistical/Estt. (Gaz.) Section of this college.
11. Concerned files.
12. College N. B.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

(2505)

OFFICE OF THE PRINCIPAL, S.M.S. MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITAL, JAIPUR

No. 2505–35/MC/GS/82

Dated, 20-1-82

OFFICE ORDER

In pursuance of the Govt. letter No. F. 6 (1) ME/81/Gr. I. Dated 18-1-82, Dr. P. D. Bhomia, C. A. S. has been approved for M. D. (Paed) course for the year 1981, by the Postgraduate selection committee of this college. He will have to remain in this Institution for the full duration of the course. He is also required to fulfil the University requirement, as per ordinance of the University of Rajasthan, Jaipur, before he will appear at the respective examination. He will have to work to the entire satisfaction of Dr. (Mrs.) Usha Sharma, Reader in Paed. (as his guide), failing which his selection will be cancelled. This selection will be provisional till the final registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. He should join the course immediately by today 20-1-82. He should submit the P. I C. Registration form of the University duly completed, alongwith sum of Rs. 175/- only in cash.

Further, the names of the following C. A. S. Doctors are delated from this office order No. 44426–486 Dated 31-12-81 since they have been transferred by the Govt. at Medical College, Jodhpur for M. D. (Anaesth.) Course:—

1. Dr. V. K. Purohit (Study leave) under Dr. K. N. Haldia, Reader.
2. Dr. Nand Lal Khatri (Deputation) under Dr. (Mrs.) Asha Shankar, Reader.

The name of Dr. P. D. Bhomia, C. A. S. (Genl. quota) For M. S. (E. N. T.) Course is also deleted.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

(258)

No. 2505-35/MC/GS/82 Dated : 20-1-82

Copy forwarded to :—

1. The Secretary to the Govt. Medical & Pub. Health Deptt. Rajasthan, Jaipur.
2. The Director of Medical and Health Services, Rajasthan, Jaipur.
3. The Director of Medical and Health Services, (ESI), Jaipur.
4. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
5. The Principal, Medical College, Jodhpur.
6. The Superintendent, SMS Hospital/Jaykaylon Hospital.
7. Head of the Deptt. of Pead. Medicine/E. N. T. and Anaesthesia.
8. Warden, R. D. Hostel.
9. Concerned guides.
10. Accounts/Statistics/Estt. Gaz.
11. College Notes Board.
12. Concerned file.

for information and necessary action.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

URGENT/OUT-TODAY

OFFICE OF THE PRINCIPAL, S.M.S. MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR

OFFICE ORDER

Jaipur, dt. 23rd January, 82

In pursuance of the Government order No. F. 6 (2) ME/81-Gr. I dated 20 January; 1982 (for Degree/Diploma Courses), the

following candidates have been approved for various Post graduate Courses for the year 1982 by the Post-graduate Selection Committee of this College. These candidates will have to remain in this Institution for the full duration of the course. They are also required to fulfil the University requirements as per ordinances of the latest Medical Syllabus for P. G. Courses of the University of Rajasthan, Jaipur, before they will appear at the respective examination. The candidates will have to work to the entire satisfaction of the Guides failing which selection will be cancelled. Their selection will be provisional till the final Registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. They should join the course immediately or latest by 28th Jannary, 1982.

All the candidates are hereby asked to fillup the prescribed registration forms of the University (2 copies) obtainable from this office, on request and submit the same duly completed alongwith the following fees latest by 28th January, 1982.

1. Rs. 25/- as Registration fee of the University.
2. Rs. 20/- as enrolment & eligibility of the University. (in case not enrolled)
3. 150/- as Tution fee for the Degree course.

S.No.	Name of candidates (CAS)	Course	In place of	Under guide
1	2	3	4	5
1.	Dr. Deepak Singh Gurang	M. D. (Radiodiagno sis)	Dr. Saroj Gupta	Dr. R. Srimali Prof & Head
2.	Dr. R. N. Koolwal	-do-	Dr. S.S. Gupta	-do-
3.	Dr. S. S. Gupta	M. S. (Ophth.)	Dr. (Mrs.) Uma Jain	Dr. D.P. Sharma Reader (Unit I)
4.	Dr. O. P. Sharma	M. S. (Gen. Surg)	Dr. S. K. Mishra	Dr. O. Saxena Professor.
5.	Dr. S. K. Agarwal	M. D. (Anaes.)	Dr. A. E Contractor	Dr. (Mrs.) Maya Tandon, Reader

Notes :—

1. The selection of these above doctors (CAS) will be on terms and conditions, as specified in the above Government order.
2. All the candidates are also required to fiillup. the application forms for registration of the college also.
3. If at any time it is proved that the candidate has secured admission to the above courses by submitting wrong information or by concealing the same, his/her selection will be cancelled.
4. The list is liable to correction, if necessary.

PS : Dr. Tejendra Singh has been Registered for M. S. (ENT) at Bikaner by the Govt.

Sd./-

PRINCIPAL & CONTROLLER

No. 4125-55/MC/GS/82 Dated 27-1-82

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Secretary to the Govt., Med. & Pub. Health Deptt., Raj. Jaipur.
2. The Director of Med. & Health Services, Raj., Jaipur.
3. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
4. The Principal, Medical College, Ajmer/Bikaner/Jodhpur Udaipur.
5. The Superintendent of the Attached Hospital, Jaipur.
6. The Professer & Head concerned.
7. The candidate concerned guide.
8. Wardens All Hostels of this college.
9. Accounts Section.
10. Statiscal Section.
11. Estt. (E. G.)
12. P. A. to P & C.
13. P. A. to Purser.

14. Personal files of the candidates.
15. Concerned candidates through D. M. H. S., Raj., Jaipur.
16. College Notice Board.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

OFFICE OF THE PRINCIPAL, SMS MEDICAL COLLEGE & CONTROLLER OF ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR.

OFFICE ORDER

Dated the 30th Jan, 1982

The following candidates have been approved for various Post-graduate Degree courses during the year 1981, by the Post-graduate Selection Committee of this college. These candidates will have to remain in this Institution as full time Post-graduate students for the full duration of the course. They are also required to fulfil the University requirements as per syllabus of the Univ. of Rajasthan, Jaipur, before they will appear at the respective examinations. The candidates will have to work to the entire satisfaction of the concerned guide, failing which their selection will be cancelled. The selection will be provisional till the final registration is approved by the University of Rajasthan, Jaipur. They should join the course immediately.

All the candidates are hereby asked to fill up the prescribed registration forms of the University (2 copies) and submit the same duly completed alongwith the following fees immediately, failing which the selection will be treated as cancelled.

1. Rs. 25/- as registration fee of the University.
2. Rs. 150/- as tution fee.

S.No.	Name of Candidates	Course	Name of Guide	Remarks
1.	Dr. Ravindra Mohan Mathur	M. D. (Psych.) (vice DMRD)	Dr. P. S. Gehlot, Prof. & Head	
2.	Dr. Mani Khara	M. S. (ENT)	Dr. D. L. Chhangani Prof. & Head	

Notes :—

1. The above selection is subject to the final decision of the writ petition in High Court Bench, Jaipur.
2. If at any time it is proved that the candidate has secured admission by giving wroing information or conceaed the same in the application form of registration, his selection will be cancelled.
3. The list is liable to correction if necessary.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

No. 3728-40/MC/GS/82 Dated : 30-1-82

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. Secy. to the Govt., MPH Deptt., Raj., Jaipur.
2. Director of Med. & Health Services, Raj., Jaipur.
3. Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
4. Supdt. SMS Haspital/Pay. Centre, Jaipur.
5. Head of the Deptt. of Psych. Radio-diag. ENT.
6. Acctts. Section.
7. College Notice Board.

Sd/-

PRINCIPAL & CONTROLLER

(200
612)

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982-परिशिष्ट

OFFICE OF THE PRINCIPAL S. M. S. MEDICAL CGLLEGE & CONTROLLER OF THE ATTACHED HOSPITALS, JAIPUR

OFFICE ORDER

Dated : 9th Fed., 1982

In pursuance cf the Government Order No. F. 6 (12) ME/81-Gr. I Dated 20th January,'82 the following C. A. S. Candidates (on deputation have been approved for verious Post-graduate Degree/ Diploma courses for the year 1981 by the post-graduate selection committee of this college. These candidates will have to work in the Institution for the full duration of the course. They are also required to fulfil the University requirements as per ordinance of the Medical Syllabus of University of Rajasthan, Jaipur, before they will appear at the respective examinations. They will have to work to the entire satisfaction of the guides (as noted against each) failing which their selection will be cancelled. This selection will be provisional till the final registration as approved by the University of Rajasthan Jaipur. They are hereby asked to fillup the prescribed registration fotms of the University (two copies) obtainable from this office, on request and submit the same duly completed alongwith the following fees immediately, if not already done so.

1. Rs. 25/- as Registration fee of the University.
2. Rs. 20/-as enrolment & eligibility of the Univ. (in case not enrolled).
3. Rs. 150/- as Tution fee for the Degree Course.
4. Rs. 200/- as Tution fee for Diploma Course.

S. N.	Name of Candidate	Course	In place of	Under Guide
1.	Dr. Kamal Prakash Jain	M. D. (Anaesth)	Dr. N. L. Kothari	Dr. (Mrs.) Asha Shankar, Reader.
2.	Dr. Ram Ratan Vijay	D.T.C.D.	Dr J. P. Jain	Dr. T.N, Sharma. Prof. & Head.
3	Dr. A.K. Chopra (Crder of even No. Dt 27.1.82)	D.G.O.	Dr. (Mrs.) Janak Arey	Dr. (Mrs.) P. Gupta, Prof. & Head.

NOTES :—

1. The selection of these above doctors will be on terms and conditions as specify under the Govt. orders.
2. All the candidates are also required to fillup the application forms for registration of the College.
3. If at any time it is proved that the candidate has secured admission to the above courses by submitting wrong information or by concealing the same, his/her selection will be cancelled.
4. The list is liable to correction, if necessary.

Sd/-
PRINCIPAL & CONTROLLER

No. 5916-55/MC/GS/82 Dated : 9th Feb.'82.

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Secretary to the Govt. Med. & Health Dept. Raj., Jaipur.
2. D. M. H. S. Raj. Jaipur/Registrar University of Rajasthan, Jaipur.
3. The Principal, Medical College, Ajmer/Bikaner/Jodhpur/ Udaipur.
5. The Supdt., S. M. S./Zanana Chest & T. B. Hospital, Jaipur.
6. The Head of the Dept. of Anaesth./ Gynae/T. B.
7. Concerned guide/Concerned candidates through H. O. D.
8. The wardon, R. D. Hostal/Accounts Section/Statistical/Estt (E. G.)
9. Personal file of the candidates.

सुमेरपुर (बाली) मे उप-अधीक्षक सर्किल की स्थापना

378. श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में 20 पुलिस थाने हैं और चार उप अधीक्षक सर्किल हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बाली उप-अधीक्षक सर्किल के अन्तर्गत 8 पुलिस थाने हैं जिनमें प्रति वर्ष अपराध बढ़ रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासनिक एवं शान्ति-व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से बाली उप-अधीक्षक सर्किल के 4 थानों को एक अलग उप-अधीक्षक सर्किल सुमेरपुर किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो कब तक राज्य सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) वर्तमान में ऐसा करने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है, अत: प्रश्न नहीं उठता ।

सांचौर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

379 श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि सांचौर के करीब 70 व्यक्तियों ने उद्योग लगाने हेतु राजस्थान औद्योगिक एवं पूंजी विनियोजक निगम (रीको) पाली में 35,000/रु. भर दिये हैं ? यदि हां, तो उन्हें आज दिन तक भू-आवंटन नहीं किये जाने का क्या कारण है और अब भू-आवंटन कब तक कर दिये जायेंगे ?

(2) क्या सरकार सांचौर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना चाहती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि सांचौर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 72 उपक्रमियों ने 500/- रु. प्रति उपक्रमी धरोहर राशि के रूप में जमा कराया है । स्थानीय निकायों से क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास करने के लिये लिखा गया था किन्तु उनकी ओर से कोई सूचना न आने पर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा औद्योगिक संभाव्यता की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है । रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(उद्योग मंत्री) :

(2) भूमि औद्योगिक संभाव्यता (इण्डस्ट्रियल-पोटेन्शियलिटी) -- रिपोर्ट—आने पर ही औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 24 फरवरी, 1982)

जिला झुन्झुनू से विभिन्न माध्यमों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ दी गई धनराशि

38. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)- क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माननीय मुख्य मंत्री को पंचायत मंत्री श्री शीशराम ओला द्वारा झुन्झुनू जिले से बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कितनी धनराशि दी गई ?

(2) भिन्न भिन्न पंचायत समितियों में माननीय मुख्य मंत्री जी के झुन्झुनू जिले के प्रवास के समय कितनी कितनी धनराशि कहां कहां भेंट की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा भी बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में दान दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत ने तथा किस-किस पंचायत समिति ने कितना-कितना दान दिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री को पंचायत राज मंत्री श्री शीशराम ओला द्वारा झुन्झुनू जिले में एकत्रित राशि में से दिनांक 31-7-81 को रु० 6,25,000/- एवं 14-10-81 को रु० 6,75,962.65 जिलाधीश, झुन्झुनू की उपस्थिति में मुख्य मंत्री एवं बाढ़ सहायता कोष में दिये गये थे।

(2) माननीय मुख्य मंत्रीजी को झुन्झुनू जिले के प्रवास के समय संलग्न सूची के अनुसार धनराशि रु. 1,37,594 भेंट की गई थी। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। जिन पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा मुख्य मंत्री अकाल एवं सहायता कोष में राशि भेंट की गई, उनकी सूची क्रमशः "ब" एवं "स" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

दिनांक 14-10-81 को झुन्झुनू जिले के दौरे के समय माननीय मुख्य मंत्री को भेंट की गई राशि का विवरण :—

क्रम संख्या	स्थान जहां भेंट की गई	राशि (रुपये)
1.	जखोड़ा	1,100·00
2.	मण्ड्रेला	5,100·00
3.	चतरवाला	1,600·00
4.	चिड़ावा	5,100·00
5.	भोजटू	500·00
6.	बख्तावरपुरा	1100·00
7.	बगड़	24,102·00
8.	खेतड़ी	65,100·00
9.	चपुरना	33,892·00
	योग—	1,37,594·00

सूची "ब"

बाढ़ सहायता कोष में पंचायतों द्वारा दिये गये दान की सूची

क्र. सं.	नाम पंचायत	राशि
1.	मकुन्दाकला	5000
2.	नरहड़	5000
3.	गिठानियां	5000
4.	सालाना	5000
5.	गोवला	5000
6.	बड़ानियां	5000
7.	जोगी	10000
8.	खेड़ला	5000
9.	भावठड़ी	3500
10.	गोमेद	10000
11.	दनगोठड़ी	3000
12.	साखु	3501
13.	दुलानियां	2500
14.	सुलानियां	25000
15.	बेरी	1100
16.	लोटियां	500
17.	खरेली	250
18.	बड़सरी	800
19.	दुपवा	5501
20.	स्वामीसेही	1301
21.	बेरठा	1100

(266)

1	2	3
22.	पंचलयी	2000
23.	चायड़ा	2000
24.	नावल	1000
25.	मण्डावरा	3000
26.	मोड़की	2000
27.	गुड़ा	1500
28.	कुड़	1500
29.	मेनपुरा	1000
30.	टीटनवाड़	1000
31.	सीथल	1000
32.	चवरा	500
33.	सुल्तना	5001
34.	भुवाना	5000
35.	किठाना	4000
36.	घरतवाला	3000
37.	भारी	5000
38.	किशोरपुरा	5000
39.	ओजदु	2863
40.	बिमड़ियां	500
41.	वाजड़ा	501
42.	मोरवा	1251
43.	हमीनुपुर	5000
44.	वाकाड़ा	1100
45.	धुमनसरकलां	500
46.	बड़वा	231

1	2	3
47.	बड़ागांव	3500
48.	बाम लास	3000
49.	मेनक वास	2500
50.	नेवरी	1000
51.	बागोली	2500
52.	पोंख	1000
53.	टीटनवाड़	1000
54.	बदनगढ़	3000
55.	चनाना	3000
56.	लाम्बा	3000
57.	बजावा	5000
58.	बख्तावपुरा	3000
59.	अजलीपुर	3000
60.	लाम्बा गोठड़ा	2000
61.	आबुसर	2100
62.	सराय	2000
63.	जोधपुरा	2000
64.	कंकराना	1000
65.	खुड़िया	1000
66.	अरड़ावता	4000
67.	मुनियां गोठड़ा	2100
68.	भाटीवाड़	1500
69.	इन्द्रपुरा	1500
70.	पीताना	1500
71.	छापोली	1500
72.	गुढ़ा गोड़जी	2000
73.	वसोड़ा	14000
	योग—	2,08,720

सूची "स"

मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में जिला झुन्झुनू की विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा जिलाधीश कार्यालय के मार्फत जमा कराई गई धनराशि का विवरण ।

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	राशि
1.	झुन्झूनू	1,01,101·00
2.	अलसीसर	46,650·00
3.	चिड़ावा	1,151· 0
4.	सूरजगढ़	415·00
5.	खेतड़ी	1,42,877·00
6.	उदयपुरवाटी	10,573·00
7.	बुहाना	1,11,736·00
8.	नवलगढ़	85,576·00
	योग—	5,09,079·50

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 3586 की सूची

जनवरी, 1981 से जनवरी, 82 तक स्वीकृत एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज की सूची

क्र. सं.	डिस्पेन्सरी का नाम (शहरी)		जिले का नाम
1.	सिटी डिस्पेन्सरी, बीकानेर		बीकानेर
2.	बरकत नगर, जयपुर		जयपुर
3.	नागौरी गेट, जोधपुर		जोधपुर
4.	प्रतापनगर, जोधपुर		जोधपुर
5.	हनुमानगढ़, जंक्शन		श्री गंगानगर
6.	सती मन्दिर, झुन्झुनू		झुन्झुनू
7.	ज्योतिनगर (विधायक नगर), जयपुर		जयपुर
	मोबाइल डिस्पेन्सरी		
8.	मोबाइल डिस्पेन्सरी, बांसवाड़ा	"	बांसवाड़ा
9.	मोबाइल डिस्पेन्सरी, डूंगरपुर	"	डूंगरपुर
10.	मोबाइल डिस्पेन्सरी, उदयपुर	"	उदयपुर
	ग्रामीण डिस्पेन्सरी	पंचायत समिति	
11.	रामगढ़	मसूदा	अजमेर
12.	फतेहगढ़	अराई	"
13.	जुनियां	केकड़ी	"
14.	बुधवाड़ा	पीसागन	"
15.	नांगल बानी	थानागाजी	अलवर
16.	बीजवाड चौहान	मंडावर	"
17.	माजरा	निमराना	"

(270)

1	2	3
18. हमीरपुर	बानसूर	अलवर
19. शिव	शिव	बाड़मेर
20. थोब	बालोतरा	,,
21. चन्दुजी का गढा	घाटोल	बांसवाड़ा
22. शेरगढ़	बागीदोरा	,,
23. घनवाडा	कुम्हेर	भरतपुर
24. अलीपुर	बैर	,,
25. बल्लभगढ़	,,	,,
26. निठार	,,	,,
27. घरोसनी चक	,,	,,
28. सरसेना	,,	,,
29. मुडियां ललिता	,,	,,
30. रणधीरगढ़	,,	,,
31. बाछरेण	,,	,,
32. जीवद	,,	,,
33. बीजवाडी	,,	,,
34. सिहाड़ा	बयाना	,,
35. झन्तरा	नदबई	,,
36. गोपालगढ़	नगर	,,
37. बासी पहाडपुर	रूपवास	,,
38. महुआ	मांडलगढ़	भीलवाड़ा
39. महेन्द्रगढ	सहाड़ा	,,
40. चान्दरवास	माण्डल	भीलवाड़ा
41. पूंगल	बीकानेर	बीकानेर
42. कुदसू	नोखा	,,
43. बांसी	नैनवा	बूंदी

1	2	3	4
44.	गोठड़ा	हिण्डोली	बूंदी
45.	श्रायाना	इटावा	कोटा
46.	अधमाना	कपासन	चित्तौड़गढ़
47.	सोमासी	चूरू	चूरू
48.	भालेरी	तारानगर	"
49.	भेसली	राजगढ़	"
50.	कुआं	सागवाड़ा	डूंगरपुर
51.	सांवली	डूंगरपुर	"
52.	खानपुर बाड़ी	बाड़ी	धौलपुर (स्वास्थ्य विभाग)
53.	जस्सुपुरा	राजाखेड़ा	"
54.	बीपरपुर	धौलपुर	"
55,	पचगांव	"	"
56.	चित्तोड़ा	"	"
57.	बरौली	बसेड़ी	"
58.	गांधीबाड़ी	भादरा	श्री गंगानगर
59.	फफेना	नोहर	"
60.	हुकमावाद	सांगरिया	"
61.	चक जेड-17	पीलीबंगा	"
62.	चक महाराज का	श्री गंगानगर	"
63.	लक्खूवाली	रावतसर	"
64.	आंधी	जमवा रामगढ़	जयपुर
65.	धानोता	शाहपुरा	"
66.	भानपुरा माचेड़ी	आमेर जयपुर	"
67.	कल्याणपुरा	कोटपूतली	"
68.	रामदेवरा	पोकरण	जैसलमेर
69,	रामगढ़	सम	"
70.	करडा	सनीवाड़ा	"

(2727)

1	2	3	4
71.	खेतड़ा	सायला	जालौर
72.	पादरली	आहोर	,,
73.	सरोला कलां	खानपुर	झालावाड़
74.	सेतरावा	शेरगढ़	जोधपुर
75.	बारांकला	ओसिया	,,
76.	लोरडिया	फलोदी	,,
77.	मकराना खान क्षेत्र	मकराना	नागौर
78.	मेड़ता रोड	मेड़ता	,,
79.	आलनियावास	डेगाना	,,
80.	वलदू	लाडनू	,,
81.	हरियामाली	सोजत	पाली
82.	जोजावर	सारवी	,,
83.	नारलाई	देसूरी	,,
84.	मेहन्दीपुर बालाजी	टोडाभीम	सवाई माधोपुर
85.	मेहसवा	,,	,,
86.	साथा	महुआ	,,
87.	बालाहेडी	,,	,,
88.	रसीदपुर	,,	,,
89.	इब्राहिमपुर	हिण्डौन	,,
90.	कोट	महुआ	,,
91.	महरोली	श्री माधोपुर	सीकर
92.	घोद	घोंद	,,
93.	घुआंकला	देवली	टोंक
94.	नासरदा	,,	,,
95.	भवराणा	सलूम्बर	उदयपुर
96.	पीपली अहीरान	रेलमगरा	,,
97.	साकरोदा	मावली	,,
98.	सगतड़ा	सराड़ा	,,
99.	गडमोहर	कुम्भलगढ़	,,
100.	कोटड़ी	रेलमगरा	,,

वर्ष 1980-81 में नवीन स्वीकृत आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम स्थान	प. स./तहसील	जिला	चिकित्सा पद्धति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मांगलियावास	पीसागन/अजमेर	अजमेर	आयुर्वेद	
2.	ढाणी पुरोहितान	किशनगढ़/किशनगढ़	"	"	एस. सी. पी.
3.	आलोली	केकड़ी/केकड़ी	"	"	
4.	नोसल	किशनगढ़	"	"	
5.	भडोडी	अलवर	अलवर	"	
6.	घोरोटी पहाड़	रामगढ़	"	"	
7.	कठूमर	कठूमर	"	"	
8.	होलावास (बानसूर)	अलवर	"	"	
9.	निम्बाहोडी	तिजारा	"	"	

1	2	3	4	5	6
10.	हरिजन बस्ती, अलवर	नगर परिषद	अजमेर	होम्यो.	एस. सी. पी.
11.	भेडवा	धोरीमन्ना/गुढ़ामालानी	बाड़मेर	आयुर्वेद	
12.	रानीदेशपुरा	सिवाना	,,	,,	
13.	दतोनी	शिव	,,	यूनानी	
14.	बाड़मेर	बाड़मेर	,,	होम्यो.	जिला मुख्यालय
15.	लीलड़ा व्यासान	तालेड़ा/बून्दी	बून्दी	आयुर्वेद	
16.	सोपली	तालेड़ा/बून्दी	,,	होम्यो.	
17.	रामपुरा	आसीन्द	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
18.	उललाई	सहाड़ा	,,	,,	
19.	मुन्शी	बनेड़ा	,,	,,	
20.	सरसिंगा	जहाजपुर	,,	,,	
21.	डाबला	बनेड़ा	,,	,,	
22.	चीड़खेड़ा	सहाड़ा	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
23.	बावण्डिया	मांडल	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
24.	पालरा	रायपुर	,,	,,	
25.	बराना	आसींन्द	,,	,,	
26.	मांगटला	माण्डलगढ़	,,	,,	
27.	हरिजन बस्ती, बीकानेर	बीकानेर	,,	होम्यो.	जिला मुख्यालय एस. सी. पी.
28.	मदनपुर	बयाना	,,	आयुर्वेद	
29.	इब्राहीमपुर	रूपवास	,,	,,	
30.	बैर	बैर	,,	,,	
31.	थानाडांग	बयाना	,,	,,	
32.	रवई	बाड़ी	,,	,,	
33.	तलछेड़ा	मदबई	,,	,,	एस. सी. पी.
34.	सिरस	बैर	,,	,,	
35.	उहलू	,,	,,	,,	

275

1	2	3	4	5	6
36.	मैनापुरा	बैर	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
37.	मुर्वेना	,,	,,	,,	
38.	घौर	कुम्हेर	,,	,,	
39.	जगजीवनपुर	बैर	,,	,,	
40.	भूतीली	,,	,,	,,	
41.	दावली	,,	,,	,,	
42.	घाटरी	,,	,,	,,	
43.	इन्द्र जहाज	,,	,,	,,	
44.	भैंसोना	,,	,,	,,	
45.	धानीरी	बाड़ी	,,	,,	
46.	डटखेड़ा	बयाना	,,	,,	
47.	डूडरा	बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़	,,	
48.	आजालिया का खेड़ा	गंगरार	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
49.	रावडरा	बेगूं	भीलवाड़ा	आयुर्वेद	
50.	गोदोली	निम्बाहेड़ा	,,	,,	
51.	असावता	प्रतापगढ़	,,	,,	जनजाति क्षेत्र राज्यादेश क्र. एफ. 4 (15) (3) टी.ए.डी./80–81 दिनांक 16.7.81 द्वारा रामगढ़ से असावता में परिवर्तन
52.	वाल्ह	रामसी	,,	,,	
53.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	,,	होम्यो.	जिला मुख्यालय
54.	तहडादेसर	राजगढ़	चूरू	आयुर्वेद	
55.	तेनदेसर	सुजानगढ़	,,	,,	
56.	देपालसर	चूरू	,,	,,	
57.	सीतसर	रतनगढ़	,,	,,	
58.	चूरू	चूरू	,,	होम्यो.	जिला मुख्यालय

277

1	2	3	4	5	6
59.	राईयांवाली	पीलीबंगा	श्री गंगानगर	आयुर्वेद	
60.	संगतपुरा	केशरीसिंहपुर	,,	,,	
61.	इन्दिरा कालोनी गंगानगर	श्री गंगानगर	,,	,,	
62.	भरवाण	भादरा	,,	,,	
63.	जाटावाली	गोविन्दगढ़	जयपुर (अ)	होम्यो.	
64.	सोडाला	जयपुर	जयपुर (ब)	,,	
65.	सोनड़ा	लालसोट	,, ,,	आयुर्वेद	
66.	रोजवाड़ी	बस्सी	,, ,,	,,	
67.	निहालपुर	सिकराय	,, ,,	,,	
68.	लांगडियावास	जमवारामगढ़	,, (अ)	,,	
69.	नीमला	,,	,, ,,	,,	
70.	डेला का वास	गोविन्दगढ़/आमेर	,, ,,	,,	
71.	सिणोदिया	फुलेरा	,, ,,	,,	

1	2	3	4	5	6
72.	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
73.	जालोर	जालोर	जालोर	,,	,,
74.	करवाड़	रानीवाड़ा	,,	आयुर्वेद	
75.	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	होम्यो.	जिला मुख्यालय
76.	ल्हास	मनोहरथाना	,,	आयुर्वेद	
77.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	झुन्झुनू	होम्यो.	जिला मुख्यालय
78.	पंचलंगी	उदयपुर	,,	आयुर्वेद	
79.	कोजड़ा	चिड़ावा	,,	,,	
80.	खेतपुरा	झुन्झुनू	,,	,,	
81.	गढ़लाकला	उदयपुरवाटी	,,	,,	राज्यादेश क्र. प. 1 (10) आयु/80 दि. 2.2.82 द्वारा लादूसर से गढलाकलां मे परि.
82.	लोहारगल	उदयपुरवाटी	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
83.	राटेदा	लाड़पुरा	कोटा	आयुर्वेद	एस. सी. पी.
84.	राजपुर	शाहवाद	,,	,,	
85.	खीमच	रामगंजमण्डी	,,	,,	
86.	राई	छबड़ा	,,	,,	एस. सी. पी.
87.	गुलजारपुरा	जोधपुर	जोधपुर	यूनानी	
88.	जुड़िया	शेरगढ़	,,	आयुर्वेद	
89.	देनोक (इन्दी की ढाणी)	फलौदी	,,	,,	
90.	बोयल	बिलाड़ा	,,	,,	
91.	नागौर	नागौर	नागौर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
92.	मोठमागंलोद	जायला	,,	आयुर्वेद	राज्याधीन लेना है (दधिमति धमार्थ औषधालय)
93.	शिवसिंह	मेड़ता	,,	,,	

1	2	3	4	5	6
94.	खिदरपुरा	परवतसर	नागौर	आयुर्वेद	
95.	देपुर	नावा	,,	,,	
96.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	होम्यो.	जिला मुख्यालय
97.	कुरेडी	खण्डार	,,	आयुर्वेद	एस. सी. पी.
98.	तिमाव	नादोती	,,	,,	
99.	रतियांपुर	करौली	,,	,,	
100.	जौर	महुआ	,,	,,	
101.	मीना की नांगल	नीम का थाना	सीकर	,,	
102.	पेवा	सीकर	,,	,,	
103.	श्यामपुरा	दांतारामगढ़	,,	,,	
104.	गोकुल का वास	खण्डेला	,,	,,	
105.	छुपा छोटा	लक्ष्मणगढ़	,,	,,	
106.	सुरायता	सोजत	पाली	,,	
107.	कोठार	बाली	,,	,,	
108.	निम्बाहेड़ा	जैतारण	,,	,,	

Page No 382

1	2	3	4	5	6
109.	जवाई बांध	बाली	पाली	आयुर्वेद	
110.	सिरोही	सिरोही	सिरोही	होम्यो.	जिला मुख्यालय
111.	दोहितरा	आबूरोड	,,	आयुर्वेद	जनजाति क्षेत्र
112.	टोंक	टोंक	टोंक	होम्यो.	जिला मुख्यालय
113.	मुण्डिया	निवाई	,,	आयुर्वेद	
114.	देवली	टोंक	,,	,,	
115.	बावली	कठमाडा	,,	,,	राज्यादेश क्र. 1 (10) आयु. 80/ दि. 4.6.81 द्वारा कठमाड़ से बावड़ी में परिवर्तन
116.	नोमेडा	टोडारायसिंह	,,	,,	
117.	देवसोमनाथ	डूंगरपुर	डूंगरपुर	,,	जनजाति क्षेत्र
118.	आरा	सागवाड़ा	,,	,,	,,
119.	बासिया	डूंगरपुर	डूंगरपुर	आयुर्वेद	जनजाति क्षेत्र
120.	खेवड़ी	आसपुर	,,	,,	,,
121.	सुन्दरपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	,,
122.	मुकाम	घाटोल	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
123.	बडवा	बागीदरा	"	"	"
124.	पाटन	कुशलगढ़	"	"	राज्यादेश क्र. प. 4 (15) (3) (टी. ए. डी.)/ 80-81 दि. 24.12.81 द्वारा मुदड़ी से पाटन, में परिवर्तन।
125.	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	होम्यो:	जिला मुख्यालय
126.	पीसाधर	सराडा	"	आयुर्वेद	जनजाति क्षेत्र
127.	पीपिली बी	खेरवाड़ा	"	"	"
128.	टेकंरा	धरियावद	उदयपुर	"	"
129.	चन्दनवास	भीडोल	"	"	"
130.	महासिंह का खेड़ा	देवगढ़	"	"	राज्यादेश क्र. पं. 1 (5) आयु./ 79/दि. 31.10.81 द्वारा सराड़ा से ग्राम महासिंह का खेड़ा में परिवर्तन।

(2840)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 275 का आदेश

राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

क्रमांक. प० 14 (1) आयो/-ग्रुप 5/-आयो-मण्डल/78 दिनांक 14 सितम्बर, 1978

आज्ञा

राज्या देश संख्या एक 7 (6) ओ० एण्ड एम/ग्रुप-5/73 दिनांक 6-2-73 के अतिक्रमण में राज्य की योजना बनाने एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य आयोजना मण्डल का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. मुख्य मन्त्री	अध्यक्ष
2. आयोजना मन्त्री	उपाध्यक्ष
3. आयोजना सलाहकार	सदस्य
4. 10 अंशकालीन गैर-सरकारी सदस्य जिनमें से कम से कम 4 सदस्य विभिन्न विषयों/क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।	
5. मुख्य सचिव	सदस्य
6. प्रमुख सचिव	सदस्य
7. वित्त आयुक्त	सदस्य
8. विकास आयुक्त	सदस्य
9. विशिष्ट सचिव आयोजना	सदस्य सचिव

अन्य मन्त्रियों को आवश्यकतानुसार राज्य योजना मण्डल की बैठकों में विशेष रूप से आमन्त्रित किया जा सकता है।

आयोजना सलाहकार एवं गैर-सरकारी अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार (आयोजना विभाग) द्वारा की जायेगी एवं उनकी नियुक्ति को शर्तों के आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्य आयोजना मण्डल राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों से परामर्श देगा :—

1. दीर्घकालीन योजना
2. विकास हेतु नीति निर्धारण
3. राष्ट्रीय आयोजना के ढांचे के अन्तर्गत उपलब्ध वैज्ञानिक एवं आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना में क्षेत्रवार प्राथमिकताओं का निर्धारण।
4. परियोजनाओं के बनाने के स्तर एवं समांकों के आधार को सुदृढ़ करने हेतु आर्थिक अध्ययन शुरू कराना।
5. आयोजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन करना।
6. विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्रीय असन्तुलन का पता लगाना एवं उनको कम करने हेतु ठोस उपाय सुझाना।
7. योजना कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करना एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही हेतु सुझाव देना।
8. क्षेत्रीय विकास एवं जिला योजनाओं के कार्यक्रमों हेतु मार्गदर्शन देना। आयोजना विभाग राज्य आयोजना मण्डल के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। राज्य आयोजना मण्डल की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेंगी।

आज्ञा से,
ह०
(इन्द्रजीत खन्ना)
विशिष्ट शासन सचिव

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 की सूची

अनुलग्नक 'अ'

(क) गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र

नाम केन्द्र	वर्ष
1. बीकानेर	1976-77
2. लाडनूं	1976-77
3. नवलगढ़	1977-78
4. चूरू	1977-78
5. भीलवाड़ा	1977-78
6. जोधपुर	1977-78
7. केकड़ी	1977-78
8. नागासर	1977-78
9. जैसलमेर	1977-78
10. सांभर	1977-78
11. पुष्कर	1977-78
12. नागौर	1977-78
13. जहाजपुर	1977-78
14. जयपुर	1977-78
15. शिवदासपुरा	1977-78
16. बस्सी	1977-78
17. देवली	1977-78
18. लालसोट	1977-78
19. कानोता	1978-79
20. मालपुरा	1978-79
21. अजमेर	1978-79
22. रामगढ़	1978-79

नाम केन्द्र	वर्ष
23. निवाई	1978-79
24. चाकसू	1978-79
25. रतनगढ़	1978-79
26. बांसी	1979-80
27. दौसा	1979-80
28. फतेहपुर	1980-81
29. उनियारा	1980-81
30. नीम का थाना	1980-81
31. बनेड़ा	1980-81
32. नसीराबाद	1980-81
33. कानोड़	1980-81
34. डिग्गी	1981-82
35. रूपवास	1981-82
(ख) जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र :—	
1. हाथ ब्लाक से छपाई प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर	1977-78
2. फर्नीचर मेकिंग प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर	1977-78
3. दरी बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़	1977-78
4. बांस शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा	1977-78
5. अपहोल्सट्री प्रशिक्षण केन्द्र आबू रोड	1978-79
6. हाथ ब्लाक छपाई प्रशिक्षण केन्द्र, धारियावाद	1979-80
7. घीया भाटा प्रशिक्षण केन्द्र, तलवाड़ा	1979-80
8. दरी बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, आसपुर	1979-80
9. रेग्जीन (निर्मित वस्तु) उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़	1979-80
10. लकड़ी के खिलौने बनाना प्रशिक्षण केन्द्र, सागपुर	1979-80
11. फर्नीचर बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, फलासिया	1980-81
12. कृषि उपकरण प्रशिक्षण केन्द्र, बागीदौरा	1980-81
13. हाथ ब्लाक छपाई प्रशिक्षण केन्द्र, बोछीवाड़ा	1980-81

Page No 388

(288)

(ग) अखिल भारतीय हस्तकला मण्डल से स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्र :—

	नाम केन्द्र	वर्ष
1.	हाथ ब्लाक छपाई प्रशिक्षण केन्द्र, कालाडेरा	1980-81
2.	लकड़ी के ब्लाक बनाना, बगरू	1980-81
3.	ब्रास इन्ग्रेविंग, जयपुर	1980-81
4.	ब्रास कारियंग, जयपुर	1980-81
5.	लकड़ी पर धातु की नक्कासी, जयपुर	1980-81
6.	हाथ ब्लाक छपाई प्रशिक्षण केन्द्र, बस्सी	1981-82
7.	हाथ ब्लाक छपाई प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर	1981-82
8.	ब्रास इनामलिंग, जयपुर	1981-82
9.	ब्रास एम्बोस्टिंग, जयपुर	1981-82

(घ) वीवर्स ट्रेनिंग सैन्टर, बांसखो — 1981-82

(ङ) ऊंट की खाल (निर्मित वस्तुओं) पर सुनहरी काम प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर। — 1975-76

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 278 की सूचना

(क)

बीकानेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में सूचना

बीकानेर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये :—

1. औद्योगिक क्षेत्र, लूनकरनसर
2. औद्योगिक क्षेत्र, नापासर
3. औद्योगिक क्षेत्र, बेरियावाली
4. औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल
5. औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

(1) औद्योगिक क्षेत्र लूनकरनसर :—

औधोगिक क्षेत्र, लूनकरनर में 81 71 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त 156 भूखण्ड काटे गये हैं, जिनमें से दो इकाइयों ने 5 भूखण्डों पर फैक्ट्री भवन-निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद अपनी फैक्ट्री में उत्पादन शुरू कर दिया है व एक इकाई ने दो भूखण्डों पर दाल मिल का कार्य पूर्ण कर मशीनें फिट हो रही हैं। इसके अतिरिक्त दो इकाइयों ने और निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र लूनकरनसर के लिये प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति 15-30 लाख रुपये की जारी की जा चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र प्रथम फेज में डब्ल्यू.बी एम. रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका व सैकण्ड फेज के डब्ल्यू.बी.एम. रोड के निर्माण कार्य के वर्क आर्डर दिये जा चुके हैं। सर्वे डिमार्केशन, भूमि समतल का कार्य, नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में पानी की सप्लाई हेतु 7 09 लाख रुपये के ए. सी. एम प्राप्त हो चुके है एवं पी. एच. ई. उस वाटर सप्लाई को चालू करेगी, उनसे स्कीम प्राप्त होना बाकी है। तीन इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्षेत्र से विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। इस प्रकार निगम औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अब तक करीब 9 80 लाख रुपये व्यय कर चुका है

(2) औद्योगिक क्षेत्र नापासर :—

औद्योगिक क्षेत्र, नापासर में 42-13 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त कर 117 भू-खण्ड काटे गये थे। जिनमें से करीब 80 भू-खण्ड आबंटन किये जा चुके हैं। औद्यो-

गिक क्षेत्र, नापासर का विकास करने हेतु 9·39 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र में सर्वे एवं डिमार्केशन, भूमि समतल का कार्य औद्योगिक क्षेत्र, नापासर में 2-26 किलोमीटर डब्ल्यू. बी. एम. रोड का निर्माण कार्य नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पानी की सप्लाई हेतु करीब 0·54 लाख रुपये आय के ऐ० सी० पाइप प्राप्त हो चुके हैं व पी० एच० ई० डी० को पानी की सप्लाई हेतु 1·50 लाख रुपये करीब दो साल पहले अग्रिम दिये जा चुके हैं। उनकी तरफ से कार्यवाही होना शेष है। बिजली उपलब्ध है, जितने भी उद्योग कनेक्शन चाहेंगे तुरन्त दिलवा दिये जायेंगे। इस प्रकार निगम कुल 4.95 लाख रुपये व्यय कर चुका है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र, बेरिया वाली :

निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बेरियावाली का 41-56 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त कर 75 भूखण्ड काटे गये थे। जिनमें से करीब 70 भूखण्ड आवंटन किये जा चुके हैं। इस क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था 11 के. वी. लाइन पर उपलब्ध है तथा 33 के. वी. पर फीडर उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न जारी हैं। 48 लाख रुपये के तख्मीने प्राप्त हो चुके हैं जिनमें आवश्यक संशोधन विद्युत बोर्ड से कराये जा रहे हैं।

(4) औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर :

औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर का कब्जा रीको द्वारा 1979 में उद्योग विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें 196 भूखण्ड थे व जिनमें से करीब 78 इकाइयों के द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है व करीब 12 इकाइयों ने फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रखा है। औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि में रीको ने करीब 60 छोटे-छोटे भूखण्ड काट कर उद्यमियों को आवंटन करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में करीब 52 नई फैक्ट्रियां लगेगी। औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर के विकास हेतु 1·00 लाख रुपया स्वीकृत किया गया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में रोड नम्बर 1-2-3 नई बनवाई जा चुकी हैं व शेष कार्यों के लिये प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्यवाही जारी है।

(5) औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल :

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल के 200 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त कर उसमें करीब 230 भूखण्ड काटे गये हैं, जिनका आवंटन दिनांक 26-2-1982 को जिला औद्योगिक समिति द्वारा किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 1 करोड़ 3 लाख 50 हजार 710 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र में अति शीघ्र विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

———

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 279 की सूची

परिशिष्ट "क"

भारत सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों की सूची

1. श्री सी. के. मोदी
जोइन्ट सैक्रेटरी,
उद्योग विकास विभाग। — चेयरमैन

2. सैक्रेटरी,
उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

3. निदेशक,
उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव

4. प्रबन्ध निदेशक,
इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड,
कोटा।

5. एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,
खेतड़ी।

6. चेयरमेन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,
उदयपुर।

7. प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड
मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन, जयपुर।

8. प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०,
उद्योग भवन, जयपुर।

9. प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि.,
जयपुर ।

10. प्रबन्ध निदेशक,
हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेट,
जयपुर ।

11. प्रबन्ध निदेशक,
भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड,
आगरा ।

12. निदेशक,
लघु उद्योग सेवा संस्थान
जयपुर ।

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची

वर्ष 1980 में सेवा निवृत हुए कर्मचारियों के पेन्शन केसेज का ब्योरा

क्र. सं.	पेन्शन पर जाने वाले कर्मचारी का नाम	पद	सेवा निवृति की तिथि	सी. पी. ओ. को, केस भेजने की तिथि	सी. पी. ओ. से केस के निर्णय होने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री गजेसिंह	कानि० 631	31-1-80	2-1-80	10-9-80	
2.	,, अहमद खान	,, 756	30-4-80	5-3-80	29-5-80	
3.	,, मान बहादुर	,, 452	31-5-80	12-3-80	25-7-80	
4.	,, रावत खान	,, 154	30-6-80	5-3-80	14-7-80	
5.	,, भंवर सिंह	,, 597	30-6-80	5-3-80	11-8-80	
6.	,, अमरसिंह	हैड कानि 121	31-10-80	16-8-80	12-12-80	
7.	,, घीरा	,, ,, 13	31-12-80	20-8-80	24-1-81	
8.	,, पाबूदानसिंह	३ कानि 414	31-12-80	20-8-80	13-1-81	
9.	,, सन्त बहादुर	,, 773	31-15-80	26-3-80	25-7-80	

1	2	3		4	5	6	7
10.	श्री दलसिंह	कानि०	249	31-5-80	22-4-80	13-6-80	
11.	,, धरमाराम	,,	282	31-7-80	11-12-80	2-1-81	
12.	,, आईदानसिंह	हैड कानि०	64	31-7-80	11-12-80	10-2-81	
13.	,, हिन्दूसिंह	कानि०	708	31-8-80	11-12-80	6-1-81	
14.	,, रूपलाल	,,	741	31-8-80	11-12-80	23-3-81	
15.	,, आतुराम	हैड कानि०	10	5-4-80	16-8-80	22-10-80	
16.	,, श्रीराम	कानि०	457	1-11-80	11-12-80	28-1-81	
17.	,, गंगासिंह	,,	620	6-3-80	18-8-80	8-10-80	
18.	,, भंवरसिंह	,,	319	1-11-80	11-12-80	23-3-81	

वर्ष 1981 में सेवा निवृत हुए कर्मचारियों के पेन्शन का ब्यौरा

क. सं.	पेन्शन पर जाने वाले कर्मचारी का नाम	पद	सेवा निवृति की तिथि	सी. पी. ओ. को केस भेजने की तिथि	सी. पी. ओ. से केस के निर्णय होने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री सदरक	पी. सी.	30-4-81	7-3-81	1-5-81	
2.	,, सदानन्द	हैड कानि० 33	28-2-81	12-3-81	2-5-81	
3.	,, बशीरसिंह	,, 110	28-2-81	9-3-81	2-5-81	
4.	,, पहाड़सिंह	,, 135	31-8-81	4-6-81	8-12-81	
5.	,, बेला	कानि0 नं. 326	30-6-81	17-3-81	10-6-81	
6.	,, जयसिंह	,, 373	30-6-81	13-4-81	21-7-81	
7.	,, हरीसिंह	हैड कानि० 91	31-12-81	28-12-81	20-2-82	
8.	,, हीरा	कानि० नं. 354	31-12-81	19-12-81	4-2-82	
9.	,, अमर बहादुर	हैड कानि० 60	30-4-81	22-5-81	22-6-81	
10.	,, शंकरदास	पी. सी.	31-12-81	25-1-82	प्राप्त नहीं हुआ	
11.	,, तुल बहादुर	कानि० नं 370	31-10-81	11-1-82	26-2-82	
12.	,, कानसिंह	,, 281	31-8-81	18-5-81	14-12-81	

295

1	2	3	4	5	6	7
13.	श्री तुल बहादुर	कानि न. 563	31-8-81	18-5-81	3-12-81	
14.	,, केशरसिंह	,, 340	30-4-81	26-5-81	29-7-,,	
15.	,, माघोलाल	,, 317	31-10-81	31-1-82	प्राप्त नहीं हुआ	
16.	,, माखनसिंह	हैड कानि० 126	31-781	19-12-81	27-1-82	
17.	,, मुलतानसिंह	कानि नं. 330	31-8-81	1-1-82	4-2-82	
18.	,, भूराराम	,, 774	31-7-81	21-4-81	22-1-82	
19.	,, काचरा	,, 371	30-4-81	7-7-81	27-1-82	
20.	,, रामकुमार	,, 767	31-5-81	7-1-82	प्राप्त नहीं हुआ	
21.	,, अमरसिंह	,, 580	31-5-81	11-1-82	9-2-82	
22.	,, भागीरथराम	सी. सी.	31-1-81	12-3-81	1-5-81	
23.	,, केलाराम	कानि० नं. 401	31-3-81	7-7-81	5-1-82	
24.	,, सागरमल	हैड कानि नं. 93	31-3-81	18-5-81	9-2-82	
25.	,, मगनसिंह	,, 17	31-7-81	21-4-81	14-12-81	

297
1649

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982-परिशिष्ट

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूची

टाउनहाल के निर्माण कार्य में वर्ष 1957 से अब तक निम्न प्रकार व्यय हुआ

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	राशि	कुल योग
1.	57-58	शिलान्यास के फोटू का व्यय	112.00	112.00
2.	58-59	टाउन हाल की फाउन्डेशन कार्य	20327.00	
		सुपरविजन पर व्यय	443.55	20770.91
3.	59-60	सुपरविजन पर व्यय	9.03	
		टाउन हाल की फाउण्डेशन पर व्यय	223.96	232.99
4.	60-61	सुपरविजन पर व्यय	2574.43	
		टाउन हाल में मिट्टी डलवाई	201.50	
		टाउन हाल में बिजली फिटिंग	11056.30	
		सेड बनाना	4179.23	
		पाइप फिटिंग	1643.01	19654.47
5.	61-62	सुपरविजन चार्जेज	244.00	
		टाउन हाल के पंखे में हुक लगाने	15.00	
		,, बिजली फिटिंग	1927.84	
		,, पाइप फिटिंग	1073.14	3259.98
6.	62-63	सुपरविजन चार्जेज	5601.74	
		टाउन हाल का निर्माण कार्य	15195.55	
		,, ,,	9623.48	
		,, ,,	15058.25	

1	2	3	4	5
		टाउन हाल का निर्माण कार्य	4703.81	
		,, ,,	4622.71	
		वेल्डिंग पर व्यय	56.00	
		टाउन हाल का निर्माण कार्य	4116.13	
		,, ,,	19957.61	78935.18
7.	63-64	सुपरविजन पर व्यय	5756.43	
		टाउन हाल का निर्माण कार्य	9265.05	
		,, के लिए पाटिया क्रय	89.55	
		,, बिजली सामान क्रय	29.70	
		,, निर्माण कार्य	9221.03	
		,, सामान क्रय किया	1355.31	
		,, निर्माण कार्य	5392.52	
		,, ,,	11000.63	
		,, सामान क्रय किया	47 .93	
		,, निर्माण कार्य	9492.18	
		,, ,,	3486.11	
		,, बिजली का सामान क्रय	29.70	
		,, लकड़ी का सामान क्रय	12.50	55606.64
8.	64-65	सुपरविजन चार्जेज	2070.15	
		टाउन हाल का निर्माण कार्य	15333.44	
		,, ,,	24. 9	17428.38
9.	65-66	सुपरविजन चार्जेज	1343.17	
		मिट्टी सप्लाई करना	75.00	
		लगाने का कार्य	191.36	
		फर्सी क्रय	229.33	
		चूने का प्लास्टर	146.34	01985.20

1	2	3	4	5
10.	66-67	टाउन हाल का सुपरविजन चार्जेज	659.93	
		,, काले मार्बल स्टोन सप्लाई करना	6076.69	
		,, फर्शी के लिए रेत सप्लाई	89.36	
		,, बरन्डे के लिए चूना सप्लाई	100.00	
		,, छोटी व बड़ी गिट्टी सप्लाई	259.75	
		,, खिड़कियां बन्द करने के लिए ईंटें सप्लाई	42.00	
		,, फर्शी के लिए चूना व गिट्टी	212.50	
		,, खिड़कियां बन्द के लिए ईंटें क्रय	21.00	7451.23
11.	69-70	टाउन-हाल के हिस्से में सीमेंट व कंकरीट फर्शी आदि का कार्य	1929.08	
		टाउन हाल मैदान भराव	200.00	2129.08
12.	70-71	टाउन हाल की छत बनाने के लिए गिट्टी सप्लाई करना	8580.52	
		टाउन हाल फर्शी का कार्य	303.70	8884.22
13.	72-73	टाउन हाल का सुपरविजन चार्जेज	324.00	324.00
14.	76-77	टाउन हाल ट्यूबवेल ड्रेनेज का कार्य	21405.00	
		,, फर्श लगाने का कार्य	21482.35	
		,, प्लास्टर करने का कार्य	7735.90	
		,, मरडा प्लास्टर कार्य	3582.35	54205.60
15.	77-78	सुपरविजन चार्जेज	8946.41	
		टाउन हाल के दरवाजे में वार्निश	89.48	
		,, मरडा प्लास्टर	1027.91	
		,, दरवाजे हेतु लकड़ी क्रय	933.28	
		,, ,,	1363-76	

1	2	3	4	5
		टाउन हाल में प्लास्टर कार्य	307.86	
		,, कोरी डोरी सीमेंट प्लास्टर	311.60	
		,, के लिए पंखे क्रय	10586.50•	
		,, में लाइट फिटिंग	2689.50	
		,, लकड़ी खरीद	729.01	
		,, बिजली फिटिंग	8388.07	
		,, किवाड़ों के लिए लोहे का सामान क्रय	724.90	
		,, सामने लोहे की जाली	1485.00	
		,, बिजली सामान क्रय	6633.96	44327.24
16.	78-79	टाउन हाल छत पर ट्यूब ले० ट्रेसेज	7963.08	
		,, में प्लास्टर कार्य	857.93	
		,, ,,	1754.65	
		,, फर्श व प्लास्टर कार्य	1342.29	
		,, बिजली सामान क्रय	718.95	
		,, सामान क्रय	3691.8	
		सुपरविजन चार्जेज	187.50	16517.20
17.	79-80	टाउन हाल रेलिंग व सीडियों का कार्य	1542.24	1542.24
18.	80-81	टाउन हाल में रोलिंग व सीडियों का कार्य	22288 77	22288.77
19.	81-82	टाउन हाल के ऊपर कमरों का कार्य	14590.00	14590.00
				3,70,675.33

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 294 की सूची

क्र. सं.	पद का नाम	वर्ष					योग
		1977	1978	1979	1980	1981	
1	2	3	4	5	6	7	8
	राजपत्रित अधिकारी						
1.	अतिरिक्त निदेशक खान	—	1	—	—	—	1
2.	अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान)	—	1	—	—	—	1
3.	अधीक्षक खनि अभियन्ता	—	1	2	—	1	4
4.	अधीक्षक भूवैज्ञानिक	—	—	1	—	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	अधीक्षक भूभौतिकी	—	—	—	—	1	1
6.	खनि अभियन्ता	2	3	4	—	1	10
7.	सहायक खनि अभियन्ता	2	—	5	—	—	7
8.	वरिष्ठ भूवैज्ञानि	2	—	1	—	1	4
9.	कनिष्ठ भूवैज्ञानि	6	—	4	—	2.	12
10.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	—	—	—	—	1
11.	सहायक लेखाधिकारी	—	—	1	1	—	2
12.	सहायक जिद्रण अभियन्ता	—	3	—	—	—	3
13.	भूभौतिको	—	—	1	—	—	1
14.	रसायनज्ञ	—	—	2	—	—	2
		13	9	21	1	7	51

1	2	3	4	5	6	7	8
अराजपत्रित कर्मचारी							
1.	प्रशासनिक सहायक	1	—	—	—	—	1
2.	कार्यालय अध्यक्ष II	1	—	—	—	—	1
3.	आशुलिपिक II	1	3	3	—	3	10
4.	वरिष्ठ लिपिक	3	7	22	7	4	43
5.	कनिष्ठ लिपिक	6	14	17	14	4	55
6.	खनिज कार्यदेशक I	1	2	11	2	—	16
7.	खनिज कार्यदेशक	—	—	5	4	—	9
8.	वरिष्ठ मानचित्रकार	3	—	—	—	—	3
9.	कनिष्ठ मानचित्रकार	2	10	3	—	1	16
10.	वरिष्ठ सर्वेयर	3	—	—	—	—	3
11.	सर्वेयर	—	10	4	—	1	15
12.	क्षेत्र सहायक I	4	—	—	—	—	4

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	क्षेत्र सहायक I	1	—	—	—	—	1
14.	संगणक	—	—	6	—	1	7
15.	चालक	5	5	4	—	3	17
16.	लेखाकार	1	—	7	2	—	10
17.	कनिष्ठ लेखाकार	1	13	1	1	2	18
18.	रासायनिक सहायक	—	—	2	—	—	2
19.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	—	—	2	—	—	2
20.	लेबोरेटरी बोय	—	—	2	—	—	2
21.	संग्रहालय सहायक	—	—	1	—	—	1
22.	वैधक श्रेणी I	—	—	—	—	1	1
23.	वैधक श्रेणी II	—	—	—	—	2	2
24.	रिगमैन	—	—	—	—	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	वरिष्ठ यांत्रिक	2	—	—	—	—	2
26.	वरिष्ठ सेक्शन कटर	—	—	—	—	1	1
27.	कम्प्रेसर चालक	2	—	—	—	—	2
28.	होईस्ट आपरेटर	1	—	—	—	—	1
29.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	12	3	16	2	35
30.	गनमैन	2	4	4	—	—	10
31.	खनि रक्षक	—	—	1	—	—	1
		42	80	98	46	27	293

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूची

परिशिष्ट-1

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, अजमेर।

प्रधान खनिज के विचाराधीन आवेदन-पत्रों की सूची

क्रमांक 1	आवेदक का नाम 2	आवेदन की तिथि 3	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल 4
1.	श्री दुर्गाप्रसाद साबु जोधपुर	28/3/78	32.37 हैक्टेयर्स
2.	,, कुशालचन्द सुराणा जयपुर	21/1/81	427.35 ,,
3.	,, चम्पालाल सोलंकी	16/2/81	86.32 ,,
4.	,, हार्डरोकमाई. श्रोन प्रा. मद्रास	13/3/81	4.37 वर्ग कि.मी.
5.	,, शकुन्तला खन्ना नसीराबाद	3/7/81	64-75 है.
6.	,, मै. खत्री मिनरल्सग्रा. गण्ड ब्यावर	7/7/81	90 हैक्टेयर्स
7.	,, रामअवतार गुप्ता जयपुर	8/7/81	32.37 हैक्टेयर्स
8.	,, मोहनसिंह पंवार जवाजा	8/7/81	306.25 ,,
9.	,, हरजीनाथ भुडोल	24/7/81	34.00 ,,
10.	,, हरजीनाथ भुण्डोल	27/7/81	600 ,,
11.	,, महेन्द्र कुमार नसीराबाद	1/8/81	160 ,,
12.	,, कमलेश कुमार जयपुर	5/8/81	323.75 ,,
13.	,, शरद बाजोरीया कलकत्ता	7/8/81	10 वर्ग किलोमीटर
14.	,, बृजमोहन गर्ग किशनगढ़	12/8/81	90 हैक्टेयर्स
15.	,, बृजमोहन गर्ग किशनगढ़	12/8/81	250 ,,
16.	,, श्री राज० स्टेट इण्ड० डेवलपमेन्ट एण्ड इन्व० कारपोरेशन जयपुर	18/8/81	295.25 ,,

(307)

1.	2	3	4
17.	श्री कृष्णाकान्त वर्मा ब्यावर।	22/8/81	420.88 हैक्टेयर्स
18.	श्री अरविन्द कुमार गर्ग अजमेर	25/8/81	32.37 ,,
19.	,, जगमोहन सक्सेना नसीराबाद	28/8/81	120 ,,
20.	,, भंवरलाल सेठी सुनोद	31/8/81	135 एकड़
21.	,, गोरीनारायणी खनिज उद्योग ब्यावर	5/9/81	200 हैक्टेयर्स
22.	,, कृपा किशन शर्मा अजमेर	8/9/81	22.50 ,,
23.	,, मै० खत्री मिनरल्स प्रा० इण्ड० ब्यावर	9/9/81	80.00 ,,
24.	,, मै० खत्री मिनरल्स प्रा० इण्ड०	9/9/81	91.00 ,,
25.	,, मै० कन्चन ट्रेडर्स प्रो० चौसुसिंह गढ़ अर्जुनपुरा	15/9/81	110.00 ,,
26.	,, सत्यनारायण गर्ग अजमेर	16/9/81	36.00 ,,
27.	,, शेर मोहम्मद सरवाड़	17/9/81	70.00 ,,
28.	,, गोरी नारायणी खनिज उद्योग ब्यावर	28/9/81	437.5 ,,
29.	,, कन्हैया लाल कोली देवगांव केकड़ी	30/9/81	60.00 ,,
30.	,, रमेश चन्द्र बंसल ब्यावर	3/10/81	168.75 ,,
31.	,, हरिशंकर मांगलियावास	16/10/81	32.37 ,,
32.	,, अरविन्द कुमार गर्ग	19/10/81	40.50 ,,
33.	,, ई० सी झामजी	21/10/81	34.11 ,,
34.	,, कन्हैया लाल भीलवाड़ा	9/11/81	50 00 ,,
35.	,, कन्हैयालाल देलवाड़ा	9/11/81	135.00 ,,
36.	,, राधेश्याम चावड़ा ब्यावर	28/11/81	586.63 ,,
37.	,, राधेश्याम चावड़ा ब्यावर	28/11/81	215.75 ,,
38.	,, जे. के. मिनरल्स अजमेर	3/12/81	327.82 ,,

1	2	3	4
39.	श्री जे. के. मिनरल्स, अजमेर	3/12/81	388.45 हैक्टेयर्स
40.	,, राधेश्याम चावड़ा, ब्यावर	8/12/81	172.41 ,,
41.	श्री सिमेन्ड लि०, जयपुर	8/12/81	40.00 ,,
42.	,, मानसिंह बागले, अजमेर	17/12/81	32.37 ,,
43.	,, रमेशचन्द बंसल, ब्यावर	23/12/81	86.25 ,,
44.	,, जे. के. मिनरल्स, अजमेर	29/12/81	129.05 ,,
45.	,, कंचन ट्रेडर्स गड़ी, अर्जुनपुरा	31/12/81	195.05 ,,
46.	,, काबरा मिनरल्स, बून्दी	1/1/82	60·00 ,,
47.	,, कल्याण मल, टॉक	1/1/82	200.00 ,,
48.	,, कन्हैया लाल राठौड़, अजमेर	11/1/82	119.00 ,,
49.	,, कन्हैया लाल राठोड़, अजमेर	11/1/82	87.05 ,,
50.	,, नरेन्द्र मिनरल्स, अजमेर	11/1/82	110.15 ,,
51.	,, अरविन्द कुमार, गर्ग अजमेर	11/1/82	120·00 एकड़
52.	,, बालमुकुन्द सोनी, राजपुर पाली	15/1/82	142.00 हैक्टेयर्स
53.	,, केसरी मिनरल्स, ब्यावर	15/1/82	135.98 ,,
54.	,, गणपत लाल दगदी, ब्यावर	6/2/82	172.66 ,,
55.	,, ओम प्रकाश तेला, नसीराबाद	15/2/82	48.00 ,,
56.	,, ओमप्रकाश तेला ,नसीराबाद	15/2/82	80.00 ,,

309
(66)

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982 परिशिष्ट

परिशिष्ट -2

अप्रधान खनिज के दिनांक 15-2-82 तक विचाराधीन आवेदन-पत्रों की सूची

क्र०स०	आवेदक का नाम	आवेदन पत्र की तिथि	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
1.	श्री नन्द लाल मानधनिया पुत्र श्री सूरजमल कमराना	18/7/80	60x60 व० मी०
2.	श्री मोती पुत्र देवा बीता, अजमेर	3/9/81	60x60 ,,
3.	श्री पीसालाल पुत्र बरदीचन्द माली, किशनगढ़	15/9/81	60x70 ,,
4.	श्री रामपाल पुत्र छीतरमल माली, किशनगढ़	15/9/81	240x80 ,,
5.	श्री प्रभुराम चौधरी पुत्र श्री शोराराम मकराना	5/10/81	100x60 ,,
6.	मैसर्स ईनाणी मार्बल उद्योग किशनगढ़	5/10/81	100x60 ,,
7.	श्री सूरजमल चौधरी पु० गिरधारी किशनगढ़	14/10/81	60x60 ,,
8.	श्री प्रेमराज शर्मा पु० नाथूराम अजमेर	20/10/81	60x90 ,,
9.	श्रीमती सावित्री देवी पत्नि श्री मूलचन्द अजमेर	20/10/81	,, ,,
10.	श्री शम्भूराम पु० सूरजमल जाट अजमेर	20/10/81	200x60 ,,
11.	श्री रामलाल पु० श्री किशनलाल किसनगढ़	30/10/81	90x100 ,,
12.	मै० श्री सीमेन्ट लिमिटेड ब्यावर	20/11/81	200x100 ,,
13.	,, ,, ,,	27/11/81	7200 ,,

1	2	3	4	
14.	मै० श्री सीमेन्ट लिमिटेड, ब्यावर	27/11/81	800x200	व० मी०
15.	श्री श्रीचन्द बावरी पु० बालाजी, बून्दी	30/11/81	120x60	,,
16.	,, ,, ,,	,,	60x150	,,
17.	श्री साहिब राम पु० ईसरदास, ब्यावर	30/11/81	90x60	,,
18.	श्री भंवरलाल पु० बालूराम, नागौर	30/11/81	60x90	,,
19.	श्री साबतराम पु० श्री रामदीन, मकराना	30/11/81	60x90	,,
20.	श्री लक्ष्मण पु० किशनलाल राजबोहरा, मकराना	,,	60x90	,,
21.	श्री प्रेमाराम बावरी पु० सुखदेव बावरी, मकराना	31/11/81	60x90	,,
22.	श्री हुरमाराम पु० श्री गंगाराम मकराना	,,	,,	,,
23.	श्री प्रेमाराम पुत्र श्री दिदाराम, मकराना	,,	,,	,,
24.	श्री कानाराम पु० प्रतापजी, नागौर	,,	,,	,,
25.	श्री खेताराम पु० बिरदाराम, नागौर	,,	,,	,,
26.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, अजमेर	5/12/81	105x175	,,
27.	श्री श्यामसुन्दर इनाणी पुत्र श्री गोपालजी इनाणी	10/12/81	90x90	,,
28.	श्री अशोक कुमार जाजू पु० श्री रामस्वरूप किशनगढ़	15/12/81	60x60	,,
29.	,, ,, ,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	
30.	श्री हमेन्द्रसिंह पु० श्री जगजीवन राठौड़, नागौर	22/12/81	90x60	व० मी०
31.	श्री रामलाल पु० नन्दा रेगर, अजमेर	23/12/81	150x40	"
32.	श्री " "	"	"	"
33.	श्री हरीओम पु० श्री लाल साब, अजमेर	26/12/81	60x60	"
34.	श्री उम्माराम जाट पु० गंगुराम जाट, पिगलोद	6/1/82	"	"
35.	श्री अभय कुमार जैन पु० श्रीचन्द जैन; किशनगढ	12/1/82	60x90	"
36.	श्री रामपाल पु० श्री नन्दा रेगर, अजमेर	14/1/82	60x200	"
37.	" " "	"	"	"
38.	श्री श्रीचन्द जैन पु० राजमल, किशनगढ	14/1/82	60x90	"
39.	श्री वेद प्रकाश शर्मा पु० श्री मोतीलाल अजमेर	19/1/82	60x60	"
40.	श्री सतीश कुमार शर्मा पु० श्री महेशचन्द शर्मा, अजमेर	"	"	"
41.	श्री घनश्याम अग्रवाल पु० श्री किस्तुर चन्द, नागौर	21/1/81	60x90	"
42.	श्री सूर्य प्रकाश पु० मन्नुराम, नागौर	"	120x120	"
43.	श्री मालचन्द पु० श्री जुगल किशोर गुप्ता, नागौर	"	87x60	"
44.	श्री सुभाष चन्द पु० शिव प्रसाद, नागौर	21/1/82	60x120	"

(325)

1	2	3	4	
45.	श्री गंगा पुत्र बोदु भोंभी, कायड	23/1/82	75x60	व० मी०
46.	सफी मोहम्मद पु० श्री नजीर मोहम्मद, नागौर	25/1/82	75x90	,,
47.	श्री छीतर पु० लाखारावत, भुधाभाय	5/2/82	75x50	,,
48.	श्री सावरलाल पु० श्री जयनारायण, बियाद	,,	,,	,,
49.	श्री बाबुराम पु० जगन्नाथ पिंगलोद	8/2/82	,,	,,
50.	श्री कमलेश कुमार पु० रामनिवास शर्मा, अजमेर	15/2/82	75x90	,,
51.	श्री बुधराज, अजमेर	,,	60x60	,,
52.	श्री रामपाल पु० नन्दा रेगर, अजमेर	,,	200x200	,,

रशिष्ट–3

राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अजमेर।

दिनांक 15.2.82 को विचाराधीन परमिटों हेतु आवेदन पत्रों की सूची :—

क्र०सं०	आवेदक का नाम	आवेदन पत्र की तिथि	क्षेत्र जहां के लिए परमिट चाही है
1.	मै० यु० एस० ए० बिल्डर्स	14/7/81	चोरलिया वास
2.	श्री मदन चन्द अग्रवाल	30/11/81	1. कल्याणीपुरा 2. हुण्टड़ी 3. वीर

1	2	3	4
3.	श्री मदन चन्द गंगवाल	30/11/81	1. कल्याणीपुरा 2. नारेली 3. हुण्टड़ी 4. फाईपागर
4.	मैं० रतनलाल रमेशचन्द्र	14/12/81	वर्णन नहीं किया गया है।
5.	मैं० राजन कन्ट्रक्शन कं०	16/1/82	,, ,,
6.	,, बोथरा कन्ट्रक्शन कं०	11/2/82	ललुवा क्षेत्र
7.	,, जे० के कन्सट्रक्शन कं०	8/2/82	1. नाल 2. तबीजी
8.	श्री एस० एन० बिन्दल	15/2/82	1. हनत्या 2. नगर नाला

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता अजमेर (राजस्थान)

वित्तीय वर्ष 1980-81 (1-4-80 से 31-3-81) एवं 1-4-81 से 15-2-82 तक प्राप्त प्रधान खनिज के प्रार्थना-पत्र जो खारिज किये गये की सूची

क्रमांक	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन पत्र की दिनांक	आवेदित क्षेत्र मय खनिज व स्थान के	आवेदन पत्र खारिज होने के कारण	
1.	श्री कानमल मोदी ब्यावर	29-4-80	32-37 हेक्टर निकट ग्राम बिहारखेड़ा तह, ब्यावर जिला अजमेर वास्ते खनिज मायका, फैल्सपार, क्वार्टज ।	शासन के आदेश संख्या-5 (303) खान/ग्रुप-1/80 दिनांक 10-1-81 द्वारा ।	आवेदक की क्षेत्र लेने की रुचि नहीं होने से रद्द की गई

1	2	3	4	5	5
2.	श्री शरद बाजोरिया, कलकत्ता	24-6-80	10 वर्ग किलो मीटर निकट ग्राम कानाखेड़ा श्यामपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर वास्ते लाईम स्टोन।	शासन आदेश क्रमांक प-4, (134) खान ग्रुप-2/81 दिनांक 10-6-81 द्वारा	प्रार्थी द्वारा वैध अनुमोदन प्रमाण पत्र व लेटर आफ इनडेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण
3.	श्री कैलाश चन्द, जैन भीलवाड़ा	31-7-80	129-5 हैक्टर निकट ग्राम खडाच, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर वास्ते खनिज मायका फैल्सपार क्वार्टज।	स्वतः अस्वीकृत द्वारा राज्य सरकार पंत्रांक प-5 (398) खान/ ग्रुप-1/80 दिनांक 10-8-81 द्वारा।	स्वतः अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण।
4.	श्री मगनमल के. नागदा, अजमेर	29-7-80	3-37-हैक्टर्स निकट ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला अलमेर वर्वीनुयुलाईट।	स्वतः अस्वीकृत राज्य सरकार पत्र संख्या प-5 (102) खान 1 ग्रुप 80 दि० 10-8-81 द्वारा।	स्वतः अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण।

1	2	3	4	5	5
5.	श्री मगन लाल के० नागदा, अजमेर	6-8-80	32–37 हेक्टर्स निकट ग्राम काजीपुरा तहसील व जिला अजमेर बर्मीक्युलाईट ।	स्वत: अस्वीकृत राज्य सरकार पत्रक प–5/103/खान–ग्रुप 1/81 दि. 19-8-81 द्वारा ।	स्वत: अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण ।
6.	श्री राजकुमार भगत, अजमेर	12-8-80	101–19 हेक्टर निकट ग्राम खारमाल तह० ब्यावर जिला अजमेर खनिज मायका फैल्सपार, क्वार्टज ।	स्वत: अस्वीकृत राज्य सरकार पत्र क्र० प-5/37/खान/ग्रुप-1/81 दि० 14-9-81 द्वारा ।	स्वत: अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण ।
7.	श्री सौभागमल गोलेछा, ब्यावर	6-9-80	172–64 हैक्टर निकट ग्राम लोटियाना तह० ब्यावर जि० अजमेर वास्ते खनिज वास्ते मायका, फैल्सपार क्वार्टज ।	अस्वीकृत राज्यादेश सं प–5/83 खान/ग्रुप–1/81 दि. 30-5-81 द्वारा ।	आवेदक की क्षेत्र की रुची नहीं होने से अस्वीकृत की गई ।

1	2	3	4	5	6
8.	श्री राजकुमार भगत, अजमेर	13-10-80	38–85 हैक्टर निकट ग्राम भड़वासा व जिला अजमेर वास्ते खनिज मायका, फैल्सपार,	अस्वीकृत राज्यादेश क्र० प–5/88/खान/1/ ग्रुप 81 दिनांक 17-8-81 द्वारा।	आवेदक की क्षेत्र लेने की रुचि नहीं होने से अस्वीकृत की गई।
9.	श्री हरीशंकर शर्मा, मांगलियावास	27-12-80	32-67 हैक्टक्वार्टज अर्जुनपुरा तहसील व जिला अजमेर, वास्ते एसबसटस क्वार्टज, डोलोमाईट।	अस्वीकृत द्वारा राज्य सरकार आदेश सं० प० 02/252/खान 1 ग्रुप-2/81 दिनांक 3-11-81 द्वारा।	आवेदित क्षेत्र निर्धारित स्वीकृत योग्य क्षेत्र से कम होने से।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर

वित्तीय वर्ष 1980–81 (1–4–80 से 31–3–81) एवं दिनांक 1–4–81 से 15–2–82 तक प्राप्त अप्रधान खनिज के प्रार्थना-पत्र जो खारिज किये गये हैं :

भाग (अ) 1/4/80 से 31/3/81

परिशिष्ट–5 (अ)

क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदन पत्र का दिनांक	आवंटित खनिज का नाम व क्षेत्र का विवरण	खारिज होने का दिनांक	खारिज करने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामपाल रेगर	3/4/80	चुनाई पत्थर निकट ग्राम कल्याणीपुरा, तह० व जिला अजमेर	26/7/80	रिनीकल प्रार्थना-पत्र नियमानुसार समय अवधि पश्चात् प्रस्तुत करने का कारण

1	2	3	4	5	6
2.	श्री रामा पुत्र लादू निवासी डुमाडा	9/5/80	बजरी निकट ग्राम पुरिया	16/8/80	आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्तियां न करने के कारण
3.	श्री रामा पुत्र लादू, मकराना	25/5/81	मारबल नि. ग्रा. कायमपुरा	23/2/82	क्षेत्र रिजर्व पैसूट में पड़ने के कारण वन विभाग को एन. ओ. सी. प्रदान करने हेतु लिखा गया जो कि प्राप्त न होने पर नियमानुसार नौ माह पश्चात् आवेदन-पत्र डोम-टू-हैवबीन रिफ्यूज्ड हो गया।
4.	,, ,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
5.	श्री सुवालाल मोदी पुत्र श्री गिरधारीलाल, निवासी केसरपुरा	8/7/81	नि.ग्रा. कांकरिया चुनाई पत्थर	3/4/81	आवेदितक्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ने के कारण व मण्डल अधिनियम द्वारा एन. ओ. सी. प्रदान करने से इन्कार करने के कारण।
6.	श्री सुनीलकुमार अरोड़ा	7/7/80	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. नारौली	14/7/80	चूंकि आवेदक प्रेशर लगाना चाहता था, चुनाई पत्थर के खनन पट्टों के लिये आवंटित करने हेतु निर्धारित श्रेणी में न आने के कारण जिलाधीश को एन. ओ. सी. बाबत लिखा गया जो कि प्राप्त नहीं हुई।

1	2	3	4	5	6
7.	श्री छीतर पुत्र लाल्या रावत	17/7/80	मसेनरी स्टोन धूदरा	4/4/81	आवेदित क्षेत्र का निरीक्षण करने पर पाया गया कि क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ता है व चूंकि आरक्षित वन खण्ड में खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है, इस वजह से आवेदन-पत्र खारिज किया गया ।
8.	श्री बालू पुत्र नन्दा मीणा	5/8/80	चुनाई पत्थर निकट ग्राम बडेलों का एरिया तह. ब्यावर जिला अजमेर	12/8/80	आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहने के कारण खारिज किया गया ।
9.	श्री छिगनलाल पुत्र कालूराम	4/4/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. मदार पहाड़	13/4/81	आवेदित क्षेत्र का परिनिरीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र

Page No 422

1	2	3	4	5	6
					आरक्षित वन खण्ड में पड़ता है व मण्डल वन अधिकारी ने अपने पत्र दि. 31/3/81 से वन क्षेत्र में खनन पट्टा देने से इंकार किया है, अतः आवेदन-पत्र खारिज किया गया।
10.	श्री छिगनलाल पुत्र कालूराम	14/8/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. मदार पहाड़	13/4/81	,, ,, ,,
11.	श्री सुवालाल पुत्र गिरधारीलाल धोबी	19/9/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. लोडामल	,,	,, ,, ,,
12.	श्री छगनलाल पुत्र श्री कालूराम जाटव	20/9/80	चुनाई पत्थर नि. ग्रा, मदारपुर	,,	,, ,, ,,
13.	श्री कायम अली पुत्र अब्दुल रहमान बोरावड़	7/10/80	मारबल नि. ग्रा. कायमपुर	12/6/80	आवेदक आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहने के कारण।

1	2	3	4	5	6
14.	श्री नवाब अली पुत्र अब्दुल रहमान	8/10/80	मारबल नि. ग्रा. कायमपुरा	12/6/81	आवेदक आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहने के कारण।
15.	श्री हरलाल बलाई पुत्र श्री लादू बलाई	28/10/81	चुनाई पत्थर नि. ग्राम कायमपुरा	,,	,, ,, ,,
16.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री रामदयाल	11/11/80	नि. ग्राम मदार पहाड़	23/4/81	रिजर्व फोरेस्ट में पड़ने के कारण
17.	श्री रामा पुत्र भोलू बलाई	12/11/80	नि. ग्रा. पुरोहितों की ढाणी	12/6/81	आवेदक आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहने के कारण।
18.	श्री महेशकुमार पुत्र जगदीश नारायणगौड	13/11/80	नि. ग्रा. बालुद चुनाई पत्थर	13/4/81	आवेदक चुनाई पत्थर हेतु निर्धारित श्रेणियों में न होने के कारण खारिज की गई।

1	2	3	4	5	6
19.	श्री कैलाशचन्द पुत्र बद्रीनारायण	12/11/80	मारबल नि. ग्रा. नरबर	14/2/81	प्रावेदक प्रावेदन-पत्र में रही, पूर्तियां करने में असमर्थ रहने के कारण खारिज की गई।
20.	श्री महेन्द्रकुमार नाहटा पुत्र श्री सुखकरन नाहटा	,,	,, ,, ,,	14/3/81	,, ,, ,,
21.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल माली	26/11/80	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. लोहामल	4/4/81	प्रावेदित क्षेत्र प्रारक्षित खण्ड में पड़ने के कारण।
22.	श्री दुर्गासिह पुत्र श्री हीरासिह	1/1/81	लाइम स्टोन नि. ग्रा. राजपुरा तह. ब्यावर	23/4/71	प्रावेदक प्रावेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल, रहने के कारण खारिज किया गया।
23.	श्री रमेशचन्द्र माली पुत्र श्री गबरूजी माली	6/12/80	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. लोहाखान	4/4/81	प्रावेदित क्षेत्र प्रारक्षित बन खण्ड में पड़ने के कारण।

1	2	3	4	5	6
24.	श्री पन्ना रावत पुत्र श्री भीमा रावत	1/1/81	लाइम स्टोन नि. ग्रा. कासिया	23/4/81	आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र में रही कमियों को पूर्ति करने में असमर्थ रहने के कारण खारिज किया।
25.	श्री बापेनराम पुत्र मिनूराम अहीर	3/1/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. मण्डावरिया	,, ,,	आरक्षित वन खण्ड में पड़ने के कारण।
26.	,, ,, ,, ,, ,,	,, ,,	,, ,, ,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
27.	,, ,, ,, ,, ,,	,, ,,	,, ,, ,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
28.	श्री मुन्शीलाल पुत्र भंवरलाल जाट	6/1/81	मारबल नि. ग्रा. मानपुरा की ढाणी	28/8/81	आवेदक ने आवेदन-पत्र वापिस लेने हेतु प्रार्थना की, इस कारण खारिज किया गया।
29.	श्री राजेन्द्र बागड़ी	,, ,,	,, ,, ,,	5/10/81	डीम टू हैवबीन रिफ्यूज हो गया दि. 5/10/81।
30.	श्री सरवण पुत्र श्री रामदीन रेगर	9/1/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. बोराज	28/8/81	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ने के कारण व चूंकि मण्डल

1	2	3	4	5	6
					वन अधिकारी ने अपने पत्र दि. 31/3/81 में वन क्षेत्र में खनन पट्टा न देने के कारण।
31.	श्रीमती पुष्पा देवी पति नाथूराम बावरी	13/1/81	मारबल नि. ग्रा. मानपुरा की ढाणी	31/8/81	आवेदक आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफल रही इस कारण आवेदन-पत्र खारिज किया गया।
32.	श्री गंगाराम पुत्र श्री गंगाराम, मकराना	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
33.	श्री दिनेश गोयल पुत्र श्री रामदीन गोयल	15/1/81	मारबल नि. ग्रा. कायमपुरा	12/7/81	आवेदक आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफल रहा इस कारण आवेदन-पत्र खारिज किया गया।

1	2	3	4	5	6
34.	श्री गंगाराम पुत्र रामचन्द्र नायक	15/1/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. तारागढ	10/7/81	आवेदक आवेदन-पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफल रही इस कारण आवेदन पत्र खारिज किया गया।
35.	श्री बद्रीनारायण पुत्र रामजीवन जागोटिया	17/1/81	मार्बल नि. ग्रा.	,, ,,	डीम टू हेबबीन रिफज हो गया।
36.	श्री मनोहरलाल जोशी श्री बन्शीलाल	31/1/81	मार्बल नि. ग्रा. पींगलोद	28/8/81	आवेदक, आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहा।
37.	श्री सत्यनारायण व्यास पुत्र भंवरलाल, नागौर	31/1/81	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
38.	श्री गोरधराम चौधरी पुत्र श्री मोटाराम	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
39.	श्री भाण्डुराम पुत्र श्री टिकूराम, नागौर	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
40.	श्री वासुदेव पुत्र श्री रघुनाथ व्यास	31/1/81	मार्बल नि. ग्रा. पिंगलोद	28/8/81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करेने में असफल रहा।
41.	श्री मोहम्मद इस्माइल पुत्र मोह. सदीक	2/2/81	मार्बल नि. ग्रा. अंगरिया तह.पीपागन	,, ,,	,, ,, ,,
42.	श्री गुलजारी लाल पुत्र श्री बन्शीधर गुप्ता	4/2/81	मार्बल नि. ग्रा. पराधना	,, ,,	,, ,, ,,
43.	श्री पोष चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र टाक	27/1/81	,, ,,	28/7/81	,, ,, ,,
44.	श्री उम्मेदसिंह पुत्र विजयसिंह	27/1/81	मार्बल ग्रा० नि० पिपलोद	28/8/81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहा।
45.	श्री उगमाराम पु० मांगुराम जाट	29/1/81	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
46.	श्री ,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
47.	श्री कैलाश चन्द्र पु० श्री बन्शीलाल	31/1/81	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
8.	श्री नन्दकिशोर पु० श्री भंवरलाल	31/1/81	मार्बल ग्रा.नि. पिपलोद	28/8/81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहा।
49.	श्री मनोहरलाल पु० नागौर	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
50.	श्री उमराव खान पु० श्री करीम खान सिसोदिया	17/2/82	मार्बल नि० ग्रा० पिपलोद	,, ,,	,, ,, ,,
51.	श्री भंवरलाल पु० श्री उमर खां	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
52.	श्री उमरखां पु० श्री करीमखां	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
53.	श्री भंवर खा पु० श्री उमर खां	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
54.	श्री मूलचन्द कुमावत	23/2/81	लाइमस्टोन नि. ग्रा. मोबरा तहसील	,, ,,	,, ,, ,,
55.	श्री हरदेव पु० श्री मोतीलाल	,, ,,	मेसेनरी स्टोन नि. ग्रा रामगढ़	28/6/81	,, ,, ,,
56.	श्री ,, ,,	,, ,,	,, ,, बरली	,, ,,	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
57.	श्रीमधुसुदन पु० भंवरलाल व्यास	23/3/81	मार्बल नि० ग्रा० पिंगलोद	28/6/81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमि की पूर्ति करने में असफल रहा।
58.	श्री मंगलचन्द पु० श्री जमना लाल व्यास	2/3/81	मार्बल नि० ग्रा० पिंगलोद	,, ,,	,, ,, ,,
59.	श्री रमेश चन्द्र पु० मोहनलाल बोहरा	7/3/81	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
60.	,,	,, ,,	मार्बल नि० ग्रा० कायमपुरा	,, ,,	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।
61.	श्री ओमप्रकाश शर्मा पु० श्री बाबूलाल शर्मा	,, ,,	मार्बल नि० ग्रा० पिंगलोद	28/7/81	,, ,, ,,
62.	श्री आनन्द प्रकाश बिडल	11/3/81	मार्बल नि० ग्रा० सराधना.	28/7/81	,, ,, ,,
63.	श्री श्रवण लाल गहलोत	19/3/81	मार्बल नि० ग्रा० सराधना	11/12/81	डीम टू हेव बीन रिफ्यूज हो गया
64.	श्री पुष्कर लाल पुरोहित	19/3/81	मार्बल नि० ग्रा० कायमपुरा	2/7/81	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।

परिशिष्ट–5 (ब)

1.4.81 से 15.2.82 तक

1	2	3	4	5	6
1.	श्री गजानन्द पुत्र श्री छोगा खटीक	9/4/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. वीर	31/12/81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहने के कारण।
2.	श्री पुष्करांज सिंह पु० श्री भजनसिंह	10/4/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. पर्वतपुरा	,, ,,	,, ,, ,,
3.	श्री चन्द पुत्र श्री बिजय दास बाबरी	16/4/81	मार्बल नि. ग्रा. नरवर	28/8/81	,, ,, ,,
4.	श्री छगनसिंह पु० श्री छीतरसिंह रावत	23/4/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. भुण्डाभाई	30/12/81	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड अन्तर्गत पड़ने के कारण।

Page No 432

1	2	3	4	5	6
5.	श्री अशोक कुमार पु० अमरचन्द्र खण्डेलवाल	29/4/81	मार्बल नि. ग्रा. दौलतराम पुरा तह. ब्यावर	30/12/81	आवेदक, आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्तियां करने में असफल रहने के कारण।
6.	श्री शिव रमेश पुत्र श्यामसुन्दर डालमियां	5/5/81	मार्बल नि. ग्रा. किशनगढ़	,, ,,	,, ,, ,,
7.	श्री मै. कल्पना स्टोन, किशनगढ़	6/6/81	मार्बल नि. ग्रा. आखरी	,, ,,	आवेदक के पक्ष में विभाग की बकाया होने के कारण उक्त रकम न जमा कराने के कारण।
8.	श्री पुष्कर लाल पुत्र मांगीलाल पुरोहित	13/7/81	मार्बल नि. ग्रा. कायमपुरा	9/9/81	आवेदक, द्वारा आवेदन पत्र वापिस लेने के कारण।
9.	श्रीमती सुमित्रा पारीक पत्नी श्री के. जी. पारीक	13/7/81	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,
10.	श्रीमती सुमित्रा पारीक ,, पत्नी श्री के. जी. पारीक	,,	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
11.	श्री मोहनलाल श्रीमाल पुत्र श्री रामचन्द्र श्रीमाल	5/9/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. पराधना कारेला	12/9/81	आवेदक, द्वारा आवेदन-पत्र वापस लेने के कारण।
12.	श्री सुवालाल पुत्र श्री गिरधारी लाभाभी	18/9/81	चुनाई पत्थर नि. ग्रा. लोहाखान	29/1/82	आरक्षित वन खण्ड में पड़ने के कारण।
13.	श्री पुषाराम पुत्र श्री लालराम चौधरी	22/12/81	मार्बल नि. ग्रा. पिगलोद	,, ,,	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र वापस लेने के कारण।

335

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची

किलोमीटर 74 तक मुख्य नहर की नहरों के सिस्टमवार सिंचित क्षेत्र व क्षेत्र जिसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई के आंकड़े (हैक्टयर में)।

क्र. सं.	सिस्टम का नाम	सी.सी.ए.	भूमि जिसमें सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकी हैं।
1.	राजस्थान फीडर व मुख्य नहर से सीधे मोघे लखुवाली तक	13·37	13·37
2.	रावतसर सिस्टम	39·66	39·66
3.	नोरगंदेसर सिस्टम	28·33	27·02
4.	नोर्थ घग्घर नहर	9·82	9·82
5.	सूरतगढ़ ब्रांच सिस्टम	99·43	97·52
6.	राजस्थान नहर से निकलने वाली सीधी वितरिकाएं व लखुवाली से बीधरवाल तक मोघे	22.49	22·49
7।	अनूपगढ़ शाखा सिस्टम	167·37	167·37
	कुल	380·47	376·25 (9,29,09 एकड़)

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982-परिशिष्ट

75 कि. मी. से 189 कि मी. तक

विवरण तालिक राज. मुख्य नहर बुर्जी सूची की 243 से 620 क्षेत्रफल जो कि 3/82 तक खोला गया।

क्रमांक	नाम नहर	कुल क्षेत्रफल	3/81 तक सिंचाई के लिए खोला गया क्षेत्रफल
1.	सीधे मोगे बुर्जी 343000 से 619·300 मुख्य नहर	16616	16616
2.	गोविन्दा माईनर	966	966
3.	वीर माना ,, i	1658	1658
4.	,, ,, ii	2824	2824
5.	डुगोंन वाला ,,	3818	3818
6.	डुगोंन वाला सब माइनर	979	979
7.	लालगढ़, ,,	1513	1513
8.	सुखचैनपुरा ,,	1886	1886
9.	गोपालसर ,,	930	930
10.	राजाना ,,	1960	1960
11.	बरतावरपुरा ,,	3451	3451
12.	बरतावरपुरा सबमाईनर	2001	2001
13.	गोविन्दसर माईनर	3170	3780
14.	गोविन्दसर सब माइनर	1334	1334
15.	गोमालपुरा माईनर	2108	2108
16.	चिन्दासर ,,	1836	1836
17.	गोपावाली ,,	8201	8201
18.	लूनेवाली ,,	1022	1022
19.	जोरारपुरा सब माईनर	1857	1857
20.	देवासर माईनर	2895	2895
21.	दानोलाई ,,	1910	1910

335

1	2	3	4
22.	दामोलाई सब माईनर-i	1490	1490
23.	रुपसी माईनर	1347	1337
24.	रुपसीसब ,,	348	348
25.	कृष्णा ,,	869	869
26.	रोजड़ी डिस्टी	14667	14667
27.	अरोवाली ,,	6441	6441
28.	तरतपुरा ,,	2312	2311
29.	तरतपुरा सबमाईनर	414	414
30.	शेरपुरा लालेवाली डिस्टी	10407	10407
31.	शेरपुरा माईनर	4926	4926
32.	शेरपुरा सबमाईर	2403	2403
33.	गेगड़ा माईनर	3886	3886
34.	गेगड़ा सबमाईर	941	941
35.	जोरावर पुरा माईनर	8838	8838
36.	सेरनवाली ,,	6519	6519
37.	सेरनवाली सबमाईनर	3892	3892
38.	रोजड़ी माईनर	4728	4728
39.	रोजड़ी सबमाईनर	2024	2024
40.	मीरगढ़ माईनर	6038	6038
41.	सोखरान ,,	3347	3347
42.	छतरगढ़ डिस्टी	3179	3179
43.	छतरवाली माईनर	2975	2975
44.	कमतावाला ,,	1155	1155

(337)

1	2	3	4
45.	छतरगढ़ माईनर	792	792
46.	भ्रावा ,,	5373	5373
	योग—	162246 एकड़ या 65660 हैक्टर	162246 एकड़ या 65660 हैक्टर

75 कि. मी. से 189 कि. मी. तक

राजस्थान नहर परियोजना

विवरण तालिका वर्ष वार/नहर वार सिंचित योग्य क्षेत्रफल जो कि 3/81 तक खोला गया।

क्रमांक	नाम नहर	कुल क्षेत्रफल	3/81 तक सिंचाई के लिए खोला गया क्षेत्रफल
1.	वल्लर डिस्टी	12536	11025
2.	डावर माईनर	1185	1185
3.	साहूवाला ,,	761	761
4.	सेरावाला सबमाईर	714	714
5.	खूशानवाला माईनर	8256	6508
6.	खूशानवाला सबमाईर	718	718

338

1	2	3	4
7.	पीरनवाली सब माईनर	3797	3797
8.	रोरूला डिस्टी	10173	6311
9.	सलामत माईनर	870	870
10.	मूगेलवाला ,,	1503	—
11.	दातनवावा डिस्टी	8634	8634
12.	मुस्लिमवाला माईनर	2791	2791
13.	पूंगल ब्रांच	7939	7639
14.	सिद्घेवाला माईनर (अपर)	1884	1884
15.	सिद्घेवाला माईनर लोअर-i	241	241
16.	सिद्घेवाला माईनर लोअर-ii	700	700
17.	ककराला माइनर	3413	3413
18.	घोलपाला सबमाईनर	593	593
19.	लूनका डिस्टी	6911	6911
20.	माघेवाला माईनर	1705	1705
21.	ममदेवाला ,,	1044	1044
22.	डांडीकोकरी डिस्टी	7014	7014
23.	अलादीन का बेरा माईनर	3069	3069
24.	सीयासर माईनर	4391	4391
25.	नवागांव ,,	944	944
26.	मटवानियां ,,	1145	1145
	योग—	92931 एकड़	84307 एकड़
		37608 हैक्टर	34118 हैक्टर

75 कि. मी. से 189 कि. मी तक

राजस्थान सरकार

राजस्थान नहर परियोजना

विवरण तालिका नहर वार सिंचित क्षेत्र फल जो कि 3/81 तक खोला गया लिफ्ट नहर सिस्टम

क्र.सं० 1	नाम नहर 2	कुल क्षेत्रफल 3	3/81 तक सिंचाई के लिये खोला गया क्षेत्रफल 4
(अ)	फूलों भाग आरडी 0 व पम्पिग स्टेशन के बीच		
1.	डाईरेक्ट आउलेट (सीधे मोगे)	2150	2150
(ब)	पम्पिग स्टेशन 1 व 2 के बीच		
1.	सीधे मोगे	7966	5433
2.	फुलेजी माईनर	3861	1930
3.	चारण डिस्टी	5265	5265
4.	चारण माईनर	1015	1015
(स)	पम्पिग स्टेशन 2 व 3 के बीच		
1.	सीधे मोगे	27148	23051
2.	मलकीसर डिस्टी	7866	7866

340

1	2	3	4
3.	मलकीसर माईनर	1387	1387
4.	लूनकरनसर डिस्टी	5089	5089
5.	माडेरा डिस्टी	3748	3748
6.	माडेरा माईनर	3382	3282
7.	फूलदेसर माईनर	1191	1191
8.	डेलाना डिस्टी	3261	3261
9.	दुलमेरा माईनर	1788	1788
10.	जामसर डिस्टी	15109	15109
11	खिंचिया माईनर	3855	3855
12.	धोलेरा माईनर	1772	1772
(द)	**पम्पिंग स्टेशन 3 व 4 के बीच**		
1.	हुसेनसर माईनर	1665	1665
		97518 एकड़	88957 एकड़
		39464 हैक्टर	36000 हैक्टर

(693) 3448

परिशिष्ट-12 मार्च, 1982-परिशिष्ट

राजस्थान परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में मार्च, 1981 तक
सिचाई के लिए खोले गये क्षेत्र की वितारिका
वार सूचना :—

क्र. सं.	वितरण प्रणाली	क्षेत्र जो सिचाई के लिए खोला गया हैक्टर्स में
1.	राजस्थान मुख्य नहर के सीधे मार्ग	3690
2.	दातौर वितरिका प्रणाली	5927
3.	भुटे वाली वितरिका प्रणाली	1377
4.	बिरसनपुर ब्रांच प्रणाली	8006
		19000 हैक्टर
		एवं 46949 एकड़

——

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 300 की सूची

राजस्थान मुख्य नहर बुर्जी 750 से 1060 तक पर प्रस्तावित/बनाई जा चुकी पेड़ियों की सूची

क्रमांक 1	प्रस्तावित स्थान 2		वर्तमान स्थिति 3
1.	बुर्जी	750-000	बनाई जा चुकी हैं
2.	,,	764-000	,,
3.	,,	786-250	,,
4.	,,	800-500	,,
5.	,,	819-217	,,
6.	,,	836-100	,,
7.	,,	850-150	,,
8.	,,	859-000	,,
9.	,,	873-000	,,
10.	,,	886-400	,,
11.	,,	909-400	,,

बरसलपुर शाखा पर प्रस्तावित पेड़ियों की सूची बनाई जा चुकी है।

1.	बुर्जी रु०	4-5	पेड़ियां बन चुकी है।
2.	,,	19-727	
3.	,,	40-200	
4.	,,	49-000	
5.	,,	57-400	
6.	,,	61-100	
7.	,,	66-400	

343

1	2	3
8.	बुर्जी रु० 81-000	
9.	,, 95-285	
10.	,, 110-150	
11.	,, 114-397	प्रस्तावित है।
12.	,, 125-000	
13.	,, 140-000	
14.	,, 156-537	

चारणवाला शाखा व वितरण प्रणाली पर पेड़ियां बनाना प्रस्तावित/बनाई जा चुकी है।

चारणवाला शाखा व उसकी वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है तथा पानी अभी तक नहीं छोड़ा गया है तथा पेड़ियां अभी तक नहीं बनी है।

राजस्थान मुख्य नहर बुर्जी 750 से 1060 तक पर प्रस्तावित/बनाई जा चुकी खेलियों की सूची

क्रमांक 1	प्रस्तावित स्थान 2	वर्तमान स्थिति 3
1.	राज० नहर बुर्जी 749	कार्य प्रगति पर है
2.	,, ,, 764	
3.	,, 786	बनाई जा चुकी है
4.	,, 800	कार्य प्रगति पर है
5.	,, 837	,,
6.	,, 873	,,
7.	,, 886	,,

उत्तर

1	2		3
8.	रा. न. बुर्जी	910	बनाई जा चुकी है
9.	,,	931	,,
10.	,,	945	कार्य प्रगति पर है
11.	,,	961	प्रस्तावित है
12.	,,	980	,,
13.	,,	998	,,
14.	,,	1020	,,
15.	,,	1058	,,

बिरसलपुर शाखा पर प्रस्तावित खेलियों की सूची :—

1.	बिरसलपुर हैड के निकट	बनाई जा चुकी है
2.	बुर्जी 104.080	प्रस्तावित है
3.	बुर्जी 122.000	,,
4.	बुर्जी 137.250	,,
5.	बुर्जी 150.000	,,

चारणवाला शाखा व वितरण प्रणाली पर खेलियां बनाना प्रस्तावित/बनाई जा चुकी है। चारणवाला शाखा व उसकी वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। तथा पानी अभी तक नहीं छोड़ा गया है तथा खेलियां अभी तक नहीं बनी हैं।

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की सूची

क्रमांक 2 की सूची

वर्ष 1980-81 में बीकानेर जिले में खादी संस्थायें एवं सहकारी समितियों को स्वीकृत ऋण राशि का विवरण :—

नाम संस्था/समिति		(रु० लाखों में)
1. ग्राम स्वराज्य समिति उदयरामसर, बीकानेर		1-68
2. क्षेत्रीय समग्र लोक विकास संघ, बीकानेर		4-54
3. कोलासर खादी व उन कताई बुनाई स०स०लि० कोलासर		1-24
4. देशनोक ,, ,, ,, ,,	देशनोक	2-00
5. किलचू ,, ,, ,, ,,	किलचू	1-35
6. प्रगतिशील ,, ,, ,, ,,	बीकानेर	1-75
7. नापासर ,, ,, ,, ,,	नापासर	1-55
8. किसमीदेसर ,, ,, ,, ,,	गंगा शहर	3-00
9. सर्वोदय खादी मण्डल, रीड़मलसर		0-50
10. खादी मन्दिर बीकानेर		10-35
11. उनी खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर		0-12
	योग :—	28-08

वर्ष 1981-82 में वित्तरण :—

1. ग्राम स्वराज्य समिति, उदयरामसर	4-00
2. बीकानेर खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर	1-65
3. सुरधना खादी ग्रामोद्योग समिति, सुरधना	0-50
6. खादी मन्दिर बीकानेर	7-71
5. उनी खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बीकानेर	0-65
योग :—	14-51

बोर्ड तथा खादी कमीशन के व्यावसायिक केन्द्र :—

	1980–81	1981–82
खादी बोर्ड	12-00	6-00
खादी कमीशन	41-97	41-00
योग :—	53-97	47-00

खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा ग्रामोद्योगों में स्वीकृत ऋण

	1980–81	1981–82
खादी मन्दिर बीकानेर	4-54 लाख	2-99 लाख रु०

———